राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9] बारहवीं विधान सभा के नवम् सत्र का पच्चीसवां दिवस [संख्या : 16

गुरूवार;

13 मार्च, 2008

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष: श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'।

खण्डार विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल आपूर्ति हेतु स्वीकृत पेयजल योजनाएं

237. **श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'** (खण्डार) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खण्डार में वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में किन-किन ग्रामों की पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त स्वीकृत पेयजल योजनाओं को चालू वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही पूर्ण कर ली गई?

(3) क्या उक्त क्षेत्र के वंचित पंचायत मुख्यालयों में जहां पेयजल योजनाएं नहीं हैं, सरकार वहां के लिए योजना स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्य योजना है एवं इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है? इन योजनाओं को स्वीकृत कर सभी पंचायत मुख्यालयों के ग्रामीणों को पेयजल का लाभ कब तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री सांवर लाल) : (1) विधान सभा क्षेत्र खण्डार में वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 की अवधि में पेयजल योजना एवं हैण्ड पम्प स्थापना हेतु स्वीकृतियों का विवरण निम्नानुसार है :-

(श्री सांवर लाल)

(अ) पेयजल योजनाएं:-

वर्ष 2006-07 में स्वीकृत 4 योजनाओं पर कार्य प्रगति में है एवं जून, 2008 तक सभी को पूर्ण किया जाना लक्षित है।

वर्ष 2007-08 में स्वीकृत 10 योजनाओं में से 4 पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है एवं शेष तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं।

(ब) हैण्ड पम्प:-

वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 में क्रमशः 491 तथा 240, कुल 731 हैण्ड पम्प स्वीकृत किए जाकर अब तक 611 हैण्ड पम्प स्थापित किए जा चुके हैं।

वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :-

(अ) पेयजल योजनाएं:-

उपरोक्तानुसार 8 पेयजल योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं तथा शेष 6 योजनाएं जिनकी स्वीकृति माह अक्टूबर एवं दिसम्बर, 2007 में जारी हुई है, के कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(ब) हैण्ड पम्प:-

शेष 120 हैण्ड पम्पों का निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है एवं मई, 2008 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में समाहित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र खण्डार के कुल 58 ग्राम पंचायत मुख्यालय विभिन्न प्रकार की पेयजल योजना से निम्नानुसार लाभान्वित हैं :-

योजना का प्रकार	**लाभान्वित ग्राम पंचायत मुख्यालय**	**विशेष विवरण**
पाइप्ड	11	1 ग्राम की योजना जनता जल योजना पैटर्न पर संचालित है।
पम्प एवं टैंक	12	12 ग्राम की योजना जनता जल योजना पैटर्न पर संचालित है।
हैण्ड पम्प	35	
योग	**58**	

(श्री सांवर लाल)

हैण्ड पम्प योजनाओं से लाभान्वित 3 गांवों की वर्ष 2007 में स्वीकृत पम्प एवं टैंक परिवर्तित योजना के कार्य प्रगति पर हैं। योजना अगस्त, 2008 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित है। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र के 35 पंचायत मुख्यालय केवल मात्र हैण्ड पम्पों पर निर्भर हैं और हैण्ड पम्प पांच-पांच, दस दस लगा देते हैं परन्तु जल स्तर नीचे गिर जाने की वजह से वे खराब हो जाते हैं। पंचायत मुख्यालयों के लिए हम दावा करते हैं कि उनको हम इन्टरनेट से जोड़ रहे हैं, जब कि वहां की जनता पानी के लिए भी मोहताज रहती है, परेशान रहती है। तो क्यों नहीं दस-दस हैण्ड पम्पों की बजाय, वहां मुख्यालयों पर आपने चार-पांच स्कीमें पास की हैं दस-दस, बारह-बारह लाख की, मैं चाहता हूं कि पंचायत मुख्यालयों पर कम से कम दस-दस, पन्द्रह पन्द्रह लाख की स्कीमें आप स्वीकृत कर दें ताकि पंचायत मुख्यालयों पर पानी की व्यवस्था हो जाए।

हैण्ड पम्पों के जो पाइप आप स्वीकृत करते हैं वे गारण्टी पीरियड में ही खराब हो जाते हैं और विभाग के अधिकारी वहां मिले हुए रहते हैं, उनको ठीक नहीं करवाते हैं, तो वहां के लिए योजनाएं स्वीकृत होने के बावजूद भी लोग पेयजल के लिए परेशान रहते हैं।

मेरे 731 में से 120 हैण्ड पम्प पेंडिंग बताए हैं आपने, वे अधिकांश मेरे ही कोटे के हैं जिनको जानबूझकर राजनीतिक द्वेषता से वहां के अधिकारी पता नहीं किसके कहने से नहीं लगा रहे हैं, आप इसकी भी कोई व्यवस्था करें।

वहां पर हैण्ड पम्प खोदने के कार्य में भारी भ्रष्टाचार है और उनके मेजरमेंट में बहुत घालमेल किया जा रहा है। घटिया क्वालिटी के मैटीरियल के कारण बहुत से हैण्ड पम्प खराब हो गए हैं। आप 735 में से आप अभी चैक करें तो आधे हैण्ड पम्प खराब मिलेंगे। जल स्तर कम होने के बाद घटिया क्वालिटी का होने की वजह से कई जगह वे कालेप्स हो गए हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र का पंचायत मुख्यालय कुस्तला जहां की

(श्री अशोक बैरवा)

पापुलेशन साढ़े पांच हजार है, वहां जो जनता जल योजना है उसको सम्भालने में वे असमर्थ हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको आप रैगुलर योजना में शामिल करें तो वहां वास्तव में लाभ मिलेगा। ये मेरे दो-तीन सवाल हैं।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भी वस्तुस्थिति से बिलकुल अवगत हैं। इन्होंने स्वयं माना है कि जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है तो कोई भी सोर्स अगर हम डवलप करते हैं—हैण्ड पम्प, ट्यूबवैल, ओपनवैल तो हर साल किसी न किसी जगह पानी का लेवल घट जाता है, पानी कम पड़ जाता है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह तो तभी सम्भव होगा जब भगवान बरसात करेगा। पानी रोकने के लिए तो हमने काफी व्यवस्था की है इन चार-पांच सालों में। आपके 35 पंचायत मुख्यालयों पर जो योजनाएं हैं, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि हमारी प्राथमिकताओं में यह ऊपर है। जितने संसाधन उपलब्ध हैं, उसमें आप जो-जो बताएंगे कि यहां पर योजना बनानी है, वहां प्रायोरिटी देकर हम करवा देंगे। चूंकि 35 की 35 तो एक साथ होना मुश्किल है पर इस वर्ष चुनाव से पहले जितनी आप प्रायोरिटी बताएंगे तो निश्चित रूप से मैं अपने स्तर पर और आपके द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार करके कार्यवाही करूंगा।

आपका जो सवाल है एम.एल.ए. फण्ड के हैण्ड पम्पों का, तो हैण्ड पम्प के लिए तो हमने कह दिया कि मई, 2008 तक आपके जितने भी बकाया हैं वे सारे लग जाएंगे चाहे वे किसी भी फण्ड के हों, सरकार के द्वारा हों, चाहे सरकार ने फण्ड आपको दे रखा है, आप उसमें सैंक्शन कर रहे हों। दोनों ही तरीकों के हैण्ड पम्प हैं उनको मई, 2008 तक हम लगवा देंगे।

हैण्ड पम्पों के निर्माण में भ्रष्टाचार या गहरा कम करना, पाइप घटिया लगाना, इस प्रकार की शिकायतें जो आप बता रहे हैं, तो यह हमारी एक सतत् प्रक्रिया है, लगातार इसकी जांच होती है। पर आप कह रहे हो तो विशेष रूप से आपके सवाई माधोपुर जिले की हर पंचायत समिति के दो-दो, चार-चार जगहों पर हैण्ड पम्पों की हम सडन जांच करवा कर रिपोर्ट लेकर आपको अवगत करवा देंगे।

मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि पिछले पांच सालों और इस साल में जो पैसा है, इस वर्तमान सरकार ने 1115 हैण्ड पम्प आपके एरिये में लगाये। गत सरकार ने चार योजनाएं स्वीकृत कीं और हमने कितने कीं, आपको अभी मैंने बताया- पहले 393 हैण्ड पम्प लगे अभी 1115 स्वीकृत हैं,

(श्री सांवर लाल)

कुछ बाकी हैं जो लग जाएंगे। नलकूपों का निर्माण पहले 27 का हुआ था, हमने 47 का कराया। सरकार की प्रायोरिटी है कि अधिकांश काम ग्रामीण क्षेत्रों में करवाएं। गांव के लोगों को भी शहर की तरह टूंटी चला कर पानी पिलाने के लिए इसमें हम स्टैप बाई स्टैप चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही हर गांव में यह फैसिलिटी मिले।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे बिलकुल संतुष्ट हूं। वहां पर जो गारण्टी पीरियड में खराब हुए हैण्ड पम्प हैं, उसमें विभाग के अधिकारी मिले हुए हैं और वे ठेकेदारों से सांठगांठ करके उनका काम ही नहीं करवाते हैं। वहां के लोग इससे परेशान हैं। मेरी दो ही बातें थीं बस।

कुस्तला गांव साढ़े पांच हजार की पापुलेशन का पंचायत मुख्यालय है, मेन हाई-वे पर है, वहां पर जनता जल योजना पंचायत नहीं सम्भाल पा रही है और काफी समस्याएं हैं। साढ़े पांच हजार की आबादी बहुत बड़ी आबादी होती है, इसलिए आप इसको रैगुलर स्कीम में शामिल करें।

आपने ग्राम पंचायत डूंगरी में एक नई योजना स्वीकृत की है, इसी में है, उस गांव में बिजली नहीं है, आपने प्रोविजन रखा है पांच लाख रुपये के करीब बिजली का कनेक्शन, मैं चाहता हूं कि उसकी फाइल पहले लग जाए ताकि डूंगरी की योजना जो आप बता रहे हैं इसका लाभ मिले। इस प्रकार कुस्तला और डूंगरी के लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री) : डूंगरी के लिए अगर बिजली की फाइल नहीं लगाई तो सोमवार तक फाइल लग जाएगी कनेक्शन लेने के लिए।

जनता जल योजना का मतलब ही यह है कि वहां पर आदमी जो रहता है उसको हम पेमेंट पंचायत के माध्यम से करवाते हैं। बिजली और मेंटिनेंस का खर्चा सरकार देती है। वह जो पांच सौ रुपये हैं वह बहुत पुराने तय किए हुए हैं, इस पर भी विचार चल रहा है, अब आगे क्या फैसला होता है, मैं अवगत करवाऊंगा।

अब आपको तो पता है कि भर्तियां अशोकजी के टाइम से ही बंद हो रही हैं और जब आदमी कम होंगे तो फिर समस्या है। अगर मैं स्कीम में ले भी लूंगा तो फिर समस्या आ जाएगी, आदमी नहीं मिलेगा, तो इसमें जो भी हो सकता है, मैं करने की कोशिश करूंगा। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी ने आपको बहुत डिटेल में अवगत करा दिया, बता दिया, आप बाकी बाद में और बता देना।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात है।

माननीय मंत्रीजी, साढ़े पांच हजार की पापुलेशन का कुस्तला गांव है, उसको आप रैगुलर स्कीम में ले लो। जनता जल योजना के जो कर्मचारी हैं उनको तीन-तीन सौ, पांच-पांच सौ रुपये जो आप देते हैं, जल योजना के कर्मचारी आपसे मांग कर रहे हैं रैगुलर अपनी तनख्वाह बढ़ाने की, उसके ऊपर भी आप विचार करें। मेरे कुस्तला को आप ले तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): मैं विचार कर रहा हूं। मैंने खुद कहा कि स्कीम तो रैगुलर है, इसको चलाने का सिस्टम जनता जल योजना पर है अब इसमें मैंने थोड़ा-सा लिमिटिंग फैक्टर आपको अर्ज किया, फिर भी कोई रास्ता निकालेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा।

बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक के मनोनीत संचालक मण्डल के सदस्यों में अवधिपार ऋण

238. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) केन्द्रीय सहकारी बैंकों में मनोनीत संचालक मण्डल के कार्य करने की कितनी समयावधि निर्धारित है? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक में मनोनीत संचालक मण्डल किस दिनांक से कार्य कर रहा है?

(3) बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक के मनोनीत संचालक मण्डल के किस किस सदस्य पर ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक का अवधिपार ऋण बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अवधिपार ऋणी किन कारणों से संचालक मण्डल के सदस्य बने?

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): (1) राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 27(1) के परन्तुक के अनुसार किसी भी

(डा. एन. एस. गुर्जर)

नवगठित सोसाइटी के मामले में सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों द्वारा सोसाइटी के कार्यकलापों के संचालन के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख से तीन माह की कालावधि के लिए संचालक मण्डल नियुक्त किये जा सकने के प्रावधान हैं। धारा 27(1) की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक की गठन तिथि दिनांक 30.7.2005 से ही बैंक में मनोनीत संचालक मण्डल कार्य कर रहा है। बैंक द्वारा वास्तविक कार्य, कोटा केन्द्रीय सहकारी बैंक की आस्तियों एवं दायित्वों का विभाजन दिनांक 6.3.2007 को होने के बाद ही प्रारम्भ हुआ।

(3) बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक के मनोनीत संचालकों के सदस्यों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक के बकाया ऋण का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) बैंक के गठन हेतु आयोजित प्रथम आम सभा में किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध बकाया किसी अवधिपार ऋण की जानकारी तत्समय सदस्यों/आम सभा द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण आम सभा द्वारा प्रस्तावित नामों से ही संचालक मण्डल के सदस्य मनोनीत किये गये।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने क्रम संख्या 1 पर जवाब दिया कि तीन माह के लिए आप बोर्ड को नोमिनेट कर सकते हैं, आपने बोर्ड का नोमिनेशन किया 30.7.2005 को और 30.7.2005 से आज 2008 है इतने वर्ष तक चुनाव नहीं कराकर राजनैतिक दृष्टिकोण से तीन महीने से अधिक अवधि के लिए उस बोर्ड को कैसे बनाये रखा?

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आपने तो 25 साल तक नहीं बनाये थे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मुझे पता नहीं है आप जवाब दोगे या ये देंगे। आप जवाब दो तो मैं पहले बैठ जाऊं। आप जब वरिष्ठ आदमी हो .. (व्यवधान) आप तो मुझे बिठाना ही चाहते हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपकी पुरानी याददाश्त को ताजा करना चाहते हैं .. (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपकी कांग्रेस में और दम क्या है?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मुझे आत्मीय रूप से इस बात की प्रसन्नता है कि मैं खड़ा होता हूं जब आप कुछ करते हो, जब मैं यहां से जाता हूं जब भी कुछ न कुछ करते हो। तो मेरी सार्थकता आप समझते हो और उस सार्थकता के हिसाब से ही आपकी भावना के अनुरूप मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप ज्यादा फूलो मत। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नम्बर एक, जब तीन महीने की अवधि के लिए ही वैधानिक रूप से आप किसी बोर्ड का मनोनयन कर सकते हो तो आपने इस बोर्ड को तीन साल तक कैसे चलने दिया, कैसे उसको रखा और चुनाव क्यों नहीं कराये?

नम्बर दो, नियमों के अंतर्गत जब तक किसी प्रारम्भिक सोसाइटी का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं होगा, जब तक वह किसी भी सेंट्रल सोसाइटी का पदाधिकारी जब तक उसके प्रतिनिधि के रूप में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं होगा तब तक वो उस बोर्ड में किसी भी पद पर रहने का अधिकारी नहीं है। आप कृपया मुझे यह बताएं कि जो नोमिनेशन आपने किया है उसमें कौन-कौन से लोग, किस-किस सोसाइटी के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष हैं और कौन-कौन से लोगों को उसमें अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष नहीं होने के बावजूद भी आपने नोमिनेट किया है?

तीसरा, यह है कि उसमें योग्यताएं हैं, क्या जो डिफाल्टर सदस्य हों उन डिफाल्टर सदस्यों को बोर्ड के मैनेजमेंट में नोमिनेट किया जा सकता है? आपने अपनी सूची में श्री नरेश सिंह सिकरवार पर 13 हजार, 17500 और 8 हजार ओवरड्यू लोन बताया है। आपने नाथूलाल पारेता पर 23400 प्लस ब्याज ओवरड्यू बताया है। आपने गिरिराज नागर पर 45 हजार बताया है। आपने रामेश्वर दयाल मीणा पर 33 हजार, 20 हजार, 7 हजार ओवरड्यू लोन बताया है। गिरिराज धाकड़ पर आपने 35 हजार बताया है, ब्याज आपने नहीं लिखा, उससे संख्या और बढ़ जाती, वह बताया है। सुरेन्द्र कुमार शर्मा पर 50 हजार ओवरड्यू लोन बताया है। जिन पर ओवरड्यू लोन हैं क्या वो बोर्ड आफ मैनेजमेंट में पदाधिकारी बनने की योग्यता रखते हैं?

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(डा. एन. एस. गुर्जर)

माननीय सदस्य ने तीन सवाल पूछे हैं, पहला तो आपने पूछा कि आपने चुनाव तीन माह में क्यों नहीं कराये। उपाध्यक्ष महोदय, कानून में 27(1) में स्पष्ट है, प्रोविजो है, थ्री मंथ्स का है, लेकिन आगे लिखा है – "... but the Committee appointed under this proviso shall cease to function upon the constitution of a new Committee ..." जब तक न्यू कमेटी का कांस्टीट्यूशन नहीं होता, that is by election or by nomination, तब तक वो कमेटी जो प्रारम्भ में बन जाती है, वो हम सीज नहीं कर सकते।

नम्बर दो, पहली आम सभा में आपने पूछा कि इनका ओवरड्यू था, यह सही है कि दो सदस्यों के जो अवधिपार ऋण थे वे उन दो के खिलाफ थे, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आम सभा ही वहां तय करती है, वो ही संचालक मण्डल का गठन करती है और उसकी सूचना भेज देती है, उसमें सरकार का कोई लेना-देना नहीं होता। हमारी को-आपरेटिव की इलैक्शन अथोरिटी बनी हुई है, स्वतंत्र प्राधिकरण है, वो जब चुनाव कराती है उस समय उनके ध्यान में आता है तो वे डिस्क्वालिफाई करते हैं। लेकिन इसमें प्रारम्भ में कमेटी बनती है उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं होता है, न हम उसमें जांच करते हैं, न हमारे ध्यान में आता है कौन डिफाल्टर है, कौन नहीं है। इस केस में माननीय सदस्य ने ठीक कहा, दो व्यक्ति उसमें ऐसे थे जिन्होंने अवधिपार ऋण जमा नहीं कराया, पर दोनों की सूचना ज्यों ही एमडी ने हमारे ज्वाइंट रजिस्ट्रार को दी तो हमने नोटिस जारी किये। नोटिस जारी करते ही एक ने तो जमा करा दिया और एक ने इस्तीफा दे दिया। जिसने इस्तीफा दिया है उसके खिलाफ हमारी प्रक्रिया जारी है, 25 तारीख को सुनवाई है, हमारी प्रक्रिया उसमें जारी है। इस्तीफे से यह नहीं है वह उससे छूट जाएगा, वह प्रक्रिया हमारी जारी है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक आपने कहा चुनाव की जो व्यवस्था है इसमें हमने दो साल में ...(व्यवधान) ऐसा नहीं है कि हम चुनाव नहीं कराना चाहते, पिछले दो साल में 11133 सहकारी समितियों के चुनाव कराये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पहले तो पर्टीकुलर इसकी बात करो। आप राजस्थान को मत उलझाओ, आप तो पर्टीकुलर इस केस की बात करो। इसकी बात करो।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): इसकी बात कर रहा हूं। इसमें भी जीएसएस के हमने चुनाव करा दिये। जीएसएस 144 हैं उनके चुनाव करा

(डा. एन. एस. गुर्जर)

दिये। लेकिन अभी केवीएसएस 5, होलसेल भण्डार 1, केएलडीबी 1, इनके चुनाव होना बाकी हैं। हम चुनाव नहीं कराते, एक सैपरेट स्वतंत्र प्राधिकरण बना हुआ है, वो चुनाव कराते हैं। वो ज्यों ही चुनाव कराएंगे, यह जो मण्डल है यह फंक्शन करना सीज कर देगा।

तीसरा, हमारे सामने यह दिक्कत और आएगी, हमारी तरफ से न तो प्रारम्भ में हमने जानबूझकर उसमें किया, उनका अधिकार है, हमारे ध्यान में आया तो हमने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। तीसरा, चुनाव होने के बाद वह फंक्शन करना सीज हो जाएगी, क्योंकि आपको ध्यान है कई समितियों के चुनाव 1990-91 में हुए थे जो बाद में आज तक पूरे नहीं हो पाये। यह प्रक्रिया है और कानून में इसका प्रोविजन भी है। हमारी इसमें कोई बदनीयति नहीं है। ज्यों ही चुनाव होगा यह संचालन मण्डल अपने आप भंग हो जाएगा। (व्यवधान)..

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ बचा है वह अभी बचा है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अभी तो इन मंत्रीजी का है। सारे कारनामे तो इन मंत्रीजी के हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सैक्शन 27 जिसके तहत अपाइंटमेंट किया है, मुझे लगता है माननीय मंत्रीजी उसका इंटरप्रिटेशन जो लेटरल सेंस है उसमें करना नहीं चाहते और अपनी मनमर्जी से करना चाहते हैं। उसमें लिखा हुआ है– "The Society … for the period of 3 months from the date of registration but the Committee appointed under this proviso shall cease to function upon the constitution of a new Committee which shall be constituted in accordance with the bye-laws within the said period of 3 months." तीन महीने में वह कार्यवाही आपको करनी थी, सरकार ने तीन साल से अपने पसंदीदा लोगों को नोमिनेट करके लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव नहीं कराये। फिर यह कह दें कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं। तीन महीने के अंदर-अंदर कानूनी प्रोविजन था, वह आपको करना था। उस प्रोविजन के अंतर्गत जो कानून आपने बनाया है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं, सरकार जान-बूझकर इस कानून का उल्लंघन कर रही है। अगर सरकार ही कानून का उल्लंघन करेगी तो फिर शेष कौन बचेगा?

(श्री हरिमोहन शर्मा)

मेरा दूसरा निवेदन यह है, मैंने आपसे यह पूछा है कि जो बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स आपने नोमिनेट किया या कांस्टीट्यूट करने के समय जो बने उसमें भी यह जरूरी है कि जो भी प्रतिनिधि होगा, वह आपके कानून का है, आपके लॉ में लिखा हुआ है कि जब तक प्रारम्भिक समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं होगा, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वह रिप्रजेंट कर सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें से जो भी आपने नोमीनेट किये, आपने मेरे को उसका जवाब नहीं दिया, मैं आपको यह बताऊं कि उसमें श्री गिरिराज धाकड़ किसी सोसाइटी का अध्यक्ष नहीं है, जगदीश शर्मा किसी सोसाइटी का अध्यक्ष नहीं है, श्यामजी कटनारिया किसी सोसाइटी का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं है, मोहन लाल नायक ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): प्रश्न पूछो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): प्रश्न ही पूछ रहा हूं, बीमारी आ गई क्या ?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): पूछो, पूछो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, पाइंटेड है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पुष्कर में वह क्यों छुपाना चाहते हो इनका ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ये कुकर्म किये हैं, यह नाथू सिंहजी से पूछो।

श्री उपाध्यक्ष: इनका अंकित नहीं होगा।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मोहन लाल नायक, सुरेन्द्र शर्मा, नरेश सिंह शिखरवाल, श्रीमती कमलेश शर्मा, नाथूलाल पारेथा, राजेन्द्र मीणा, इनमें से 11 में से 9 आदमी किसी भी सोसाइटी के न तो अध्यक्ष हैं और न उपाध्यक्ष हैं, फिर आपने किस आधार पर उनको बोर्ड में रख रखा है? मुझे आश्चर्य है कि जहां पर इतने बड़े अधिकारी हों, रजिस्ट्रार हों, प्रिंसिपल सैक्रेटरी हों, उनकी आंखों के सामने इस प्रकार का कानून का उल्लंघन होता रहा है, सरकार उसको देखती रही। चार साल तक आंख मीच कर बैठ जाएं। नम्बर तीन, आपके यहां आडिट रिपोर्ट हुई, आडिट हुई उस समिति की, उस समिति की आडिट होने के साथ उस आडिट रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि राजस्थान

(श्री हरिमोहन शर्मा)

सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 और नियम 2003 के नियमानुसार मनोनीत संचालक मंडल का तीन माह के अन्दर विधि अनुसार निर्वाचन संचालक मंडल का गठन किया जाना चाहिए। बैंक का वर्तमान संचालक मंडल 25.7.2005 से कार्यरत है तथा बैंक का पंजीयन 3.7.2005 को होने के पश्चात् बैंक का गठन दिनांक 10.3.2007 को हुआ । बैंक के संचालक सदस्य, सहकारी समितियों के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वर्ष 2006-07 में ग्राम सेवा समितियों के निर्वाचन उपरांत 7 संचालक मंडल के सदस्य क्रम संख्या 3, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 समिति के अध्यक्ष के रूप में संबंधित समिति में कार्यरत नहीं हैं और बैंक का संचालक मंडल पूर्वानुसार पदासीन है। अतः संचालक मंडल की वैधानिकता समाप्त हो गई है। यह आपकी सरकार की आडिट रिपोर्ट है। ...(व्यवधान) आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए।

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है कि तीन महीने की अवधि के अन्दर आपने चुनाव नहीं कराये हैं। पहला तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि ये चुनाव तीन महीने में इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि जब तक पीएलडीबी, केबीएसएच आदि के चुनाव नहीं हो पाये। इनमें चुनावों में समय लगता है इसलिए ये तीन महीनों में चुनाव नहीं हो पाये, पहला प्रश्न। दूसरा, आपने यह कहा कि तीन महीने के बाद अगर ये काम कर रहे थे तो डिस-क्वालिफिकेशन की श्रेणी में आते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1990-91 में तीन वर्ष की अवधि के लिए संचालक मंडल के चुनाव हुए थे उसके बाद 15 वर्षों तक चुनाव नहीं हुए, वे इसी एक्ट के तहत डिस क्वालिफिकेशन की श्रेणी में क्या नहीं आये? उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं सहकारी निगम, इसका गठन 2.5.2000 को हुआ, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम का गठन 19.4.2000 को हुआ, उसके बाद लगातार चले आ रहे थे, इनके चुनाव नहीं हुए, ये भी उस श्रेणी में नहीं आये। उपाध्यक्ष महोदय, एक्ट की मंशा यह है कि जब तक, चूंकि वह स्वतंत्र इकाई है, इनका चुनाव नहीं हो जाता, तब तक वे कंटीन्यु काम करते हैं। दूसरा एक ऑप्शन और है कि ... (व्यवधान) संचालक मंडल आप भंग करके, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं... (व्यवधान) पूरा सुनिए, उसके बाद कोई बात हो तो बता दीजिए। माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं, एक आप्शन और है, यदि चुनाव नहीं हों तो आप भंग

(डा. एन. एस. गुर्जर)

करके प्रशासक लगा दो। हमने हनुमानगढ़ में प्रशासक लगाया लेकिन हमारे पास भारत सरकार का पत्र आ गया और भारत सरकार ने पत्र में लिखा कि यह वैद्यनाथन पैकेज, राज्य सरकार ने जो एमओयू साइन किया है, उसका उल्लंघन माना जाएगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो। और उन्होंने कह दिया कि ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, नहीं, यह क्या है? (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): यह रहा मेरे पास।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप टेबल करिए हाउस के अंदर।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): यह रहा मेरे पास।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप आधी सूचना पढ़ते हैं और आधी सूचना आप पढ़ते नहीं हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): कर रहा हूं, टेबल कर रहा हूं। मैं टेबल कर दूंगा, आप मुझे उत्तर देने दीजिए, मेरे पास लैटर की कापी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इनके अलावा, कोई अंकित नहीं होगा। आप सुनिए। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): पहले सुन लें, आप चाहोगे तो मैं टेबल कर दूंगा। हमने हनुमानगढ़ में किया ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह है, यह रहा, वहां की जरूरत ही नहीं है, आलरेडी मेरे पास है। यह मेरे पास कापी है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कुछ मत करो, दादागीरी करो, कानून को जेब में रखो, एक बार नोमीनेट कर दो, फिर जिंदगी भर चलाओ, चुनाव मत करवाओ, यह करो आप और अधिकारियों की मदद ले लो। अधिकारियों को भी याद होना चाहिए कि लोकतंत्र एक सत्ता का परिवर्तन है, जो लोग इन कामों में हाथ बटाएंगे उनका क्या हश्र होगा।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री दे रहे हैं जवाब, आप बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××...(व्यवधान)...

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, एक्ट की मंशा यह है कि जन सेवा करें, लेकिन फिर भी माननीय सदस्य कह रहे हैं, आप चाहेंगे तो मैं लीगली इसको और एक्जामिन करवा लूंगा। (व्यवधान) ताकि इसमें क्या हो सकता है, उपाध्यक्ष महोदय, हमेशा के लिए, क्योंकि कई बार यह गफलत होती है, मिसअंडरस्टेंडिंग होती है। मैंने पहले के उदाहरण दे दिये आपको। दूसरा, जहां तक माननीय सदस्य ने एक सवाल और पूछा है कि वह अपैक्स बैंक का सदस्य नहीं था, उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय उन्होंने आम सभा का गठन करके हमारे पास भेजा उस समय वे सब अपैक्स के अध्यक्ष थे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विराजिये।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद जब चुनाव हुए अपैक्स के, उस समय नये चुन कर आ गये और वे अध्यक्ष नहीं रहे, यह बात सच है। इसमें मुझे बताते हुए कोई आपत्ति नहीं है, जो है, चीज है, वह उसके बाद आ गये। लेकिन चूंकि मैंने कहा है कि माननीय सदस्य जो बता रहे हैं, मैं इसको एक्जामिन करवा लूंगा लीगली और इसको दिखवा भी लूंगा। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): × × ×

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): × × ×

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इतनी ज्यादा बेशर्मी से पेश मत आओ। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): × × ×

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, यह सेंट्रल को आपरेटिव बैंक के बाइ-लॉज हैं जिसमें इन लोगों को नोमीनेट नहीं किया जा सकता, यह डिसक्वालिफिकेशन है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): × × ×

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ये सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक के बाइ लाज हैं जिसमें नोमीनेशन ऐसे डिसक्वालिफाइड लोगों का नहीं हो सकता। पूरा का पूरा सरकार एक बार नोमीनेशन करके उनको जिंदगी भर चलाना चाहती है ? यह कानून की मंशा है ? को-आपरेटिव एक्ट यह कहता होगा कि एक बार नोमीनेशन कर दो और फिर जिंदगी भर बैठे रहो? ...(व्यवधान) एक

(श्री हरिमोहन शर्मा)

आपने यह कहा कि एक्जामिनेशन करवाऊंगा, आप समय सीमा तय कर दें कि एक महीने के अन्दर-अन्दर आप कानूनी इसको एक्जामिन करवाकर के जो लीगल रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से आप बोर्ड भंग करेंगे।

श्री भरत सिंह (दीगोद): × × ×

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): × × ×

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अगर कोई मंत्री अवैधानिक काम करता है...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): × × ×

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय मंत्री महोदय, जो मैंने आपसे कहा, कितना समय, एक महीने के अन्दर-अन्दर आप यह सारी जांच करवा कर, इसकी लीगल रिपोर्ट आए उसी हिसाब से कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): × × ×

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अगर यह अवैधानिक है तो क्या बोर्ड भंग करोगे आप?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): × × ×

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपको मंत्री तो बनाया नहीं फिर क्यों बोल रहे हो? नाथूसिंहजी बोलेंगे। आप जबरदस्ती ही बोल रहे हैं। नहीं, नहीं, आप को-आपरेटिव मिनिस्टर नहीं हो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): × × ×

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपकी दुर्गति कालीचरणजी ने कर दी, उनसे सबक लो। आप मंत्रीजी को बोलने दो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): × × ×

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नोमिनेशन की बात हो रही है। ... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): × × ×

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): × × ×

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है। ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय मंत्रीजी, आप समय सीमा बता दें। (व्यवधान) आप समय सीमा बता दें, मैं बैठ जाता हूं। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप समय सीमा बता दें।

श्री उपाध्यक्ष: हरिमोहनजी, आप अपना प्रश्न पूछिये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): समय सीमा बता रहे हैं, साहब। घोषणा कर रहे हैं, वह तो आने दो।

श्री उपाध्यक्ष: बता दिया, इन्होंने बता दिया।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):..... नई सरकार का गठन होगा तब तक उस रिपोर्ट को पटके रहेंगे। आप समय सीमा तय करो। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा इसका आधार यह है कि कभी भी नई सोसाइटी बनती है तो वहां के.....

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो समय सीमा की घोषणा करो। मैंने बात छोड़ दी, आप तो समय सीमा तय करो।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): वो छोड़ दी क्या आपने?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, छोड़ दी।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): छोड़ दी तो चलो। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि इस कानून के तहत बहुत सारी समितियां बनी हुई हैं और उनके तीन महीने में चुनाव नहीं हुए, हमारे भी तीन महीने में चुनाव इसलिए नहीं हुए क्योंकि के वी एस के चुनाव कराने पड़ते हैं। पी एल डी बीज इसकी सदस्य होती हैं महिला सहकारी समितियां इसकी सदस्य होती हैं, तो उनके चुनाव कराने में समय लगता है। तीन महीने में पासिबल नहीं है। इसलिए कानून की मंशा के अनुसार.....

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): चार साल हो गये, तीन महीने की क्या बात है?

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): एक मिनट। आपने बोल दिया है तो आप मेरी बात सुनें। 2000 से बने हुए, नोमिनेट किये हुए, उनके चुनाव अब तक नहीं हुए इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि इल्लीगल है। लेकिन मैंने इसलिए कहा है, आपकी भावना को देखते हुए, कि आगे के लिए क्लैरिफिकेशन हो जाए, मैं इसका लीगली एग्जामिनेशन करा लूंगा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन समय की बात कर रहे हैं..... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो समय सीमा बता दें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराज जाएं। माननीय सदस्य, बैठिये।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): बहुत बढ़िया हुआ, मेरे खिलाफ नहीं हुए। आप गलतबयानी कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन में चाहे जो बोल दें.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो रहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): ये गलतबयानी कर रहे हैं। (व्यवधान) ये सदन में चाहे जो बोल दें। (व्यवधान) कोई सवाल ही नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रक्रिया चल रही है। चुनाव की प्रक्रिया चालू हो रही है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री उपाध्यक्ष: हां, हो रही है। प्रक्रिया चल रही है। अभी हो रही है प्रक्रिया। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं जल्दी से जल्दी कराऊंगा। मेरी कोई दुर्भावना नहीं है, जल्दी से जल्दी इसका एग्जामिनेशन कराऊंगा। दूसरा जो माननीय सदस्य ने कहा, आपकी पार्टी के ताम्बीजी भी थे, वहां सारे किसानों

(डा. एन. एस. गुर्जर)

ने हमारी तो प्रशंसा की और केन्द्र सरकार के 60 हजार करोड़ रुपये के कर्जा माफ करने को धोखा बताया है1 उन्होंने, किसानों ने विरोध किया है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठो। नैक्स्ट क्वेश्चन श्री देवीशंकरजी भूतड़ा।

ब्यावर-जोधपुर (सड़क मार्ग) का चार-लेन में परिवर्तन

239. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-8 को किशनगढ़ से ब्यावर तक चार-लेन सड़क में परिवर्तित करने की सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है? यदि हां, तो इस कार्य को कब तक शुरू करवा कर पूर्ण कर लिया जाएगा?

(2) क्या सरकार ब्यावर से उदयपुर व ब्यावर से पाली व बर से जोधपुर तक के राज मार्ग को भी चार लेन में परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) जी हां। राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-8 को किशनगढ़ से ब्यावर तक चार-लेन सड़क में परिवर्तित करने की परियोजना राष्ट्रीय राज मार्ग विकास परियोजना चरण तृतीय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण द्वारा बी.ओ.टी. के अन्तर्गत बनायी जा रही है, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार से सम्बन्धित है1

(2) जी हां। ब्यावर से उदयपुर राज मार्ग को केन्द्र सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय के द्वारा बी.ओ.टी. के आधार पर चार लेन करने हेतु चिह्नित किया गया है। इस सड़क की सम्भाव्यता रिपोर्ट (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) बनाने का कार्य प्रगति पर है।

ब्यावर से पाली राजमार्ग को चार-लेन में बदलने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है, जिसके बाद निर्णय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण द्वारा लिया जाएगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बर से जोधपुर राज मार्ग के चार-लेन के लिए अभी कोई परियोजना विचाराधीन नहीं है।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न संख्या-1 के जवाब में माननीय मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया है कि योजना की स्वीकृति भारत सरकार से सम्बन्धित है, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण योजना का प्रस्ताव सरकार से भारत सरकार को कब भेजा गया था और भारत सरकार ने यह योजना कब स्वीकृत की थी और कब-कब इस योजना पर क्या-क्या कार्यवाही हुई? यह योजना कब तक शुरू होकर पूर्ण होने की कोई समयावधि है या नहीं?

नम्बर दो में जो जवाब दिया है जिसमें कहा है कि इस परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है, यह कराना कब से शुरू हुआ है और यह फिजिबिलिटी रिपोर्ट कब तक पूर्ण हो जाएगी और कब तक भेज दी जाएगी?

तीसरा जो जवाब दिया है कि ब्यावर से पाली राज मार्ग को 4 लेन में बदलने के लिए भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है तो यह रिपोर्ट कब से बनाना शुरू हुआ और कब तक बन जाएगी और कब चली जाएगी? बर से जोधपुर राज मार्ग के लिए लिखा है कि अभी कोई परियोजना विचाराधीन नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इतनी महत्वपूर्ण यह परियोजना है क्योंकि इस रोड पर यातायात का दबाव बढ़ा है। जो 4 लेन, 6 लेन बनी है किशनगढ़ के बाद चित्तौड़ के लिए, उसके बाद सारा का सारा यातायात का दबाव टोल टैक्स बचाने के लिए इस पाली-जोधपुर-उदयपुर रोड पर पड़ गया। यह परियोजना जो कि महत्वपूर्ण परियोजना है, इसका क्या कारण है कि यह अभी तक लेट हो रही है? मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि यह योजना कब स्वीकृत हुई और राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को कब भेजा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ से अजमेर, ब्यावर 91 किलोमीटर है। इस योजना के लिए स्थानीय जन-प्रतिनिधियों ने भी कई बार मांग की थी और 20 मई, 2005 एवं 25 जून, 2005 को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसके लिए भारत सरकार को पत्र लिखा। 7 जनवरी, 2006 को मेरे द्वारा भी पत्र लिखा गया है। उसके बाद भारत सरकार ने 2006-07 में एन.एच.डी.पी. तृतीय(बी) के अन्तर्गत इसको

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

स्वीकृत किया। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी डी.पी.आर. दिसम्बर, 2007 तक बन गई है, अब इसकी निविदाएं आमंत्रित होनी हैं। निविदाएं आमंत्रित होंगी पी.पी.पी. एप्राइजल कमेटी है, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के वित्त सचिव करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मैंने देख लिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, देख लिया है तो उस पर तो कार्यवाही कराओ। यह रोज-रोज लेकर आते हैं। नहीं, आप टेबल करवा लें जो मोबाइल बजा है अभी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, यह 704 करोड़ रुपये की योजना है। इसकी डी.पी.आर. दिसम्बर, 2007 को बन गई। पी.पी.पी. एप्राइजल कमेटी भारत सरकार इसकी निविदा आमंत्रित करती है, 2009 में प्रारम्भ होकर 2012 तक हमने लक्ष्य रखा है कि यह पूरी हो जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दूसरे खण्ड में पूछा ब्यावर-पाली-पिंडवाड़ा का, यह भी नेशनल हाई-वे 14 है और 246 किलोमीटर है, इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दो पत्र लिखे 25.6.2005 को और 20.5.2005 को। इसकी डी.पी.आर. है उसका काम अभी प्रगति पर है और जून, 2008 तक इसकी डी.पी.आर. बन जाएगी। इसको भी एन.एच.एस.डी.पी. थर्ड-बी के अन्दर भारत सरकार ने शामिल किया है। इस योजना के 2009 से प्रारम्भ होकर 2012 तक समाप्त होने का लक्ष्य रखा है।

तीसरा जो माननीय सदस्य ने पूछा है बर-जोधपुर, यह 125 किलोमीटर है, इसमें भी 15 किलोमीटर पर पहले से फोर-लेन है। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी टू-लेन को फोर-लेन में बदलने के लिए, 15,000 (पी.सी.यू.) पैसेंजर कार यूनिट होनी चाहिए, इसमें जो सर्वे हुआ है इसके अनुसार इसकी पी.सी.यू. 10,558 है, इसलिए यह क्वालिफाई नहीं करती, इसलिए अभी यह विचाराधीन नहीं है। (व्यवधान)

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बर से जोधपुर राज मार्ग को फोर-लेन के लिए बताया गया है, मैं इसके बारे में आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बर से जोधपुर और जोधपुर के बाद में यह मार्ग जैसलमेर तक और पोकरण तक जाता है लेकिन जोधपुर तक मैं समझता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

से यह मिलिट्री का एरिया है। पूरा चाहे वह जोधपुर हो चाहे जैसलमेर हो, नसीराबाद से जोधपुर आवागमन निरन्तर बना रहता है और उससे यातायात में बहुत बड़ा दबाव बना रहता है। मैं माननीय मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस पर सुरक्षा की दृष्टि से और जो मिलिट्री का आवागमन है, उस दृष्टि से भी ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की और जनता की भावना है, आगे तक पहुंचाएं, इस मार्ग को आप फोर-लेन करने का प्रयास करें। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री उपाध्यक्ष: वह खड़े हो गये हैं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर और उदयपुर फोर-लेन प्रस्तावित है, इसलिए...

श्री उपाध्यक्ष: एक-एक माननीय सदस्य बोलें। एक-एक माननीय सदस्य बोलिये। आप थोड़ा बैठिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान) पहले वह खड़े हो गये हैं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि ब्यावर-पाली-पिंडवाड़ा सड़क मार्ग में कई ऐसे, सैंदड़ा-बर ऐसे-ऐसे आबादी वाले क्षेत्र हैं, इसमें भवन हानि को किस प्रकार से बचाया जा सके और वहां स्थानीय जन-प्रतिनिधियों की राय सर्वे में किस प्रकार से सुनिश्चित की जाएगी, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रश्न है। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि यह जो आपका सर्वे हो रहा है इस सर्वे में क्या आपके राष्ट्रीय राज मार्ग के चीफ इंजीनियर हैं, उनकी सलाह लेंगे? सबलपुरा-पाली, इन दोनों पर जो रेलवे की लाइन है, उस पर ओवरब्रिज बनाने की कोई कार्यवाही होगी? साथ ही सैंदड़ा-बर-चंडावल-सोजत, ये चार इम्पोर्टेन्ट जगह हैं, इनमें गांववासियों की मांग है कि इन पर बाइपास बनाया जाए, क्या सर्वे करने वालों को आप निर्देशित करेंगे कि वे इसको भी शामिल करें? अगर सर्वे एक दफा होकर रिपोर्ट चली गई तो बाद में बड़ी मुश्किल होगी, इसलिए आप कृपा करके इस पर कार्यवाही करें।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंट्री प्रश्न है। ब्यावर-उदयपुर पर फोर-लेन का सर्वे कब शुरू हुआ? और इसकी अवधि क्या है? इसमें कितने किलोमीटर की यह दूरी है और कब इसकी परिणति हो जाएगी? (व्यवधान)

श्री हरीसिंह रावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है। ब्यावर-उदयपुर जो फोर-लेन की रोड बनने जा रही है, उसमें किशनगढ़ से उदयपुर तक टोल-टैक्स की वजह से पूरा ट्रैफिक हमारे रूट पर डाइवर्ट हो गया है जिसकी वजह से हमारे यहां ट्रैफिक का ज्यादा लोड होने से 4-5 कार एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, वहां भी आये दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, भीम से आगे आवलसरा घाट तक जहां आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, एक सप्ताह में 4-5 गाड़ियां एक्सीडेंट् होती रहती हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक यह फोर-लेन नहीं पास होता तब तक कम से कम थोड़ा टू-वे बना दो जिससे कम से कम जो आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं उन घटनाओं में कमी हो सके।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कहां बनाना है?

श्री हरीसिंह रावत (भीम): आवलसरा घाट, वहां आये दिन दुर्घटना होती रहती है। एक सप्ताह में 3-4 गाड़ियों के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। मेरा निवेदन है कि वहां पर डाइवरसरिया एक जगह है, अगर वहां वन-वे बना दिया जाए तो शायद सुविधा हो जाएगी। मेरा निवेदन है, इस पर थोड़ा विचार करें।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इसी के साथ में सुन्दरचा जो राजसमन्द की एक संकरी पुलिया है इसी हाइवे पर, आये दिन उसके ऊपर भी एक्सीडेंट्स होते हैं। इस महीने में दो बार दुर्घटना हो गई। कई मौतें हो गईं। सुन्दरचा और रामेश्वर महादेव के पास में संकरी पुलिया है, फोर-लेन बनेगी उससे पहले कहीं दुर्घटनाएं न हों, उस पुलिया को चौड़ा कर दिया जाए तो दुर्घटना से बचा जा सकेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने पूछा कि ब्यावर-पाली-पिंडवाड़ा इसके अन्तर्गत जो शहर आएंगे, सैंदड़ा-बर-चंडावल, उपाध्यक्ष महोदय, हमने पहले से ही निर्देश दे रखे हैं, अपनी तरफ से पत्र लिख रखे हैं, यथासम्भव जो दो-लेन से फोर। लेनिंग होती है, उसमें बाई-पास का प्रावधान इस तरह से किया जाए कि कम से कम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

शहरी क्षेत्र से, आबादी क्षेत्र से गुजरे क्योंकि इसमें द्रुत गति से वाहन चलते हैं। इसके अलावा भवन आएंगे या जो भी जमीनें आएंगी, उनका नियमानुसार मुआवजा पहले देकर फिर उसमें कार्य प्रारम्भ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर-उदयपुर-राजसमन्द की बात इन्होंने की, यह 209 किलोमीटर नेशनल हाई-वे-8 है। इसमें भी केन्द्र सरकार की 2006-2007 में सैद्धान्तिक सहमति मिली थी और इसमें भी, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने पहले पत्र लिखा था 16.2.2006 को। इसका महत्व इसलिए भी है कि मार्बल इण्डस्ट्री का काफी बड़ी संख्या में मार्बल आता-जाता है, नाथद्वारा है, एकलिंगजी धार्मिक स्थल है, हल्दीघाटी इस पर है। इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट नवम्बर, 2007 को बनना प्रारम्भ हुई है और अगस्त, 2008 तक यह पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद इसकी डी.पी.आर. बन जायेगी। इसको एन.एच.डी.पी.-5 के चरण पांचवें में शामिल किया गया है।

जो आपने कहा है बर-जोधपुर सड़क के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, टू लेन से फोर-लेन के लिए कोई सड़क बने, उसमें भी जिस तरह से मैंने पहले निवेदन किया, मिनिमम पी.सी.यू. 15,000 होनी चाहिए, जो इस सड़क पर अभी है नहीं। जहां तक सर्वे की बात है, वह एन.एच.ए.आई. के अधिकारियों द्वारा किया जाता है और इस सर्वे में हमारा जो चीफ इंजीनियर नेशनल हाई-वे है, सरकार के माध्यम से जो भी हमें उनको कन्वे करना चाहिए, वह कन्वे करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो डी.पी.आर. बनती है इसके भी टेण्डर होते हैं। एन.एच.ए.आई. इसके टेण्डर करती है और इसके एक्सपर्टीज उसके अन्दर डीपीआर बनाने के लिए आते हैं। मैं समझता हूं कि सारा कार्य है जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी भी चिंता कर रही हैं, इसलिए मुझे कहने में संकोच नहीं है कि विलम्ब हो रहा है। हम भी भारत सरकार पर निरन्तर दबाव बनाये हुए हैं कि जिस तरह यातायात बढ़ रहा है, उस हिसाब से यह जल्दी से जल्दी काम हो, इसमें जो निर्धारित तिथि है उस तिथि के अनुसार फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो। डी.पी.आर. रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी और आगे की कार्यवाही होगी, यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यथासम्भव आबादी के क्षेत्र से यह फोर-लेन की सड़क नहीं गुजरे। इसलिए हमारी तरफ से भी हमने जो प्रस्ताव भेजे हैं, उसमें कहा कि इसमें बाई-पासेज बनाये जाएं ताकि दुर्घटनाएं भी कम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हो और अगर कोई गुजरेंगे तो उसका मुआवजा कार्य प्रारम्भ करने से पहले दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट प्रश्न, नैक्स्ट प्रश्न। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, सबलपुरा-पाली में रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज के बारे में भी बात कही है। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजसमन्द में सुन्दरचा-रामेश्वर महादेव की पुलिया के बारे में आपसे निवेदन किया है।

श्री उपाध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट प्रश्न पुकार लिया है। श्री प्रमोद जैन भाया।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): प्रश्न संख्या 240

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): रामेश्वर महादेव की पुलिया कब तक पूरी हो जाएगी? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बहुत डिटेल में बात आ गई है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): यह रामेश्वर महादेव के पास में पुलिया है, यह कब पूरी हो जाएगी? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान) यह बहस का विषय नहीं है।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): मेरा नैक्स्ट प्रश्न है। इस पर 4-4 सप्लीमेंट्री हो चुकी हैं पी.डब्ल्यू.डी. वाले पर।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रमोद जैन 'भाया' ।

कोटा संभाग के राजस्व ग्रामों के नक्शों का नवीनीकरण

240. **श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (बारां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा संभाग में कितने राजस्व गांवों के नक्शे नहीं बनने से पटवारी बिना नक्शे कार्य कर रहे हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र के कौन-कौन से राजस्व गांवों के नक्शों के फटे टुकड़े ही पटवारियों के पास अवशेष बतौर हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रमोद जैन 'भाया')

(3) क्या सरकार उक्त गांवों के नक्शों को बनाने/नवीनीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): (1) कोटा संभाग में ऐसे कोई राजस्व ग्राम नहीं हैं जिनके नक्शे नहीं बनाये गये एवं पटवारियों द्वारा बिना नक्शे कार्य किया गया हो।

(2) कोटा संभाग के जिला कोटा के किसी भी राजस्व ग्राम के नक्शे कटे-फटे नहीं हैं। जिला बूंदी के 219 ग्रामों (सूची परिशिष्ट अ), जिला झालावाड़ के 181 ग्रामों (सूची परिशिष्ट ब) एवं जिला बारां के 188 ग्रामों (सूची परिशिष्ट स) के नक्शे जीर्ण-शीर्ण/फटे हुए हैं। सूची परिशिष्ट अ, ब, स सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। 1. जिला बूंदी के ग्रामों के नवीन नक्शे राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स, 1957 के नियम 59 के उप नियम 3 के अन्तर्गत जिला स्तर पर तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

2. जिला झालावाड़ के 5 ग्रामों के नक्शे पटवारीगण द्वारा तैयार कर लिये गये हैं, शेष ग्रामों के नक्शे तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

3. जिला बारां के नवीन नक्शे बनाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि आपने जो सदन में जवाब दिया है यह बिलकुल गलत है। बारां जिले में 171 गांव ऐसे हैं जहां के नक्शे जिला रिकार्ड रूम में, तहसील में, कहीं भी उपलब्ध नहीं हैं। इस बाबत माननीय जिला कलक्टर महोदय, बारां ने रेवेन्यू अधिकारियों की जो मीटिंग ली थी गत माह, उसमें उन्होंने जिक्र किया था। इस संबंध में माननीय जिला कलक्टर महोदय ने राजस्व सैक्रेटरी महोदय को पत्र भी लिखा है और उसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इन नक्शों के अभाव में इन गांवों के काश्तकारों को लोन लेने में, सीमा ज्ञान कराने में और प्रशासन को अतिक्रमण का आकलन करने में, इन सब चीजों की परेशानी हो रही है।

नम्बर दो, आपने जवाब के क्रम संख्या 3 में उल्लेख किया है कि बारां जिले में नक्शे बनाने का कार्य प्रगति पर है, जबकि जिला कलक्टर

(श्री प्रमोद जैन 'भाया')

महोदय के द्वारा जो पत्र लिखा गया है उसमें इन गांवों के नक्शे तथा जिनके नक्शे फटे हुए हैं उन गांवों के नक्शे बनाने के लिए उन्होंने सचिव महोदय से आग्रह किया है। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि प्रदेश को इक्कीसवीं सदी के विकसित दौर में पहुंचाने का दावा करने वाला शासन गांवों में उन्नीसवीं सदी के लठ्ठे के नक्शे उपलब्ध कराने में नाकारा साबित क्यों हुआ, कृपया सदन को स्पष्ट करें?

नम्बर दो, जिन गांवों में नक्शे नहीं हैं या फटे हुए पुराने नक्शे हैं उनमें भूमि का सीमा ज्ञान, किसानों को बैंकों के ऋण, कृषि ऋण, भूमि का खरीद-बेचान, भूमि के उपयोग परिवर्तन हेतु शासन द्वारा क्या विशेष रियायत देकर नक्शा ट्रेस की अनिवार्यता समाप्त की हुई है, सदन को स्पष्ट करें? नम्बर तीन, किसानों को नक्शा ट्रेस की नकल नहीं मिलने से हो रहे शोषण व अत्याचार को रोकने के लिए शासन फटे-पुराने एवं जहां नक्शे उपलब्ध नहीं हैं, किस दिनांक तक बारां जिले में नक्शे तैयार करवा देगा, सदन को स्पष्ट करें? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक...

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): हो गया न, बहुत लम्बा हो गया।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न आ गया आपका।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बारां से आने वाले सदस्य ने...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): अजमेर का जो राजस्व रिकार्ड है वह क्या प्रमाणित है या अप्रमाणित है, इस बात का जवाब दे दें आप? अजमेर का राजस्व रिकार्ड प्रमाणित है या अप्रमाणित है, बस यही पूछना चाहूंगी?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): सब प्रमाणित है, बिना प्रमाणित तो होता ही नहीं है न। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): नहीं-नहीं, राजस्व रिकार्ड से जो हम प्रतियां लेते हैं उस पर लिखा यह है कि रिकार्ड अप्रमाणित है, तो आप इसको बताएं। आप बता दें सदन के माध्यम से कि क्या प्रमाणित है या अप्रमाणित है। (व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले मूल सवालकर्ता का जवाब तो आने दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। दे रहे हैं जवाब, आप बैठें।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): पहले मूल प्रश्नकर्ता का जवाब, जो प्रश्न पूछा है...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): तो आप यह कहिये कि बाद में जवाब है। आप तो बैठा ही रहे हैं, बैठ जाओ।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): नहीं, बैठा मैं कहां रहा हूं, मैं तो यह कह रहा हूं कि सारा ही मतलब नक्शे वगैरह, रिकार्ड वगैरह प्रमाणित होता है और यह आप अच्छी तरह से जान रहे हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न इसलिए उठाया है क्योंकि अजमेर से जो राजस्व रिकार्ड की कापियां लेते हैं, कोई नक्शा लेते हैं, पटवारी से लेते हैं तो उस पर लिखा होता है कि यह प्रति आपकी अप्रमाणित है।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता का जवाब तो दिलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष: दे रहे हैं जवाब।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): फिर टाइम पूरा हो जाएगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): इसीलिए मैं पूछना चाहती हूं कि प्रमाणित है तो फिर अप्रमाणित क्यों लिख कर दिया जाता है उसके ऊपर? यदि राजस्व रिकार्ड प्रमाणित है फिर अप्रमाणित लिख करके कलक्टर क्यों जारी करता है? पटवारी, तहसीलदार क्यों जारी करता है रिकार्ड? इसलिए मैं पूछ रही हूं, आप यह बताएं कि अजमेर का राजस्व रिकार्ड प्रमाणित है या अप्रमाणित है?

श्री उपाध्यक्ष: अब बैठिये, आप बैठिये।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जो भी वस्तु बनती है वह फटती है, खराब होती है और पुरानी होती है और जब कभी भी..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: रिकार्ड बीस साल के बाद, बीस साल के...(व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): रिकार्ड के मुताबिक जो माननीय सदस्य ने..(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मंत्रीजी ने यह दार्शनिक बात

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

कैसे सीख ली? यह तो सांवरलालजी जाट को दार्शनिक बातें याद आती हैं, इनको कहां से याद आ गई?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): मैं जवाब दे रहा हूं, आप बैठिये। जरा कोई सुनने की तसल्ली तो रखें, ऐसे मतलब समय भागे जा रहा है...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सरकारी रिकार्ड भी करीब-करीब बीस साल के बाद में वालोप कर दिया जाता है, चल रही है परम्परा यह।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है, यह सही बात भी है कि नक्शे फटे हुए हैं। मगर जब सैटलमेंट होता है तो तीन जगह नक्शे रखे जाते हैं- कलक्टर अभिलेखागार में रखे जाते हैं लैण्ड रिकार्ड के अनुसार, ओके के पास जो आपका आर.आई. है उनके पास रखे जाते हैं और तीसरा पटवारी के पास रहता है। जब पटवारी, पटवार मण्डल का नक्शा फट जाता है तो उनको वापस जहां-जहां डिमांड होती है, क्योंकि आज के वक्त के अंदर ठेठ 2012 में सैटलमेंट हुआ और उसके बाद 12 से लगातार जो सैटलमेंट की प्रक्रिया है वह चली नहीं, उसके बाद जगह-जगह से जो भी शिकायतें भी आई हैं उन नक्शों को ठीक कराने का, बिलकुल ही कहीं गुम हो गया तो नये रूप से तैयार करवाने का, यह सारा कार्य किया जा रहा है। पूरे राजस्थान के अंदर इस प्रकार के जो भी हैं, बारां को भी वही निर्देश है, कोटा को भी वही निर्देश है। जहां-जहां पर मतलब मूल रिकार्ड के अंदर यदि कहीं रिकार्ड नहीं मिलता है या नक्शे नहीं मिलते हैं तो उनका स्पेशल कोई मामला हो तो हमें बता दें, उनको तैयार करवा दिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, आप तो रेवेन्यू के....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पहले सुनें, बात तो सुनें।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): मैं यह निवेदन करना चाहूंगा..(व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मोटी बात यह है कि अप्रमाणित प्रतिलिपि की ओथेंटिसिटी क्या है, क्यों देते हैं वह ऐसा? (व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): ये जिला कलक्टर महोदय के साइन हैं और उन्होंने बारां जिले की किशनगंज तहसील के 60 गांव, यह जिला कलक्टर महोदय के हस्ताक्षर हैं...

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): अप्रमाणित प्रतिलिपि की ओथेंटिसिटी क्या है, उसको कौन मानेगा? अप्रमाणित प्रति क्यों देते हैं वह? अप्रमाणित प्रति की क्या ओथेंटिसिटी है, वह देते क्यों है ऐसे? (व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): दूसरा शाहबाद तहसील के 86 गांव, छबड़ा तहसील के 8 ग्राम, छीपा बड़ौद तहसील के 20 गांव...

श्री उपाध्यक्ष: आ गई आपकी बात। बता रहे हैं, तैयार हो रहे हैं।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): कहां तैयार? काम ही चालू नहीं हुआ। सदन को गुमराह कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: हो जाएंगे, वह कोई एक दिन में नहीं हो सकते। (व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): जिला कलक्टर महोदय ने लैटर लिखा है सैक्रेटरी महोदय को..(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यदि पटवारी के पास नक्शे नहीं हैं तो आर.आई....(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने तो जवाब में यह किया है कि राजस्व नक्शों के बिना काम नहीं हो रहा और दूसरी तरफ माननीय मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि नक्शे बनवाये जा रहे हैं। (व्यवधान) आप दो अलग बात कहते हैं। वह कह रहे हैं कि नक्शों के बिना काम नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नक्शे बनवाये जा रहे हैं। आप, मंत्रीजी, यह स्पष्ट करें कि नक्शे तैयार नहीं हैं तो फिर कैसे काम चल रहा है? ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, जहां-जहां पर भी...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय उपाध्यक्षजी, आज तक नक्शे नहीं हैं, कितने दिनों में उपलब्ध करा देंगे? आप समय सीमा तय कर दो कि इतने दिन में नक्शे दे देंगे। आप समय सीमा तय कर दो, मेरे क्षेत्र में भी तीन पंचायतें ऐसी हैं, सितारकी, कोटघिराणा और खोलडा, जहां रिकार्ड नहीं है, आप कितने दिन में उपलब्ध करा देंगे? समय सीमा तय कर दो, समय सीमा बता दो, बात खत्म।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी शर्म की बात है शासन के लिए कि जयपुर जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां नक्शे नहीं हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अख़बार में पढ़ा था...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब सुनिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान) पहले जवाब तो सुनें। आप मंत्री महोदय को जवाब तो देने दीजिये पहले।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, कलेक्ट्रेट अभिलेखागार के अंदर रिजर्व एक कापी होती है उसका मतलब समय-समय पर पटवारी लोग जहां-जहां नक्शे फटे होते हैं...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब तो देने दीजिये।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उनको कापी करके काश्तकारों को उपलब्ध करा दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, दो साल से आपको लिख रहे हैं..(व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि 146 गांवों के नक्शे बारां जिले के मूल रिकार्ड रूम में भी नहीं हैं, तहसील में भी नहीं हैं और पटवार मण्डल में भी नहीं हैं। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): दो साल से मंत्रीजी को लिख रहे हैं... (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि आप अजमेर में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब देने दीजिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): सारे नक्शे जिला अभिलेखागार के अंदर...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): नहीं, जवाब देना है, मेरे को जवाब में कहा कि राजस्व रिकार्ड अप्रमाणित है या प्रमाणित, यह जवाब है लिखित के अंदर, यह मैं पूछ रही हूं। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): फिर समय सीमा तो तय कराओ, साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पहले जवाब सुनिये आप।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): एक सोल्यूशन है कि समय सीमा तय कर दें, जैसे मेरे जिले में है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपके जिले से संबंधित नहीं है यह। यह प्रश्न कोटा संभाग का है, कोटा का प्रश्न है, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): पूरे राजस्थान में नक्शे जगह-जगह फटे हुए हैं। (व्यवधान)

(समय : 12.00 बजे)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने कहा था कि रणथम्भौर के लिए नक़्शे बनाने के लिए, गेम सैक्चुरी के लिए कमेटी गठित की है, क्या हुआ उस कमेटी का?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय कोई प्रश्न पूछने नहीं देते हैं ...(व्यवधान) प्रश्न नहीं पूछने दिया जाए ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, पहले आप बैठिए। पहले जवाब तो सुन लें आप, बीच में नहीं। पहले जवाब सुनने के बाद में पूछना ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): ...(व्यवधान) राजस्थान की 241 तहसीलों के अंदर नक्शे कम्प्यूटराइज करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज के आधुनिक युग के अंदर नक्शों को कम्प्यूटरीकृत करने का मामला आरम्भ कर दिया गया है और उसके अंतर्गत हमने सबसे पहले जयपुर ज़िले को लिया है ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय मंत्री महोदय, मेरे पिछले वर्ष के प्रश्न का जवाब चाहता हूं आपसे ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य फिर आप बीच में ...(व्यवधान) कुछ अंकित नहीं होगा।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): ...(व्यवधान) कम्प्यूटरीकृत कर दिया है और अभी कोटपूतली का काम चल रहा है। जैसे-जैसे पूरे राजस्थान के नक़्शों को समयबद्ध टाइम के अंदर, मतलब लक्ष्यबद्ध जो है पहले किस ज़िले को और बाद में पूरे ज़िले को कम्प्यूटरीकृत करने का, कम्प्यूटरीकरण नकलों का जैसे किया है, वैसे का वैसा ही नक़्शों का कम्प्यूटरीकृत करने की योजना ...(व्यवधान) बना दिया गया है ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए, माननीय मंत्री महोदय ...(व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से आपके द्वारा यह जानना चाहा था कि इसकी तारीख निश्चित बताएं। बारां ज़िले के नक़्शे किस तारीख तक बन जाएंगे? आपने जवाब बिल्कुल गलत और गुमराह करने वाला दिया है ...(व्यवधान)....

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ...(व्यवधान) एक सवाल पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान) बाली तहसील के, सिरोही तहसील के दोनों नक़्शे एक हो रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, पहले मेरी बात सुनें। पहले बात सुनिये, माननीय सदस्य पहले बात सुनिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब देंगे, मंत्री महोदय ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आरम्भ में ही यह कह दिया था ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य पहले बात सुनिये। माननीय सदस्यों से निवेदन करना है कि मंत्री महोदय की तरफ से जवाब दे दिया है, बहुत पुराना रिकॉर्ड है, बहुत-सी जगह पुराने रिकॉर्ड पटवारियों के पास अवेलेबल नहीं हैं, कोई रिकॉर्ड अगर खराब हो गया है तो नये तैयार करके दिये जा सकते हैं, एकदम से ही समस्या का समाधान थोड़े ही हो जाएगा। पूरे राजस्थान का मामला है, फिर यह क्या बात हुई?

श्री अमराराम (धोद): समय तो बतायें कि एक-दो महीने में ...(व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): ...(व्यवधान) मेरे प्रश्न का जवाब गलत दिया, एक तरफ तो आप कह रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ...(व्यवधान).... रानीवाड़ा और बाली तहसील से जुड़ा हुआ मुद्दा है ...(व्यवधान) लोन के लिए परेशान हैं ...(व्यवधान) आज भी मतलब नक़्शों में एक दूसरे पर ओवर लैपिंग हो रही है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप यह व्यवस्था करा दें कि कितने

(श्री सी. डी. देवल)

महीनों में बन जाएंगे? यह कह रहे हैं बन जाएंगे, कब बन जाएंगे? (व्यवधान) मुझे तीन वर्ष हो गये हैं, तीन वर्ष से मैं निरन्तर लिख रहा हूं, मंत्रीजी से मिला हूं, आज तक नक़्शे नहीं बने हैं, कब बना देंगे, डेट बता दें?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन में नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे? आखिर यह किस लिए है ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आपकी बात ...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ...(व्यवधान) पूर्ववर्ती सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में जहां-जहां से रिकार्ड उपलब्ध कराया ...(व्यवधान) इससे ज्यादा और क्या हो सकता है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्य, आप मंत्रीजी से मिल लेना, आपकी समस्या आप लिखकर दे देना। कोई समस्या है तो समाधान होगा। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ...(व्यवधान) वैसे आप करते रहे उससे फिर प्रश्नकाल ही खतम कर दो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय केवल बारां ज़िले के अंदर एक सौ ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य..

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप प्रश्नकाल ही उठा दो ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सुनिये पहले।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): ...(व्यवधान) केवल आज ...(व्यवधान) 15 गांव नहीं है जब कि यह ...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय मंत्री महोदय, अपने जवाब में आपने यह कहा है कि कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें नक़्शे नहीं हों और अभी आप यह कह रहे हैं कि नक़्शे बनाए जा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त हुआ। आप पूछ लीजिए, मंत्री महोदय से पूछ लें। प्रश्नकाल समाप्त। अब कुछ अंकित नहीं होगा बीच में।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां):×××

श्री उपाध्यक्ष: हो गया, जवाब दे दिया उन्होंने, कोई पुराना एक दिन में नक्शा हो जाएगा क्या? बहुत से पुराने रिकार्ड हैं, बीस-बीस साल के बाद में ...(व्यवधान) उठ कर रिकॉर्ड, माननीय सदस्य, अभी एकदम से कोई सोल्यूशन ...(व्यवधान).... पहले बैठिए आप। मंत्री महोदय से मिल लेना, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। माननीय सदस्य, बैठिए आप, है इम्पोर्टेंट, मिल लेना आप। माननीय सदस्य प्रश्नकाल समाप्त हुआ। अब कोई प्रश्न रिकॉर्ड पर नहीं आएगा। माननीय सदस्य, विसंगतियां हैं, काफी जगह हैं ...(व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

(शेष तारांकित/अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया पृष्ठ-243 पर देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. डा. श्रीगोपाल बाहेती, सदस्य की ओर से अजमेर में आठवीं बोर्ड का प्रश्न पत्र आउट होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

2. श्री रिछपाल मिर्धा, सदस्य की ओर से जिला नागौर में हल्की वर्षा से ईसबगोल और जीरे की फसल को हुए नुकसान के संबंध में।

3. श्री मंगलाराम गोदारा एवं 8 अन्य सदस्यों की ओर से तहसील श्रीडूंगरगढ़ में शीतलहर से खराब हुई फसल की सही गिरदावरी रिपोर्ट बनाकर किसानों को राहत देने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए। वैसे भी दिनांक 14 मार्च को शिक्षा विभाग की अनुदान की मांग एवं दिनांक 15 मार्च को राज्य में अकाल की स्थिति पर चर्चा के समय माननीय सदस्यों को प्रस्ताव के विषय पर अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर मौजूद है, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

4. श्री हरिमोहन शर्मा एवं 10 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के विभिन्न ज़िलों में धर्मशाला, प्याऊ, मंदिर आदि के नाम सरकारी रिकार्ड में दर्ज भूमि को व्यवस्थापकों के नाम करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

5. श्री संयम लोढ़ा एवं 11 अन्य सदस्यों की ओर से गंगानगर ज़िले में हथियार लाइसेंस प्रकरण में समुचित कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे गंगानगर ज़िले के लाइसेंस प्रकरण पर राज्य सरकार की ओर से आज वक्तव्य दिया जा रहा है। मंत्री महोदय ने चार बजे वक्तव्य देने को कहा है।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के उपनगर पुर की सिटी डिस्पेंसरी को सामुदायिक हास्पिटल में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

2. श्री के. डी. बाबर, सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य के किसानों को महाराष्ट्र सरकार की आत्मा परियोजना के अनुसार अनुदान दिए जाने के संबंध में।

3. डा. श्रीगोपाल बाहेती, सदस्य की ओर से पुष्कर के पैराफेरी गांव में कुएं/ट्यूबवैल खोदने एवं कृषि कनेक्शनों पर लगी पाबंदी को तत्काल हटाने के संबंध में।

4. श्री बीरूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से जयपुर में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा बसाई गई आवासीय कालोनियों का नियमन किए जाने के संबंध में।

5. श्री भंवरलाल राजपुरोहित, सदस्य की ओर से डेगाना में गैस एजेंसी खोलने तथा मकराना की गैस एजेंसी द्वारा अनियमितता करने के संबंध में।

6. श्री प्रभुलाल वर्मा, सदस्य की ओर से जिला बूंदी की इन्द्रगढ़ से गुड्डा गांव के बीच चाकन नदी पर पुलिया का निर्माण करने के संबंध में।

7. श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खारची की पेयजल समस्या का समाधान करने एवं चम्बल नदी का पानी अरावली की नदियों में छोड़ने के संबंध में।

8. श्री सुशील कटारा, सदस्य की ओर से जिला डूंगरपुर की कतिपय पंचायतों का पुनर्गठन करने के संबंध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

9. श्री चुन्नीलाल धाकड़, सदस्य की ओर से कृषि उपज मण्डी समितियों को आयकर के दायरे से मुक्त कराने हेतु प्रभावी पहल करने के संबंध में।

10. श्री हरिशचन्द्र कुमावत, सदस्य की ओर से कुचामन पुलिस थाना क्षेत्र में बढ़ रही अपराधिक घटनाओं की रोकथाम के संबंध में।

11. श्री हीरालाल मीणा, सदस्य की ओर से तहसील बौंली में संवत् 2063 में अकाल से नष्ट हुई फसल के फसल बीमा का क्लेम नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

12. श्री सी. डी. देवल, सदस्य की ओर से तहसील रायपुर के पहाड़ी क्षेत्र की चरागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया।

श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया (भीलवाड़ा): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत ...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी उस समय कहा, दो मिनट बोलने का समय दिया जाएगा। आज बिना मौसम की बरसात से नागौर, बाड़मेर और जोधपुर में जो नुकसान हुआ है, ईसबग़ोल और जीरे की फसल नष्ट हुई है, हमारा स्थगन प्रस्ताव था, आपने उसमें कहा, अकाल पर चर्चा होगी तब कह देना। कोई दो मिनट बात कह दें तो कौनसा कोई सदन का समय....

श्री उपाध्यक्ष: कल समय देंगे, कल ही हो रही है चर्चा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): कल नहीं, आज आप दो मिनट का समय दें। हम अनुशासन में बोलते हैं और आपसे निवेदन करता हूं कि दो मिनट का समय आप...

श्री उपाध्यक्ष: कल आपको दो मिनट की जगह दस मिनट का देंगे।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): जो हमारे क्षेत्र में नुकसान हुआ है, हमारी बात कहने का मौका दें आप।

श्री अमराराम (धोद): कल तो शिक्षा पर है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कल तो शिक्षा पर है, परसों अकाल और उसमें है उपाध्यक्ष महोदय, वैसे भी कम बोलते हैं।

श्री अमराराम (धोद): ईसबगोल की जो कामर्शियल फसल है पूरी की पूरी नष्ट हो गई बरसात से...

श्री उपाध्यक्ष: समझ गया, वह 15 तारीख को है।

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, अनुमति दीजिये, कम से कम उनकी भावनाएं तो सरकार के सामने आएं। सरकार देगी कुछ नहीं, हमें पता है लेकिन कम से कम उनकी भावनाएं तो उभर कर आएं।

श्री उपाध्यक्ष: 15 तारीख को आप ...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): 15 तारीख को उसका मामला अलग है, साहब, अकाल और बिजली पर चर्चा है वो ...(व्यवधान) दो मिनट का समय आप दें, उपाध्यक्ष महोदय, कल भी आपने स्थगन प्रस्ताव पर ...(व्यवधान) व्यवस्था दी है, उनको समय दिया पांच मिनट बोलने का।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): ...(व्यवधान) यह बहुत गंभीर मामला है, आगे भी शीतलहर से पूरी फसलें नष्ट हो गईं उनको न तो कोई मुआवजा मिला है न कोई बिजली के बिल माफ हुए हैं ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध है कि ...

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन है इस गिरदावरी के ऊपर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैंने व्यवस्था दे दी है ...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): आप दो मिनट का समय दे दो तो मैं अनुशासन में बोलूंगा, नहीं दें तो भी बोलूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष: परसों आप ...(व्यवधान) परसों देंगे ...(व्यवधान) कल आपकी बात सुनेंगे ...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह किसानों का मामला है शीतलहर से भी नुकसान हुआ है उसका भी मुआवजा नहीं मिला है न गिरदावरी हुई है ।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरे यहां गिरदावरी हुई है इसमें 17 प्रतिशत खराबा दिखाया है जब कि खराबा 80 और 70 प्रतिशत है। चने की फसल पूरी बर्बाद हो गयी। माननीय

(श्री मंगलाराम गोदारा)

उपाध्यक्ष महोदय, पूरी चने की फसल बर्बाद हो गई, गेहूं की फसल बर्बाद हो गई ...(व्यवधान) बर्बाद हो गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरे यहां गिरदावरी हुई है डूंगरगढ़ में, वो पूरी फसल चौपट हो गयी है ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): ...(व्यवधान) ईसबग़ोल ...(व्यवधान) का जो नुकसान हुआ है मैं आपके माध्यम से ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, पूरे पाली जिले में गलत गिरदावरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, मेरा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको बोलने दीजिये ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे निवेदन है कि कल बारिश से जीरा और ईसबग़ोल पाली जिले में पूरी तरह नष्ट हो गये हैं और हमारी गिरदावरी रिपोर्ट भी गलत बनायी गयी है हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आदेश दें सरकार को।

श्री उपाध्यक्ष: परसों इन सब को ...(व्यवधान)... देंगे ।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) रात को बारिश हुई, रात को जयपुर में बारिश हुई, आप तो, उपाध्यक्ष महोदय, स्वयं किसान हैं, आपको ध्यान है बारिश से ईसबग़ोल की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गयी, जीरे का भारी नुकसान हुआ इस पर सरकार को सुओमोटो यहां पर सदन में जानकारी देनी चाहिए कि कहां-कहां पर फसलों का नुकसान हुआ है ईसबग़ोल और जीरे का । सरकार कोई जानकारी दे नहीं और कोई माननीय सदस्य यहां पर इस बात को उठावें उनको इस बात को उठाने का भी अवसर नहीं मिले तो उन किसानों की बात कैसे सरकार तक पहुंचेगी? हम सरकार तक वो बात पहुंचाना चाहते हैं, आप हमको अवसर दें। सरकार तो मौन है, सरकार उसके बारे में चिंतित नहीं है लेकिन हम चिंतित हैं और हम सरकार के ध्यान में लाना चाहते हैं, कम से कम ध्यान में लाने के लिए तो अवसर हमें प्रदान करें। नहीं तो हम सरकार के ध्यान में यह बात नहीं लाएंगे तो सरकार अपने आप, सुओमोटो कुछ करने वाली नहीं है। हमारे ध्यान में लाने के बाद भी वो इस पर चिंतित नहीं है और कुछ मदद देने को तैयार नहीं है तो, उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री हेमाराम चौधरी)

फिर आखिरी इसके बाद हमारे पास और चारा क्या है? किसानों की बात है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हां, कह रहे हैं, बिलकुल सही कह रहे हैं। माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) आपने देखा कि सत्ता पक्ष के सदस्य भी कह रहे हैं। यह नुकसान तो सत्तापक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी भी पार्टी के किसान हों, सब को हुआ है, उनकी बात इस सदन में सबसे पहले ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बाद में हुआ है ...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): नागौर से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे हैं यह बात।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) अकाल का मुद्दा अलग है वो तो जो कुछ होना था वो हो चुका है। इन्होंने अकाल के बारे में आज दिन तक कुछ किया नहीं है। एक अकाल राहत कार्य खोला नहीं है, कहीं पशु शिविर खोले नहीं, कुछ नहीं किया। वो तो अलग मामला है लेकिन यह कल अचानक घटना घट गयी, एकदम बारिश हो गयी जिससे ईसबग़ोल और जीरे की फसल नष्ट हो गयी। कमर्शियल क्राप है, किसान तबाह हो गये, उनकी बात सरकार तक हम पहुंचाना चाहते हैं, आप हमको अवसर दें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): ...(व्यवधान) हो रहा है, लेबर की सीलिंग जितनी इन्होंने चाही उतनी की है और बातें करते हो आप।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हम सरकार के ध्यान में लाएंगे सरकार उस पर चेतेगी और कुछ कार्यवाही करेगी तो किसानों को मदद मिलेगी।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): ...(व्यवधान) किसानों की हित की बात करें ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: व्यवस्था हो गयी है एक बार ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): ...(व्यवधान) अभी इन्होंने उसका मुआवजा नहीं दिया और न सही गिरदावरी करायी है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): ...(व्यवधान) इसको तो करवाते नहीं हो आप भारत सरकार से ...(व्यवधान) आपका डैलीगेशन गया ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: व्यवस्था को चुनौती थोड़े, दे सकते हो, व्यवस्था हो गयी वो तो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): जो पाले से भी नुकसान हुआ है उसका भी इन्होंने मुआवजा नहीं दिया है न सही गिरदावरी की है तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध है कि तीन दिन से जो बरसात हुई है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): उससे जो भारी नुकसान हुआ है ईसबग़ोल और जीरे का, उसका मुआवजा मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक दिन में कोई फर्क पड़ना नहीं है, अकाल पर बहस रखी है।

श्री अमराराम (धोद): राठौड़ साहब, आपके न तो जीरा होता न ईसबग़ोल होती, जिनकी फसल जली है उनको पता है ...(व्यवधान) आपको कुछ नहीं देना है ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय मंत्री महोदय, किसान बेचारा मारा जा रहा है और आप यों कह रहे हैं कि एक दिन में फर्क नहीं पड़ता ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): ...(व्यवधान) हमें पता है, यह सरकार उन किसानों को अपना एक नया पैसा नहीं देगी लेकिन कम से कम उनकी भावनाएं तो इस सदन में आएं। ये तो कह रहे हैं कि दो दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ...(व्यवधान) सरकार को सुओमोटो अपना स्टेटमेंट देना चाहिए इस पर ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को डाइरेक्शन दीजिये कि आज इसके ऊपर वक्तव्य दे। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): ...(व्यवधान) यह हलकी बरसात हो रही है ईसबग़ोल और ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ...(व्यवधान) लोगों के ईसबग़ोल और जीरा सब नष्ट हो गया, आप सरकार को डाइरेक्शन दीजिये और इसके ऊपर व्यवस्था कराइये।

एक माननीय सदस्य: व्यवस्था को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आसन की व्यवस्था हो गयी है, आसन की व्यवस्था को चैलेंज नहीं किया जा सकता।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): ...(व्यवधान) आप भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान हैं ...(व्यवधान) मेरा आपसे अनुरोध है कि किसानों को मुआवजा दिया जाए, गिरदावरी की जाए और ...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): ...(व्यवधान)... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) एक बात ...(व्यवधान) महत्वपूर्ण बात है मेरी ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): ...(व्यवधान) जो बिजली के बिल माफ किये इन्होंने ...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट, सिर्फ दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं। बीच में नहीं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये कैसे बोल लेते हैं, मैं भी बोलूंगी मेरी बात।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं बोल रहे हैं बीच में ।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): सदन में सभी माननीय सदस्यों द्वारा इसकी पुरजोर मांग की जा रही है ...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): ...नहीं, मेरे को नहीं, यह पूरे भारत की औरतों को तकलीफ हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये-बैठिये, बीच में नहीं बोल रहे हैं । नहीं बोल रहे हैं बीच में।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये

(श्री सूर्यकान्ता व्यास)

चिंता कर रहे हैं कि बरसात आ गयी, ईसबगोल खराब हो गया, वो हो गया, कोई बात नहीं है इस पर होनी चाहिए चर्चा, मेरा इसमें कोई नकारा नहीं है। मगर मैं यह चाहूंगी कि इधर बैठें, उधर बैठें, थोड़ा तो विचार करें कि महंगाई कहां तक पहुंच गयी है और औरतों को गैस की भारी तकलीफ हो गयी है जो इनका दोष है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ...(व्यवधान) किसान मारा जा रहा है, महंगाई और बढ़ेगी फसलें नष्ट हो गयी हैं। फसलें होंगी नहीं तो महंगाई और बढ़ेगी। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): ईसबगोल और जीरे का नुकसान हुआ है ...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर के अन्दर मेरे मकान के बाहर घेराव कर लिया औरतों ने। कम से कम दो सौ तीन सौ औरतें वहां खड़ी हैं, वो महंगाई के बारे में मेरे से सवाल पूछ रही हैं। मैं महंगाई का क्या बता सकती हूं, महंगाई के बारे में तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट बताएगी।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, सही गिरदावरी होनी चाहिए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सरकार को वक्तव्य देना चाहिए, क्या आपत्ति है वक्तव्य देने में?

श्री उपाध्यक्ष: अब अंकित नहीं होगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: शोर-शराबे में कुछ अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना):×××

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये-बैठिये। आप स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बहनजी। बैठिये, माननीय सदस्य। जुबेर खानजी.. (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: परसों बहस हो रही है आपके सदस्यों को पूरा मौका दिया जाएगा। आज चलते के अन्दर यह बात पूरी आएगी नहीं, सरकार की भी तैयारी नहीं है तो यों क्या करते हो, दो दिन के लिए ही ऐसी कौन-सी बात हो रही है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव):×××

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री भी तैयार होकर आएंगे, जवाब दिया जाएगा। चलते रास्ते में बात का कोई आनन्द नहीं आएगा। (व्यवधान) फुल बात करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं ...(व्यवधान) नहीं, ये फिर आसन की व्यवस्था को ...

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री उपाध्यक्ष: व्यवस्था आसन से दी जा चुकी है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, इस पर नहीं ...(व्यवधान) सब होगा ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, किसानों की बात सुनी जाएगी, यह पूरे सदन में बहुमत किसानों का ही है ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा भारी शोर-शराबा)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिपक्ष का यह रवैया अशोभनीय है । (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कभी किसानों की मदद करना चाही नहीं... (व्यवधान) हमने 216 करोड़ की सहायता दी वह इनके पेट में पची नहीं । (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, सदन की कार्यवाही चलने दीजिए। माननीय सदस्य, सदन की कार्यवाही चलने दीजिए। आप समय का उपयोग नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी। (व्यवधान) जब आसन ने व्यवस्था दे दी परसों इस पर चर्चा होगी ... (व्यवधान) आज ही कोई नतीजा थोड़े ही निकल जाएगा। कोई समय की बात होती तो अलग बात थी। पूरी बहस हो रही है, नई बात क्या हो गई?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुशासन में रह ही नहीं सकते । (व्यवधान) सदन की गरिमा तोड़ने की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण आज सिंचाई और पेयजल पर बहस होने वाली है आपको पूरा समय दिया जायेगा परसों तक कोई पहाड़ नहीं टूट रहा है। परसों आपको पूरा समय मिलेगा और खुल कर हर चीज का जवाब दिया जायेगा । आपने अपनी चिंता व्यक्त कर दी वह रिकार्ड हो चुकी है । ...(व्यवधान) अगर आपको कोई मौका नहीं मिलता तो अलग बात थी । बहुत नजदीक ही समय आ रहा है । ...(व्यवधान) परसों आपको पूरा समय मिल रहा है । ...(व्यवधान) बराबर मौका देंगे, परसों आपको मौका देंगे । (व्यवधान) कौन कहता है घड़ियाली का, पूरे राजस्थान में हर काश्तकार के नुकसान तो हुआ है । (व्यवधान) नुकसान हो रहा है । (व्यवधान) आपको पूरा मौका मिलेगा । (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा भारी शोर-शराबा)

(सदन में भारी शोर-शराबा)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए (व्यवधान) सदन की कार्यवाही एक बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.31 बजे 13.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय : 1300 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बेमौसम वर्षा से ईसबगोल और जीरे की फसल को हुआ नुकसान

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि बेमौसम बारिश से किसानों की जो ईसबग़ोल और जीरे की फसल की भारी तबाही हुई है, उसके बारे में हमारे डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव रखा, उस पर आप उनको दो मिनट बोलने का अवसर दे दें। सरकार के पास अभी तुरन्त जानकारी नहीं है तो जहां नुकसान हुआ है उसकी जानकारी लेकर परसों जब अकाल पर चर्चा हो उस समय सरकार जवाब दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। आज ही आज जवाब देना कोई जरुरी नहीं है। सरकार जवाब परसों ही दे दे। लेकिन माननीय सदस्य अपनी दो मिनट में बात कह दें जिससे सरकार के ध्यान में यह भी अपनी बात ला दें तो सरकार को उसमें आसानी रहेगी कि कहां पर किस प्रकार से कैसे क्या नुकसान हुआ है। तो सरकार अपनी तरफ से भी कलक्टर्स से जानकारी प्राप्त कर ले तो अच्छा रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यही मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो बात कही है, उसमें आसन को कोई एतराज नहीं है। पर मेरा आपसे निवेदन यही है कि फिर दूसरे सदस्य आज बोलने के लिये खड़े नहीं होने चाहिए। माननीय सदस्य जिन्होंने रिक्वैस्ट की थी, वह अपने 2-3 मिनट कहकर अपनी बात समाप्त कर देंगे।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो दो मिनट में पहले ही मेरी बात कह देता।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आप वैसे भी ज्यादा नहीं बोलते हैं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि गिरदावरी की तारीख जो 7 मार्च थी, वह निकल गई। उसके बाद में यह जो बिना मौसम के बरसात हुई, उससे जीरे और ईसबग़ोल की फसल को नुकसान हुआ, तीन जिलों की तो मेरे को जानकारी है- बाड़मेर, नागौर और जोधपुर। जोधपुर में एक मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। डूंगरगढ़, बीकानेर, इनकी मेरे को जानकारी है। बाकी तो कई जिलों में राजस्थान में नुकसान हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जिन इलाकों में नुकसान हुआ है इस बिना मौसम की बारिश से, उसमें वापस गिरदावरी करवाकर सरकार, राहत मंत्रीजी क्या राहत दे सकते हैं उन किसानों को, यह निवेदन करना चाहता था। नागौर के, मेड़ता के, डेगाना के, परबतसर के गांवों में नुकसान हुआ है, ईसबगोल और जीरे में। इसमें मेरे क्षेत्र के अनेक गांव शामिल हैं। यही बात मैं निवेदन करना चाहता था कि इस गिरदावरी की तारीख निकल जाने के बाद में सरकार उनको मुआवजा किस तारीख से देगी। दुबारा उस तरह से गिरदावरी करवाकर जिन लोगों का इस बारिश से नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा देने की व्यवस्था सरकार करे, यही मेरी मांग थी राज्य सरकार से आपके माध्यम से। सभी जिलों में, राजस्थान के सभी जिलों में जो नुकसान हुआ है उसके सम्बन्ध में। बिजली के बिल माफ करने की भी व्यवस्था करेंगे, उनको मुआवजा दिलाने की व्यवस्था करें। यही बात मैं निवेदन करना चाहता था। मैं दो मिनट पहले, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात करता तो कौनसा विधान सभा में पहाड़ टूटने वाला था।

श्री उपाध्यक्ष: कुछ नहीं होने वाला था।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): आपने कल भी जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव थे, उनको 2-2 मिनट का समय दिया था।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, वह परसों आप कह दीजिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जिस हिसाब से कैलेमिटी से राजस्थान में किसानों के नुकसान की बात कर रहे हैं, 15 तारीख को चर्चा है, इस चर्चा में निश्चित रूप से सरकार की तरफ से उत्तर आ जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान का एक तरह से दुर्भाग्य है कि पिछले 100 साल में 40 साल अकाल पड़ा। राजस्थान के किसान अकाल से प्रभावित रहते हैं, यहां

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

के मजदूर प्रभावित रहते हैं। बाढ़ से प्रभावित रहते हैं और शीतलहर और पाले से प्रभावित हैं। इन सबके बारे में चर्चा 15 तारीख को रखी है, तो निश्चित रूप से आपको इसका उत्तर देंगे।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(पढ़ी हुई मानी गयी सूचनाओं के लिए परिशिष्ट-2 देखें)

पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा। श्री मदन राठौड़।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जवाई नदी पर सुमेरपुर और किशनगंज के बीच क्षतिगस्त पुल

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, सुमेरपुर और शिवगंज के बीच में जवाई नदी पर एक पुल है। जब जवाई बांध पूरा भर गया और उसमें पानी की आवक अधिक थी, यह देखकर के सभी फाटक एक साथ खोले गये। जंवाई बाँध से जब पानी निकला तो जवाई नदी पर जो पुल बना हुआ है, वह टूट गया, वह क्षतिग्रस्त हो गया। कई दिनों तक आवागमन अवरुद्ध रहा। यह बात सही है कि नेशनल हाइे-वे-14 पर वाहनों का आवागमन बहुत अधिक है और वाहनों के दबाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने तत्काल एक वैकल्पिक व्यवस्था की और वह वैकल्पिक व्यवस्था यह थी कि बड़ी-बड़ी चट्टानों के टुकड़े लेकर उस क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर डाल दिये और बड़ी बड़ी चट्टान डालकर के उसको भरकर के उस पर डामरीकरण कर दिया। एक अस्थाई व्यवस्था थी। वही अस्थाई व्यवस्था आज तक चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, सुमेरपुर और शिवगंज ये ट्विन सिटी हैं। होने के कारण से, केवल नदी बीच में है। कई लोग जो सुमेरपुर में रहते हैं, उनके कारखाने शिवगंज में स्थित हैं। कई लोग जो शिवंगज में रहते हैं, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुमेरपुर में स्थित हैं। इसलिये नियमित रूप से आपस में ट्विन सिटी का आवागमन यात्रियों का, नागरिकों का होता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को कई बार इस मार्ग से जाना पड़ता है और इस कारण से भी इस पुल पर बहुत लोड रहता है। यही नहीं, वाहनों का आवागमन भी नेशनल हाइे-वे-14

(श्री मदन राठौड़)

पर हाई-वे-8 से भी अधिक है, अन्य मार्गों से भी अधिक है। यह अस्थाई जो वैकल्पिक व्यवस्था है, यह वैकल्पिक व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल सकती है क्योंकि नींव उठाकर इस पुल का पुनर्निर्माण नहीं करवाया गया है। जहां से टूटा था, वहां पर चट्टानें डालकर इसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई थी। यह बात बिलकुल सही है कि नेशनल हाई-वे केन्द्रीय प्राधिकरण के अधीन है, केन्द्र सरकार से राशि इसमें स्वीकृत होने वाली है। लेकिन अभी नेशनल हाई-वे 14 पर चार-लेन बनने वाला है, उसका जो सर्वे हुआ है, जहां तक मेरी जानकारी है सुमेरपुर और पुराणा के बीच में से होकर यह मार्ग निकलने वाला है और उससे कोई अलग पुल बनने वाला है जिससे इन दोनों नगरों का कोई लेना-देना नहीं रहेगा। यदि अभी इसका कोई विकल्प नहीं खोजा गया या इस पुल का पुनर्निर्माण नहीं करवाया गया तो निश्चित रूप से आने वाली वर्षा के समय में यह पुल फिर से बहकर जाने वाला है। यह समस्या फिर से खड़ी होने वाली है। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इसके लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। यदि केन्द्र सरकार इसके प्रति गम्भीर नहीं है तो राज्य सरकार अपने साधनों से, जो सीमित साधन हैं उनसे कोई व्यवस्था ऐसी करवा दें ताकि हमारे वहां पर बाधा नहीं होने पाए। पिछली बार भी जब यह पुल टूट गया था तो बहुत ट्रैफिक जाम हो गया था। कई स्थानों पर पुलिस को भी बहुत मशक्कत करनी पड़ी व्यवस्था बनाये रखने के लिये। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था कराएं। धन्यवाद।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्री महोदय, मरे क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ मामला है, यह शिवगंज एरिये में आता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सेण्ट्रल मिनिस्टर टी.आर. बालू का एक लैटर है ...(व्यवधान) एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य संयमजी, संयमजी, देखो, वैसे ही उन्होंने उठा दिया और मंत्रीजी अगर जवाब देना चाहेंगे तो दे देंगे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): दो मिनट, दो मिनट में मैं बात कह दूंगा। शिवगंज जिसका जिक्र किया है, वह मेरा होम-टाउन है। वह मेरा होम-टाउन है।

श्री उपाध्यक्ष: इसको, दो मिनट में, आप अलग से..(व्यवधान) है होम टाउन, ऐसी कोई बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री जीवराम चौधरी (सांचौर): माननीय सदस्य, फिर कोई भी बोलेगा तो सब खड़े होंगे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): तो क्या हो गया? हाउस में एक बात आ गई और दो बात कह देंगे तो पहाड़ टूट जाएगा क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी बात कह दी उन्होंने सारी। अब दूसरे भी कह देंगे सब, हमें भी मौका दो। यह नहीं, देखो, ऐसी परम्परा को ऐसे मत कीजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अगर उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई सरकार के नोटिस में बात ला रहा हूं तो क्या गलत हो जाएगा? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सरकार के नोटिस में आ गया। (व्यवधान)

श्री जीवराम चौधरी (सांचौर): फिर बीच में बोलेंगे, दूसरे माननीय सदस्य भी बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बीच में कौन बोल रहा है? बीच में कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है बीच में? (व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (खैरथल): माननीय उपाध्यक्षजी, यह धमकाने वाले कौन हैं माननीय सदस्य को? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गई वह बात। (व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (खैरथल): पर्ची के माध्यम से सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य बोले, ये जबरदस्ती मेरे होम-डिस्ट्रिक्ट का मामला है और मैं बोलना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): माननीय सदस्य, हम तो किसी के बीच में बोलते ही नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप इनकी बात मत करो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सदस्य ने बात कह दी है, वह विराजमान हो गये। मेरी कांस्टीट्यूएंसी का मामला है। (व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): आप बोल देते न। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय संयमजी, मैं अलाउ नहीं करुंगा।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): कांस्टीट्युएंसी का मामला है तो पर्ची के माध्यम से साढ़े नौ बजे से दस बजे तक लगाते। अलाऊ नहीं है आपको हाउस में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती राजकुमारी शर्मा।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, बीच में नहीं अब।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्री महोदय जवाब देंगे, मेरी बात को भी सुनकर जवाब दें आप। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं...

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): अभी मैं बोल लूं, माननीय सदस्यजी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मुझे अलाउ किया है, माननीय सदस्य, आसन ने अलाउ किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये, बैठिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि सेंट्रल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के लैटर की यह एक कापी है, टी. आर. बालू साहब की, जवाई नदी पर पुल, नेशनल हाई-वे नम्बर-14, किलोमीटर 186 और पोसालिया का जो पुल है, 196 पर, दोनों के रेफरेंस पर जो मैम्बर आफ पार्लियामेंट वी. के. हरिप्रसाद, उन्होंने लिखा है, मेरे लैटर का रेफरेंस देते हुए और चीफ इंजीनियर नेशनल हाईवे को डाइरेक्शन दिये हैं उन्होंने कि यह डी.पी.आर. का काम जो थर्ड का हो रहा है, "The matter regarding construction of these bridges on National Highway 14 may be considered as per the IRC guidelines at the time of preparation of DPR. However, in the meantime the Chief Engineer, National Highways has been directed to submit the technical proposals/estimates for rehabilitation of these bridges and these are awaited..." तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारे प्रस्ताव चैक हो गये- जवाई की इस पुलिया के लिए 2 करोड़ 95 लाख 19 हजार रुपये और पोसालिया के पुल के लिए 2 करोड़ 49 लाख 67 हजार रुपये, इसी महीने के लगभग ये सैंक्शन हो जाएंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सुनिये-सुनिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह भारत सरकार के मंत्री की चिट्ठी है, चाहो तो मैं टेबल कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सुनिये। माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): शीतलहर-पाले के लिए तो अब तक दो पैसे भी नहीं आये।

श्री उपाध्यक्ष: अपने को अपने काम से मतलब है, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (खैरथल): और जब तक कार्य स्वीकार करेंगे तब तक सभा ही उठ जाएगी, जब तो चुनाव आ जाएंगे पार्लियामेंट के ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगस्त, 2006 के अन्दर अतिवृष्टि हुई उस अतिवृष्टि में यह सबमर्सिबल पुल जो शिवगंज और सुमेरपुर के बीच में जवाई नदी पर स्थित है, इसके चार स्पान टूट गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 16 अगस्त, 2006 को इसका पूरा तखमीना बनाकर 375 लाख का हमने भारत सरकार को भेज दिया है। अब यह सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कब की बात उद्धृत कर रहे हैं, मैं उद्धृत नहीं करना चाहूंगा ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्री महोदय, आपने जो 3 करोड़ 75 लाख का भेजा है वह एग्जामिन हो गया।

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनें तो सही। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एग्जामिन हो गया और चीफ इंजीनियर, आहलुवालिया के यहां जो अब स्वीकृति की स्टेज है, वह मैंने आपको आज की लेटेस्ट, 2 करोड़ 95 लाख रुपये स्वीकृत हो रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष: सुनें तो सही। (व्यवधान)

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर): माननीय सदस्य, आप सुनना ही पसंद नहीं करते हो। आप सबसे एक सच्चे, सरकार झूठी है और आप ही सच्चे हो क्या? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अक्टूबर, 2006 से अब हम 2008 में खड़े हैं, जिस पत्र का यह हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वीकृत हो गया तो मैं उसका स्वागत

(श्री राजेन्द्र राठौड़

करूंगा, पर मैं यहां बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अब तक हमें कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। मैं इस सदन में यह घोषणा करता हूं कि अगर तीन महीने के अन्दर हमें स्वीकृति मिल गयी केन्द्र सरकार से, तो ठीक है, वर्ना मुख्य मंत्रीजी से सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य अपने एक शिष्टमण्डल के साथ मिले थे, उन्होंने मुझे निर्देशित किया है कि राजस्थान की सरकार अपने संसाधनों से 375 लाख रुपये खर्च करके इस पुल को बनाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती राजकुमारी शर्मा।

सीकर नगर परिषद द्वारा वसूली जा रही कृषि भूमि पट्टे की अधिक दर

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नगर परिषद में अपने पट्टे के लिए आज एक पर्ची लगायी है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि नगर परिषद् में बड़े शहरों के नगर निगम के जैसे कृषि भूमि पट्टे दिये जा रहे हैं, ये बहुत महंगे हो गये हैं इसलिए आम जनता खरीद नहीं सकती और नगर परिषद् की बिलकुल ही इनकम रुक गयी है। यह बड़े-बड़े शहरों में नहीं आता है, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा के जैसा नहीं है। न ही वहां नगर निगम है, वहां पर सिर्फ नगर परिषद् है। नगरपालिकाओं के लिए भी आपने यही धारा लगा दी है। पहले तो कृषि के पट्टे दिये जाते थे 30 रुपये वर्ग गज के और अब 230 रुपये वर्ग गज के कर दिये हैं इसलिए कोई भी भूमि के पट्टे नहीं बना रहा है। एक साल, डेढ़ साल से हम सब ने, हमारी पार्टी के लोगों ने, सब ने यह निवेदन भी कर दिया कि इनकी कीमत कम की जाए क्योंकि इनकम रुकी हुई है। वहां पर हमारा बोर्ड है ही नहीं, वैसे भी कोई काम नहीं होता है इसलिए आपके माध्यम से जो यह बहुत ज्यादा दर है इसको घटाया जाए, यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जुबेर खान।

अलवर नगर विकास न्यास का भूमि-अवाप्ति प्रकरण

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, से अलवर यू.आई.टी. द्वारा लैण्ड एक्विजीशन अमैंडमेंट एक्ट, जो लेटेस्ट एक्ट है, 1984, उसके प्रोविजन्स के विरुद्ध, एक असंवैधानिक तरीके से जिस तरह से किसानों की जमीन को अवाप्त किया जा रहा है, मैं उस ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(श्री जुबेर खान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लैण्ड एक्विजीशन एक्ट में अलग-अलग धाराएं हैं। यह लैण्ड एक्विजीशन एक्ट, 1984 सेण्ट्रल का एक्ट है। अपने राजस्थान में कोई एक्ट हुआ करता था, वह रिपील हो गया है और राजस्थान में इस एक्ट के मुताबिक किसी तरह के अमैंडमेंट्स नहीं किये गये हैं जब कि अन्य सरकारों ने कुछ क्लॉजेज में अपने स्टेट में अमैंडमेंट्स किये हुए हैं। इसमें नम्बर एक पार्ट है प्रिलिमिनरी, नम्बर दो पार्ट है एक्विजीशन, जिसमें 4 से लेकर 16-17 तक धाराएं हैं, कि सैक्शन पहले 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 11 होगा। 11 (ए) में एवार्ड जारी होता है और इसके लिए साफ प्रोविजन है कि दो साल में, मैक्सिमम लिमिट इसकी तीन साल है कि तीन साल के अन्दर-अन्दर धारा-4 से लेकर धारा 11 का एवार्ड जारी होना चाहिए। अब आप देखिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार, इनका खुद का उत्तर है, मैंने सवाल किया था, क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा त्रिवेणी नगर, मत्स्य नगर, अनेक नगरों की योजनाओं हेतु भूमि अवाप्त‍ि की कार्यवाही कब शुरू की गयी और धारा-4 की कार्यवाही कब शुरू हुई?

हां, यह सही है कि नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा विभिन्न योजनाओं हेतु भूमि अवाप्त‍ि की कार्यवाही की जा रही है। धारा-4(ए) की अधिसूचना निम्न दिनांक से राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी। एम.आई.ए. योजना- धारा 4(ए) में दिनांक 26.10.1995 को अधिसूचना जारी की। उसके बाद में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 10 अगस्त, 2000 को यू.आई.टी. के बोर्ड ने एक निर्णय किया और राज्य सरकार को भेजा कि यू.आई.टी. को इस भूमि की आवश्यकता नहीं है इसलिए इस भूमि की अवाप्त‍ि को ड्राप किया जाए और इसे अवाप्त‍ि से मुक्त कर दिया जाए। हो गया। किसान संतुष्ट हो गये कि अवाप्त‍ि की कार्यवाही खतम हो गयी। उसके बाद यह सरकार जब आयी तो इन्होंने यू.आई.टी. से मीटिंग कराकर 23.6.2004 को वापस यह निर्णय कराया कि नहीं, अब हमें इस जमीन की आवश्यकता है इसलिए हम इसको अवाप्त करना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद भी एक किसान हैं, जो जमीन की रेट 1995 में थी क्या 2004 में भी वही मानी जाएगी? मैं इसको नहीं आपत्ति कर रहा हूं कि आपको जमीन की आवश्यकता है। आप एक्वायर

(श्री जुबेर खान)

कीजिए लेकिन क्योंकि धारा-4 और एवार्ड को गुजरे हुए तीन साल से ज्यादा हो गये, 1995 से 2004, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 9 साल हो गये, अब 9 साल के बाद में उस धारा 4 के आधार पर गैर कानूनी तरीके से किसानों की भूमि अवाप्त की जा रही है। वहां ढाई लाख रुपये की कीमत से, कहीं डेढ़ लाख रुपये की कीमत से स्टेट हाई-वे पर जमीन का मुआवजा तय किया गया है, आज की डी.एल.सी. की रेट वहां पर है 15-20 और 25 हजार रुपये। अलवर दिल्ली रोड पर जो रामगढ़ ओर नौगांव होते हुआ जाता है एम.आई.रोड, देसूरा के आस-पास से ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): हजार नहीं, आप लाख कहिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हां लाख। सारी। 15-20 से लेकर, मेन रोड पर 25 है। पीछे कहीं 15 है, 20 है, कहीं पर 10 है, इतनी रेट है आज। यह देखिये कि जिस तरह का अन्याय किया जा रहा है, यह गलत बात है। आपके यह साफ प्रोविजन है, इसमें साफ लिखा हुआ है, "The Collector shall make an award u/s 11 within a period of 2 years from the date of the publication of the declaration and if no award is made within that period the entire proceedings for the acquisition or the land shall lapse." और इसमें क्लीयर स्पेसिफिकेशन भी दिया हुआ है। "provided that in a case where the said declaration has been published before the commencement of the Land Acquisition (Amendment) Act, 1984 (68 of 1984) the award shall be made within a period of two years from such commencement." यह तब 1984 में कहा था कि अगर आज के एक्ट से पहले कोई पब्लिकेशन हो जाए तो उसके लिए यह प्रोविजन है और आगे एक्सप्लेनेशन है- In computation the period of 2 years referred to in this section, the period during which any action or proceedings to be taken in pursuance of the said declaration is stayed by an order of a court shall be excluded.

अगर माननीय अदालत कहीं बीच में कोई स्टे दे देती है, कोई निर्णय दे देती है तो टाइम लिमिट नहीं रहेगी। उपाध्यक्ष महोदय, क्लीयर कट लैण्ड एक्विजिशन एक्ट अमैंडमेंट एक्ट, 1984 जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट ने पास किया है, उसकी धज्जियां इस सरकार द्वारा पिछले कुछ समय से उड़ाई जा रही हैं। यह निन्दनीय है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, वैसे तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि 1990 से आपको देख रहा हूं घनश्यामजी तिवाड़ी को, कटारियाजी को, राजेन्द्रजी को भी देख रहा हूं और सांवरलालजी को भी देख रहा हूं, आप दो आदमियों की नैतिकता में जितनी गिरावट मुझे व्यक्तिगत रूप

(श्री जुबेर खान)

में देखने को मिल रही है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आर.एस.एस. के संस्कारी लोग इस तरह मूक-दर्शक बनकर बैठे रहेंगे, जहां इस सरकार द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई जाएं। मैं आपसे निवेदन करूं ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): नहीं, आप इस तरह कैसे बोल सकते हैं? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): और जांच कराइये, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर अन्याय नहीं हो रहा है तो मैं इस सदन में क्षमा मांगने को तैयार हूं। आप देखिये, उसमें हवाला क्या दे रहे हैं। इसमें हवाला दिया है कि आज क्यों कर रहे हैं, कि धारा 48 के अन्तर्गत इस कार्यवाही को किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, धारा 48 साफ डील करती है "Completion of acquisition not compulsory,.." जहां पर कि एक्वीजिशन की कार्यवाही हो गयी और पैसा अगर किसानों को मिल गया तो वापसी की कार्यवाही है। यह मिसलेनियस है कि कोर्ट में कैसे जाएंगे, क्लैरिकल मिस्टेक को कैसे ठीक करेंगे। अगर गलत व्यक्तियों को कोई मुआवजा चला गया है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। इन धाराओं का हवाला देकर अलवर के किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। बहुत-सी अवाप्ति की योजनाएं ऐसी हैं जिनमें 70-75 प्रतिशत में आबादियां बस गयीं। आज उनको एक्वायर किया जा रहा है 1995 की डी एल सी की रेट के ऊपर, यह कहां का न्याय है? मेरा आपसे निवेदन है, अगर यू.आई.टी. को यह जमीन चाहिये तो नये सिरे से धारा 4 की कार्यवाही करके आज की डी एल सी की रेट पर लोगों को मुआवजा दिया जाए। यह सरकार 2000 में कहती है कि हमें आवश्यकता नहीं है, अवाप्ति से मुक्त कर दिया गया। और 2008 में कहती है कि हमको इसकी आवश्यकता है, हम इसको वापस लेंगे और 1995 की रेट पर लेंगे।

दूसरा, यही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, जिन बिल्डर्स ने जमीन खरीद ली, उनको अवाप्ति से मुक्त किया गया है। यह सरकार का जवाब है। हां, यह सही है कि उपरोक्त योजनाओं में निम्न प्रकार से भूमि अवाप्ति से मुक्त की गयी है पुष्पाजंलि एनक्लेव, आर. के. पुरम् योजना, निजी टाउनशिप योजनाओं को बढ़ावा देने हेतु अवाप्ति से मुक्त की गयी हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बिल्डर जमीन खरीद ले वहां बीच में तो उसको आप अवाप्ति से मुक्त कर दें और जो किसान वहां अपनी मेहनत-मजदूरी करके कमा रहा है, अपनी

(श्री जुबेर खान)

जमीन पर बैठा है, उसको आप अवाप्ति से मुक्त नहीं करें। सरकार का इससे बड़ा भेदभावपूर्ण तरीका नहीं हो सकता। यह साफ जाहिर करता है कि यह सरकार किसानों का शोषण करके बिल्डर्स और डवलपर्स के लिए आज काम कर रही है। यह बहुत ही गलत बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इनमें तो इतनी भी संवेदनशीलता नहीं कि मंत्री खड़े होकर जवाब दें, लेकिन आप सरकार को निर्देशित करें कि इस प्रकरण की जांच कराई जाए और अगर अवाप्ति न्यायसंगत नहीं हो रही है, नियमों के विरुद्ध हो रही है तो किसानों की जमीन को मुआवजे से मुक्त कराया जाए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): राठौड़ साहब, आप मंत्रीजी को बुलवाओ न। आपने मदन राठौड़ के सवाल का जवाब दिया है तो मंत्रीजी बैठे हैं, मंत्रीजी बोलें कि 1995 के इस एक्ट के एक्वीजिशन में यदि गैप है तो, दुबारा एक्वीजिशन करके करंट रेट से देंगे। इसमें क्या तकलीफ है? एक तरफ माननीय सदस्य आपको कह रहे हैं कि बिल्डर्स की जमीन को आप मुक्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसान को 1995 की एक्वीजिशन के आधार पर आप कम्पनसेशन देना चाहते हैं, 2008 में आपने फैसला किया है तो 2004 की रेट में फैसला करने में क्या तकलीफ है? बाकी मंत्रीजी भी तो जवाब दे रहे हैं। लेकिन यह भू-माफिया का सवाल है जिसमें खड़े होकर बोलिये कि हम माफ नहीं करते हैं, बोलिये न खड़े होकर। इस बार मौन स्वीकृति सरकार की है कि सरकार इन चीजों में इन्वाल्व्ड है। खड़े होकर बोलिये हम इस चीज को नहीं करेंगे। बोलिये आप खड़े होकर।

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अवाप्ति से मुक्त करने के बाबत कोई झगड़ा नहीं है, उनका सिर्फ कम्पनसेशन बढ़ाने का प्रकरण विचाराधीन है और वह प्रकरण राज्य सरकार को भेजा गया है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कटारियाजी और घनश्यामजी बैठे हैं... (व्यवधान)..

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा): आप बोलो न, आप कहिये कि 1995 की नहीं 2004 की रेट पर देंगे हम। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, नहीं, आपने बिल्डरों को कैसे मुक्त किया? (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी भी पर्ची का जवाब दिलवाइये। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप बताइये, कोई अवाप्ति कार्यवाही धारा 4 से लेकर धारा 11 तक अगर तीन साल के अंदर नहीं होती है तो एक्ट में प्रोविजन है, वह स्वतः ही लैप्स हो जाएगी और इस राज्य में लैप्स हुई है, आप बता दीजिये न।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पर्ची का जवाब दिलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रकरण विचाराधीन बता रहे हैं। मुआवजे के लिए है, अभी फाइनल कहां हुआ है? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद वकील हैं, मेरी खुद की लैण्ड एक्वीजिशन में गवर्नमेंट ने एक्वायर की। सैक्शन 4 का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद दो साल के अंदर अवार्ड जारी नहीं हुआ और लैप्स हुआ। फिर नये सिरे से सैक्शन 4 का नोटिफिकेशन जारी किया, जिस दिन सैक्शन 4 का नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस दिन की जो रेट थी, उस रेट से कम्पनसेशन तय किया। यह खुद मेरे केस में हो चुका है। जब कानून को आप मान ही नहीं रहे हो, सरकार अगर कानून की धज्जियां उड़ाए तो फिर कानून की रक्षा कौन करेगा?

श्री उपाध्यक्ष: भेजा है, भेजा है सरकार को। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप तो यह बता दीजिये, घनश्यामजी, क्या इस एक्ट के मुताबिक यह नियमानुसार कार्यवाही हो रही है क्या अवाप्ति की? आप बता दीजिये अगर नियमानुसार हो रही है तो। इस एक्ट में साफ प्रोविजन है कि धारा 4 से लेकर धारा 11 तक की कार्यवाही... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप तो बोलिये न कानून क्या कहता है? कानून में जब प्रोविजन क्लीयर है, जैसा विपक्ष के नेता महोदय ने बताया है, दुबारा आप लैण्ड एक्विजिशन करके उनको दे दीजिये, अब क्या तकलीफ है? Why are you interested in 95, कि 95 की रेट पर पैसा मिले? आपको जमीन चाहिये, लीजिये, लेकिन जो करेंट रेट है उस पर डी एल सी रेट देने में आपको क्या तकलीफ है? (व्यवधान) ..

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जोशीजी। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जोशीजी से सरकार मुक्त नहीं होगी, किसान को मुक्ति दिलाइये। आप किसान

(डा. सी. पी. जोशी)

को लेटेस्ट रेट पर एक्वीजिशन के नोटिस देकर पैसा दीजिये, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन 95 के आधार पर आप देते हैं तो किसानों के साथ यह अन्याय है। यह तो सरकार को कमिट करना चाहिये, इसमें क्या तकलीफ है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय मंत्रीजी ने बड़ी स्पष्टता से सारी बात कह दी, इन्होंने साफ-साफ कह दिया कि जो मुआवजे का अन्तर है, 95 से दिया जाए या आज की करेंट डी एल सी पर दिया जाए, यह सरकार के पास विचाराधीन है। इसमें कहां करप्शन की बात आ गयी? करप्शन की बात कहां आ गयी इसमें? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप बुलवाइये, अपने मुंह से बुलवाइये मंत्रीजी से। माननीय मंत्रीजी आप बोल दीजिये। (व्यवधान) आप बुलवाइये मंत्रीजी से। माननीय राठौड़ साहब, अभी भी अपने जवाब में गलत बात कही है कि तीन महीने में होगा तो सरकार दे देगी। मैं तो बोला नहीं, तीन महीने बाद आपकी हैसियत है, 6 महीने पहले चुनाव में कुछ कर नहीं सकते। कि नहीं होगा तो स्टेट गवर्नमेंट करवा देगी, ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? आप मंत्रीजी से कहलाइये, यू डी एच मिनिस्टर यह कहें कि 95 की जगह 2004 की डी एल सी रेट पर पैसा देंगे, हम सहमत हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): विचाराधीन है। यह आपके कहने से कहेंगे क्या? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): फिर आपके कहने से कहेंगे क्या? उपाध्यक्ष महोदय, जनता को अधिकार है जानने का। यह सरकार आपकी मनमर्जी से नहीं चलेगी कि जिसको चाहे कर दे, जिसको चाहे नहीं करे। यह सरकार को करना पड़ेगा। सरकार को फैसला करना पड़ेगा कि 95 से देंगे कि 2004 की डी एल सी रेट से देंगे। आपकी मनमर्जी से करेंगे क्या? सरकार नियम और कानून से चलती है, संवैधानिक व्यवस्थाओं से चलती है, आपकी मनमर्जी से नहीं चलती है सरकार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट तो मिनट-मिनट में गौर करती है इन चीजों का, इसलिए गवर्नमेंट कहते हैं इसको। हर मिनट में गौर करे वह गवर्नमेंट । यह गौर कर रहे हैं न हर बात पर। जो बात आई है उस पर गौर कर रहे हैं गम्भीरता से। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, फैसला करना पड़ेगा। यह सरकार सदन में आश्वासन दे। (व्यवधान) यह सरकार सदन में आश्वासन दे कि 2004 की डी एल सी रेट से पेमेन्ट करेंगे। क्या तकलीफ है, आश्वासन दें आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह इंडिविजुअल केसेज का मामला है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह इंडिविजुअल केसेज का कैसे मामला है? (व्यवधान) कैसे इंडिविजुअल केसेज का मामला है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सरकार ने कह दिया कि मुआवजे की बात विचाराधीन है अभी तक। ...(व्यवधान) अभी आप सरकार को बाध्य करेंगे क्या? सरकार की तरफ से जवाब आ गया कि कम्पनसेशन का मामला इज अंडर कंसिडरेशन। जवाब आ गया। कहा न, जवाब आ गया। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 2004 के बेस पर करवाइये आप। (व्यवधान) आप करवाइये 2004 के बेसेज पर।

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया है कि 27.10.2005 के पहले जिनका अवार्ड हो गया है, उनको 15 प्रतिशत विकसित भूमि दी जाएगी। बाकी जो ऐसे हैं, जमीन की वह अलग से है तो 27.10.2005 के जिसके अवार्ड होंगे उसको तो 25 प्रतिशत विकसित भूमि दी जाएगी जिसमें 20 प्रतिशत आवासीय और 5 प्रतिशत कामर्शियल है। और 27.10.2005 के पहले के हैं उनको 15 प्रतिशत विकसित भूमि दी जाएगी। (व्यवधान) मेरी पूरी बात तो सुनें। अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि 2000 में कार्यवाही हुई अवाप्ति करने की और फिर बाद में यू आई टी, अलवर ने अवाप्त करने की कार्यवाही की। यू आई टी, अलवर ने उसको रोका। उस समय उनके पास पैसा था नहीं और बाद में उन्होंने वापस गवर्नमेंट को मूव किया कि हम इसको अवाप्त करेंगे।

उसके बाद में यह 07.09.2005 को निर्णय लिया गया कि 48 की कार्यवाही नहीं हुई है इसलिए इस जमीन की आवश्यकता है, यह यू.आई.टी. को दी जाए। मैंने आपसे निवेदन किया कि वो काश्तकार सब अपने आप में संतुष्ट हैं। सिर्फ झगड़ा इस बात का है कि हमें 27.10.2005 के बाद का जो मुआवजा है, विकसित भूमि दी जाए न कि 2005 के पहले की विकसित भूमि दी जाए। यह है बात इतनी-सी, इसके अलावा न कोई झगड़ा है और न कोई किसी प्रकार का है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मेरा बेसिक मुद्दा यह है, मेरा सवाल था, क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा भू-अवाप्तति कानून को समाप्त करने बाबत निर्णय लिया गया है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कभी पर्ची पर इतना वाद-विवाद हुआ है क्या? अब यह आधे घंटे की चर्चा में आ जाएं और मोशन ले आएं, पर्ची पर इतनी बड़ी चर्चा ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): राठौड़ साहब, आपने दो-दो घंटे चर्चा की है। (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इसमें साफ लिखा है, यू.आई.टी. ने यह निर्णय लिया है कि इसको अवाप्तति से मुक्त कर दिया जाए। अब मुक्त करने के बाद दोबारा क्या, मेरा बेसिक सिद्धांत यह है कि तीन साल के अन्दर कार्यवाही नहीं हुई ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप सुनिये बात को, तकलीफ क्या है आपको सुनने में? तकलीफ क्या है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इंडिविजुअल मामले हैं, सम्बन्धित व्यक्ति अगर सरकार के साथ (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कोई इंडिविजुअल नहीं है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई इंडिविजुअल व्यक्ति सरकार के साथ समझौता करेंगे तो कर लेंगे। आप बीच में, कोई नहीं रोक सकता उनको।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कानूनन कैसे रोक सकते हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत पर एग्री हो जाएगा तो आप और हम नहीं रोक सकते। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, आ गया जवाब, जवाब आ गया, This is under consideration of the Govt. (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): लैप्स हो गयी कार्यवाही, जब यू.आई.टी. ने यह कह दिया कि हम इसको अवाप्तति से मुक्त करने की सिफारिश करते हैं, तो कहां रही? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी बात आ गयी ...(व्यवधान) इस पर बहस नहीं होगी, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आ नहीं गयी है, सवाल यह है कि यह सरकार ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दबाव डाल कर काम कराना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: क्या सही है, क्या गलत है, अभी इसका कोई निर्णय देने वाला नहीं है, माननीय सदस्य, यह अदालतों के अन्दर भी बहुत लम्बे अर्से तक चलते रहते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोशीजी दिल्ली से इंजेक्शन लगवा कर आये हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अवाप्ति से मुक्त करने के बाद नये सिरे से लैंड एक्विजिशन की कार्यवाही होगी ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को जो अवाप्ति का अधिकार दिया गया है ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): क्या इंजेक्शन लगवा कर आये हो, जोशीजी, दिल्ली से? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कोई काम में लेकर किसानों का गला काटने का काम करे, यह कहां तक उचित है? (व्यवधान) कार्यवाही पूरी करे नहीं, नगर पालिका के पास में पैसा है नहीं, इसलिए लिख देते हैं कि हमें जरूरत नहीं है। जब पैसा आ जाए जब वापस लिख देंगे, इसको चालू रखा जाए। इस तरह से मखौल बना रखा है और किसानों का गला काटने का यह सरकार काम कर रही है। सरकार के लिए कानून नहीं है, क्या सरकार कानून से नहीं चलेगी? एक्विजिशन का जो अधिकार सरकार को दिया है यह सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है और किसानों का गला काट रही है, किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव में ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिना किसी आधार पर कोई आरोप लगाएं, यह प्रतिपक्ष के नेता को शोभा नहीं देता। शोभा नहीं देता उनको। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): धज्जियां उड़ा रहे हो ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप किस की, नहीं, किस की बात कर रहे हो? माननीय सदस्य, सही बात है, आप जनरल बात नहीं कर सकते। आप किस का केस लेकर आये हो ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): किसानों का केस है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य हरिमोहनजी, आप किस का केस लेकर आये हैं, कौन है आपके सामने? आप किस व्यक्ति का केस लेकर आये हैं यह? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): किसानों का ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप कौन से इफैक्टेड आदमी का केस लेकर आये हैं? पर्टीकुलर कोई आदमी राज़ी हो जाए, हो जाए। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): किसान का लेकर आये हैं ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जनरल बात नहीं होगी, बहुत-से आदमी राज़ी भी हैं, अपने आप कर लेंगे सैटलमेंट।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कानून का मजाक नहीं उड़ा सकते ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बहुत से काश्तकार राज़ी हैं, वो सैटलमेंट कर लेंगे, बीच में किस बात की दखल है यह? (व्यवधान) नहीं करेंगे वो, गवर्नमेंट को एप्रोच करेंगे। जो नहीं करेंगे वो गवर्नमेंट को एप्रोच करेंगे। इंडिविजुअल मामला है यह तो, कोई राज़ी होगा कोई नहीं होगा, इंडिविजुअल है यह। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हाथ जोड़ कर निवेदन है, आप मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बिना एक्वीजिशन के भी दे सकता है अपनी जमीन और सहमति से सब कुछ हो सकता है। अब आपने जनरल बात उठा दी, साहब, ऐसा हो रहा है। श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, I am on self-explanation.

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये आप, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी पर्ची की बलि मत चढ़ाओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप किस का केस लेकर आये हो ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): भूमि मेरे या मेरे परिवार या रिश्तेदार, किसी की भी जमीन हो तो मैं विधान सभा सदस्य से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, यह जनरल बात नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप +++ करते हैं, आप +++ रखते हैं, यह क्या बात है? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप आरोप लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप, व्यक्तिगत बोला क्या इन्होंने, आप क्या बात कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: कह दी बात आपने। आपने बात कह दी। ...(व्यवधान) सरकार ने जवाब दे दिया, आप संतुष्ट नहीं हैं तो नहीं हैं? ...(व्यवधान) आप नहीं होंगे संतुष्ट।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): फिर बताइये, किस का नाम लिया? आप बताइये किस का नाम लिया? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: व्यवस्था बनायी है और +++(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह आसन से किस तरह से बात कर रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने की बात है ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन को +++ यह। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): प्रोविजन है, कहां व्यक्तिगत मामला है ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपके आसन और सरकार का मामला है ...(व्यवधान) और संविधान का मामला है यह।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, पार्लियामेंट से, कोई मतलब पर्टीकुलर केस आना चाहिए सामने, कोई जनरल बात हो जाएगी क्या? बहुत-सी जगह कानून का उल्लंघन ...(व्यवधान) नहीं, यह जनरल बात है ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): दिल्ली से इंजेक्शन लगवा कर आये हैं ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): और क्या करेंगे ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कौन राज़ी होकर देगा, कौन नहीं होगा, माननीय सदस्य ...(व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कीजिए। आप जानते हैं अच्छी तरह से ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप किसकी वकालत कर रहे हैं? आप कौन से व्यक्ति की वकालत कर रहे हैं? (व्यवधान) यह जनरल राजस्थान में सब जगह एक्वीजिशन के केसेज चल रहे हैं, डिसयूट के हैं, साहब, ऐसे हो रहा है। ऐसे हो रहा है। आपने कह दी, सरकार के विचाराधीन है The matter will be decided. श्री रामप्रताप कासनिया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह इश्यू नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) 1999 के एक्वीजिशन को दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। काहे का इश्यू है? 1995 में लैंड एक्वीजिशन की है, 2004 में करना चाहते हैं तो दोबारा करिये न ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: गवर्नमेंट का ध्यान चला गया, सीधी-सी बात है ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): धारा 4 दोबारा दिलाइये ...(व्यवधान)...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): 2004 का दोबारा करिये आप, कहां तकलीफ है ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): कोई व्यक्तिगत नहीं हो ...(व्यवधान) काश्तकार तो काश्तकार हो सकता है ...(व्यवधान) राजस्थान का नहीं है और पूरे अलवर जिले का नहीं है एक, दो, बीस खातेदार हो सकते हैं, पूरे राजस्थान का मामला है क्या? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप सुनिये। जिनकी अवाप्ति से मुक्त की है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जुड़े हुए हैं ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): किसी एक का होगा, दो का होगा, दस का होगा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अवाप्त भूमि में दिवाकरी गांव में तो 90 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं।

श्री उपाध्यक्ष: कुछ अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) वो कह रहे हैं, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी भूमि अवाप्त हुई है वो केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1994 के नियमों के तहत हुई है। इसमें आपको लगेगा तो मेरे पास स्पेसिफिक आप कोई मैटर या प्रकरण लाकर देना, अगर उसमें इन नियमों के विपरीत कोई कार्यवाही हो रही है, जैसे आप तीन साल की बात कर रहे हैं या पांच साल का डिफरेंस बता रहे हैं या सात साल का बता रहे हैं, तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा और जांच करवा कर अगर उसमें कोई भी व्यक्ति जिसने गलती की है तो नियमानुसार कार्यवाही होगी।

श्री उपाध्यक्ष: हां। श्री रामप्रताप कासनिया। बस, यही होता है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भगवान के लिए अब मुझे बख्शना आप थोड़ा।

श्री उपाध्यक्ष: यही बात है।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी तो पर्ची का जवाब ही नहीं आया, हमारे भी वहां पर बहुत ...

श्री उपाध्यक्ष: पूछ लेना आप, कन्सर्निंग मंत्रीजी से पूछ लेना। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): लिख कर देते हैं उनका जवाब बाकी का नहीं देते हैं।

पीलीबंगा क्षेत्र में डी-कालोनाइजेशन के बकाया मामले

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री रामप्रताप कासनिया)

आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हनुमानगढ़, गंगानगर जिले में सरकार ने किसानों के आबंटन करने में कोई कोताही नहीं बरती है, बहुत अच्छा काम किया है। 90 प्रतिशत काम मेरे क्षेत्र में हो गया लेकिन 10 प्रतिशत काम आज भी बाकी है, और वो एक चन्द्रमा में धब्बे के समान है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कई बार निर्देश दिये कि ये जो उक्त समस्याएं हैं इनका तुरन्त समाधान किया जाए। इसके लिए एडीशनल चीफ सैक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई और दोबारा फिर मंत्रीजी का विधान सभा में जो कार्यालय है उसमें बैठक हुई। उस बैठक के अन्दर दिनांक 26.03.2008 को मीटिंग तय कर दी गयी और कमिश्नर, बीकानेर, कलक्टर गंगानगर, हनुमानगढ़ को बुलाया गया था। किन्हीं कारणों से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वो बैठक स्थगित हो गयी। तो मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री महोदय, पिछले डेढ़, दो वर्ष से लगातार मैं आपको पत्र लिख रहा हूं। मेरी तहसील पीलीबंगा के अन्दर आपको सूचना दी गयी है कि आज के दिन पीलीबंगा तहसील में एक भी पत्रावली टी सी से पी सी या बालिग पुत्रों की कोई पैण्डिंग नहीं है। यह सूचना आपको दी है 23.02.2007 को। उस सूचना के अन्दर 92 प्रकरण विशेष आबंटन में अधिसूचित होने के पश्चात सामान्य आबंटन हो गया, यानि रकबा गजट में था। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो समझते हो, अलाटमेंट समिति ने भूमि आबंटन कर दी तो रकबा गजट में कौन निकालेगा? सरकार निकालेगी। 317 प्रकरण विशेष आबंटन में अधिसूचित हैं और पूर्व में सामान्य आबंटन हो चुका, काश्तकारों की कोई गलती नहीं है तो उनको गजट से बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा है?

इसी तरह बाइस प्रकरण विशेष आबंटन में अधिसूचित होने के पश्चात् बालिग पुत्रों को आबंटन हो गये, यह भी गजट में है। चार नम्बर, 23 प्रकरण विशेष आबंटन में अधिसूचित होने के पूर्व में बालिग पुत्रों को आबंटन हो गये। उपाध्यक्ष महोदय, बालिग पुत्रों को जब भूमि आबंटन हुई, रकबा गजट में नहीं था। आबंटन होने के पश्चात् रिकार्ड में अमलदरामद नहीं करने के कारण से फैसला हो गया और रकबा गजट में पकड़ लिया।

(समय : 13.41 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

(श्री रामप्रताप कासनिया)

कैसी भूलभुलैया है, किस तरह से काम हो रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान देने की जरुरत है। सभापति महोदय, 71 प्रकरण विशेष आबंटन में अधिसूचित भूमि जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ है, इसी तरह से चौदह प्रकरण अधिसूचित भूमि जिस पर आबादी है, दो प्रकरण ये आबादी वाले निकाल दिये गये हैं, यह मैं स्वीकार करता हूं। दो प्रकरण विशेष आबंटन में अधिसूचित भूमि जो कस्टोडियन भूमि है, 78 प्रकरण विशेष आबंटन में अधिसूचित भूमि जो टी सी आबंटन है, ये 78 प्रकरण तो शायद निकाल दिये। 167 प्रकरण विशेष आबंटन में अधिसूचित भूमि जो अराजी राज दर्ज है यानि पोस्ट 55 के बाद का रकबा है। रकबा गजट में है, आप 167 तो स्वीकार कर रहे हो। रकबा गजट में होने के कारण से आबंटन नहीं कर पा रहे हो। यह तो है आपकी सूचना 23.02.2007, और इसमें यह भी लिख दिया इन्होंने कि कोई और सूचना पैण्डिंग नहीं है, 92 प्रकरण सामान्य आबंटन के गजट में होते हैं, आबंटन समिति ने आबंटन कर दिये और बाइस प्रकरण बालिग पुत्रों के, इक्कीस प्रकरण फिर बालिग पुत्रों के, यह सारा मैंने आपके समक्ष आपका ध्यान आकर्षित कर दिया है।

सभापति महोदय, अब मैं इस बात पर आना चाहता हूं कि लगातार सरकार ने चिट्ठी लिखी कलक्टर एस डी एम को, सूचना मांगी, कोई पत्रावली पैण्डिंग नहीं होना स्वीकार किया और 5.02.2008 को रेवेन्यू तहसीलदार पीलीबंगा नायब तहसीलदार के पास चार्ज है, उसने अपनी रिपोर्ट में यह माना है कि अविवादित टी सी धारक 156, मृतक टी सी धारक सोलह। यहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मृतक कोई विवाद नहीं है। मृतक के आश्रित जो हैं उनको भूमि टी सी से पुख्ता होती है, यह नियमों में प्रोविजन है। इस तरह से इंगित करके क्या संदेश देना चाहते हैं अधिकारी?

सभापति महोदय, इस तरह से कुल मिलाकर यह तो मैं बड़ोपल की फाइल बता रहा हूं अकेले की, माणकसेडी गांव की और है- अविवादित सात और मृतक टी सी धारक बारह। यानि यह कह रहे हैं मृतक हो चाहे अविवादित हो, यानि यह अपनी रिपोर्ट में आज के दिन 191 फाइल पैण्डिंग होना स्वीकार करते हैं। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि लगातार बारह महीने तक आपको, मुख्य मंत्रीजी को, मुझे गुमराह करते रहे कि हमारे यहां कोई पत्रावली पैण्डिंग नहीं है। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो गलत रिपोर्ट दी

(श्री रामप्रताप कासनिया)

है, गलत जो सूचना दी है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या आप कार्यवाही करेंगे?

सभापति महोदय, यहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन 191 प्रकरणों के अलावा बहुत तरह के प्रकरण आज भी पैण्डिंग हैं। जैसे मंत्री महोदय, आप समझते हो इस बात को, टी सी भूमि आबंटन है, रिकार्ड में अमल दरामद नहीं है, काश्तकार इस बात को नहीं समझता कि अमल दरामद क्या चीज होती है। यानि उस टी सी का रिकार्ड में पटवारी ने अंकन नहीं किया, कब्जा भूमि का उसके पास में है, लगातार काश्त कर रहा है। उसको आप मान नहीं रहे हो। टी सी इसलिए नहीं मान रहे हो कि पटवारी के रिकार्ड में अमल दरामद नहीं है। यह बहुत त्रुटि है, इस त्रुटि को सुधारने के लिए आपने बीकानेर में आदेश भी दिया परन्तु वह अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, आपके आदेशों को अभी तक माना नहीं है।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पोस्ट का रकबा 55 के बाद का और 55 से पूर्व का और टी सी और बालिग पुत्र ये चार श्रेणी के जो रकबे हैं, गजट में प्रकाशित होने के कारण से आबंटन नहीं हो रहा है। तो मैं बार-बार आपसे निवेदन कर चुका हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बार-बार निर्देश दिये हैं उसके बावजूद भी आज तक इसका स्थाई समाधान क्यों नहीं हुआ?

मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा कि मैं खुद मिला हूं मुख्य मंत्रीजी से, जो किश्तों में छूट दी गयी थी वह किश्तों की समयावधि 31.03.2008 तक बढ़ाई गयी है, अगर 31.03.2008 तक यह पत्रावलियों का निपटारा नहीं हुआ, अगर आपने रकबा गजट में नहीं निकाला तो मुख्य मंत्रीजी की भावना के विपरीत कार्य हो जाएगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उनकी मंशा है कि काश्तकार की कोई भी समस्या पैण्डिंग नहीं रहे। यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैंने समय-समय पर आपको चिट्ठी दी है, एक-एक चीज का अंकन किया है और अधिकारियों ने आपको बारह महीने तक गुमराह किया कि कोई पत्रावली पैण्डिंग नहीं है। आज मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि 191 नहीं 250 से 300, 400 के बीच में पत्रावलियां निकलेंगी और मेरी तहसील में ही नहीं, रावतसर, सूरतगढ़ दूसरी जगह भी इस तरह के प्रकरण दस, बीस, पांच कहीं न कहीं हैं, गजट में रकबा, जिस कारण से काश्तकार अपनी भूमि आबंटन नहीं करवा पा रहे हैं।

(श्री रामप्रताप कासनिया)

पुनः मैं रिपीट करना चाहता हूं कि 31.03.2008 निकल जाएगी और माननीय मुख्य मंत्रीजी की काश्तकारों को छूट देने और कोई रेवेन्यू से संबंधित आबंटन के जो भी प्रकरण हैं उनका निस्तारण करने की जो इच्छा है उसके विपरीत यह कार्यवाही हो जाएगी और 31.03.2008 के बाद बार-बार यह समय नहीं बढ़ेगा। मैं इस बात से भली-भांति परिचित हूं कि यह समय बहुत मुश्किल से बढ़ाया गया। बढ़ाया इसलिए गया, मैंने यह निवेदन किया था कि पीलीबंगा में अधिकारियों की गलत रिपोर्ट के कारण से आबंटन सलाहकार समिति की बैठक ही नहीं हुई। कुछ तो गेंद आपके पाले में डाल दी। ये इतने प्रकरण जो मैंने पढ़कर सुनाये हैं, गजट से रकबा निकालना आपका काम है, कोई उनका काम नहीं है। वह 23.02.2007 को जो रिपोर्ट दी है उसमें सैकड़ों प्रकरण हैं जो आपके पाले में गेंद है, सरकार के वहां नहीं है। वहां तो यह है कि 191 तो उन्होंने स्वीकार कर लिये जो टी सी रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुए हैं। मैं फिर मेरी भाषा में यहां लॉबी में अधिकारी भी बैठे हैं, समझाना चाहता हूं कि काश्तकार पट्टे लेकर अपने घर चला गया, अनपढ़ काश्तकार है, कपड़े का थैला रखता है, उसके अन्दर डालकर रख देता है, उसको पता नहीं है अमल दरामद कैसे होता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप काश्तकार हो, अमल दरामद शब्द आप समझते हो। उदाहरण के तौर पर, बड़ा ही विचित्र मामला है, आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, 15-एएए के तहत फैसला हो गया और फैसला होने के बाद में रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ। काश्तकार की क्या गलती है उसमें? रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ, आपने उसको गजट में पकड़ लिया, यह बड़ोपल की बात है। सभापति महोदय, सैंकड़ों मामले ऐसे हैं जो माननीय उच्च न्यायालय से काश्तकार के पक्ष में होकर रिमांड होकर आ गया, एस डी एम के पास आर ए ए से, रेवेन्यू बोर्ड से, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेश की उसमें अवहेलना हो रही है।

श्री सभापतिः आपकी बात मंत्रीजी ने समझ ली।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, अवहेलना इसलिये हो रही है कि रकबा गजट में होने के कारण एस डी एम उसकी सुनवाई नहीं कर सकता। रिपीट नहीं हुआ, यह आर ए ए रेवेन्यू बोर्ड, याद रहती है मुझे बात, यह रिपीट नहीं हुआ, सैकड़ों प्रकरण ऐसे हैं जिनका

(श्री रामप्रताप कासनिया)

रकबा गजट में होने के कारण भूमि आबंटन नहीं हो रहा है। 31.3.2008 फिर आ रही है, अब समय नहीं बढ़ेगा। मैं आखिरी बार, तीसरी बार यह रिपीट करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया की घोषणा के विपरीत कार्यवाही हो रही है। 47 गांवों को आपने कोलोनाइजेशन क्षेत्र से बाहर निकालने का जो काम किया है उसमें लगभग 1278 काश्तकार ... (व्यवधान) मैं यह नहीं कह रहा हूं। काम करने में कमी रह जाती है कहीं। ऐसे मैं बहकावे में आने वाला नहीं हूं। जो काम किया है उनकी तारीफ करूंगा ... (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप अपने कथन को समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): 1975 के नियमों के तहत 1278 काश्तकारों को मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की, उसके बाद में आपने आबंटन कर दिया। इनमें से कुछ लोगों ने पैसे जमा करवाये हैं, शेष को आपने रुकवा दिया, वे पैसे जमा नहीं करवाये हैं। इन 47 गांवों में आज भी सरकार ने काम कर दिया, श्रेय नहीं मिल रहा है। श्रेय इसलिये नहीं मिल रहा है क्योंकि उनको आपने अभी तक पट्टे नहीं दिये हैं। जो लोग दायीं साइड में बैठे अभी मुझे भी टोक रहे हैं इसी तरह से क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं कि यह सरकार तो वैसे ही वाहवाही लूट रही है, कोई काम नहीं हुआ है। काम सब कर दिया आपने। सिर्फ जिला कलक्टर ने एक चिट्ठी लिखी है आपको, उस चिट्ठी का आप जवाब दे दें। इन गांवों के बारे में 1970 के नियम के तहत आबंटन करने के आप आदेश दे दें और पट्टे जारी करने के आदेश दे दें ताकि सरकार ने जो कार्य किया है उसका श्रेय सरकार को मिल सके, यह निवेदन करना चाहता हूं।

54-55 लाख रुपये खजाना राज में जो जमा हो गया है, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि 54-55 लाख कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए, अगर सरकार ने करोड़ों रुपये की छूट कर दी किश्तों में, इतना बड़ा ऐतिहासिक काम कर दिया तो 54-55 लाख के लिये भी चन्द्रमा में धब्बा नहीं लगाना चाहिये। और मैं ... (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): धन्यवाद।

श्री सभापति: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री गुलाब चन्द कटारिया ... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मंत्री महोदय कुछ कह रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री सभापति: If the Minister wants to react on it then I don't mind. If you want to react you can react.

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा, जो अभी पर्ची के माध्यम से बात उठायी गयी है, पूरा का पूरा 90 परसेण्ट मामला हमने चार साल में राजस्थान उपनिवेशन के अन्दर निपटाया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, 10 परसेण्ट कुछ विवादित, कुछ डी-कालोनाइजेशन, कुछ मामले हैं, यदि रह गये हैं जो भी इन्होंने अभी आंकड़े दिये हैं, जहां कहीं अमल नहीं हुआ है, जितने गांवों का है माननीय सदस्य हमें सूची प्रोवाइड करा दें उसके अनुसार अभी 31.3.2008 तक जो छूट है उनके अन्दर लेकर जो काश्तकार हैं, हमारी भावना है, काश्तकार जो बहुत ही लम्बे समय से बड़ी समस्या से जूझ रहा था, उनको हमने टेकअप किया है। हजारों-करोड़ों रुपये हमने काश्तकारों को जो लैंड अलाटमेंट दिये गये, डिमाण्ड पर जो ब्याज था उनके भी हमने करोड़ों रुपये माफ किये हैं। यह इसी सरकार ने किया है, दूसरी सरकार ने नहीं किया है। किश्तों का सरलीकरण भी इसी सरकार ने किया है। ब्याज के अन्दर 28 परसेण्ट से कम कर 6 परसेण्ट की शास्ति को भी किसी ने रिमूव किया है तो इस सरकार ने किया है।

मेरा माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह विशेष निवेदन है कि जो भी कानून-कायदे, और स्वयं मुख्य मंत्रीजी मई के महीने के अन्दर 50 डिग्री धूप के वक्त पूरे राजस्थान का दौरा किया था, कैनाल और जो भी समस्याएं हैं, संशोधन करके हमने निस्तारण किया। उसके बाद भी जितनी समस्याएं उभरकर आयी उनका भी समय-समय गजट नोटिफिकेशन हुआ। पानी लगा नहीं, चकबंदी हो गयी और उसके बाद काश्तकारों को आबंटित हो नहीं रही थी, ऐसे कुछ मामलों को भी हमने डी-नोटिफिकेशन करके उन 47 गांवों को रकबा योग्य बनाया। टी सी से पुख्ता जिनके पास गैर खातेदारी वगैरह थे, उनको नियमों के अन्दर सरलीकरण करके उनसे ब्याज जनरल, पैसे बढ़ गये थे उनको भी हमने 50 परसेण्ट जनरल, 20 परसेण्ट एस टी, एस सी और 30 परसेण्ट ओ बी सी वगैरह के लिये नियमों में संशोधन करके उसके आधार पर अलाटमेंट का मामला किया गया है। हो सकता है आज हजारों प्रकरणों के अन्दर आज मैं यह कह सकता हूं कि हंडरेड परसेण्ट काम नहीं हुआ है मगर पिचहत्तर परसेण्ट तक काम होने की गुंजाइश इस क्षेत्र के अन्दर हमने की है ... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): मंत्रीजी, माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप मंत्रीजी को अपना वक्तव्य पूरा दे देने दीजिये। विराजें आप।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): यदि कहीं से भी कोई हमने आदेश यहां से जारी किये हैं और किसी प्रकार से सुविधा के अंतराल की वजह से हमारे अधिकारी वहां नहीं कर रहे हैं तो उसको भी हम देख लेंगे और पूरी व्यवस्था करेंगे, माननीय सभापति महोदय, इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मंत्रीजी, आपने बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया, मैंने धन्यवाद दिया है पर 47 गांवों का डी-कोलोनाइजेशन किया है ... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है 31.3.2008 ... (व्यवधान)

श्री सभापति: इस विषय पर अब कोई वाद-विवाद नहीं होगा। यह जवाब अपने आप में पूरा था। अगर इसके अलावा कुछ रह गया हो तो आप मंत्रीजी से मिल लें, वह आपको संतुष्ट कर देंगे।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट, इसमें यह कहना था ... (व्यवधान) तारीफ करनी है ... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): आपको तो तारीफ करनी है, बाद में ही कर देना मंत्री महोदय को तारीफ तो। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जो अभी वक्तव्य दिया है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: अनुमति नहीं देंगे। इस विषय पर वाद-विवाद की हम अनुमति नहीं देंगे। कृपा करके आप विराज जाएं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): वह +++ बोल रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री सभापति: इस विषय पर आसन ने अपनी व्यवस्था दे दी है। अगर कोई शेष रह गया हो तो आप मंत्रीजी से मिल लें।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

<u>गृह विभाग</u>

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से गृह विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1. अधिसूचना संख्या : एफ.6.(29)गृह-13/2007 दिनांक 24.10.2007 जिसके द्वारा राज्य में सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेटों को उनको अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, एवं

2. अधिसूचना संख्या : एफ6(29)गृह-13/2007 दिनांक 24.10.2007 जिसके द्वारा राजस्थान बाल विवाह प्रतिषेध नियम, 2007 विरचित किये गये हैं।

श्री सभापति: गुलाब चन्दजी कटारिया।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक का पुर:स्थापन करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: श्री सांवरलाल जाट, जल संसाधन मंत्री अनुदान की मांग संख्या 27-पेयजल योजना एवं अनुदान की मांग संख्या 46-सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर सहित) विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-27-पेयजल योजना की प्रस्तुति

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 38,41,71,57,000/- (अड़तीस अरब इकतालीस करोड़ इकहत्तर लाख सत्तावन हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 46-सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर सहित) की प्रस्तुति

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 46-सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,26,97,25,000/- (इक्कीस अरब छब्बीस करोड़ सत्यानवे लाख पच्चीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 27 व 46 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

मांग संख्या 27 व 46 पर विचार

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री बाबूसिंहजी। आप शुरू करें, उससे पहले मैं निवेदन कर देता हूं क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं जो बोलना चाहेंगे। अगर आप अपने वक्तव्य को आठ से दस मिनट की सीमा में बांधें तो न तो यहां से घण्टी बजेगी और मैं यह मानता हूं, सब लोगों को मौका मिल जाएगा अपनी-अपनी बात व्यक्त करने का।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 27 पेयजल योजना में चर्चा के लिये खड़ा हुआ हूं। यह बात सही भी है हमारे विख्यात कवि रहीमजी ने कहा था-

'रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून,
पानी गये न ऊबरे मोती मानस चून'

उस समय की उनकी चिन्ता रही। मैं कह सकता हूं कि जिस समय कर्नल टाड ने राजस्थान का दौरा किया था और राजस्थान के इतिहास के बारे में लिखा था, पूरे राजस्थान में जब उनका दौरा हुआ तो कर्नल टाड ने भी इस बात की

(समय : 14.00 बजे)

चिंता की थी कि तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो वह विश्व युद्ध पानी को

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

लेकर होगा । मैं समझता हूं कि राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधराजी ने और इस विभाग के हमारे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय सांवरलालजी ने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया, इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और पेयजल के मामले में राजस्थान में इस बात की चिंता की कि विश्व युद्ध हो जाए, हो जाये पर राजस्थान में पानी को लेकर कभी कोई युद्ध नहीं हो। उन्होंने ऐसी योजनाएं मंजूर की हैं, इसके लिये हम उनको बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहेंगे। मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में पेयजल की परियोजनाओं पर 400-500 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय हुआ करता था, इसको सैट करते हुए वर्ष 2004-05 में 619 करोड़ रुपये, वर्ष 2005-06 में 790 करोड़ रुपये, 2006-07 में 1242 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं और 2007-08 में 2238 करोड़ रुपये व्यय होना अनुमानित है। इसके लिये मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। कहां एक वर्ष में 400-500 करोड़ रुपये खर्च होते थे और कहां एक वर्ष में 2238 करोड़ रुपये खर्च करने का उन्होंने लक्ष्य लिया है । इसके लिये मैं कहना चाहूंगा पर्वतों को काट कर सडके बना देते हैं।

सैंकडों मरू भूमि में नदियां बहा देते हैं ।
जो आज करना है वह आज ही कर दिया।
ऐसा सोचने वाले ही कुछ कर के दिखा देते हैं ।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि पूर्व प्रधान मंत्री परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयीजी की चिंता सही थी कि जो बहुतायत पानी बह कर समुद्र में चला जाता है, नदियों का पानी समुद्र में चला जाता है। नदियों को जोड़ कर इस भारतवर्ष में हरित क्रान्ति लाने के लिये एक अभिनव प्रयोग उन्होंने किया और उन्होंने इस योजना की घोषणा की थी कि नदियां जुडेंगी। लेकिन सरकार जाने के बाद उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया और उस योजना को उन्होंने रोक दिया । लेकिन मैं आदरणीय वसुंधराजी का इस बात के लिये आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि पड़ौस में गुजरात भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आदरणीय मोदी साहब उसके मुख्य मंत्री बने हैं और उनसे आपके बहुत अच्छे ताल्लुक़ात हैं, इसकी वजह से राजस्थान में जालौर, सांचौर, सिरोही, आधा बाडमेर में चारों तरफ नर्मदा का पानी लाकर मीठा पानी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया और उस पानी की योजना बनाई । पानी का स्वागत हो गया है, पानी पहुंच गया है और उसके लिये काम चल

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

रहा है । मैं कहना चाहूंगा, मारवाड़ में खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में पानी की भयंकर समस्या रहती थी और जोधपुर में भी पानी की बहुत भयंकर समस्या रहती थी। पलायन को लोग मजबूर हो रहे थे। ऐसे समय में आदरणीय भैरोंसिंहजी शेखावतजी जो राजस्थान के मुख्य मंत्री थे, उन्होंने बहुत बड़ी योजना देकर जौधपुर में हिमालय का पानी पहुंचाया और आज मैं कह सकता हूं कि उसी को मुख्य मंत्रीजी ने आगे बढाते हुए अब तक हमारे यहां विशेषकर जोधपुर के जो विधान सभा क्षेत्र हैं- पाली, जैसलमेर, बाडमेर, नागौर इन सब में हिमालय का मीठा पानी पहुंचाने के लिये बहुत बडी नई योजनाएं मंजूर कि हैं। मैं कह सकता हूं, विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ जो सबसे ज्यादा सैनिक देने वालों की धरती रही है, देश की सरहदों पर वे शहादत देते हैं, हमेशा उनको इस बात की चिंता रहती थी कि हम तो देश की रक्षा के लिये सरहदों पर लड रहे हैं लेकिन हमारे माता-पिता, पत्नी, परिवार के लिये पानी की भयंकर समस्या है। सभापति महोदय, आप इस बात को जानते हैं कि मारवाड में पांच में से चार वर्ष अकाल रहते हैं, पानी की भयंकर समस्या रहती थी और वहां हालात ये रहते थे कि हर परिवार में दो टांके बनाये जाते थे। एक में खारा पानी रहता था, एक में मीठा पानी रहता था । वास्तव में पानी तो महंगा होता था और वहां घी सस्ता होता था । इस प्रकार की हमारे मारवाड में कहावत होती थी । हम यह भी मानते हैं खास तौर से समुद्र में लहरें उठें और आवै है ज्वार। धोरा त्राहि-त्राहि करे, पानी थारी महिमा अपरमपार । वास्तव में समुद्र में तो इतना पानी है कि वहां ज्वार आता है और धोरे त्राहि-त्राहि करते हैं । ऐसी समस्या हमेशा बनी रहती थी । इसके लिये मैं खास तौर से राजस्थान सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण निर्णय लिये कि जहां गत सरकार ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में पेयजल पर औसतन 499 करोड़ प्रतिवर्ष का पूंजीगत व्यय किया था, वर्तमान सरकार ने इस मद में औसतन 977 करोड़ रुपये व्यय किये हैं । गत सरकार ने पांच वर्ष की अवधि में योजनाओं के संधारण पर व्यय सहित 5823 करोड रुपये का समग्र व्यय किया था । वर्तमान सरकार ने चार वर्ष की अवधि में ही पेयजल पर 7490 करोड रुपये का समग्र व्यय किया है। इसके लिये हम उनके बहुत–बहुत आभारी हैं, कहां 5823 और कहां 7490 । इसी प्रकार गत सरकार ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल पर मात्र 1848

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

करोड़ रुपये व्यय किये । वर्तमान सरकार ने ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अंतर्गत चार वर्ष की अवधि में 3156 करोड़ रुपये की राशि व्यय की है । इसी प्रकार राजस्थान फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान सरकार ने 2643 ग्रामों को लाभान्वित किया है । गत सरकार की उपलब्धि इस क्षेत्र में शून्य रही है । स्वजलधारा कार्यक्रम के अंतर्गत जहां गत सरकार ने अपने कार्यकाल में मात्र 35 योजनाएं स्वीकृत की थी, वहीं वर्तमान सरकार ने अब तक 2429 योजनाएं स्वीकृत कर दी हैं। गत सरकार ने 3023 करोड़ रुपये की लागत की 11 वृहत् परियोजनाओं सहित कुल 1528 पेयजल योजनाएं स्वीकृत की थी । वर्तमान सरकार ने 15098 करोड़ रुपये की लागत की अब तक 49 वृहत् परियोजनाओं सहित कुल 2255 पेयजल योजनाएं स्वीकृत कर दी हैं। मैं मेरी ओर से मुख्य मंत्रीजी को और सांवरलालजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। वर्षों से मेरे से पूर्व हमारे दादो सां शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, लगातार मंत्री भी रहे । हमेशा इस बात की घोषणा करते थे कि इस बार जिता दीजिए, मैं हिमालय का पानी ले आऊंगा। लेकिन हिमालय का पानी लाते-लाते लगातार उन्होंने 15 वर्ष निकाल दिये वहां हिमालय का पानी नहीं पहुंचा । लेकिन जब हमारे यहां मेगा हाईवे बना और मेगा हाईवे का उद्घाटन करने के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी पधारीं ...

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): सभापति महोदय, जो सदस्य नहीं हैं उनके लिये बोल रहे हैं और दादाजी भी कह रहे हैं । दादाजी तो बड़े पूजनीय हैं ।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मैं उनको पूजनीय ही मानता हूं और पूजनीय इसलिए मानता हूं कि अब वह माला भी फेर रहे हैं ।

श्री सभापति: आप जो भी बात कहें, आदर सहित कह दीजिए ।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): आदर सहित ही कह रहा हूं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब मुख्य मंत्री-जी मेगा हाईवे का उद्घाटन करने पधारीं तो 25 हजार महिलाएं उस मेगा हाईवे का स्वागत करने के लिये आई थीं और साथ ही यह मांग करने भी आई थीं कि 15 वर्ष से हम सुन रहे हैं कि हिमालय का पानी आ रहा है, हमारे बाल उतर गये घड़े लाकर के लेकिन अभी तक हमने हिमालय का पानी नहीं देखा है। मुख्य मंत्रीजी आप पहली महिला मुख्य मंत्री हैं और हम महिलाएं इसलिए आई हैं कि अब हिमालय का पानी आ जाये तो हमारे बाल उतरने भी बंद हो जाए और यह

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

घड़ा भी हमारे सिर से नीचे उतर जाए। इस प्रकार की उनकी भावना थी। मुख्य मंत्रीजी ने उस समय यह घोषणा की कि आने वाले चुनाव से पहले हिमालय का पानी गांव-गांव तक पहुंच जाएगा और आपके शेरगढ़ तहसील की योजनाएं मंजूर हो जाएगी । मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी और सांवरलालजी का कि उन्होंने पहले फेज में 21 करोड़ देकर देवाणिया और सालोडी में फिल्टर प्लांट का काम शुरू कराया । दो महीने में उस फिल्टर प्लांट का काम पूरा होने वाला है। दूसरे चरण में देवाणिया, नाथलाऊ, कनोडिया, चौपनमील, शेरगढ़चाभा की जो आरडी 134 योजना है उसके लिये 235 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं । उसकी तकनीकी स्वीकृति हो रही है और चुनाव से पहले काम शुरू करके उसमें हिमालय का पानी शुरू हो जाएगा । इसके साथ-साथ आरडी 159.50 है उसमें पहले फेज का काम महीने भर में पूरा हो रहा है, उसके लिये 70 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं । 70 करोड़ के काम में हमारे यहां टीएसपी हो गई है, वर्क आर्डर हो गया है । मैं कहता हूं जो कहा वह किया। मुख्य मंत्रीजी की कथनी और करनी में, सावंरलालजी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है । मैं कह सकता हूं कि अब हिमालय का पानी पहुंच जायेगा । वहां पाइप उतरने शुरू हो गये हैं, वहां काम चालू हो गया है । मैं खास तौर से मारवाड़ के लिये कहना चाहता हूं, नाडा भरिया मीर सू, वन हरिया सदभेज, वर्षा हुये नदिया बहे, दूध दही थल देस । यह इसलिए कह रहा हूं कि वास्तव में जब बरसात होती थी तो वहां के नाले भर जाते थे और पानी होने से इतना हरा भरा इलाका हो जाता था कि कहते थे कि वन हरे-भरे बेसों से सज गये हैं। और वर्षा हुए नदिया बहे, वर्षा होती थी तब नदियां बहती थीं, दूध दही की नदियां मारवाड़ में बहती थी। कि जब राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी लूणी के उप चुनाव में पधारी थी तो उन्होंने कहा था, स्वर्गीय रामसिंहजी पीएचईडी के मंत्री रहे लेकिन लूणी में मीठा पानी नहीं पहुंचा सके। मुख्य मंत्रीजी ने उप चुनाव में घोषणा की थी कि मैं लूणी को मीठा कर दूंगी। आज मुझे कहते हुए गर्व है, बहुत कम समय हुआ है, उन्होंने उसको विजन के रूप में लिया और वहां बहुत जल्दी योजना पासकर के उस योजना को अमली जामा पहनाया। वह पाइप लाइन और एसएलआर, टंकियां बन गयी हैं, टंकियां ओवर फ्लो हो रही हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): महिलाओं के बालों का विकास तो मुख्य मंत्री ने थोड़े ही किया है, कनकमलजी कटारा ने किया है ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): वे पानी से भर गयी हैं। पहले जहां पर खारा पानी हुआ करता था, अब लोग कहते हैं कि कीचड़ हो रहा है, थोड़ा- सा इसको कम-कम आने दीजिये। ये हालात हमारे जोधपुर के अंदर हो रहे हैं। जोधपुर में सारी विधान सभा क्षेत्रों में इस प्रकार की बड़ी-बड़ी पेयजल योजनाएं बनाकर उनको अमली जामा पहनाया है, इसके लिए मैं सांवरलालजी का और मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, आदरणीय सांवरलालजी हमने जब आपसे बात की तो आपने कहा कि केन्द्र से अभी तक बड़ी परियोजनाओं के लिए पैसा रुका है, पैसा आ नहीं रहा है, एक साथ हम आपके काम चालू नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिल्टर प्लांट तैयार है और जब वह तैयार है तो हमारी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं जो अभी चल रही हैं, वहां जीएलआर है, पाइप लाइन लगी हैं, आप उन फिल्टर प्लांट से पाइप लाइन जोड़कर जो क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं हैं, उनको जोड़ दीजिये। मैं कहता हूं कि चुनाव से पहले गांव-गांव में हिमालय का मीठा पानी पहुंच जाएगा।

सभापति महोदय, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हमें तीर्थ करने के लिए हरिद्वार जाना पड़ता था और अब वे खुश इस बात के लिए हो रहे हैं कि हिमालय का, गंगाजी का पानी आ जाएगा तो तीर्थ करने के लिए हरिद्वार नहीं जाना पड़ेगा। अब तो हम यहीं सुबह-सुबह नहा लिया करेंगे तो हमेशा के लिए पवित्र हो जाएंगे। इस प्रकार से अब हम चाहते हैं कि आप क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं को इन पाइप लाइन से जोड़ दें। इसके लिये करीबन 100 करोड़ रुपये की जरूरत है जिससे गांवों में पानी पहुंचे।

सभापति महोदय, खास तौर से मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार के 665770 के विरुद्ध 682983 हैंड पम्पों की मरम्मत भी करायी है। इतनी बड़ी मरम्मत का कार्य आपने कराया है। आपने हैंड पम्प खोदने में और टयूबवैल खोदने में भी कोई कमी नहीं रखी है। कि गत पांच वर्षों के अंदर जो कांग्रेस का राज रहा है उसमें 6220 टयुब वैल और 72863 हैंड पम्पों का निर्माण कराया गया था और वर्तमान सरकार चार वर्ष की अवधि में 7069 टयूबवैल व 101233 हैंड पम्प का निर्माण करवा चुकी है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं।

सभापति महोदय, अब टयूबवैल भी खुद रहे हैं और हैंड पम्प भी स्वीकृत हो रहे हैं, लेकिन मैं, सांवरलालजी साहब, आपसे निवेदन करूंगा कि

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

जितने भी टयूबवैल खुद रहे हैं वे सारे जनता जल योजना में हैं। जनता जल के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन जनता जल योजना के कर्मचारियों को 500 रुपये मानदेय मिल रहा है। आज 500 रुपये में वह कितना काम कर पाएगा। आप खुद इस बात से चिंतित हैं। 500 रुपये में वे लापरवाही बरतते हैं और टयूबवैलों को छोड़कर दूसरे टयूबवैल पर चले जाते हैं जिससे टयूबवैल जल जाता है, समय पर वापस वह चालू नहीं होता है। आप खुद इस बात को जानते हैं रोजगार गारंटी योजना चालू हो गयी है, इस रोजगार गारंटी योजना में न्यूनतम मजदूरी सौ रुपये है और 10 दिन की मजदूरी भी अगर दी जाए तो एक हजार रुपये होती है। दूसरी तरफ 400 रुपये आप बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे हैं। इस तरह 500 रुपये का मानदेय यह न्यायसंगत नहीं है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इससे सस्ती योजना गांव के अंदर कोई नहीं हो सकती है। इससे सस्ती योजना गांवों के अंदर कोई नहीं चल सकती है, न तो वह रोजगार गारंटी योजना से जुड़ सकता है, न वह कहीं और मजदूरी के लिए जा सकता है। इसके लिये इस 500 को बढ़ाकर 1500 रुपये मानदेय करें और 400 रुपये जो मरम्मत की राशि दे रहे हैं उसको भी आप 600 रुपये कर दें जिससे इस जनता जल योजना का सही ढंग से संचालन हो सके, इसमें सही ढंग से काम हो सके।

सभापति महोदय, दूसरा, हैंड पम्पों के मामले में निवेदन करना चाहूंगा, जब भी आप मरम्मत अभियान चलाते हैं तो एक जीप आप एक पंचायत समिति को देते हैं और दस हजार रुपये उसका किराया देते हैं। आजकल तो महीने में बारह हजार रुपये से कम तो जीप मिलती नहीं है और डीजल का खर्च अलग होता है। इसलिए इस व्यवस्था में सुधार करके या तो उस किराये में बढ़ोत्तरी करें या डीजल में बढ़ोत्तरी करें या एक की जगह दो जीपें दें जिससे मरम्मत अभियान ठीक चल सके।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हैंड पम्प बहुतायत में खुद रहे हैं लेकिन हैंड पम्पों की मरम्मत के लिये मिस्त्रियों की कमी है। आपने कई नवीन कार्य किये हैं, आप जो टेंडर कर रहे हैं, जितने दूसरी योजनाओं के टेंडर कर रहे हैं, जब इन हैंड पम्पों का आप टेंडर निकालें तो उस टेंडर में हैंड पम्प खोदने और मरम्मत करने का कम से कम तीन साल या

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

पांच साल का शर्त रख दें कि इसके रख-रखाव का ठेका भी उसी ठेकेदार का होगा जो हैंड पंप खोद रहा है।

सभापति महोदय, आने वाले समय में जिस प्रकार से जनता जल योजना चलती है उस हिसाब से या दूसरे मानदेय तय करके या कुछ उसमें करके, कुछ संख्या करके, हैंड पम्पों की रिपेयरिंग के अभियान के लिए एक नई पालिसी आप तय करें जिससे हमेशा-हमेशा के लिए हैंड पम्प ठीक रहें। सिंगल फेज के पम्प जिसको हम मिनी नलकूप कहते हैं, वे मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों में नहीं देखे, लेकिन पहली बार 200 से ज्यादा सिंगल फेज के पम्प आपने मंजूर किये और हैंड पंप खोदे हैं जिससे हमारी आसपास की ढाणियां सिंगल फेज के पम्प लेकर उसको मिनी नलकूप के रूप में काम में ले रही हैं। यह भी आपने बहुत ही बढ़िया काम किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, साथ ही यह कहना चाहूंगा कि गत सरकार ने पांच वर्ष में 3951 अनुसूचित जाति व जनजाति की बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराया था, वर्तमान सरकार ने 4473 अनुसूचित जाति व जनजाति की बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराया है। शेरगढ़ में भी ऐसे कई प्रस्ताव मंजूर किये हैं। अब आपने जिस प्रकार से बजट देना शुरू किया है, हमने कुछ प्रस्ताव समाज कल्याण विभाग से बनाकर और भिजवाये हैं। हम चाहेंगे कि जिस प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति की ढाणियों के अंदर पानी पहुंचाने का आपका विजन है, वे सारी योजनाएं आप मंजूर कर दें जिससे बहुत बढ़िया काम हो जाएगा ...(व्यवधान) मैं पहला वक्ता हूं, कल भी नम्बर नहीं आया था। दो-तीन बातें ही कहनी हैं, पांच मिनट का समय और दे दें।

सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने एक नवीन कार्यक्रम के अंतर्गत 24569 पाठशालाओं में पेयजल उपलब्ध कराया है, गत सरकार की उपलब्धि इस क्षेत्र में शुन्य रही है। मंत्री महोदय, आपने 24569 स्कूलों में पानी की व्यवस्था की है, हमारे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में भी और राजस्थान की अन्य विधान सभाओं में भी गांवों को बिजली से जोड़ा है, जहां पर वर्षों से बिजली नहीं थी, मेरे यहां 110 गांवों में बिजली पहली बार आयी है। और पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है तो वहां पर बिजली चली गयी। पहले बिजली नहीं थी, वहां टयूबवैल खुदवाये। तीन या चार स्कूलों की स्कीम बनाकर उन

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

टयूबवैल के माध्यम से स्कूलों में पानी की स्कीम बनायी। वह स्कीम बनकर जोधपुर से यहां आएगी, आप उसे मंजूर जरूर करें, यह मैं आपसे खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्य में पेयजल योजना के निर्माण पर कुल व्यय में दिसम्बर, 2003 से पूर्व के 50 वर्षों के औसत से पौने दो गुणा वृद्धि की गयी है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही जोधपुर लिफ्ट पेयजल परियोजना के कार्य पूर्ण करने के लिए 12.50 एमसीएफटी जल प्रतिदिन प्राप्त किया गया जिससे शहर में पर्याप्त जल वितरण सम्भव हो सकता है। इसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, साथ ही मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब हम विधायक बनकर आये थे तो जोधपुर मुख्यालय के स्तर पर जो चीफ इंजीनियर हुआ करते थे या अतिरिक्त चीफ इंजीनियर थे, वहां एक भी योजना मंजूर नहीं होती थी। अगर एक किलोमीटर, आधा किलोमीटर पाइप लाइन मंजूर करनी है वे कहते थे कि प्रस्ताव बनाकर जयपुर भेजिये, जयपुर से मंजूर होकर आएगी। लेकिन पिछली विधान सभा के अंदर जब हमने माननीय मंत्री महोदय से यह मांग की तो उन्होंने इस मांग को मंजूर करते हुए विभागीय अधिकारियों को प्रदत्त वितीय शक्तियां अन्य अभियांत्रिकी विभाग के समकक्ष दीं तथा वित्तीय शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जिससे स्वीकृति जारी करने के समय में बचत हो रही है। एडिशनल चीफ को आठ लाख की वितीय स्वीकृति के इन्होंने पावर्स दिये हैं और चीफ इंजीनियर को 15 लाख के पावर दिये हैं जिससे हमारी छोटी-छोटी सारी योजनाएं उसी मुख्यालय पर मंजूर हो रही हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं आपको इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि एकीकृत फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में फ्लोरोसिस से प्रभावित ग्रामीणों को चरणबद्ध तरीके से लाभान्वित करने की योजना बनायी गयी है। प्रथम चरण में 5 पीपीएम से अधिक फ्लोराइड वाली कुल 2643 बस्तियों में यूनिसेफ एवं एनजीओ के माध्यम से लाभान्वित किया जायेगा। दूसरे चरण में 3 से 5 पीपीएम वाले 5056 ग्रामों को लाभान्वित करने हेतु 74

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत कर दी गयी है और तृतीय चरण में 1.5 से 3 पीपीएम वाले 15595 ग्राम लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। अब मैं मेरे क्षेत्र की कुछ खास मांग करना चाहूंगा, उस क्षेत्र की जो समस्या है, कुछ हमारे पैतृक कुए हैं, जो प्राचीन कुए हैं...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): पूरे मारवाड़ का कर लो।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मारवाड़ का। वे ओपन वैल हैं, ओपन वैल को बिजली से जोड़कर पानी की सुविधा करने के लिए निवेदन करना चाहूंगा। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, पिछली विधान सभा के अंदर आपने यह घोषणा की थी कि सांसद और विधायक कोष के अंदर आपको पेयजल के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। जहां पर हैंड पम्प की मांग आएगी, जहां टयूबवैल की मांग आएगी, जहां जीएलआर की मांग आएगी, जहां क्षतिग्रस्त जीएलआर होगा, जहां क्षतिग्रस्त एसआर होगा उनको हम स्वीकृत करेंगे। आधे से ज्यादा जो क्षतिग्रस्त जीएलआर और एसआर थे उनकी स्वीकृति हो चुकी है लेकिन कुछ क्षतिग्रस्त जीएलआर और एसआर बाकी हैं उनको भी आप शीघ्र कराएं जिससे यह हमारे बहुत बढ़िया काम हो जायेगा।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने पूरे राजस्थान में आग्मेंटेशन की स्कीम मंजूर की है। मेरे यहां भी ऐसी स्कीमें मंजूर हुई हैं। मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि चौवन मील, चाबा, फोगलिया, सोमेसर इनके लिए भी आप आग्मेंटेशन स्कीम जरूर मंजूर कराएं।

मेरा आपसे खास तौर से निवेदन रहेगा, मेरे पूरे शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र को हिमालय की वृहत् जलप्रदाय योजना से आपने जोड़ा है, केवल चार पंचायतें जेठाणिया, कलाऊ, ऊंटवालिया, चानसमा, बाकी रह गई हैं, उनके लिए भी आप ऐसी अच्छी योजना बनाकर हमें दिलाएं, हम आपके आभारी रहेंगे।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार कल सड़क की मांग के अंदर आदरणीय राठौड़ साहब ने यह घोषणा की थी, पिछले वर्ष भी की थी, कि दस किलोमीटर के मिसिंग लिंक्स देंगे, उसी तरह पिछले दो वर्षों से राजनीति से ऊपर उठते हुए आपने भी यह घोषणा की थी कि 30 हैण्ड पम्प माननीय विधायकों की अभिशंसा पर किए जाएंगे। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

हूं कि जहां पर हैण्ड पम्प फिजिबल हैं, आप विधायकों की अनुशंसा पर सौ हैण्ड पम्प और जहां हैण्ड पम्प फिजिबल नहीं हैं वहां कम से कम पांच ट्यूबवैल और जहां ट्यूबवैल भी फिजिबल नहीं हैं वहां पाइप लाइन से पानी पहुंचाने के लिए दस किलोमीटर पाइप लाइन, तीनों में से एक कार्य करने के लिए आज घोषणा कर दें तो विधायकों की अनुशंसा से जहां पर समस्याग्रस्त इलाके हैं वहां पर समस्या का समाधान हो सकेगा।

आप से खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं और आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, 15 अगस्त, 2007 को जब झण्डारोहण करने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी जोधपुर पधारीं, पूरा मंत्रिमण्डल वहां था, उन्होंने जन समस्याएं सुनीं, आज मैं कह सकता हूं कि जन समस्याओं के अंदर पी एच ई डी में चाहे किसी ने एप्लीकेशन लगाई हो, पूरे जोधपुर सम्भाग के अंदर, चाहे वह ट्यब वैल की थी, चाहे हैण्ड पम्प की थी, चाहे पाइप लाइन की थी, वे सारी मंजूरियां निकाल दीं सांवरलालजी ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने। पूरे जोधपुर सम्भाग से कोई भी चलकर आया है, जोधपुर मुख्यालय पर जन सुनवाई में आया है तो उसकी स्वीकृति दे दी जाए। चाहे वह कांग्रेस का कार्यकर्ता था, चाहे वह बसपा का कार्यकर्ता था, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आपने पानी के अंदर कोई राजनीति नहीं की और सब के लिए ऐसी स्वीकृतियां निकाली हैं, और उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

कहना चाहता हूं कि हमारे यहां भी काफी स्कीमें मंजूर हुई हैं उनके लिए कुछ बजट की जरूरत है, वह बजट आप दिलाएं। आर डी 159.50, खुडियाला, जिया बेरी, आगोली, बालेसर के लिए बीस करोड़ की जरूरत रहेगी। आर डी 134, देवाणिया नाथ, चौवन मील, शेरगढ़ चाबा के लिए एक सौ नौ करोड़ रुपए की जरूरत रहेगी। जन सुनवाई में जो नलकूप खुदे हैं उनके लिए दो करोड़ अठहतर लाख की जरूरत रहेगी, जन सुनवाई में जो हैण्ड पम्प खुदे हैं उनके लिए पैंतालीस लाख की जरूरत रहेगी, जन सुनवाई में जो अन्य कार्य हैं उनके लिए एक करोड़ इक्कीस लाख रुपए की जरूरत रहेगी। एस सी और एस टी बस्तियों के लिए एक करोड़ पन्द्रह लाख की जरूरत रहेगी। एस सी और एसटी बस्तियों के लिए हैण्ड पम्प के लिए एक करोड़ की जरूरत रहेगी। हैण्ड पम्प और सिंगल फेज के लिए एक करोड़ अड़सठ लाख रुपए की जरूरत

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

रहेगी, विद्यालयों को पेयजल से जोड़ने के लिए तीन करोड़ इक्यासी लाख की जरूरत रहेगी और क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के आग्मेंटेशन कार्यों के लिए दो करोड़ रुपयों की जरूरत रहेगी, कुल एक सौ तियालीस करोड़ रुपयों की तुरन्त हमें जरूरत रहेगी, इनके लिए आप बजट उपलब्ध कराएं जिससे हमारी सारी योजनाएं स्वीकृत हो सकें।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 50 वर्षों के अंदर जितना बजट और जितने कार्य पेयजल के शेरगढ़ में नहीं हुए थे वे पहली बार हुए हैं इसके लिए मैं आपको साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। आप योजनाओं के शिलान्यास के लिए पधारें इसके लिए मेरा आपको न्यौता है। अंत में मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि,

जो जहाज को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं,

जो तूफान को मिटा दे उसे इन्सान कहते हैं।

ऐसे इन्सान सांवरलाल को बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय मुख्य मंत्रीजी को और सरकार को धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भागीरथजी चौधरी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल योजना और मांग संख्या 46-सिंचाई पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी के नेतृत्व में चार साल में मेरे विधान सभा क्षेत्र में हर क्षेत्र में विकास के जो कार्य हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले पचास साल में नहीं हुए। उनके कुशल नेतृत्व में हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास हुआ है जिसका परिणाम है कि आज राज्य बीमारू की श्रेणी से निकल कर विकासशील राज्य की श्रेणी में आ गया है और यह सब भाजपा सरकार की नीतियों की देन है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का होगा और माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी के नेतृत्व में जनता पांच साल और मौका देगी, उसमें पूरे देश में हमारा यह राजस्थान प्रदेश विकास की दृष्टि से नम्बर वन रहेगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारी राज्य सरकार को बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी और सभी विभागों के मंत्रीगण

(श्री भागीरथ चौधरी)

के अथक सहयोग, वरदहस्त, कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन से मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में गत चार वर्षों में लगभग आठ सौ करोड़ रुपए के काम हुए हैं, विकास की दृष्टि से, हर दृष्टि से। अजमेर जिले एवं राजस्थान के नक्शे में आदर्श और विकसित क्षेत्र के रूप में मार्बल नगरी के नाम से उभर कर मेरा किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र आया है। यहां राजस्थान सरकार, माननीय मुख्य मंत्रीजी और जलदाय मंत्री, सांवरलालजी जाट के विशेष सकारात्मक सहयोग से बीसलपुर परियोजना के अंतर्गत 164 गांवों और 393 ढाणियों के लिए फ्लोराइड मुक्त पानी दिलाने हेतु 152 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण योजना स्वीकृत हुई। शहरी क्षेत्र में एक महत्ती योजना स्वीकृत की गई है। एक दिवसीय जल भण्डारण के लिए 214 लाख रुपए से टैंक निर्माण कार्य जो स्वीकृत किया गया था, करीब-करीब पूरा होने जा रहा है। पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ एवं उसमें वृद्धि करने हेतु मेरे विधान सभा क्षेत्र में सम्पूर्ण नवीन 1400 हैण्ड पम्प खोदे गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, हर क्षेत्र में विकास की अधिकाधिक स्वीकृतियां करके माननीय मुख्य मंत्रीजी, मंत्रीजी और राजस्थान सरकार ने मुझे व मेरी जनता को उपकृत किया है। ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण किशनगढ़ शहर की लाइफ लाइन रूपनगढ़ रोड, रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण की स्वीकृति, अराई किशनगढ़ माडल सड़क की स्वीकृति, सिलोरा स्थित दो औद्योगिक टैक्सटाइल पार्कों की स्वीकृति, मेगा हाइवे किशनगढ़ से हनुमानगढ़, 407 किलोमीटर पूर्ण हो गया है, किशनगढ़ स्थित राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय में सौ बैड़ से डेढ़ सौ बैड़ की बढ़ोत्तरी एवं विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ करने एवं निरन्तर उपलब्ध कराने हेतु 220 केवी जी एस एस की स्थापना, आदि-आदि कामों के द्वारा मेरे किशनगढ़ क्षेत्र का चहुंमुखी एवं उत्तरोत्तर विकास किया है जो गत पचास वर्षों में नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में किशनगढ़ में अप्रत्याशित एवं समग्र विस्तार हुआ है। जहां किशनगढ़ कालेज को राज्य का प्रथम माडल कालेज बनाया गया है, वहीं नवीन आई टी आई की स्थापना कर स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया गया है। माकूल पुलिस व्यवस्था से आम जनता से बेहतर तालमेल विकसित कर 'आम जन में विश्वास तथा अपराधियों में डर', कहावत चरितार्थ की गयी है। पुलिस थाना रूपनगढ़ का नवीन भवन निर्माण कराया, मदनगंज थाने को 2006 में आई एस ओ का दर्जा दिलाया।

(श्री भागीरथ चौधरी)

मानननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष को एक बात कहना चाहता हूं कि यू पी ए की सरकार ने अभी किसानों के 60 हजार करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं एक ढाणी के अंदर जन्मा हुआ हूं, मैं एक किसान का बेटा हूं, मुझे पता है कि इस देश का किसान स्वाभिमानी और स्वावलम्बी है। किसी का मोहताज नहीं, उसे ईश्वर का मोहताज रहने की आदत है। माननीय सभापति महोदय, आज यू पी ए की सरकार ने किसानों के 60 हजार करोड़ रुपए के कर्जे माफ करने की घोषणा तो की है पर कब अमल होगा यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। परन्तु आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयीजी की हमारी एन डी ए की सरकार एक महत्ती योजना इस देश के सामने लेकर आई कि इस देश की सभी नदियों को जोड़ दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, यदि इस 60 हजार करोड़ रुपए से, और केन्द्र के पास तो पैसों की वैसे ही कमी नहीं है, बार-बार प्रतिपक्ष की तरफ से ऐसी आवाज आती है कि केन्द्र की सरकार ने यह कर दिया, यह कर दिया, हमारे देश का संघीय ढांचा है, हमारे प्रदेश को भी हक है और उसमें इस प्रदेश को पैसा मिलता है तो कोई किसी पर एहसान नहीं करता है, इस प्रदेश का अधिकार है, परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि उन नदियों को जोड़ने की योजना को यूपीए की सरकार ने खटाई में डाल दिया। यह इस प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है। नदियां जुड़ जातीं तो इस देश में सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान प्रदेश को होता। आज यहां पानी की सबसे बड़ी कमी है। यहां भूमि की कोई कमी नहीं है। खेत और खलिहानों में खुशहाली आ जाती, राजस्थान हरा-भरा हो जाता, किसान स्वाभिमान से जीता, उसको कर्जे माफ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मुझे पता है और मेरा मानना है कि गांव में रहने वाला हर व्यक्ति किसान है चाहे वह छोटा-मोटा व्यापार भी करता है। गांव का रहने वाला व्यक्ति स्वाभिमानी है, उसको घी की कटोरी की आवश्यकता नहीं है। वह मेहनत करता है। वह इस देश का अन्नदाता है। यदि इन नदियों की योजना जुड़ जाती तो मैं मानता हूं कि इन 60 हजार करोड़ के कर्जे को माफ करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि मेरे जैसा कोई किसान फिर सोचेगा कि मैं कर्जा ले लूं, शायद कभी माफ हो जाएगा। वैसे तो कर्जा माफ होना बहुत बढ़िया है। किसान का कर्जा माफ किया, मैं सहमत हूं। परंतु इससे ज्यादा आवश्यकता नदियों को जोड़ने की थी

(श्री भागीरथ चौधरी)

और यदि ये नदियां जुड़ जाती तो राजस्थान का इतना बड़ा विकास होता कि हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते थे।

सभापति महोदय, इस यूपीए की सरकार ने क्या किया? मैं थोड़ा-सा किसान होने के नाते एक बात कहना चाहूंगा कि इस देश में गेहूं की जो क्वालिटी है, दुनिया में ऐसी क्वालिटी कहीं नहीं है। पर दुर्भाग्य से हमारे हिन्दुस्तान के किसानों के बढ़िया क्वालिटी के गेहूं को इन्होंने औने-पौने दामों पर खरीद लिया आठ-साढ़े आठ रुपये किलो में और विदेशों से घटिया क्वालिटी के गेहूं को 14-15 रुपये में खरीदकर हमारे जनता को ये खिला रहे हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है?

सभापति महोदय, प्रतिपक्ष में जो बैठे हैं वर्षों से इन्होंने शोषण किया है। ये हमेशा अंग्रेजों की तर्ज पर चले हैं-फूट डालो-राज करो, जाति से जाति को लड़ाओ, भाई से भाई को लड़ाओ, एक धर्म से दूसरे धर्म वाले को लड़ाओ, पर अब ये धीरे-धीरे बेनकाब हो रहे हैं। सभापति महोदय, मेरा कहना है कि अब हमें सौहार्द की आवश्यकता है, हमें भाईचारे की आवश्यकता है। ये कहते थे कि विकास से कभी वोट नहीं मिलता है। जब गुजरात के चुनाव परिणाम आये तो इनका हौसला पस्त हो गया। इन्होंने देखा कि अब विकास को जनता समझ गई है। तब से इनकी हालत खराब है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि, सभापति महोदय, मुझे पता है आप घण्टी बजा देंगे और मूल विषय जो पेयजल और सिंचाई है, वह बात रह जाएगी। पर, सभापति महोदय, मुझे पता है आपका आशीर्वाद मुझ पर रहेगा क्योंकि मैं पहली दफा बोल रहा हूं।

सभापति महोदय, पेयजल के ऊपर निवेदन करना चाहता हूं। मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पानी की भयावह स्थिति है। कहीं तो सिंचाई के लिए पानी की कमी होती है, पर मेरे क्षेत्र में आज पीने का पानी नहीं है। 7-7, 8-8 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाया जाता है। मुख्य मंत्रीजी और मंत्री महोदय का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने एक बहुत बड़ी एक अरब 52 करोड़ की योजना मंजूर की। वो योजना चालू भी है, परंतु बीसलपुर फ्लोराइड नियंत्रण में रूपनगढ़ क्लस्टर 29 गांव एवं काफी ढाणियां आती हैं उनके बारे में कुछ नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मुझे इस बात की चिन्ता है कि जो 29 गांव निकले हैं वो इस परिसीमन में मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र से बाहर निकल गये हैं। सभापति महोदय, आप जानते हो, राजनीति है,

(श्री भागीरथ चौधरी)

हालांकि कुछ वित्तीय मजबूरियां होती होंगी, परन्तु यह राजनीति है, प्रतिपक्ष इस मुद्दे को उठा सकता है कि परिसीमन से निकलने की वजह से इन 29 गांवों को इस सुविधा से वंचित किया जा रहा है। इसलिए मैं माननीय मत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि रूपनगढ़ क्लस्टर के जो 29 गांव और ढाणियां हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी करें क्योंकि पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मंत्री महोदय, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि यह एक बहुत बड़ी समस्या है। हम बार-बार जनता में जाते हैं, 2003 के अंदर चुनाव में मैं गया था तो मैंने कहा, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी, मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी सत्ता संभालेंगी तो हर गांव और ढाणी में बीसलपुर का पानी पहुंचेगा। यदि समय रहते वहां पानी नहीं पहुंच पाएगा तो हम उस जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा कर देंगे। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे 169 गांव और 393 ढाणियों वाली योजना है उसमें 29 गांव रूपनगढ़ क्लस्टर वाले हैं आज ही आप इसकी घोषणा करें। उनके साथ इन गांवों में भी पेयजल की व्यवस्था आप जरुर करा देंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं।

सभापति महोदय, मेरे यहां किशनगढ़ के अंदर एक हमीर तालाब और गुंदोला तालाब है। किशनगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित हमीर सागर तालाब और गुंदोला तालाब दोनों ही रियासतकालीन तालाब हैं। ये दोनों किशनगढ़ के मध्य स्थित हैं, इनसे 20-30 वर्ष पूर्व ट्यूबवैल द्वारा शहर में पेयजल की व्यवस्था की जाती थी। परंतु कुछ तो 10-12 वर्ष से वर्षा की कमी हुई, और सबसे बड़ी बात है कि उन तालाबों में जो पानी की आवक है उसको अवरुद्ध कर दिया गया है। मेरा मानना है कि बरसात तो पहले भी कम होती थी, परंतु प्रकृति से बहुत छेड़छाड़ की गई सब जगह, पूरी दुनिया में। पहले जब वर्षा होती थी, पानी गिरता था, पहाड़ से गिरकर वह गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता था। परंतु मानव ने इतनी छेड़छाड़ की है कि आगे बढ़ने, बहुत ज्यादा विकसित होने, विकास कार्यों के चक्कर में उस पानी की आवक को अवरुद्ध कर दिया गया। इसलिए मेरे यहां हमीर और गुंदोला तालाब में चाहे कितनी बरसात हो जाए, लेकिन उन तालाबों में पानी नहीं आ रहा है। यदि पानी आ जाए तो काफी हद तक शहर में वह जलस्रोत बन सकता है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस हमीर तालाब और गुंदोला तालाब का भी आप ध्यान रखें, चिंता रखें। उनकी आवक जो क्षतिग्रस्त

(श्री भागीरथ चौधरी)

हो रखी है, उसकी आप थोड़ी-सी मरम्मत करा देंगे तो जब भी इन्द्र भगवान की मेहरबानी होगी, यदि वह बरसात का पानी आ जाएगा तो पेयजल के लिए और पशुओं के लिए कुओं का जल स्तर भी बढ़ जाएगा।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति हेतु इंदिरा नगर, कृष्णापुरी एवं सांवतसर क्षेत्र में नवीन उच्च जलाशय की आवश्यकता है। किशनगढ़ एक शहर है, एक औद्योगिक नगरी है। यह हिन्दुस्तान की ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी मार्बल मण्डी है, पावरलूम मण्डी भी है। इस हिसाब से पूरे हिन्दुस्तान के व्यापारी हमारे किशनगढ़ आये हैं ऐसे ही मजदूर भी चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, हर जगह से मजदूर भी किशनगढ़ में आये हैं। इससे नगर का विस्तार हुआ है। कई बस्तियों में वहां पेयजल के लिए पाइप लाइन नहीं बिछी हुई है और यदि है तो उच्च जलाशय नहीं है। मैंने मंत्री महोदय से कई दफे निवेदन किया कि किशनगढ़ शहर में उच्च जलाशय का निर्माण हो जाए तो प्रैशर से उन बस्तियों में पानी पहुंच जाए। सभापति महोदय, ज्यादातर पानी से वंचित वो जनता है जो गरीब है, जो मध्यम वर्ग है, गांवों में अकाल पड़ा हुआ है, लोग गांवों को छोड़कर शहरों में आकर बसे की है। जो गरीब है, अनुसूचित जनजाति के हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग के है, किसान वर्ग के हैं वो आकर शहर में बसे हैं। आज उन बस्तियों में कहीं पाइप लाइन नहीं है, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, उच्च जलाशयों का यदि आप निर्माण करा दें तो उस गरीब जनता को पीने का पानी मुहैया हो जाएगा।

सभापति महोदय, मेरे शहरी क्षेत्र में सुचारु पेयजल आपूर्ति हेतु यूडीआईएसएचएमएनटी योजना के अन्तर्गत राशि 39 करोड़ की स्वीकृति के लिए मंत्रीजी को एक योजना बना कर दी गई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि वह 39 करोड़ की योजना स्वीकृत हो जाए तो इस पूरे शहरी क्षेत्र के अन्दर पेयजल की समस्या का हल हो जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब सब कुछ इतना हो रहा है, और खजाना खाली का तो पूर्व सरकार ने, प्रतिपक्ष के नेता विराजे हुए हैं, मैं इनकी बहुत कद्र करता हूं, मुझे पता है कि प्रतिपक्ष के नेता भावुक हैं, वही मेरे में बीमारी है, परन्तु ईमानदार आदमी भावुक होता है, मैं इनकी कद्र करता हूं, परन्तु,

(श्री भागीरथ चौधरी)

प्रतिपक्ष के नेताजी, जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो खजाना खाली है, इससे काम नहीं चलता है, जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है इसलिए मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि यदि आप 39 करोड़ की यह योजना स्वीकृत कर दोगे तो ये उच्च जलाशय भी बन जाएंगे और पूरी बस्ती में पेयजल की पानी की समस्या हल हो जाएगी।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, मैं जल्दी कर रहा हूं।

श्री सभापति: आपके चारों कटौती प्रस्ताव थे उस पर आप बोल चुके।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, आज पहली दफा तो मुझे बोलने का मौका मिला।

श्री सभापति: चलिए, दो मिनट में आपको और कुछ कहना हो तो कह दीजिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, मेरी पेयजल की एक समस्या तो है ही, एक मैं सिंचाई के बारे में भी आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। सिंचाई में मेरे जितने भी तालाब हैं उन तालाबों की कोई मरम्मत नहीं हो रखी है, उनके आवों की कोई मरम्मत नहीं हो रखी है। मैंने पूर्व में कहा कि यदि किसान के कुए में पानी है तो वह सिर्फ भगवान की आस करता है, किसी की आस नहीं करता है। परन्तु उन तालाबों में पानी आने की आवक ही अवरुद्ध है वह टूटे हुए हैं, तो आखिर तालाब में पानी नहीं आएगा तो कुओं का जल स्तर बढ़ेगा नहीं। मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जो कि एक कृषि क्षेत्र है पूरा, विशेष तौर से मेरे विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति सुलहरा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में नवीन एनीकटों एवं तालाबों की मरम्मत, फेसवाल, पेय आदि कार्य कराये जाने हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र में पानी का भराव करके सिंचाई कार्य किया जा सके। मेरे क्षेत्र में अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण है इसलिए, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन तालाबों व एनीकटों में वर्षाकालीन पानी को इकट्ठा करने के लिए आप इन पर थोड़ा-सा ध्यान दे लेंगे तो जरूर किसान खुशहाल हो जाएगा और उनकी समस्या हल हो जाएगी।

(श्री भागीरथ चौधरी)

सभापति महोदय, मेरे सिंचाई विभाग के बारे में विशेष तौर से इसलिए उल्लेख करना चाह रहा हूं, कि किसी का फोन आया था, मुझे कहा कि आपके सिंचाई के कोई काम नहीं हैं क्या? तो मैंने कहा, सिंचाई के काम तो हैं। तो कहा कि आपने कोई डिमांड नहीं की। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैंने की है और 13 तारीख को सिंचाई पर, पेयजल पर डिमांड है, उस पर मैं और डिमांड करूंगा। यह मैंने बात कही थी। तो मेरे चार वर्षों में 1 करोड़ रुपये के सिंचाई के कार्य हुए हैं, परन्तु मेरा क्षेत्र ऐसा है कि सारे तालाबों में जो आवक के रास्ते हैं, आवो हैं वे सारे अवरुद्ध हो रखे हैं, उनकी अवरुद्धता को यदि सही कर दें तो आने वाले समय में वर्षा हो जाएगी, और मैं मानता हूं कि हमारी जो किसान की बहुत बड़ी समस्या है और सबसे ज्यादा पीने के पानी की जो समस्या है, वैसे बीसलपुर से पानी आ रहा है परन्तु पानी आने में देरी होगी तब तक एक बहुत बड़ी समस्या से निजात मिल जाएगी और और आने वाली वर्षा से अपना काम हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि मेरी एक बीसलपुर मुख्य पाइप लाइन है, एक श्रीनगर कस्बा है, उस श्रीनगर कस्बे को अलग से जोड़ दिया जाए और किशनगढ़ में वे जो पाइप लाइनें आ रही हैं, क्योंकि बार-बार वे तालाबें होती है और कभी-कभी बहुत बड़ी अवरुद्धता होती है, यदि आप उसको ठीक कर दें तो किशनगढ़ के लिए बहुत बढ़िया एक फायदे का काम होगा।

दूसरा, मेरे क्षेत्र में अभी पानी नहीं है, बीसलपुर का पानी आने में मान लो दो-चार महीने लग गये, तब तक पीने के पानी की तो एक दिन की ही बहुत बड़ी समस्या है, सात आठ किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है तो मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हैंड पम्प तो जरूर स्वीकृत करें क्योंकि यही एक मात्र सहारा है कि कुछ हैंड पम्प खोदे जाएं और पीने का पानी उनको मिल जाए। यह बहुत ही जरूरी है। मंत्री महोदय, मैं आपसे शिकायत तो नहीं करता हूं पर मैं हकीकत बताता हूं, आप 9 जुलाई, 2006 को मेरे कोटड़ी गांव में पधारे थे, तेजा सागर है वहां, वहां आपने दो घाट और एक फेजवाल बनाने के लिए 10 लाख रुपये की घोषणा की थी, परन्तु आज तक वह काम नहीं हुआ। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जाकर घोषणा करके आए हो, वह काम हो जाए।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद, भागीरथजी, शेष बात आप स्वयं इनसे मिलकर कर लीजिए मेरे ख्याल से।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): बस, एक ही मिनट में, सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने बीजलवाड़ा तालाब के आव की मरम्मत के लिए भी 10 लाख रुपये की घोषणा की, यदि वह कार्य पूर्ण हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। जनता में अपना बढ़िया रहेगा। वैसे आपने करोड़ों रुपये के काम कराये हैं उसके लिए आपका आभार, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं पर अपन घोषणा करके आए हैं वह फिर काम नहीं होता है तो बहुत बड़ी मुश्किल होती है इसलिए आपसे मेरा निवेदन है। ऐसे ही अराई में कोड़िया तालाब और गुलाब सागर हैं, वहां पर भी आपने एक दफा घोषणा की थी, वह काम भी हो जाए तो बहुत ही बढिया होगा और सरोज तालाब वहां भी। सारे तालाबों की ऐसी ही स्थिति है, वहां यदि काम हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया होगा।

सभापति महोदय, मैं पुनः इस प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी को और इस राजस्थान सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने 800 करोड़ रुपये के मेरे क्षेत्र में काम किये हैं। मैं सच बता रहा हूं, असत्य नहीं बोलता हूं, 800 करोड़ के काम किये हैं। हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते थे ऐसे विकास के कार्य किये हैं। पर प्रतिपक्ष वाले यह सोचते हैं कि इतने विकास के काम भी किये फिर भी हम दुबारा आएंगे।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री रामचन्द्र सराधना।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, सिर्फ एक बात कह कर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। (व्यवधान) मेरा यह मानना है कि राम किसी को मारता नहीं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अगर इस तरीके से सभी सदस्य समय लगाएंगे तो जितनी बड़ी आपकी लिस्ट है, आप ही के साथी कोई न कोई बोलने से वंचित रह जाएंगे।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): आधा मिनट में। राम किसी को मारा नहीं, पापी नहीं है राम, अपने आप मर जाएंगे, कर कर खोटे काम। धन्यवाद, नमस्कार।

श्री सभापति: श्री रामचन्द्र सराधना।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय सभापतिजी, पेयजल

(श्री रामचन्द्र सराधना)

की बहुत महत्वपूर्ण मांग पर डिबेट है। पानी के बिना जीवन सूना है। पानी की प्राप्ति परम्परागत जल स्रोतों से होती थी, परम्परागत जल स्रोत कई वर्षों से लगातार बारिश के कम होने से सूख गये। हालात ज्यों-ज्यों खराब होते गये, और नई-नई स्कीमें लानी पड़ीं। इसमें पेयजल स्कीम्स में जल योजना है, स्वजलधारा है, जनता जल है, हैंड पम्प हैं। मेरे क्षेत्र के जमवारामगढ़ में एक बांध था और जयपुर के बहुत सारे बड़े भाग को पानी पिलाता था, लेकिन आज इसके सूख जाने के कारण वहां हालात खराब हुए। बांध के सूख जाने के बाद भी पीएचईडी ने 25 ट्यूबवैल उसके सूखे पेंदे में करके जयपुर में पानी लाने का काम शुरू रखा है। नतीजा उसका यह हुआ कि जो सीपेज का पानी निकलता था और सीपेज से वहां का जो वाइल्ड लाइफ पानी पीता था या गाय, भैंसें और जानवर पानी पीते थे, ग्वाले पानी पीते थे, वह बिलकुल सूख गया और उसके कारण सबसे बड़ा यही रहा कि, उसके पेंदे में ट्यूबवैल बना कर जयपुर में पानी लाए। उसका असर यह भी हुआ कि उन गांवों का वाटर लेवल नीचे चला गया। हैंड पम्प लगाए हुए, वे भी सूख गये और हालात आज की तारीख में बहुत खराब हैं।

अब पानी की स्कीम जो चल रही हैं। वाटर एण्ड सेनिटेशन कमेटियां भी बनाईं, स्वजलधारा भी चल रही है और जनता जल योजना भी चल रही है, इसमें सबसे बड़ी बात है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बतायी है, कि एक ट्यूबवैल को चलाने के लिए 500 रुपये एक मजदूर को दिया जाता है। 20 रुपये भी रोजाना उसका नहीं पड़ रहा है। वह रात को भरने जाता है और सुबह खोलने के लिए जाता है। मैं समझता हूं कि वह उसके लिए पर्याप्त नहीं है और यही कारण है कि यह जनता जल योजनाएं चलाने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसी के साथ समय पर मरम्मत नहीं हो पाती है। मोटर जल जाती है, पाइप लाइन टूट जाती है और इधर-उधर के छोटे-मोटे खर्चे हो जाते हैं, उनको 400 रुपये में पूरे महीने निपटाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि वो भी उनके लिए कम हैं। उसी के कारण मेरे यहां पर थोलाई की बहुत बड़ी स्कीम है, पालड़ी की स्कीम है, डांगरवाड़ा की स्कीम है, बुरहानपुरा और बोबाड़ी की स्कीम है, ये सारी स्कीमें बंद पड़ी हुई हैं। वाटर एण्ड सेनिटेशन कमेटी के माध्यम से एक गांव में दो कमेटी बन गईं, एक कमेटी ने काम चालू किया तो दूसरी कोर्ट में चली गई। नतीजा यह हुआ कि आज दोनों कमेटियां काम नहीं कर रही हैं और इतना बड़ा गांव डांगरवाड़ा है जिसको पूरी स्कीम होने के बावजूद भी पानी नहीं

(श्री रामचन्द्र सराधना)

मिल रहा है। इसलिए इसमें निर्णय पीएचईडी को करना चाहिए कि वो नहीं करना चाहती है तो कम से कम पीएचईडी अपने लेवल पर उसको चलाए।

कई जगह पर ट्यूबवैल होने के बावजूद उनमें बिजली के कनेक्शन नहीं हो रहे हैं और उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि अंडरटेकिंग देने के बाद भी डिपार्टमेंट ने 7-7, 8-8 महीने से बिजली बोर्ड का भुगतान नहीं किया तो बिजली वाले उनमें कनेक्शन करने के लिए तैयार नहीं हैं। तैयार नहीं होने के कारण, छारसा जैसे गांव में ट्यूबवैल दो वर्ष से लगा नहीं था और लगने के बाद भी आज एक वर्ष से उसमें कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। बिजली वालों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि जल योजना वाले पैसा नहीं देते इसलिए कनेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे यहां पर 32 ग्राम पंचायतों में हैण्ड पम्प सूख गये वाटर लेवल नीचे जाने से। 142 गांवों में आज भी हैण्ड पम्प चालू नहीं हैं, जीरो लेवल सर्विस हो गई है। उसके लिए मैंने मंत्री महोदय से पहले भी आग्रह किया था और मेरा फर्ज है कि मैं आपके नोटिस में दूं कि पानी की व्यवस्था इन गांवों के लिए हो।

पहाड़ी क्षेत्र में ट्यूबवैल बनाने के लिए बोल्डर वाली मशीनें जाती हैं वो फेल हो जाती हैं। डीटीएस मशीन के इंतजार में एक-एक, दो-दो वर्ष निकल जाते हैं। डेढ़ वर्ष से मेरे पास हैण्ड पम्प हैं जो पैण्डिंग पड़े हुए हैं और लग नहीं पा रहे हैं। डीटीएस मशीन जो है, सारे डिवीजन में एक ही मशीन घूमती है। हमें बार-बार कहा जाता है कि आज दौसा गई है, आज भरतपुर गई है, अलवर गई है और जयपुर में है। अब वह क्या समस्या है, इसका तो, मंत्री महोदय, आप ही बताएंगे।

हैण्ड पम्प मिस्त्रियों की जो बात करते हैं तो हर वर्ष एक अभियान चलाते हैं हैण्ड पम्प सुधारने के लिए। यह अभियान क्यों चलता है, समझ में नहीं आ रहा है। जब उस मिस्त्री की रैगुलर ड्यूटी है तो वह रोजाना अपना काम क्यों नहीं करता? जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो एक महीने में हम सब को ठीक कराने की कोशिश करते हैं। एक गाड़ी उनको देते हैं उसमें 2-4 हैण्ड पम्प मिस्त्री लगा देते हैं और जब पूछते हैं कि हमारे गांव का हैण्ड पम्प मिस्त्री कहां गया तो वो कहते हैं कि वो तो अभियान में सुधारने के लिए गया है। नतीजा यह होता है कि एक महीने में कोई काम नहीं हो पाता है और छोटे-

(श्री रामचन्द्र सराधना)

छोटे काम कराकर निपटा देते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस मामले को आप गम्भीरता से देखें कि ये काम रैगुलर होने चाहिए। अभियान वाले काम तो हमेशा ही अभियान के टाइम पर होते हैं और बाकी काम बंद हो जाते हैं। इसलिए अभियान का नहीं रखकर उसकी ड्यूटी रखें कि वो हमेशा अपने काम को अंजाम दे। सभापति महोदय, मिस्त्री वाली बात जहां पर आती है, एक मिस्त्री के पास 3-3 पंचायतें हैं। कई वर्षों से हैण्ड पम्प मिस्त्रियों की भर्ती नहीं हुई और भर्ती नहीं होने से वर्क लोड उनका बढ़ा है, हैण्ड पम्प तो बढ़े हैं, लेकिन उनकी संख्या नहीं बढ़ पाई जिसके कारण से वो काम पूरा नहीं कर पाते। सरपंच लोग भी परेशान रहते हैं और मिस्त्री का पूरा काम नहीं करने के कारण गांव वालों को पानी का अभाव झेलना पड़ता है।

हैण्ड पम्प ड्रिलिंग करने के लिए जब जाते हैं, मिस्त्री या ठेकेदार जो भी होता है न तो सरपंच से बात करता है और न वहां के मिस्त्री को बोलकर कहता है। मैं इसमें यह व्यवस्था चाहूंगा कि वहां के रहने वाले मिस्त्री की ड्यूटी लगाई जाए कि जब भी तुम्हारे गांव में, तुम्हारे एरिया में हैण्ड पम्प लगेगा तो आप उसको जाकर सम्भालेंगे कि हैण्ड पम्प कितना गहरा हुआ है, कितनी उसमें बोरिंग की गई है, कितना पाइप डाला या नहीं डाला। 18 पाइप लिखकर, रिकार्ड में 18 पाइप देकर 14 पाइप लगाकर ठेकेदार आ जाता है और वह पानी सूख जाता है। तीसरे, चौथे दिन ही कहते हैं कि वो पानी आया ही नहीं और गांव वाले कहते हैं कि ड्रिलिंग हुई जब सूख गया। कारण यह होता है कि उसमें पूरे पाइप डाले ही नहीं जाते। मंत्री महोदय, मैं यह चाहता था कि वहां के सरपंच के नोटिस में आए कि आपके यहां कितना सामान डाला गया और हैण्ड पम्प की गहराई कितनी की गई है। कोई ढाई सौ फीट छोड़ देता है, कोई 200 फीट छोड़ देता है, कोई 300 फीट पर छोड़ देता है। इसके कारण वाटर लेवल नीचे जाने के कारण, और इसकी कम गहराई के कारण वो सक्सैस नहीं हो पा रहे हैं, मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

छोटे गांवों में पानी की स्कीम के लिए हमने प्रयास भी किये हैं, आपने भी खूब देने की कोशिश की है। राजस्थान में कहीं-कहीं ज्यादा दिये हैं, कहीं-कहीं कम दिये होंगे। लेकिन अब वाटर सप्लाई वाली स्कीमें छोटे गांवों में सफल नहीं होने वाली हैं क्योंकि पानी धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। इसमें जी एल आर फिर भी कामयाब हो सकते हैं कि एक गांव में 5 या 10 हैण्ड

(श्री रामचन्द्र सराधना)

पम्प लगाने के बजाय आप एक जी एल आर बना दें, पम्प और टैंक बनाकर उस जी एल आर को उस गांव में छोड़ दें तो जिसका जितना पानी चाहिएगा उतना पानी ले जाएगा। उसका लाभ भी यह मिलेगा कि पानी का वेस्टेज भी नहीं होगा और गांवों में उतनी गंदगी, कीचड़ वाली बात भी नहीं होगी। जितना पानी जिसको चाहिए वह उतना उस जी एल आर से भरकर अपना काम चला सकता है। पानी की बचत और गांव की सफाई, दोनों काम इसके साथ में होंगे। पीपीसी में बहुत सारी हमारी स्कीम अटकी पड़ी हैं, आपको भी निवेदन किया था। शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़ा अच्छा भाषण दिया था, मैंने बड़ा गौर से सुना था, आप शायद वहां मेरी ही सिफारिश कर रहे होंगे। मैं यह कह रहा था कि मेरी पीपीसी में जो स्कीम लगी हुई हैं उनको 4-4, 5-5 महीने से इंतजार करना पड़ रहा है। अभी आपकी 14 तारीख को होने वाली थी, अब कब होगी, पता नहीं है। पर पणदोखी, रामसिंहपुरा, बरवाड़ा और कूकड़ेला की तीन स्कीम तो आपकी पीपीसी में पड़ी हैं। कुछ स्कीम्स हमारी एफसी में पड़ी हुई हैं और कुछ के लिए आपने भी निर्देश दिये हैं, शायद भैरूंपुरा के लिए। भावपुरा, महंगी, भावली, फूटोलाव, भैरूंपुरा, जोधूला इनकी स्कीम बनाई ही नहीं है। दो स्कीम मंजूरशुदा पड़ी हैं, दो साल से वो काम चालू नहीं हो रहा है। आमलोदा और श्यामपुरा की दो स्कीम हैं जिनकी शुरूआत ही नहीं हुई।

मैं इस अवसर पर ज्यादा समय नहीं लेकर आपको जयपुर जिले की सारी स्थिति बताना चाहता हूं। खास तौर से जयपुर जिले में गत वर्षों में पानी कम बरसा है, बरसात का कम पानी आया है जिसके कारण सारा सूखा पड़ा हुआ है। जिस तरह से दूसरे साथी कह रहे हैं कि हमारे करोड़ों का काम हुआ है, मेरे ख्याल से मेरे तो एक करोड़ की कोई स्कीम बनी नहीं होगी। शायद जरूरत नहीं पड़ी होगी लेकिन अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर जिले पर पानी का संकट है इसलिए गांवों में खास तौर से तवज्जोह देकर के यहां पर हैण्ड पम्प भी दें। हैण्ड पम्प भी जहां पर लगा रहे हैं वहां पर फ्लोराइड का पानी है। बहुत संकट आ रहा है, बीमारियां पैदा हो रही हैं मैं चाहता हूं कि इस हैण्ड पम्प में ज्यादा पैसा देने के बजाय और कहीं पर पानी का पिट देखकर, पानी की जगह देखकर वहां से पानी लाकर जीएलआर बनाएं तो सारे गांव को 4-5 हैण्ड पम्पों के पैसे में पानी की उपलब्धता हो सकती है, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता था।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

जो पानी हमारे जमवारामगढ़ बांध में बहकर आता है उसका कैचमेंट एरिया है, उस कैचमेंट एरिया में भी लोगों ने व्यवधान पैदा कर रखे हैं। कई लोगों ने अपने अस्पताल बना लिये, अपनी बिल्डिंग बना ली, उसको कोई देखने वाला नहीं है1 जमवारामगढ़ बांध का मालिक इर्रिगेशन है या पीएचईडी है, इन दोनों में बड़ा विवाद होता रहता है और उसके अतिक्रमण को कोई देखने वाला नहीं है। कैचमेंट एरिया में जो भी लोगों ने निर्माण कर लिये और स्थायी रूप से पानी के रास्ते को बन्द कर दिया, उसमें भी आपको गौर करना चाहिए, मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मेरी स्कीम्स और हैण्ड पम्प आपके पास पड़े हैं, पहले वाले वर्ष में भी आपने कहा था कि जो आपने एमएलए लैड से पैसा दिया है वो मैं वापस कर दूंगा। वह पैसा सरकार का था चाहे इधर से दें चाहे उधर से दें, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरी स्कीम्स और हैण्ड पम्प जो आपके पास पड़े हैं, उनको आप मंजूर कर देना। मैं उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद पहले ही दे देता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री के. डी. बाबर।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद। आज पेयजल पर चर्चा हो रही है, जब से प्रदेश में मुख्य मंत्री आदरणीय वसुंधराजी ने कमान सम्भाली है और यह जिम्मेदारी आदरणीय सांवरमलजी को दी है तब से पेयजल संकट प्रदेश से दूर हुआ है। सभापति महोदय, रहीमजी ने कहा था -

"रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून,
पानी गये न ऊबरे मोती मानस चून।"

(समय : 15.00 बजे)

सभापति महोदय, पानी प्राथमिक जरूरत है। चाहे घर में आटा हो, सब्जी हो, गैस सिलेण्डर हो, सब कुछ हो, पर यदि पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। बिना पानी के कुछ भी सम्भव नहीं है। सभापति महोदय, चर्चा हो रही है और चर्चा में साफ है कि

पेयजल की सुविधा मुहैया कराने में हमारे सिंचाई मंत्रीजी आदरणीय सांवरलालजी ने कांग्रेस और बीजेपी का हिसाब नहीं देखा है। उन्होंने यह नहीं देखा कि यह कांग्रेस का एम.एल.ए. है, यह काम नहीं करेंगे। यह बीजेपी का एम.एल.ए. है, यह काम नहीं करेंगे। इसलिए ब्राह्मण ने इनका नाम सांवरिया

(श्री केसर देव बाबर)

रखा है। सांवरिया भगवान का नाम होता है और मैं तो कहता हूं "न खाता और न बही, और जो सांवरिया कहे, वह सही"।

सभापति महोदय, इन्होंने हमारे जिले में जो कार्य किये हैं, उनकी तुलना पहले भी हो चुकी है- उनका पांच साल का शासन और हमारा सवा चार साल का शासन। उन्होंने हमारे क्षेत्र में जो काम किये हैं, सभापति महोदय, मैं कोट करना चाहूंगा। इन्होंने जो कार्य किये है, चाहे ट्यूबवैल हो, चाहे टंकी हो, चाहे जी.एल.आर. हो, चाहे उच्च जलाशय हो, चाहे हैण्ड पम्प हो, कुल स्कीम सैंक्शन की हैं, 4,060, और खर्चा हुआ है 6,833 लाख रुपये। इसमें 10 उच्च जलाशय, 39 जी.एल.आर. हैं।

सभापति महोदय, मैं बताऊं, कांग्रेस के शासन में एक भी टंकी पी.एच.ई.डी. द्वारा नहीं बनी। एम.एल.ए. और एम.पी. का जो कोटा होता है, उससे टंकी और हैण्ड पम्प बनते थे। लेकिन यह हमारे सिंचाई मंत्रीजी का कमाल है कि आप हैण्ड पम्प बनाओ, आप टंकी लगाओ, आप ट्यूबवैल बनाओ, सब सरकार से।

सभापति महोदय, 591 ट्यूबवैल अब तक खुद चुके, 218 सिंगल फेस के पाइंट हो चुके और 4,396 हैण्ड पम्प लग चुके। पाइप लाइन 552 किलोमीटर और कुल खर्चा हुआ 6,833 लाख रुपये, जो मैंने पहले ही कोट करा दिया।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने काम करते वक्त किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने एस.सी. एस.टी. की बस्तियों का भी ख्याल रखा है। कुल राजस्थान में 4,281 बस्तियों को इन्होंने पेयजल से लाभान्वित किया, इसके लिए मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं। अब तक इन्होंने पूरे प्रदेश में 1,01,223 हैण्ड पम्प खोदे, 7,089 ट्यूबवैल लगाये। हैण्ड पम्प रिपेयर करने की जहां बात आती है, इन्होंने 6,82,983 हैण्ड पम्पों की रिपेयरिंग की जब कि रिपेयरिंग करने की जिम्मेदारी पंचायत समिति की भी है। जब कंटिन्जेंसी चलती है गर्मियों के मौसम में, पेयजल सुलभ सब को हो, इसलिए पी.एच.ई.डी. द्वारा हैण्ड पम्प रिपेयरिंग किया जाता है।

सभापति महोदय, मैं थोड़ा वर्णन करना चाहूंगा मेरे विधान सभा क्षेत्र का। वहां पर ग्राम सेवदड़ा में रीजनल स्कीम चलती थी, मैं जब चुनाव के

(श्री केसर देव बाबर)

दौरान वहां गया तो एक दो साल का बच्चा था, वह रोकर कह रहा था, के.डी. बाबा, पानी। सभापति महोदय, हालात ये थे कि वहां एक-एक महीने से टेल-एण्ड पर पानी नहीं पहुंचता था। मैंने इनके भरोसे वादा किया कि मैं आपको एक महीने में पानी पहुंचाऊंगा और वाकई में पुरोहित का बास, डहर का बास, चैतपुरा, किरडोली छोटी, किरडोली बड़ी, उन सभी गांवों में आज सम्पूर्ण पानी मिल रहा है।

सभापति महोदय, मुझे पता है, वहां पर औरतें जब चुनावी सभा होती थी तब कह रही थीं कि ये वोट मांगने तो आ जाते हैं लेकिन हमारे पानी की कोई सुनवाई नहीं करते हैं। 15-15, 20-20 दिन बाद पानी उनको नसीब होता था। आज उनको दिन में दो बार-तीन बार पानी मिल रहा है।

सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की कुछ बात बताना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है और उसमें खारापन भी है। लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र और फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र, दोनों सम्पूर्ण तहसील भी हैं, उन क्षेत्रों में करीब 300 गांवों में उस पानी में खारापन है, टी.डी.एस. है, नाइट्रेट भी ज्यादा है। वहां के लोग पानी को पीकर जल्दी ही कुबड़े हो जाते हैं, उनके घुटनों में दर्द हो जाता है, उनके दांत खराब हो जाते हैं। उस पानी का स्वाद भी अच्छा नहीं है। पहले माननीय मंत्री महोदय घोषणा कर चुके हैं कि आपके क्षेत्र में अच्छा पानी जल्दी पिलाएंगे इसी वर्ष। पुन: मेरा इनसे निवेदन है कि उक्त कार्य जल्दी ही शुरू हो, ताकि मेरे क्षेत्र की जनता को अच्छा पानी मिल सके।

सभापति महोदय, कुछ बात और कुछ सुझाव देना चाहूंगा। जिला सीकर और जिला झुंझुनूं दोनों डैजर्ट इलाके हैं। इनमें जनता जल योजना भी संचालित है और टी.एस.एस. योजना भी संचालित है। करीब 2,000 टी.एस.एस. योजना दोनों जिलों में संचालित हैं, वह भी जनता जल योजना के रूप में हो जाए तो अच्छा होगा क्योंकि एक गांव में दो कुए जनता जल योजना के हैं और दो कुए टी.एस.एस. योजना के हैं। जनता जल योजना का जो कुआ है उसको प्रतिमाह 500 रुपये दिया जाता है और टी.एस.एस. योजना का जो कुआ है उसको 500 रुपये नहीं दिया जाता है। इससे उस गांव में भेदभाव दिखता है। तो सभी को जनता जल योजना में शामिल करके इनको भी लाभान्वित करें।

(श्री केसर देव बाबर)

मेरा मंत्री महोदय से एक निवेदन है कि जनता जल योजना जो प्रदेश में चल रही है, इसमें कई जगह अधिकारी लोग थोड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं। इसमें जनता जल में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको कर्मचारी मान रहे हैं और वहां पर राजस्व वसूल कर रहे हैं। इसका सिस्टम है, सभापति महोदय, जनता जल योजना में 200 कनेक्शन के नीचे यदि कनेक्शन होंगे तो 200 कनेक्शन तक तो राजस्व वहां की ग्राम पंचायत या स्थानीय समिति है, वह प्राप्त करेगी और उससे उस मोटर का रखरखाव भी वह करेगी, पाइप लाइन का रखरखाव वह करेगी। इसमें पी.एच.ई.डी. का दायित्व नहीं है। जब कि कई जगह पी.एच.ई.डी. इन्हीं कर्मचारियों से काम ले रही है और इनको 500 रुपये प्रतिमाह दे रही है। तो उनको 500 रुपये की राशि बढ़ाई जाए, 500 रुपये बहुत कम है। दूसरा, जिस गांव में, जिस समिति में, जिस ग्राम पंचायत में 200 कनेक्शन से कम हैं, उनकी राजस्व वसूली वहां की ग्राम पंचायत करे और उसका रखरखाव ग्राम पंचायत करे, ऐसा आपसे मेरा निवेदन है।

एक स्वजल धारा नाम की योजना भी चल रही है। इस योजना में भी 10 प्रतिशत का कंट्रीब्यूशन वहां की समिति का हो गया, 90 प्रतिशत सरकार का हो गया। लेकिन बहुत-सी योजनाएं अधूरी पड़ी हैं। जो योजनाएं पूरी हो गईं, जैसे मेरे क्षेत्र में है, एक डूंगरबास ग्राम में है। ग्राम डूंगरबास में स्वजल धारा योजना के तहत एस.आर. बन गया, ट्यूबवैल बन गया, वह चालू है लेकिन उसके बिजली का भुगतान इतना हो रहा है कि वे खेत तक पानी नहीं पहुंचाते हैं। स्वजलधारा योजना में बिजली का भुगतान सरकार नहीं करती है तो वह बोझ वहां की समिति, गांव है उस पर आ रहा है और उतनी बिजली के बिल का भुगतान वे नहीं कर सकते। पेयजल सुलभ हो, पशुओं को भी पेयजल मिले, जनता को पेयजल मिले, यह सरकार की ड्यूटी होती है। जैसे ग्राम डूंगरबास में कुछ इलाकों में स्वजल धारा योजना लागू हो गई और पी.एच.ई.डी. उसमें और काम नहीं करा रही है तो इस योजना में भी जहां पेयजल की कोई समस्या हो तो सरकार इसको ग्रहण करे और सरकार व्यवस्था करे, ऐसा मेरा मानना है।

सभापति महोदय, पाइप लाइन कई जगह पुरानी हो गई, जैसे मेरे लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एक शहर है लक्ष्मणगढ़, वहां पर जो पाइप लाइन है वह बहुत गहरी चली गई, 10-10 फुट नीचे चली गई। वह अगर

(श्री केसर देव बाबर)

खराब भी हो जाती है तो बदल नहीं सकते। तो वहां जो पाइप लाइन नीचे चली गई, उनकी लाइन चेंज करें ताकि पानी उनको अच्छा मिल सके। मैं पुनः जलदाय मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं कि पेयजल की व्यवस्था सुचारू चल रही है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री दाताराम गुर्जर।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 27- पेयजल योजना और मांग संख्या 46- सिंचाई, इन पर चर्चा में आपने भाग लेने का जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

सभापति महोदय, आज जल के ऊपर चर्चा है और एक कहावत है, "जल बिना थल नहीं, जल है तो ही थल है" जीवन में व्यक्ति को जीने के लिए सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता होती है तो वह जल की आवश्यकता होती है। खाने के बिना व्यक्ति कई दिन रह सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकता। पेयजल की आपूर्ति के लिए हमारी सरकार ने चार साल में जो ऐतिहासिक कार्य किये, उनका विवरण माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किया। प्रदेश में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए चार साल में हमारी सरकार ने 15098 करोड़ रुपये अनुमानित लागत की 2255 योजनाएं स्वीकृत कीं और इसके साथ ही 11412 करोड़ रुपये लागत की 62 वृहत् परियोजनाएं भी स्वीकृत कीं। सभापति महोदय, इतना बड़ा काम पूर्ववर्ती सरकार भी करती तो निश्चित रूप से आज गांवों में पेयजल की कोई डिमाण्ड नहीं होती और शायद हमारे माननीय जलदाय मंत्रीजी ने गांवों में जैसे अभी चार साल में किया है शायद उस प्रकार से और अन्य-अन्य स्कीमें स्वीकृत करते, राजस्थान में ऐसा कोई गांव बचता नहीं जिसमें स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति नहीं हो। सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जिस प्रकार का प्रयास हमारी सरकार ने किया है, प्रकृति का सहयोग बराबर होता और वर्षा निरन्तर होती तो शायद आज पानी के विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती और वैसे भी इस हाउस में कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं होगा जिसने कभी हमारे जलदाय मंत्रीजी को अपने क्षेत्र से संबंधित कोई समस्या, पानी से संबंधित समस्या हो, इनके ध्यान में लाई हो और उस पर विचार नहीं हुआ हो या उसको स्वीकृति के लिए आगे नहीं बढ़ाया हो। यह जरूर हो सकता है कि बहुत सी स्वीकृतियां आपने जारी कर दीं लेकिन उनकी क्रियान्विति नहीं हो सकी हो।

(श्री दाताराम गुर्जर)

मानसीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र अकेले में पांच बड़ी स्कीमें हमारे मंत्रीजी ने स्वीकृत कीं जिस क्षेत्र में आज तक आजादी के बाद में मात्र एक बड़ी स्कीम थी और वह भी तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत के समय में साढ़े चार करोड़ की स्वीकृत हुई थी। उसके बाद में मेरे क्षेत्र से चुने हुए विधायक पेयजल के मंत्री भी रहे लेकिन हमारे क्षेत्र में दो हजार, पांच हजार और छह हजार तक की आबादी के गांव जो हैण्ड पम्प स्कीम में नहीं थे, उनमें स्कीम को कन्वर्ट तक नहीं किया गया था। आज वर्षा की कमी के कारण से भूमि का जलस्तर इतना नीचे चला गया कि हैण्ड पम्प से पानी निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। ऐसी स्थिति में माननीय मंत्रीजी ने पांच स्कीमें जिनको कन्वर्ट करके जिनकी लागत करीबन दस करोड़ रुपये है, हमारे क्षेत्र को सौगात के रूप में भेंट की, मैं इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अक्टूबर, 2007 तक 1856 करोड़ रुपये व्यय कर 9 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण कर आठ शहर, 787 मुख्य ग्राम और करीबन 2693 ढाणियों को हमारी सरकार ने लाभान्वित किया है। इस प्रकार से पेयजल योजनाओं के निर्माण पर दिसम्बर 2003 से अब तक पूर्व के पांच वर्ष की तुलना में पौने दो गुना, लगभग दो गुना व्यय हमारी सरकार ने किया है। सभापति महोदय, हैण्ड पम्पों की संख्या भी माननीय सदस्यों ने आपके समक्ष प्रस्तुत की। इतनी अधिक संख्या में हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये, ट्यूबवैल स्वीकृत किये गये और नई-नई स्कीमें स्वीकृत की गईं। एक नई जो प्रस्तुति की गई वह भी सिंगल फेस पाइण्ट की। सभापति महोदय, गांव में हैण्ड पम्प से जो पानी निकाला जाता है, करीबन दो सौ फीट की गहराई तक वह पानी निकलता है, उसके बाद में उस गांव की आबादी अगर दो हजार या पन्द्रह सौ से अधिक नहीं है तो स्कीम कन्वर्ट करने में जो तकनीकी समस्या विभाग की आती है उस सब का समाधान करते हुए एक पहल के रूप में सिंगल फेस का पाइण्ट हमारी सरकार ने चार साल में स्वीकृत किया और निश्चित रूप से इसको सफलता भी मिली है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से मेरे पूर्ववर्ती सदस्यों ने बताया कि आज गांवों में जो कई स्कीमें हैं- टीएसएस है, जनता जल की स्कीम है, इन सब स्कीमों पर सरकार बहुत अधिक खर्चा करती है- उस ट्यूबवैल के बिल का पैसा सरकार जमा करवाती है, मेंटिनेंस का पैसा सरकार

(श्री दाताराम गुर्जर)

देती है और कर्मचारियों को जो पांच सौ रुपये मानदेय दिया जाता है वह भी सरकार देती है तो मैं सुझाव देना चाहूंगा, क्यों नहीं दो-दो गांवों की स्कीम बनाकर उनमें कनेक्शन स्कीम लागू कर दी जाए जिससे कि सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी हो। गांवों में आज वह जमाना नहीं रहा कि व्यक्ति

(समय : 15.16 बजे)

(मोहम्मद माहिर आजाद, सभापति, पदासीन)

अपनी सुविधाओं के लिए कुछ खर्चा नहीं कर सकता है। आज गांवों में जब भी हम दौरे पर जाते हैं तो आमजन इस बात को उठाता है कि जब बिजली का पैसा देकर हम बिजली प्राप्त कर लेते हैं और बाकी सुविधाओं के लिए हम पैसा खर्च कर सकते हैं तो सरकार को आप यह सुझाव क्यों नहीं देते कि हमें पानी का कनेक्शन भी दिया जाय और उसका चार्ज जो मिनिमम बीस रुपये या पच्चीस रुपये होता है, हर व्यक्ति उसको वहन करने के लिए तैयार है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जिस प्रकार शिक्षा विभाग में राजीव गांधी पाठशालाओं को सरकार ने क्रमोन्नत करके राजकीय पाठशालाओं में क्रमोन्नत किया उसी प्रकार से इन जनता जल स्कीम और टीएसएस स्कीमों को क्रमोन्नत करके अगर पेयजल स्कीम में कन्वर्ट कर दिया जाए तो निश्चित रूप से जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध होगा। और सरकार को। जो बराबर यह बात आती है कि कर्मचारी कहां से लाएं, कर्मचारियों को तनख्वाह कहां से दें, इससे कुछ राजस्व की प्राप्ति भी हो सकती है। माननीय सभापति महोदय, गांवों में राजस्व प्राप्ति का यह एक अच्छा साधन हो सकता है जो डिपार्टमेंट को चला सके और बेरोजगारों को इससे रोजगार भी प्राप्त हो सकेगा, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन स्कीमों को पेयजल में कन्वर्ट करने का विचार करें।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई के क्षेत्र में भी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी, के पास दोनों विभाग हैं। पानी को डिस्चार्ज भी करते हैं और उसको चार्ज करने का भी अधिकार इनके पास में है। भूमि में से जितना हम पानी का दोहन करते हैं उसका संरक्षण भी हम करें, इस प्रकार हमारी सरकार ने एक जल चेतना का कार्यक्रम हाथ में लिया, गांव-गांव में जल के संरक्षण के बारे में लोगों को जाग्रत किया। जो वर्तमान समय चल रहा है इसमें हर व्यक्ति जानता है कि जल का संरक्षण नहीं होगा तो हमारा भविष्य

(श्री दाताराम गुर्जर)

बिलकुल गर्त में चला जाएगा और आने वाली पीढ़ियों को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो सकेगा, तो सरकार चाहे कोई भी रहे, मंत्री कोई भी रहे, वह पानी उपलब्ध कहां से करवाएंगे। जो नदियों के पानी की मांग करते हैं, जो गंगा, जमुना, सरस्वती से पानी की मांग करते हैं, सभापति महोदय, यह तो प्रकृति पर निर्भर है सारा, और प्रकृति का बैलेंस जब खराब हो जाता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने चार साल में जल के संरक्षण के लिए काफी पैसा लगाया है और अभी आगामी बजट में भी, जो 2008-09 का बजट है इसमें भी काफी राशि दी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र आता है और उसमें वाटर हार्वेस्टिंग के लिए चार साल में काफी पैसा दिया गया है लेकिन बरसात इन सालों में हुई नहीं, अब इस वर्ष अगर वर्षा से पूर्व इसमें और स्वीकृतियां जारी हों और जल संरक्षण का कार्य सरकार करेगी, वर्षा होगी तो उसके बाद में जो भूमि से पानी डिस्चार्ज हुआ है, वह निश्चित रूप से उसमें चार्ज होगा। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में दो बांध बड़े-बड़े बन सकते हैं, उनकी लागत भी कोई ज्यादा नहीं है, लगभग 60-70 लाख का है, जो सुनारी घाट का बांध है उसको स्वीकृत किया जाए। हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड है वह मेरे क्षेत्र में संचालित है और उसमें जितना भी पानी उपयोग में आता है वह सारा सुनारी घाट नदी से जाता है। सभापति महोदय, आज ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि काश्तकार को वहां सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो नहीं सकता, वहां के लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो सकता। इसलिए यह सुनारी घाट योजना जो प्रस्तावित है, मैंने माननीय मंत्रीजी को यह दिया है इसका एस्टीमेट बनवा कर दिया है, इसको इसी बजट में स्वीकृत करें जिससे वहां पानी रीचार्ज भी हो सके और पानी का संकट ज्यादा नहीं बने। इसी प्रकार खरखड़ा नाला परियोजना, उसका मैंने करीबन साठ लाख का प्रस्ताव बनाया है। सभापति महोदय, पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से आज हर गांव में फ्लोराइडयुक्त पानी आने लग गया है क्योंकि भूमि में जब पानी की कमी हो जाती है तो भूमि के लवण और क्षार है वे मिलकर पानी में आने लग गए। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से स्कीमें अभी अप्रैल में स्वीकृत हो जाएं तो बरसात तक इसको तैयार किया जा सकता है।

(श्री दाताराम गुर्जर)

सभापति महोदय, मैंने शुरू में ही कहा है कि जल के बिना थल नहीं है इसलिए पानी की निकासी भी जरूरी है, उसका संरक्षण भी जरूरी है। इसलिए इन बातों पर विशेष ध्यान देकर इस पर पुनर्विचार करें। जितना चार्जिंग पानी का हो, उसके अनुपात में डिस्चार्ज हो पानी, तो निश्चित रूप से बैलेंस भी बढ़ेगा। जितने कार्य हमारी सरकार ने करवाएं, निश्चित रूप से माननीय मंत्रीजी इस बात के धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसा विभाग जो बहुत ही विकट परिस्थितियों में और लाकर खड़ा कर देता है गर्मियों के समय में, लेकिन चार साल में, मैं राजस्थान की तो नहीं कह सकता, खेतड़ी की जरूर कह सकता हूं कि चार साल में ऐसी विकट परिस्थिति गर्मियों के सीजन में आई नहीं जिससे कि पानी की विकट समस्या रही हो और कहीं किसी को पलायन करके जाने की जरूरत पड़ी हो। ऐसी व्यवस्था आपने जमाई है इस विभाग में, निश्चित रूप से आपके कार्यों की सब लोगों ने प्रशंसा की है, चाहे प्रतिपक्ष के रहे हो, चाहे सत्तापक्ष के। आपने जो इस मांग पर बोलने का मुझे अवसर दिया, सभापति महोदय, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री दुर्गाप्रसादजी अग्रवाल। आज पेयजल भी है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): सम्माननीय सभापति महोदय, इस वक्त इस सदन में पेयजल योजना व सिंचाई की मांगों को लेकर चर्चा हो रही है, इस चर्चा में भाग लेते हुए मैं यही कहूंगा, किसी ने जो यह कहा है कि जल ही जीवन है, एक बहुत सही बात कही है। आदरणीय सभापति महोदय, आदमी रोटी बिना खाये महीने दो महीने जिंदा रह सकता है पर पानी न पीये, वह दो महीने जिंदा नहीं रह सकता है। यह बात दूसरी है कि राठौड़ साहब जिंदा रहे हैं। आदरणीय सभापति महोदय, मुझे ऐसा कोई क्षेत्र नजर नहीं आता है जिसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती हो। रोटी बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, राठौड़ साहब की सड़क बनाने के लिए, उद्योग-धंधा चलाने के लिए, यहां तक कि मिठाई की दुकान चलाने के लिए और सबसे छोटा काम पान की दुकान चलाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि उस पान को भी भिगोने के लिए पानी की आवश्यकता होती है।

श्री सभापति: बैठे-बैठे नहीं बोलें कृपया।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): अभी तो मैं आलोचना ही नहीं कर रहा हूं, आप अभी से बोलने लगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहिए।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): आदरणीय सभापति महोदय, इस प्रकार यह कह सकते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में पानी की आवश्यकता होती है। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आदरणीय सभापति महोदय, एक अच्छी सरकार, एक संवेदनशील सरकार, एक जनता की सरकार वही कहलाएगी जो कि अपनी जनता को रोटी, कपड़ा और मकान समुचित मात्रा में देवे और सस्ती दर में देवे। अब इस मांग के साथ में एक और बढ़ेगी, पीने के पानी की समस्या गम्भीर हो चुकी है, अब एक नारा आने वाले दिनों में जो होगा वह यह होगा कि पानी, रोटी, कपड़ा और मकान जो सरकार दे न सके, वह सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है, उस सरकार को पलटना है। मैं फिर दुबारा से पढ़ता हूं पानी, रोटी, कपड़ा और मकान जो सरकार दे न सके, वह सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है, उस सरकार को पलटना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वह दिल्ली की सरकार है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): आदरणीय सभापति महोदय, यह जो मुहावरा है, यह जो नारा है यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर...

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, इनकी बात को सपोर्ट करने वाले दो ही आदमी विद्यमान हैं यहां, हैं ही नहीं पूरे।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): मैं अकेला ही काफी हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मंत्री तो आपके दो तीन ही हैं और मुख्य मंत्री कभी आतीं नहीं।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): बहुत ज्यादा हैं, मुख्य मंत्री पूरी आती हैं।

श्री सभापति: एक मिनट, माननीय श्री अशोक बैरवा, आप सदस्यों को कहिए कि पेयजल और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है, सदन में आएं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, इनको भी कहिए, ये भी 25-30 ही हैं।

श्री सभापति: दोनों के लिए कहा है, दोनों की जिम्मेदारी है, पानी और सिंचाई दोनों के लिए इतने ही महत्वपूर्ण हैं।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): आदरणीय सभापति महोदय, आने वाले दिनों में जो मैंने नारा बोला है यह भारतीय जनता पार्टी पर सटीक उतरेगा और यह सरकार तो पानी और बिजली के कारण ही जाएगी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं यह कह दूं कि जनता आने वाले दिनों में, बिजली से तो परेशान रही ही है, गर्मी के मौसम में बीमारी से परेशान है...

श्री सभापति: आ गये हैं, आप भी बुलाएं। उधर से आ गये हैं।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): आदरणीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहूंगा कि हमारे पीएचईडी मिनिस्टर साहब निकम्मे नहीं हैं। मैं बिलकुल नहीं कहूंगा कि निकम्मे हैं, वह काफी सक्रिय हैं, काफी भागदौड़ भी करते हैं पर दुःख तो इस बात का है कि इनके कर्मचारी, इनके अधिकारी इनकी बात को सुनते ही नहीं हैं। इनके आदेशों की पालना ही नहीं करते। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से कुछ 15-20 दिन पहले इन्होंने इसी विधान सभा के एक कक्ष में पीएचईडी के अधिकारियों को लेकर एक मीटिंग की थी, अलग-अलग सम्भागों के अधिकारियों को बुलाया था, हम एम.एल.एज. को भी बुलाया था। भरतपुर सम्भाग का जब नम्बर आया तो मुझे भी बुलाया गया, सम्भाग के एम.एल.एज भी उसमें थे, उसमें आपने यही पूछा हमसे कि आपकी क्या समस्या है। हमने इनको अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में विशेष तौर से कहा। मेरे यहां करीब पांच छह साल पूर्व आपने ग्राम बड़ी उदई में सीडब्लू वॉल बनाई, उसमें पानी पांच साल गुजरने के उपरांत आज तक नहीं पहुंचा। कृपा करके उस पानी को पहुंचाया जाए। मैंने एक बात और कही थी उनसे कि मेरे यहां चूली में ओवरहैड टंकी बनी, वह करीब-करीब पांच-छह साल पूर्व बनी। उस ओवरहैड टंकी में भी 15-20 लाख रूपए लगे होंगे, उसमें भी पानी, यह तो कहेंगे, आपके जमाने में भी नहीं पहुंचा, चलो, हमारा तो एक साल का जमाना था, आपका तो चार साल का जमाना हुआ, पांच साल से अब तक उस ओवरहैड टंकी में पानी नहीं पहुंचा। मैंने आपसे यह भी कहा कि आपने मेरे दो साल के कार्यकाल में करीब 559 हैड पम्प स्वीकृत किये जिनमें से केवल 244 लगाये 315 अभी भी नहीं लगाए तो उस वक्त मंत्रीजी ने आदेश दिया था अपने अधिकारियों को और अधिकारियों ने यह मुझे आश्वासन दिया कि आने वाले तीन-चार महीने में पूरे हैण्ड पम्प लगा देंगे। अब बताइए दो साल के अंदर 559 में से इन्होंने केवल मात्र 244 लगाये और यह कहते हैं, 315 चार-पांच महीने में लगा देंगे, क्या यह सम्भव है? कहां से लाएंगे इतनी मशीनें? आदरणीय सभापति महोदय, देखा जाए तो हमारे मंत्रीजी की चलती नहीं है।

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

चलो हैण्डपम्प तो जैसे लगेंगे लग जाएंगे, आप तो कम से कम इतना ही कर दो कि जो हैण्डपम्प लग चुके हैं उनको सुधरवा दो, जिनमें पानी का लेवल नीचे पहुंच गया है उनमें और पाइप लगवा दो। दुःख तो इस बात का है, आदरणीय सभापति महोदय, हैण्डपम्प लगते हैं, पहले तो लगने में ही एक साल लग जाता है, फिर हैण्डपम्प बोर हो जाता है तो उनकी लोरिंग लगने में तीन-चार महीने लग जाते हैं। तीन-चार महीने लोरिंग में लगते हैं उसके बाद उसका जो चौतरा बनता है उसमें दो तीन महीने लग जाते हैं और लगने के बाद खेंचू के लिए चार-पांच महीने लग जाते हैं। हालत यह है कि दो-तीन साल तो एक हैण्डपम्प लगने में ही लग जाते हैं। तो, आदरणीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से कहूंगा, मंत्रीजी सक्रिय हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, सुनते भी हैं, मैं झूठी प्रशंसा कभी किसी की करता भी नहीं हूं, पर मैं यह कहूंगा कि आप कुछ एक्टिव होइये। आप दबंग तो हैं परन्तु आपके अधिकारी क्यों नहीं मानते, मैं तो यह पूछना चाहता हूं? आपके सामने मैंने कहा कि चूली की टंकी में पानी पहुंचा दीजिये, बड़ी उदई की टंकी में पानी पहुंचा दीजिये, अब तक उस दिशा में एक कदम भी नहीं उठाया गया।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उस जमाने में कांग्रेस की सरकार थी जब भीषण अकाल पडा, यह सरकार होती तो इनका सम्पट ही नहीं बैठता। आधे आदमी भूखे-प्यासे मर जाते परन्तु उस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने उस जमाने में भीषण अकाल में किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया, प्यासा नहीं सोने दिया।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): कितने लोग भूख से मरे हैं ...(व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): पता नहीं कहां से खबर ले आये ...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ...(व्यवधान) कितने कार्य मंजूर हुए, यहां आप बता दो और उसके बाद में कहना कि कांग्रेस ने किया। हम भी एमएलए थे।

श्री सभापति: माननीय संसदीय सचिवजी, आप विराजें। वो मंत्रीजी उत्तर दे देंगे। कृपया आप विराजें।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): विराजने की बात नहीं है, जो वो कह रहे हैं, वो बाद में कहेंगे हम, जो ये कह रहे थे...

श्री सभापति: उनको कहने दो अपने क्षेत्र की बात।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ये कह रहे थे, हम भी उनके बगल में बैठे थे पिछली बार।

श्री सभापति: आप बैठिये। आप बैठिये। मंत्रीजी सक्षम हैं वो अपने अवसर पर उनका जवाब दे देंगे।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): नहीं, मंत्रीजी सक्षम हैं, वो अलग बात है कि मंत्रीजी बाद में जवाब दे देंगे जो अभी-अभी कह रहे थे...

श्री सभापति: माननीय संसदीय सचिवजी, आप विराजिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): विराजिये! अच्छा एक किया नहीं, हैण्डपम्प लगाया नहीं। अभी कांग्रेस में हैं, अब पता नहीं कहां जाएंगे, कौनसी पार्टी में।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): आदरणीय सभापति महोदय, इनको बोलने दीजिये, मैं ध्यान ही नहीं दूंगा। मैं अब कल से अगर बोलूंगा तो कानों में रुई डालकर आया करूंगा।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): वहीं बैठकर +++ थे कांग्रेस के राज में, हमारी बगल में ही।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): आदरणीय सभापति महोदय, देखा जाए तो आम जनता भी कहती है कि इन बीजेपी वालों को शासन चलाना ही नहीं आता ।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): +++

श्री सभापति: समाज कल्याण मंत्रीजी, बोलने दीजिये उनको।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): +++ माननीय सभापति महोदय, बहुत दया आयी उस समय।

श्री सभापति: अब वो कौन क्या किया, उस चीज को यहां कहने की जगह नहीं है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): मंत्रीजी, हमें बोलने दीजिये। मुझे पता है कि आप कितना चिल्लाते थे उस जमाने में और बहुत गलत चिल्लाते थे कांग्रेस के जमाने में। अब तो मत चिल्लाइये, अब तो आप मंत्री हो गये हैं।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): कौन क्या कह रहा था, वो आपने ही तो रोटी, कपड़ा और मकान का शुरू किया है जो पानी की मांग पर बोल रहे हो और पानी साथ में जोड़ने की कोशिश की । रोटी, कपड़ा और मकान की सुनाऊं मैं, मेरे को टाइम मिलेगा?

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): आपका समय आएगा तब आपको जरूर मिलेगा।

श्री सभापति: बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): वो शुरू ही मामला दूसरी तरह से हो गया, (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय तगारामजी, विराजिये।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): आदरणीय सभापति महोदय, देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने ...

श्री सभापति: गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य के अलावा रिकार्ड नहीं हो किसी की बात।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): आदरणीय सभापति महोदय, देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी वालों को शासन चलाना ही नहीं आता और हम कांग्रेस वालों को विरोध करना नहीं आता। सही बात तो यह है कि आप लोगों को तो इधर बैठना चाहिए और हम लोगों को उधर बैठना चाहिए। खैर जनता इस बात को समझ चुकी है। जनता इस बात को समझ चुकी है।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): आने वाले आठ महीनों बाद में, 10 महीनों बाद में यह होने वाला है तो मैं तो यह कहूंगा कि आप सावधान हो जाइयेगा, समय परिवर्तनशील है और परिवर्तित हो रहा है। आप और कुछ नहीं तो इतना तो कर जाइये कि जनता को जो प्यासे मारने जा रहे हो उसको तो मत मारो। आने वाले दिनों में इन हैण्डपम्पों को लगवा दीजियेगा। जहां पानी की समस्या है उसे दूर कर दीजियेगा और कुछ नहीं बने तो टैंकर्स की व्यवस्था कर देना।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं अब पांचना बांध की बात कहूंगा। सिंचाई की बात कहना चाहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे लिमिटेड समय दिया जाएगा। आदरणीय सभापति महोदय, मैं पांचना बांध के बारे में भी एक निवेदन करना चाहूंगा। आदरणीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम):×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): कहां की? (व्यवधान) वो आप नहीं लाये हो।

श्री सभापति: माननीय श्री बत्तीलालजी।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): वो कांग्रेस के जमाने की स्कीम है और वो क्रियान्वित अब हो रही है, आप जबरदस्ती से कर रहे हो।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम):×××

श्री सभापति: आप सीधे इधर बात करिये।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): आदरणीय सभापति महोदय, पांचना हमारी गंगापुर कांस्टीट्युएंसी ...

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम):×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): मेरे विधान सभा क्षेत्र से लगता हुआ क्षेत्र है, करौली क्षेत्र में पाचना बाध बना हुआ है। गम्भीर नदी पाचना बांध से होकर निकलती थी और मेरे क्षेत्र गंगापुर में वो बहुत लम्बे स्थान से निकलती थी उसको देखते हुए जब यह पाचना बांध बना था तब उसमें कमोबेश 12 महीने पानी रहता था। जब पाचना बांध बना तो गम्भीर नदी का पानी रोक दिया गया और उस पानी को पाचना बांध की भराव क्षमता में इकट्ठा कर लिया गया। आदरणीय सभापति महोदय, उस वक्त हमें यह कहा गया था कि इस पाचना बांध से जो नहरें निकलेंगी उनसे आपका एरिया सरसब्ज हो जाएगा, हरा-भरा हो जाएगा। किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। हमने इस बात को महसूस भी किया और हमें यह विश्वास भी हुआ कि वास्तव में बाँध बनने से क्षेत्र की तरक्की होती है और हमारी निश्चित रूप से तरक्की होगी। हमने इस बात को बर्दाश्त कर लिया कि गम्भीर नदी जो सूखती है, सूखने दो पर नहरें जब आएंगी तो हमें उससे फायदा मिलेगा, पर महोदय, क्या हुआ? गम्भीर नदी तो सूख गयी क्योंकि पानी वहां इकट्ठा हो गया, बरसात इतनी होती नहीं है कि ओवरफ्लो होकर गम्भीर नदी में पानी आए तो जो गम्भीर नदी के अगल-बगल में जो बसावट थी वो उस पानी से वंचित हो गये। पहले जब गम्भीर नदी आती थी तो लोग-बाग़ अपने इंजन लगाकर पानी को उठाकर, लिफ्ट करके अपने खेतों को देते थे। गम्भीर नदी के पानी से हमारे गांवों में तालाबों में पानी रहता था, ट्यूबवैल में पानी रहता था, हैण्डपम्प में पानी रहता था, कुओं में पानी रहता था, तालाबों में पानी रहता था, हमारे कुंडों

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

में पानी रहता था। जब गंभीर नदी सूख गयी तो वो सब भी सूख गये। मैं आपको बताऊं आदरणीय सभापति महोदय, कि पिछले दो साल से हमारी उन नहरों में पानी नहीं आ रहा है दुःख तो इस बात का है। मीटिंगें होती हैं। सभाएं होती हैं और बड़े-बड़े अधिकारी उसमें आते हैं। अभी पिछले टाइम नवम्बर में पांचना बांध की नहरों को खोलने के विषय में एक बैठक हुई। बैठक में हमारे संभागीय कमिश्नर आये, दोनों जिलों-सवाईमाधोपुर और करौली के कलक्टर भी उसमें बैठे, एसपी भी बैठे, कलक्टर भी बैठे और सिंचाई विभाग के सब अधिकारी भी उसमें बैठे, जनता के प्रतिनिधि भी बैठे, किसानों के प्रतिनिधि भी बैठे। सब ने इस बात को महसूस किया कि वास्तव में पानी की आवश्यकता है और पानी पर इनका हक बनता है। इस बात को भी महसूम किया गया कि इस साल पानी कम पड़ा, चारों तरफ खेतों में कहीं पानी नहीं है, मवेशियों के लिए पानी नहीं है, अगर इन लोगों को नहर के जरिये पानी नहीं दिया जाएगा तो ये प्यासे मर जाएंगे। और निर्णय हुआ सर्वसम्मति से। यह निर्णय था कि चार महीने में पानी नहरों से छोड़ दिया जाएगा। हम लोग बड़ी खुशी-खुशी, मैं भी उस मीटिंग में था, खुशी-खुशी लौटे कि सरकार का निर्णय था। पर सरकार उस निर्णय को क्रियान्वित नहीं कर सकी। पाचना बांध के किसान जो अपर एरिया में थे, उन्होंने एक मांग रख दी कि आप लिफ्ट इर्रिगेशन योजना हमारी स्वीकार कीजिये तब हम इस पानी को आने देंगे। अब यह तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट के प्रशासन की ड्यूटी है वो कैसे पानी देते हैं हम उनसे लड़ाई करें, तोप बंदूक चलाएं? यह तो गवर्नमेंट की निष्क्रियता थी, देखा जाए तो गवर्नमेंट की अयोग्यता थी कि इन्होंने अपने आदेशों की अपने निर्णय की पालना नहीं करायी। इससे बड़े दुःख की बात क्या हो सकती है? जिस प्रकार इन्होंने अभी आंदोलन को दबाकर एक समाज के व्यक्तियों को, लोगों को जेलों में ठूंस दिया, उनको पकड़ लिया, क्या यह काम नहीं कर सकते थे जो कि गैरवाजिब मांग कर रहे थे उनको भी ये ताड़ित कर सकते थे, उनके खिलाफ भी एक्शन ले सकते थे। हमारी नहरों में पानी देते तो हमारी आज यह स्थिति नहीं बनती।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं तो आज के दिन यही कहूंगा, हमारे मंत्री बैठे हुए हैं, आदरणीय मंत्रीजी बैठे हुए हैं, कि आप कम से कम अब तो उन नहरों में पानी दिलवा दीजियेगा। मैं जानता हूं कि किसानों को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला परन्तु जब पानी आएगा तो हमारे मवेशियों के लिए

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

पानी होगा, कुंडों में पानी होगा, तालाबों में पानी होगा, हमारे कुओं में पानी हो जाएगा और हमें एक हद तक सुविधा मिलेगी, हमारे पीने के पानी की समस्या दूर होगी, एक समस्या दूर होगी।

आदरणीय सभापति महोदय, इस वक्त अभी से पानी की समस्या पैदा हो गई है । हम गांव में जब घूमते हैं तो यही कहा जाता है कि हैंड पम्प सूख गये हैं, इनमें पानी नहीं है। अव्वल तो उन हैण्ड पम्पों को लगाने में ही काफी बेइमानी हुई है। हमारे अधिकारी और ठेकेदार मिल जाते हैं, बोरिंग कम करवाते हैं, पाइप कम डालते हैं । मैंने तो कई बार लिखा भी कि इनकी जांच तो कराएं कि जितना इनको खोदना था, ये खोदे गये हैं या नहीं खोदे गये हैं, इनमें लोरिंग हुई या नहीं हुई है, इनमें पाइप डाले गये हैं या नहीं डाले गये हैं। परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई । जब तक कोई सुनवाई नहीं होगी, जब तक कोई एक्शन इन ठेकेदारों के खिलाफ नहीं होगा तब तक ये सुधर नहीं सकते और अधिकारी भी सुधर नहीं सकते। मैं माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि आप हैण्ड पम्प जरूर लगवा रहे हैं परन्तु साथ-साथ में इनकी इन्क्वायरी जरूर करवाये । आप एक अच्छे अधिकारी हैं, मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा, पर सबसे बड़ी बात है कि यह तो कुए में ही भांग गिर गई, कोई सुनता ही नहीं है। इसके लिये आपको एक्शन लेना पड़ेगा ।

सभापति महोदय, मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में कानून और व्यवस्था बिगड़ेगी, हमारे गंगापुर में तो विशेष तौर से बिगड़ेगी क्योंकि वहां पर पानी की समस्या भयंकर हो गई है, अभी से पानी की समस्या हो गई है । मैंने आज तक कभी भी आंदोलन नहीं किया, मैंने कभी सड़क को नहीं रोका । कभी अगर लोगबाग सड़क रोकते थे तो मैंने उनका विरोध किया कि सड़क क्यों रोकते हो भाई, आपको रोकना है तो कलक्टर को जाकर रोको, उनसे अपनी मांग रखो । आप इस रास्ते को रोककर हज़ारों आदमियों को परेशान करते हो, मैं कभी इन पर विश्वास भी नहीं करता । परन्तु जब जनता दुःखी होगी, परेशान होगी और मुझे पकडेगी तो मुझे भी उनका साथ देना होगा। आदरणीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप विशेष तौर से मेरे गंगापुर के लिये ध्यान देंगे और आने वाले दिनों में पानी की समस्या का निदान करेंगे, दोनों टंकियों में पानी पहुंचाएंगे ।

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमारी माननीय, पूजनीय मुख्य मंत्री महोदया ने जब बजट भाषण दिया था तो बड़ी-बड़ी बातें कहीं थीं और यहां तक कहा था कि 2009 में मैं यह करूंगी, सन 2010 में यह काम होगा । आने वाले इन चुनावों में वह यह मान कर बैठी हैं कि मैं जीतूंगी । बडी अजीब-सी बात है। उनको अति उत्साह है, मुगालता पैदा हो गया है । देखा जाए तो उन्होंने बडे घमंड के साथ में यह भी कहा, कई शेर भी सुनाये और सबसे बडी बात तो यह देखने को मिली, मैं तो उनके स्टेमना की दाद देता हूं कि उन्होंने बिना पानी पीये हुए सवा दो घंटे तक लगातार अपना बजट भाषण पढ़ा। इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ा, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। परन्तु इसकी आलोचना भी करता हूं कि वह बहुत गौरवान्वित थीं, बडे घमंड में बोल रही थीं । मैं एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । सभापति महोदय, उन्होंने बहुत शेर कहे तो मैं भी एक शेर कह देता हूं,

ए चांद हमने बहुत-से चांद देखें हैं
तेरे में तो कुछ दाग है हमने बेदाग देखे हैं।

श्री सभापतिः माननीय डाक्टर सुरेश चौधरी ।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): सभापति महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल और मांग संख्या 46-सिंचाई पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद । दिसम्बर, 2003 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में पूर्ण बहुमत से पहली बार आई है और माननीय सिंचाई और पेयजल मंत्री सांवरलालजी ने जिस दिन से इस विभाग का कार्यभार संभाला है, एक बात तो एकदम स्पष्ट है। 1993 से 1998 तक मैं लगातार विपक्ष में था और कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी था और 1998 से 2003 तक भी मैं सत्ता पक्ष में होते हुए भी विपक्ष में था और कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी था । लगातार 10 साल, एक दशक तक फील्ड में रहने का मौका मिला। उस जिले से मैं ताल्लुक रखता हूं जो जिला पानी की दृष्टि से सबसे सम्पन्न माना जाता है, हनुमानगढ जिला । लेकिन एक विडम्बना है कि वहां का नोहर-भादरा जो एरिया है, वह हनुमानगढ़ में होते हुए भी ऐसे लगता है जैसे चूरू जिले की जोग्राफिकल स्थिति है उस हिसाब से था। सभापति महोदय, मैं हकीकत बता रहा हूं उस 10 साल में गर्मियों की बात तो छोडें सर्दियों में भी पेयजल आपूर्ति

(डा. सुरेश चौधरी)

गांवों में सुचारु कराने के लिये, टैंकरों से पानी पहुंचाने के लिये आंदोलन करना पड़ता था नोहर और भादरा में । दिसम्बर, 2003 के बाद से आज तक सर्दियों की बात तो आप छोड़िये गर्मियों में मई जून के महीने में भी कभी, मैं दावा करता हूं, आप पता कर सकते हैं, सभापति महोदय, कि नोहर-भादरा उप खंड मुख्यालय स्थित पेयजल विभाग के किसी भी दफ्तर में कभी भी चार जनों ने इकट्ठा होकर यह मांग नहीं की कि हमारे गांव में पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां पीने का पानी पहुंचाओ।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का मैं निवेदन करूं कि जहां 2003 में मई-जून में टैंकरों से पानी पहुंचता था, वहां इस बार मई-जून तक उन गांवों में, कम से कम 50-60 गांव हैं, वहां नलों से पानी पहुंचा है, ये इस सरकार की उपलब्धि है । आप तो आज पीने के पानी की बात पर आंदोलन की बात कर रहे हो, उस समय के 10 साल में मैंने राजस्थान में यह हालात देखे थे कि पीने का पानी मांगने पर गोलियां चलाई जाती थीं, आज आप लगाने के पानी की मांग पर गोलियों की बात कर रहे हो। पानी की स्थिति में निश्चित सुधार हुआ है । आजादी के बाद से सबसे ज्यादा, 60-61 साल में 45-47 साल तक आप शासन में रहे हो राजस्थान में । भारतीय जनता पार्टी पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ आई है, गठबंधन के साथ 14-15 साल तक रही है । उन 45 सालों में जो मूलभूत सुविधा है पीने का पानी, मैं कहता हूं 49 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या में हमारी माताएं-बहने हैं, उनकी सुबह उठने से लेकर रात को सोते वक्त तक सबसे ज्यादा प्राथमिकता होती है वह एक ही होती है- पीने का पानी । आजकल तो वह प्राथमिकता का प्रतिशत बढ गया, 4-5 प्रतिशत ऐसे हैं यह लिंगानुपात डिस्टर्ब होने से, कि उनको चूरी का धुआं तक नहीं लगा, उनको कभी काजी के दर्शन तक नहीं हुए । कुल मिलाकर आंकडा बैठता है 55-56 प्रतिशत तक । 55-56 प्रतिशत राजस्थान की आबादी की आज स्थिति यह है कि एक नम्बर प्राथमिकता उनके खाने का दाना नहीं होकर पीने के पानी का गिलास होता है, पीने के पानी की बूंद होती है । उसमें इस संवेदनशील सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की कि कभी पीने के पानी के नाम पर पिछले चार साल में राजस्थान में आंदोलन नहीं हुआ । निश्चित रूप से सुधार हुआ है। लेकिन जो आप 45-46 साल में नहीं कर पाये एकदम से यह सोचो कि वह चार साल में ही आमूलचूल परिवर्तन कर देगा यह सम्भव भी नहीं है । एक तो थोड़ा-सा कपड़ा फटा हुआ हो उसकी तुरपाई कर दी जाए

(डा. सुरेश चौधरी)

पांच मिनट में। और एक आप कर दो लीरम लीर कि उसकी बांह कहीं, उसकी कालर कहीं, उसकी जेब कहीं, उसको सिलने में टाइम लगता है। आपने जो कमीज भारतीय जनता पार्टी को दिया है, वह पूरा लीरम लीर करके दिया है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ।

सभापति महोदय, मैं एकदम मुद्दे पर आ जाता हूं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, संवेदनशील और आम जन से जुडा हुआ मामला है। माननीय मंत्रीजी मेरे यहां की जो जर्मन पैटर्न पर, पीएमसी पैटर्न पर पेयजल की स्कीम बनाई है उसमें से क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना गोगामेड़ी, क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना गांधीबड़ी भोजासर, क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना उत्तरादाभास, क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना जटानगेहूं और क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना आसनबहरिया स्कीम का सैकिण्ड फेज यह अभी पेंडिग है स्वीकृत होनी बाकी है। इनमें से गांधीबड़ी घोगामेड़ी और गांधीबड़ी भोजासर स्कीम तो टीपीसी के लेवल पर हैं और क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना उत्तरादाभास और जटानगेहूं यह एडिशनल चीफ इंजीनियर, बीकानेर के लेवल पर है । दूसरा पेयजल से जुडा हुआ वर्षों से राजस्थान सरकार की स्कीम को साकार करने वाला मामला-लाखों-करोड़ों लोगों को सुबह से शाम तक सुविधाएं देने वाली जनता जल योजना के जो कर्मचारी हैं उनका मानदेय जो अभी तक 500 है, वह निश्चित रूप से काफी कम है । मेरी तो मांग यह है कि जिस तरह से आने वाले टाइम में क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं का विस्तार होगा, इन कर्मचारियों को भी इसमें समाहित कर के इनका मानदेय भी बढ़ाया जाए और इनको स्थाई करने के प्रयास किये जाएं।

दूसरा, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं सिद्धमुख-नोहर सिंचाई परियोजना नोहर-भादरा क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। हनुमानगढ़ जिले के जो लोग हैं,

उनमें काफी सम्पन्नता और समृद्धि लाने वाली यह सिद्धमुख-नोहर सिंचाई परियोजना है, इसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। आज हमारे सिंचाई तंत्र का विस्तार हो रहा है लेकिन सिंचाई परियोजना में चाहे वह भाखडा की थी चाहे गंग-कैनाल की थी चाहे आईजीएनपी की थी चाहे अब सिद्धमुख-नोहर सिंचाई परियोजना है, उसमें वर्कचार्ज कर्मचारियों की काफी कमी है जिससे पानी चोरी रोकने में, पानी की छीजत रोकने में भी काफी दुविधा होती है।

(डा. सुरेश चौधरी)

स्टाफ की कमी है, तो इसमें वर्कचार्ज कर्मचारियों की भर्ती की जाए और विभाग को संसाधन भी उपलब्ध कराये जाएं।

दूसरा, सिद्धमुख-नोहर सिंचाई परियोजना में पक्के खालों का निर्माण सीएडी विभाग से काफी लम्बे टाइम से, अपनी सरकार आने के बाद 2003 के बाद से चला। शुरूआती दो-तीन साल इसकी प्रोग्रेस ठीक रही। सिद्धमुख-नोहर सिंचाई परियोजना क्षेत्रफल 111458 हैक्टेयर था और 2004 से केन्द्र सरकार ने भी इसमें जो अंशदान राशि थी वह तीन हजार प्रति हैक्टेयर से बढ़ाकर पांच हजार कर दी थी। 2004-05 में सीएडी द्वारा इस परियोजना में पक्के खालों का निर्माण प्रारम्भ किया गया और 2004-5 में 17500 हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया जिसके विरुद्ध हमने लक्ष्य हासिल किया 16888 हैक्टेयर। 2005-06 में 29300 हैक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध हमने हासिल किया 30551 हैक्टेयर, जो कि बढ़कर था, 100 प्रतिशत से ज्यादा था। 2006-07 में 22850 हैक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध 16438 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण किया गया जिसमें कमी आई लक्ष्य हासिल करने में। 2007-8 में इस योजना में बीस हजार हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों के निर्माण का लक्ष्य था, जिसमें लक्ष्य के विरुद्ध 2006-07 मात्र 4309 हैक्टेयर में खालों का निर्माण हुआ जो काफी कम प्रतिशत रहा। कई बार निविदाएं भी आमंत्रित की, एनआईटी भी जारी की लेकिन ठेकेदारों ने इस काम का बहिष्कार किया लगातार तीन साल तक हम जो खर्चा 10,000 था, 13,000 प्रति हैक्टेयर के हिसाब से पक्के खालों का भुगतान करते रहे। आईजीएनपी फर्स्ट फेज और सैकण्ड फेज में जो 15,000 प्रति हैक्टेयर का भुगतान है, सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना में वह सिर्फ 13,000 प्रति हैक्टेयर का था। चलते काम में वित्त विभाग का यह आदेश आ गया कि 10,000 से ऊपर कोई भी एनआईटी, जारी नहीं की जाए, कोई भी भुगतान नहीं किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन है कि यह 13,000 प्रति हैक्टेयर भुगतान का काम चल रहा था..

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): दो मिनट। आज कंकरीट भी इतना मंहगा हो रहा है, सीमेंट भी इतना मंहगा हो रहा है,ब्रिक्स भी इतनी मंहगी हो रही हैं कि 13,000 से कम किसी भी हालत में नहीं होगा। यही हालत अमरसिंह और

(डा. सुरेश चौधरी)

जसाना की थी, उसमें भी सीएडी विभाग अपना लक्ष्य हासिल करने में सफल नहीं हो सका। अगले साल 2008-09 का भी 20,000 हैक्टेयर के करीब हमने रखा और इस साल का 2007-08 का करीब 28 करोड़ रुपया हमारे पास पड़ा है। पैसा होते हुए भी सिर्फ वित्त विभाग के उस एक आदेश की वजह से हम वह नहीं लगा पा रहे। 13,000 प्रति हैक्टेयर करने की भी मेरी गुजारिश है।

इसमें एक सिंचाई विभाग से ही संबंधित, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन है कि 2002-03 में भादरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र से संबंधित 15-16 गांवों में कुछ उस समय के प्रभावशाली लोगों के दवाब में वहां के अधिकारियों ने एसओएफ टाइप मोगे लगा दिये, आउटलैट लगा दिये। बाद में उन अधिकारियों से जब काश्तकारों ने निरीक्षण करवाया मौके पर तो उन अधिकारियों ने भी, सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने, अभियंताओं ने भी यह बात मान ली कि वास्तव में पहले एक घंटा बारी में पांच बीघा भीगता था वह आज एक घंटा बारी में एक बीघा भी नहीं भीग रहा। उसके बाद में काश्तकारों की मांग पर वहां के एडीएम ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने वहां के स्पेशलिस्ट, एसई थे उनकी मौजूदगी में वह उसका डिजाइन चेंज किया। लेकिन, सैकड़ों काश्तकार इकट्ठा थे वहां जाकर आउटलैट बंद कराने लग गये तो उसमें गरमा गर्मी हो गई, कहासुनी हो गई जो एक एमएएस से लगाकर तीन एमएएस, चार एमएएस, पांच एमएएस सीएचएन छानीबड़ी के, इस तरह कुल मिलाकर करोड़ों रुपये उन 15-16 चकों और गांवों के काश्तकारों के 20 प्रतिशत तवान एक्स्ट्रा आपासी के लगा कर दिया गया। मैं चाहता हूं कि वह तवान माफी की जाए।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): 15-16 गांवों के काश्तकारों की, माननीय सभापतिजी दो मिनट।

श्री सभापति: नहीं, आप समाप्त कीजिए। माननीय विजय बंसल, पांच मिनट में आप अपनी बात समाप्त कीजिए, गृह मंत्रीजी का वक्तव्य होगा।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): एक मिनट।

श्री सभापति: आप सुझाव दे दीजिए, आप पूरा घटनाक्रम क्यों बता रहे हैं?

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): एक मिनट सुझाव ही है, सिद्धमुख-नोहर सिंचाई परियोजना के लिए कुल पानी 0.47 एमएएफ आबंटित है। हमारी सिंचाई की सुविधाएं, हमारा सिंचाई तंत्र, सिंचाई की नहरें डवलप हैं, विकसित हैं, आज की तारीख में हमारी स्थिति यह है कि हम 0.47 एमएएफ पानी लेने की स्थिति में हैं। हमारा नया तंत्र विकसित है लेकिन हरियाणा की वजह से हमें 0.17 एमएएफ पानी कम मिल रहा है जो 300 क्यूसेक के करीब बैठता है। वहां पर 300 क्यूसेक पानी और दे दिया जाए। आज नहर हरियाणा से लेने की स्थिति में भी है, मौका भी है राजस्थान सरकार के लिए यह पानी काश्तकारों के लिए लेने का। हरियाणा वहां टोहाना पर अप- स्ट्रीम में जहां से राजस्थान पानी लेता है वहां भुहाना उसी भुटाना नहर निकाल रहा है, अप स्ट्रीम में पंचर करना चाहता है भाखड़ा मेन लाइन को, तो हमारे पास मौका है वह अगर हमें हमारा 0.17 एमएएफ पानी बकाया है वह दे-दे, 0.47 एमएएफ टोटल पानी दे-दे तो उनको भी....

श्री सभापति: अब आप समाप्त कीजिए। मंत्रीजीको बता दीजिए आपकी जो समस्या है। माननीय श्री विजय बंसल।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय सभापतिजी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: पांच मिनट में आप अपनी...

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): एक मिनिट विजयजी, भाखड़ा नोर्थ तारागनगर विधान सभा क्षेत्र के दो दर्जन से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो सिंचाई की सुविधा से एकदम वंचित रह गये हैं एक तरफ आ गई सिद्धमुख-नोहर सिंचाई परियोजना की रसलाना वितरिका, दूसरी तरफ आ गई इंदिरा गांधी नहर परियोजना की साहवा लिफ्ट कैनाल परियोजना। उसके बीच के दो दर्जन से अधिक गांव हैं जिनमें, 12 गांव मेरे भादरा विधान सभा क्षेत्र के हैं, 9-10 गांव नोहर विधान सभा क्षेत्र के हैं, 3-4 गांव तारानगर विधान सभा क्षेत्र के हैं, इन सबको पानी मिलता है इसमें। वहां के एफएसएल व साहवा लिफ्ट कैनाल का एफएसएल रसलाना वितरिका के एफएसएल से 10 से 18...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप समाप्त कीजिए, आपका एक मिनट पूरा नहीं हो रहा। माननीय विजय बंसलजी, आप शुरू कीजिए।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): उसमें मेरा एक सुझाव है। (व्यवधान)

श्री सभापतिः आप सुझाव दे दीजिए मंत्री को, आप तो भूमिका बता रहे हो।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): आपके माध्यम से सुझाव दूंगा, ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को सुझाव है कि उन दो दर्जन गांवों का सर्वे करके, रिसर्वे करके उनको भले ही स्प्रिंकलर सिस्टम से दें, चाहे ड्रिप सिस्टम से दें, उन हजारों काश्तकारों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, पेयजल एवं सिंचाई की चर्चा में भाग लेते हुए मैं यह निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि पिछले चार वर्षों में पानी की किल्लत होने के बावजूद, जो मटका फोड़ आंदोलन आदि लगातार देखने को आते थे पूरे राजस्थान में, विशेष तौर से मैं अपने जिले भरतपुर की बात कर सकता हूं जो पानी की कमी से जूझता भी है लेकिन सिंचाई मंत्री महोदय के कुशल प्रबंधन के कारण आज तक कोई आंदोलन नहीं हुआ। पानी की कमी तो है ही, इसके बावजूद बगैर किसी भेदभाव के जितने हैण्ड पम्प और टयूबवैल्स लगवाये गये हैं, माननीय सभापति महोदय, जिस दिन भरतपुर सम्भाग की मीटिंग ली गई थी मैं यह सोच रहा था कि सर्वाधिक हैण्ड पम्प 870 मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगे हैं, लेकिन सभापति महोदय, जब आपने कहा कि 700 मेरे यहां लगे हैं तो इसमें मालूम पड़ता है कि इस सरकार में किसी तरह का पार्टी का भेदभाव न करके जनता की समस्या को हल करने की बात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से शिक्षा में बजट के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर सैकण्डरी स्कूल खोल दिये जाएंगे, मैं आग्रह करना चाहता हूं इस पानी की कमी से जूझते हुए राजस्थान में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर अगर एक टयूबवैल बनाए और उसके लगते हुए गांवों में पाइप लाइन डालकर पानी की व्यवस्था की जाए तो शायद इस समस्या से काफी छुटकारा प्राप्त हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, भरतपुर की पेयजल व्यवस्था रियासतकालीन बांध बंध बारेठा से लगातार होती चली आई है।

लेकिन पिछले कुछ समय से वह पाइप लाइन टूट चुकी है और वहां से चलने वाले पानी का 70 प्रतिशत रास्ते में व्यर्थ ही बह जाता है। मैं

(श्री विजय बंसल)

आग्रह करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि इसकी एक योजना राज्य सरकार के पास आ चुकी है, अगर उस पाइप लाइन को बदल दिया जाए, 29 करोड़ कुछ की वह योजना है तो 70 प्रतिशत पानी वेस्ट नहीं जाएगा और पेयजल की समस्या हल हो जाएगी।

सभापति महोदय, चम्बल-धौलपुर एक परियोजना हमारे भरतपुर जिले की पेयजल समस्या के लिये बनी थी जिसको कि दिसम्बर, 2007 में काम पूरा करके भरतपुर जिले की पयेजल व्यवस्था को सुचारु रूप से पानी पिलाना था। लेकिन कोर्ट में स्टे की वजह से वह 2 साल तक लटकी रही।

(समय : 16.01 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इसकी निश्चित रूप से यह जांच कराई जाए कि इस स्टे को तुड़वाने में सरकार के वकील ने दो साल तक कोशिश नहीं की और जनता को पेयजल के लिये परेशान होना पड़ा। साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अब वह जो चालू हो गई है तो उसकी मानिटरिंग करके उस योजना को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर में घना पक्षी विहार के नाम से नेशनल पार्क है जिसमें पानी की व्यवस्था गम्भीरी नदी से होती चली आई थी। भरतपुर, राजस्थान और हिन्दुस्तान से ही नहीं, घना पक्षी विहार को देखने के लिये अनेक देशों से पर्यटक आते हैं। पाचना बांध बन जाने के बाद पानी की कमी से वह जूझ रहा है। मैंने दो साल पहले भी यह बात उठाई थी और सरकार ने इसका जवाब दिया था कि इसकी योजना बनाकर केन्द्र सरकार को भेज दी गई है। अब तक वह योजना वहां से नहीं आई। इस योजना को भी अगर पूरी करवाएं तो निश्चित रूप से घना के पक्षी विहार को बचाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात ध्यान में लाना चाहूंगा आपके माध्यम से कि कल एक यू.एन.ओ. के प्रतिनिधिमण्डल ने इस घना के बारे में भरतपुर आकर एक मीटिंग की थी इस घना पक्षी विहार को नेशनल पार्क का दर्जा खतम करने के लिये। यह स्थिति पानी की कमी की वजह से बन रही है, यह एक बहुत ही चिन्ता का विषय है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्रीजी एवं मुख्य मंत्री महोदया से आग्रह करना चाहूंगा कि इस घना पक्षी विहार को बचाने के लिये अतिशीघ्र उसमें पानी की व्यवस्था की जाए।

(श्री विजय बंसल)

उपाध्यक्ष महोदय, बरसात कम हो रही है, पानी व्यर्थ बहकर जा रहा है। मेरे भरतपुर विधान सभा क्षेत्र में 1995-96 में जब बाढ़ आई थी तो बाढ़ से बचने के लिये चिपसाने बांध के गेटों को तोड़ा गया था। वे गेट इतने साल के पश्चात भी आज तक नहीं बने हैं और प्रत्येक साल बरसात का पानी उस बांध से होकर उत्तर प्रदेश में चला जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि उसकी योजना बनकर आपके समक्ष आ चुकी है, आपके अधिकारयों ने भेजी है, उस बांध की ढाई करोड़ की लागत है, अगर आप घोषणा करते हैं तो आगामी बरसातों में पानी को रोक पाएंगे जिससे पशु एवं सिंचाई की व्यवस्था सुचारु रूप से हो सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निश्चित कहना चाहूंगा कि पेयजल एवं सिंचाई मंत्री माननीय सांवरलालजी जाट के कुशल नेतृत्व में किसी भी सदस्य ने अगर कहीं भी ट्यूबवैल एवं हैण्ड-पम्प की बात की इस पानी की समस्या से जूझने के लिये, तो उसकी निश्चित रूप से मांग पूरी हुई है। इसके लिये मैं बहुत-बहुत बधाई, आभार देता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

शासकीय वक्तव्य

गंगानगर जिले हथियार लाइसेंस देने में की गयी अनियमितताएं

श्री उपाध्यक्ष: श्री गुलाबचन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि मैंने प्रयास किया, यह विषय बहुत लम्बा और बड़ा पेचीदा है, हो सकता है कि कुछ चीजें मेरे इसमें समाहित हुई हों, कुछ नहीं भी हुई हों। कुछ आपके प्रश्नों के जवाब में करुंगा और कुछ फिर भी बाकी रह जाएगा तो, जो भी इस कम समय में तैयार कर सका वह मैं आपकी आज्ञा से सदन में रख रहा हूं।

श्री ओ. पी. महेन्द्रा, सदस्य, राजस्थान विधान सभा द्वारा तारांकित प्रश्न दिनांक 16.2.2005 के माध्यम से गंगानगर जिले में टोपीदार बंदूकों के लाइसेंसों को 12-बोर में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई थी। जिला मजिस्ट्रेट, गंगानगर एवं महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान जयपुर से सूचना चाही जाकर विभाग द्वारा प्रश्नोत्तर तैयार किया गया। इसी दौरान कुछ कमियां पाई जाने पर जिला मजिस्ट्रेट को तुरन्त सूचना भेजने हेतु 19.3.2005 को लिखा गया जिसका उत्तर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रेषित किया गया। दोनों ही

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बार यह जानकारी दी गई कि 18 टोपीदार बंदूकों के लाइसेंस को 12-बोर में परिवर्तित किया गया है। उक्त सूचना के आधार पर विधान सभा में दिनांक 31.03.2005 को सूचित किया गया। साथ ही जिला मजिस्ट्रेट, गंगानगर को भी पत्र दिनांक 20.04.2005 से निर्देश दिया गया कि 12-बोर के लाइसेंस निर्धारित प्रक्रिया अपनाये बिना जिस कर्मचारी/अधिकारी ने परिवर्तित किये हैं, उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

गंगानगर सीमावर्ती जिला है, इसमें लाइसेंस प्रकरणों में गहनता से छानबीन जरुरी है। प्रश्नोत्तर के समय छानबीन में ढिलाई संज्ञान में आने पर पुलिस के माध्यम से छानबीन कराने की कार्यवाही भी की गई। सी.आई.डी., आई.बी., जयपुर ने पत्र दिनांक 13.01.2006 जिला मजिस्ट्रेट और जिला अधीक्षक, गंगानगर को 16 प्रकरणों की जांच हेतु लिखा। प्राथमिक छानबीन में शस्त्र अनुज्ञा पत्र में जारी किये जाने में अपराध कारित होने की सम्भावना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, गंगानगर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट 212/7, थाना कोतवाली, गंगानगर में दर्ज की गई। इसके अनुसंधान के दौरान ये तथ्य सामने आये कि इन 16 प्रकरणों के अतिरिक्त भी अनेक प्रकरणों में गम्भीर अनियमितता हुई है। कुछ और प्रकरण आने की आशंका एवं प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट, गंगानगर ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में दिनांक 16.06.2007 को एक समिति गठित की। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट 03.07.2007 को प्रस्तुत की, जिसे जिला मजिस्ट्रेट ने पत्र दिनांक 04.07.2007 को राज्य सरकार को भेजा। जांच समिति की रिपोर्ट में पाया गया कि टोपीदार बंदूकों के 284 लाइसेंस अन्य बोर के लाइसेंस में परिवर्तित किये गये। जिला कलक्टर, गंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट में निम्न प्रकार की अनियमितताएं पाई गईं :-

(1) टोपीदार बंदूकों के लाइसेंस को अन्य बोर के लाइसेंस में परिवर्तित किया गया जो राज्य विशेष पुलिस शाखा की नवीनतम रिपोर्ट के बिना ही कर दिया गया। (2) जिले के बाहर के प्रकरणों में भी अतिरिक्त जिला कलक्टर ने टोपीदार बंदूकों के लाइसेंस को अन्य बोर के लाइसेंसों में परिवर्तित कर दिया। (3) आवेदक के मूल निवास स्थान आदि का सत्यापन नहीं कराया गया। साथ ही बाहर के राज्यों में बने अनुज्ञा-पत्रों को भी सत्यापित नहीं कराया गया। (4) फर्जी पतों और निवास के आधार पर बोर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

परिवर्तन की अनुमति, लाइसेंस स्वीकृति दी गई। (5) दूसरे जिलों के लाइसेंस पंजीकृत करते समय सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को न तो सूचना दी गई और न ही उनसे सत्यापन रिपोर्ट ली गई। (6) जिले के बाहर के आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को विधि सम्मत जांच कराये बिना लाइसेंस दिये गये। (7) बाहर के लाइसेंसधारियों के अनुज्ञा पत्रों का नवीनीकरण बिना पात्रता सत्यापन के कर दिया। (8) राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों, दिनांक 02.07.2003 और दिनांक 05.11.2004 के अनुसार अतिरिक्त जिला कलक्टर लाइसेंस के लिये सक्षम अधिकारी नहीं है। (9) वर्ष 2003 में जिन अधिकारियों ने टोपीदार बंदूकों के लाइसेंस को अन्य बोर में परिवर्तित करते हुए लाइसेंस जारी किया या अन्य बोर के शस्त्र क्रय करने की अनुमति दी, उनकी सारणी निम्न प्रकार से है- रामावतार आई.ए.एस., जिला मजिस्ट्रेट, गंगानगर। जिले के जो लाइसेंस बनाये हैं वे 6 हैं। सूरजमल मीणा, जिला कलक्टर, 4 लाइसेंस बनाये हैं, जिले के ही अन्दर के निवासियों के। कुंजीलाल मीणा, जिला कलक्टर, एक लाइसेंस बनाया। जे.पी. बुनकर, आर.ए.एस. अधिकारी, गंगानगर, 17 लाइसेंस बनाये जिले के।

अशोक यादव, आर.ए.एस. अधिकारी है, 33 लाइसेंस बनाये जिले के। राजेन्द्र शेखर मक्कड़, इन्होंने 67 बनाये जिले के और 20 बनाये अन्य जिलों के लोगों के। श्री लालचन्द ओझा, इन्होंने 79 जिले के बनाये और 57 जिले के बाहर के लोगों के भी बनाये। इस तरह से ये 207 लाइसेंस जिले के और 77 अन्य जिलों के लोगों के भी यहां बने। कुल मिलाकर 284 जिनकी जांच हुई। इस सम्बन्ध्ा में अब तक की गयी कार्यवाही निम्न प्रकार है:-

कार्मिक विभाग द्वारा तत्कालीन ए.डी.एम. श्री आर.एस. मक्कड़ और श्री लालचन्द ओझा को निलम्बित किया जा चुका है। अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के दायित्व निर्धारण बाबत् सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर से प्राथमिक जांच करायी गयी। जिला मजिस्ट्रेट, गंगानगर ने संबंधित दोषी लिपिकों श्री विनोद भल्ला, वरिष्ठ लिपिक, व श्री लक्ष्मण सिंधी, एल.डी.सी. तथा सूरजपाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को निलम्बित किया है। प्रकरण में आपराधिक कृत्य की सम्भावना को देखते हुए सी.आई.डी. (सी.बी.) द्वारा जांच करने के आदेश दिये गये। इस प्रकरण में अब तक विनोद भल्ला, सूरजपाल को प्रकरण संख्या 220/7, 252/7, 271/7 में गिरफ्तार करके इनके खिलाफ चालान पेश किया

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जा चुका है। इनकी जमानत हो चुकी है। अन्य अभियुक्तगणों के विरुद्ध अनुशासनात्मक, अनुसंधान जारी है जो माननीय उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत पर हैं। इस प्रकरण में एक गन डीलर- संजीव गुप्ता को आपराधिक प्रकरण संख्या 220/7, 309/7 में गिरफ्तार किया गया है। इसमें से प्रकरण संख्या 220/7 में इसका चालान पेश किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त एस.ओ.जी. द्वारा 107 अनुज्ञापत्रधारियों के विरुद्ध अभियोग दर्ज किये गये हैं। इसी दौरान यह भी संज्ञान में आया कि लाइसेंस जारी करने में अधिकारियों का कृत्य भ्रष्टाचार से प्रभावित हो सकता है। अतः भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भी प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के निर्देश दिये गये। इसके द्वारा अभियोग दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट को सुपरवाइजरी नेग्लिजेंसी का दोषी माना है। मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि शस्त्र लाइसेंस जारी करने में न केवल अनियमितता हुई है वरन भ्रष्टाचार और अपराधजनक आचरण भी अपनाया गया है। मैं किसी भी अपराधी को, चाहे वह किसी भी ओहदे पर हो, बचाना नहीं चाहता हूं। उसे उसके कृत्य का दंड मिले, यह मेरा प्रयास रहेगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी, इसके लिए तो आपके आभारी हैं कि आपने पूरी सच्चाई के साथ इन सब तथ्यों को सदन के सामने रखा है। इसके लिए भी आपके आभारी हैं कि आपने सदन में यह प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि आप किसी को भी बचाना नहीं चाहते हैं और जिसने दोष किया है उसको दंड देने की मंशा है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जब केसरीसिंहपुर के माननीय सदस्य ने प्रश्न लगाया तब 2005 में ही आपके माध्यम से, इस सदन के जरिए यह इश्यू नोटिस में आ चुका था। उसके बाद भी वहां पर जो भी उच्चाधिकारी रहे, उनका वर्किंग वही रहा। सेना के आटोमेटिक राइफलों के लाइसेंस चले गये। पांच-पांच लाख रुपये लेकर पिस्टल के लाइसेंस बन गये। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि ड्रग माफिया है, उसने लाइसेंस बनवा लिये। डकैत ने लाइसेंस चढ़वा लिये। फिर आप अभी तक इस सदन के अन्दर वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पर लीपापोती की भाषा क्यों बोल रहे हैं? क्या यह सरकार इतनी कमजोर है, वह भारतीय जनता पार्टी जो पूरी दुनिया के अन्दर राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद किये हुए है? इतने गम्भीर अपराध के अन्दर जिस सरकार के अधिकारी

(श्री संयम लोढ़ा)

शामिल हों, आप स्वयं यह कह रहे हो, उसके बाद भी सदन में आप कार्यवाही करने की घोषणा नहीं करें? तीन-तीन साल तक लगातार नोटिस में आने के बाद वह अपराध चलता रहा। 2006 के अन्दर कलक्टर ने आर्डर कर दिया, उसके बाद वह अपराध चलता रहा। और सिर्फ इसलिए कि वे उच्च ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं। हम क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने बाबू को संस्पैंड किया। या बाबुओं की गिरफ्तारी की आपने। छोटे-छोटे विक्रेताओं की गिरफ्तारी की। क्या ये लोग अपराध कारित करने वाले हैं? हम और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आर.ए.एस. आफिसर की भी क्या औकात है। जिसको कलक्टर को करना होता है, बुलाकर वहां पर आफिस में, चैम्बर में आर.ए.एस. आफिसर को कहता है कि ले दस्तख्त कर और वह दस्तखत करता है। इसलिए, मेरा आपके माध्यम से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी से यह निवेदन है इस सदन के माध्यम से कि राजस्थान की जनता को आप भरोसा दिलाएं, इस व्यवस्था के अन्दर विश्वास कायम करें और आज इस सदन के अन्दर यह घोषणा करें। जिन वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पर आप चुप्पी साध रहे हैं और सख्ती के साथ कार्यवाही करने की घोषणा नहीं कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। आप जैसे व्यक्ति से राजस्थान की जनता को बहुत उम्मीद है क्योंकि आपके ऊपर लोगों का भरोसा है बहुत बड़ा। आपसे मैं यह नहीं कहता, आपने बहुत ईमानदारी के साथ सदन में तथ्यों को रखा है, लेकिन मुकदमे जिनमें दर्ज हो गये, नौ महीने उस बात को भी हो गये, इसके बाद भी आज तक आप यह सब लेकर बैठे हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस राष्ट्र विरोधी कर्म के लिए उन वरिष्ठ अधिकारियों को जेल की सलाख़ों के पीछे बंद करिये और एक संदेश दीजिए राजस्थान की पूरी नौकरशाही को कि चाहे कितने ही बड़े ओहदे पर बैठा हुआ आफिसर क्यों नहीं हो, कितनी ही बड़ी उनकी लाबी क्यों नहीं हो, कानून का सम्मान सब को करना पड़ेगा और जिस स्तर का भी आदमी अपराध यदि करेगा, उसको सरकार दंड देगी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी ने एक बात यहां पर यह अवगत करायी सदन में कि 2003 के अन्दर ही इस प्रकार के आदेश निकल गये थे कि कलक्टर के

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अलावा कोई अन्य अधिकारी सक्षम नहीं है। आपने अपने स्टेटमेंट में यह बात बतायी है। एनी हाऊ, यह हुआ कैसे? आपने कहा, एक कलक्टर ने एक दिया, एक ने चार दिये, एक ने छह दिये होंगे, जैसी आपने फिगर बोली यहां पर। तो यह हुआ कैसे 2003 के बाद? अगर आप इसके ऊपर प्रकाश डालें तो सारी स्थिति सामने आ जाएगी इसकी।

दूसरी बात, तीन आर.ए.एस. अधिकारियों में से आपने दो को सस्पैंड किया है। तीसरे का क्या हुआ, आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल देंगे तो यह बेहतर रहेगा। जैसा सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, कहीं न कहीं सीधा किसी को बचाने की चेष्टा तो हो रही है- 9 महीने निकल जाएं, 9 महीने के बाद आप कोई कार्यवाही नहीं करें, आपकी नीयत साफ हो सकती है, आपकी नीयत पर इस सदन में शायद ही किसी को शक हो कि किसी को बचाने में आपका हाथ है या आप लिप्त हैं या उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं तो, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है इस मामले के अन्दर। अब आपने एक किसी बाबू को कर दिया, किसी चपरासी को कर दिया। उसका वह चपरासी है, साले का क्या लेना-देना। सारी। चपरासी का क्या लेना-देना उसके अन्दर? (व्यवधान) मैंने कान पकड़ लिये। चपरासी का क्या लेना-देना है?

एक माननीय सदस्य: कोई दिक्कत नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप चपरासी को कर रहे हो उसके अन्दर। When did he come into the picture? चपरासी का काम तो फाइल ले जाए इसीलिए उसको आपने सस्पैंड कर दिया? It is shocking. It is just shocking and disgraceful. करा क्या आपने यह? आप प्रकाश डाल दें इन तीन-चार बिन्दुओं के ऊपर तो सारी स्थिति साफ हो जाएगी इसके अन्दर।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है, मेरे दो सवाल हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इनको बोलने दो। पहले बैठिये आप। बीच में नहीं, यह खड़े हो गये। बीच में नहीं। नहीं-नहीं, आप, माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं सवाल पूछ लूं, आप भी पूछना। आप भी बोल लेना न। यह कोई विवाद का कारण नहीं है, आप भी बोल लेना। (व्यवधान)

(श्री हरिमोहन शर्मा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन सवाल हैं मेरे। माननीय गृह मंत्रीजी, आर्म्स एक्ट के तहत डी.एम. को, ए.डी.एम. को लाइसेंस बनाने की पावर डैलिगेट करने का कोई अधिकार नहीं है। वह कौन डी.एम. था जिसने ए.डी.एम. को पावर डैलिगेट करके यह आर्म्स लाइसेंस बनाने का आदेश जारी किया, नम्बर एक?

नम्बर-दो, सेना के अधिकारियों के जो आर्म्स लाइसेंस है, उनकी जो पिस्टल या जो भी उनके विशेष किस्म के हथियार थे, उन हथियारों का लाइसेंस बनाने का न डी.एम. को अधिकार है और न ए.डी.एम. को है। वह कौन डी.एम. और ए.डी.एम. था जिसने इस प्रकार के लाइसेंस उन आर्मी के आफिसर्स के, जिनके लाइसेंस नहीं बन सकते थे, किस डी.एम. और ए.डी.एम. ने वे लाइसेंस बनाये? तीसरा मेरा निवेदन करना आपसे यह है कि आपने इन्फोरमेशन में अभी 284 बताये हैं गंगानगर में। मेरी जानकारी के हिसाब से 284 के स्थान पर ये 288 हैं, मेरी जानकारी के हिसाब से कोटा में 27 ऐसे लाइसेंस बने, मेरी जानकारी के हिसाब से झालावाड़ में 4 बने, मेरी जानकारी के हिसाब से हनुमानगढ़ में ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आप पूरे राजस्थान का मत बताइये। (व्यवधान) गंगानगर तक सीमित रखिये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वह दे देंगे जवाब, कोई विवाद क्यों पैदा कर रहे हो आप? यह राजस्थान का सवाल है। ये गंगानगर के साथ हनुमानगढ़ में भी बने हैं, कोटा में भी बने हैं, झालावाड़ में भी बने हैं। मेरा अनुरोध है ...(व्यवधान) आप सुनो तो सही। आप सुनने ही नहीं देना चाहते हो क्या? ..(व्यवधान) बोलने ही नहीं देना चाहते हो (व्यवधान) ... जो मुझे प्रश्न पूछना है, पूछने दो, जवाब वह दे देंगे। मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं, उसमें जवाब उनको देना है। ..(व्यवधान) आपको काहे की परेशानी है इसमें? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आप गृह विभाग की डिमाण्ड पर खुलकर बोलते, तब क्यों छिपाकर रखी थी? अब यह सारे राजस्थान का थोड़े ही बोलेंगे। (व्यवधान) यह पर्टीकुलर मामला है। ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आखिर में मेरा प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, डी.एम. को ए.डी.एम. का ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं। ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): डी.एम. को ए.डी.एम. का आफिस का इंस्पेक्शन हर साल करना पड़ता है। क्या डी.एम. इंस्पेक्शन कर रहा था? फिर सारे डी.एम.तो बच जाएं और ये आर.ए.एस. अधिकारी, बाबू जांच में आ जाएं, क्या यह न्यायसंगत है? आपको हिम्मत के साथ चाहे वह डी.एम. हो या जितने भी डी.एम.रहे हों, उनको किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त हो, आपसे उम्मीद करते हैं, जिस डी.एम. ने वह पावर डेलीगेट की, जिस डी.एम. ने चार साल तक इंस्पेक्शन करने के बाद इन चीजों को डिटैक्ट नहीं किया और जिन्होंने गैर-जिम्मेदाराना काम किया, उन सब लोगों को कानून के हिसाब से सज़ा देकर राजस्थान में एक मिसाल कायम करनी चाहिये।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पहले इनको कहने दें, माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले का मामला है, मैं उस जिले से आता हूं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि यह जो लाइसेंस प्रकरण है, यह आज इसी भाजपा राज में नहीं हुआ, ये 1972 से लगातार चले आ रहे हैं। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय, से आपके माध्यम से दरख्वास्त करूंगा कि 1972 से यह परिपाटी चली आ रही है। आज कोई बीजेपी राज में नहीं, राजस्थान में 1972 से चला आ रहा है। 1972 के बाद में कितने लाइसेंस बने? उस समय कांग्रेस की सरकार रही, 1972 के बाद में लम्बे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार में बने हैं। ये कोई आज के बीजेपी राज में नहीं बने, पुरानी परिपाटी के तहत चला आ रहा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अगर यह बात है तो 1972 के बाद के जितने भी लाइसेंस प्रकरण हैं, राजस्थान में उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित करने की घोषणा कर दो।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कानून, न्याय और संविधान की बात कर रहे हैं, 14 दिसम्बर, 2000 की जो घटना हुई, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी इबादतगाह पर +++ आतंकवादियों ने हमला किया। अफजल गुरु ..(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा इतनी संगीन हो

(श्री जुबेर खान)

रही है, गृह मंत्रीजी जवाब दीजिये। इसको डाइवर्ट मत करिये। ...(व्यवधान) इस इश्यू को डाइवर्ट मत करिये, आप जवाब दीजिये। (व्यवधान)

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): और केन्द्र सरकार उस आंतकवादी को बचा रही है। उनको प्रश्रय दे रही है। (व्यवधान)

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): अफजल गुरु को बचाने वाले हमें कह रहे हैं। हम जांच करवा रहे हैं, निष्पक्ष जांच करवा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त कर रहा हूं न मेरी किसी को बचाने की मंशा है, कुछ नहीं है। कुछ प्रक्रिया करने में जब हमको यह संदेह हुआ कि यह केवल प्रशासनिक जांच से ही नहीं निपटने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ भ्रष्टाचार का भी संदेह हो रहा है, इसलिए शायद मैंने और मेरे विभाग के अधिकारियों ने बैठकर निर्णय किया कि इसको ए.सी.डी. में साथ का साथ देना चाहिये और सारी की सारी फाइलें ए.सी.डी. में भी जांच के लिए दें ताकि उसमें से भी जो लेन-देन का या कहीं गड़बड़ होगा तो वह भी निकलकर आये और उसके खिलाफ संगीन केस बनाकर क्रिमिनल तरीके से भी उसको डील करें, इस दृष्टि से भी साथ-साथ चलाएं। संभागीय आयुक्त की जो रिपोर्ट आई, जो हमने जांच कराई, उस रिपोर्ट में यह आया कि इसकी नेग्लीजेंसी है। लेकिन हमने इसको नहीं माना। जैसा हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं, हम सब लोग इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि डी.एम. के अलावा इस प्रकार के बोर चेंज करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। लेकिन 2003 और 2005 के बीच में एक आर्डर का ऐसा कनफ्यूजन रहा जिसके कारण उसमें से धुरी उन्होंने निकाली कि डी.एम. के कहने से कोई दूसरा भी दे सकता है। उसको भी हमने क्लीयर किया और उसके बाद पूरी की पूरी हमने अपने इस लाइसेंस की दृष्टि से कोई कमी नहीं रखी। जितने आर्डर निकाले, उसकी कापी छापकर हमने सारे अधिकारियों को भी भेजी कि इसमें कहीं गलतफहमी नहीं हो। समय-समय पर इसमें हमने जो भी आदेश हमारे निकले, उसकी कॉपियां हमने भेजीं। यही नहीं, आपको लगेगा कि हमारी मंशा में कहीं किसी प्रकार का अन्तर नहीं था। यह 31 तारीख का प्रश्न था और 31 तारीख के दिन ही मैंने अपने हाथ से इस फाइल पर स्वयं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लिखा है। मैंने लिखा है, 18 प्रकरण लाइसेंस 12-बोर, इस व्यक्ति के, बिना प्रक्रिया पूर्ण किये किया, उसके विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करें। यह मैंने 31.3. को दिया और 20.204 को हमारे यहां से पूरा डिटेल नोट बनकर संबंधित कलक्टर को भी गया। ...(व्यवधान) 2005 को ही, 2007 को नहीं, 2005 को ही, यह 2005 का ही क्वेश्चन था, 2005 को ही गया। इसके साथ ही सी.आई.डी. ने भी अपनी जांच प्रारम्भ कर दी। 2006 में उनको भी अपना काम दिया। उन्होंने भी अपना प्रकरण दर्ज किया। तो यह निश्चित है कि इसमें गलती हुई है। मैंने अन्त के दो वाक्यों में अगर आपको जो कुछ भी मैं कह सकता था, मैंने कहा है कि इसमें संदेह है कि अनियमितता में और भी लोग शरीक हैं। केवल अगर मैं संभागीय आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर चलूं तो कलक्टरों का दोष केवल इतना ही है कि नेग्लीजेंसी बरती। मतलब उन्होंने साल में कम से कम एक बार इंस्पेक्शन करना चाहिये था, उन्हें नहीं किया तो एक साधारण दण्ड मिलकर बरी हो जाएगा। मेरी मंशा साधारण दण्ड देने की नहीं है। अगर साधारण दण्ड देने की होती तो मैं उस प्रक्रिया में जाकर इनका दण्ड ही तय कर देता और काम भी निपटा देता। वहीं मैंने इसको गंभीरता के हिसाब से लिया। जो कुछ भी मैंने फाइल देखी और जो कुछ भी मेरे पास अब तक जानकारी आई है, निश्चित रूप से यह गम्भीरतम प्रकरण है। इसके अंदर जितने घुसेंगे, उतने ही इसमें छिलके उतरते चले जाएंगे।

इसका केवल इसी पर ध्यान नहीं रखा। जैसा आपने सवाल खड़ा किया, मैंने इस बात को ध्यान में रखकर राजस्थान के बाकी सभी जिलों पर भी अपनी तरफ से एक पत्र भेजकर कहा कि आपके यहां भी एक बार जितने लाइसेंस आपने जारी किये हैं, उन पर भी एक दृष्टि डालिये। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गंगानगर के जैसे प्रकरण और भी कई जिलों में दोहराये गये हों। निश्चित रूप से जो आप कह रहे हो उसमें से, कुछ हल्की-फुल्की जो जानकारी मेरे पास आ रही है, और जगह भी इस प्रकार की कुछ अनियमितताएं हैं। आपको मैंने कहा कि फाइल इतनी बड़ी थी और समय आपने इतना कम दिया कि चार घंटे में इसके सारे बिन्दुओं को मैं आपके सामने नहीं रख सकता। बाकी संभागीय आयुक्त की रिपोर्ट मेरे पास है, ए.डी.एम. की रिपोर्ट है, वह मेरे पास है। ए.सी.डी. ने जो अब तक जांच की है उसमें कुछ उन्होंने मुकदमे दर्ज भी करा दिये और बाकी एजेन्सी ने भी जिस प्रकार के मुकदमे दर्ज किये हैं, इससे भी गंभीरतम विषय इसमें से निकलकर आ रहे हैं। मैं आश्वस्त कर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सकता हूं, मैं कोई एकदम आज रिजल्ट देने की स्थिति में तो नहीं हूं, क्योंकि मैं प्रक्रिया की पूरी जांच करके किसी नतीजे पर आऊंगा, पर इतना विश्वास है कि किसी को बचाने का कोई इरादा नहीं है। जहां तक आपने चपरासी का कहा, काटा-फासी करने में उसका इन्वाल्वमेंट था, इसलिए किया। दो आर.ए.एस. अधिकारियों को उसी दिन निलम्बित किया, क्योंकि जिले के बाहर के लोगों को अपने जिले का बताकर उन्होंने लाइसेंस जारी किये। यह एकदम प्रत्यक्ष पहली एवीडेंस के रूप में आया। दोनों ही आर.ए.एस. अधिकारी उसमें आये, दोनों को उसी समय, जिस समय जानकारी आई, उसी समय सस्पैण्ड किया है। ऐसा नहीं कि उसमें एक दिन की भी देरी की हो। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि जो भी क्षमता है, उसके अनुसार इसमें से चाहे कोई कलक्टर हो, चाहे कोई भी हो, जो दोष उसने किया और जिसके कारण दाग लगा है, उस दाग को धोने का पूरा प्रयास करूंगा, ईमानदारी से प्रयास करूंगा और दोषियों को दण्डित करूंगा। इतना मैं कह सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: डा. भरत सिंहजी।

श्री भरत सिंह (दीगोद): आपको धन्यवाद। आपने मुझे डाक्टर बनाया।

श्री उपाध्यक्ष: राजनीति के डाक्टर हैं जी।

श्री भरत सिंह (दीगोद): अच्छा-अच्छा।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो आपने जो व्यवस्था दी, बहुत उचित है, शिरोधार्य है। अबकी बार थोड़ा इधर से बोलने का था।

श्री उपाध्यक्ष: दे देंगे, दे देंगे।

मांग संख्या-27 एवं 46 पर विचार

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में पेयजल और सिंचाई पर चर्चा हो रही है, पेयजल और सिंचाई पर अलग-अलग चर्चा सम्भव नहीं है, ये दोनों एक ही वर्षा चक्र के भाग हैं। हमारे प्रदेश में जो भी जल है, चाहे वो पेयजल है या सिंचाई का जल है चाहे भू-जल है, सारा जल एक वर्षा चक्र का हिस्सा है और जब हम चर्चा करें उसके अन्दर तो हमें प्रदेश में उपलब्ध वर्षा जल और सतही जल के साथ इसका मूल्यांकन करना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और

(श्री भरत सिंह)

हम जानते हैं कि केवल एक प्रतिशत सरफेस वाटर इस प्रदेश को उपलब्ध है और 94 परसेंट पेयजल की पूर्ति भू-जल से हो रही है ओर सिंचाई की भी लगभग 68-70 परसेंट पूर्ति भू-जल से हो रही है। उस दृष्टि से प्रदेश में जो राष्ट्र का सबसे सूखा प्रदेश है, जहां वर्षा जल कम है और भू-जल के ऊपर दोहन अधिक हो रहा है, स्थिति अलार्मिंग है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय 1947 में केवल चार लाख हैक्टेयर के अन्दर सिंचाई इस प्रदेश के अन्दर सतही जल से होती थी। उस समय जो चार लाख हैक्टेयर में सिंचाई हो रही थी उसमें से बहुत बड़ा, दो तिहाई भाग वह था जो महाराजा गंगा सिंहजी ने जो गंग नहर निकाली थी। उनकी दूरदर्शिता की वजह से इतना पानी उपलब्ध था चार लाख हैक्टेयर में सिंचाई हो रही थी। आज हमारे प्रदेश में 65-70 लाख हैक्टेयर में सिंचाई हो रही है, हमने इस सिंचाई के अन्दर लगभग 16-17 गुणा वृद्धि की है। मगर साथ में ही आज राजस्थान के अन्दर हो यह रहा है कि प्रति व्यक्ति पानी की अवेलेबिलिटी है जो 1947 में थी, आज जनसंख्या के बढ़ने के बाद पानी की अवेलेबिलिटी प्रति व्यक्ति बहुत घट गयी है। क्योंकि राजस्थान सूखा प्रदेश है, इस सदन के अन्दर मैंने लोगों को सुना, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात पर भी दिलाना चाहूंगा कि सिंचाई मंत्रीजी यहां पर उपस्थित नहीं हैं...

श्री उपाध्यक्ष: नोट कर रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कौन कर रहा है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई नोट नहीं कर रहा है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (राज्य मंत्री, सिंचाई): मैं नोट कर रहा हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप राज्य मंत्री हैं, आपको अधिकार दे रखा है क्या?

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चलिये, आप इसको नोट कर रहे हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया था क्योंकि विषय इतना गम्भीर है और अगर मंत्री उपस्थित नहीं हैं ...(व्यवधान) पी.एच.ई.डी. का कहां है? पी.एच.ई.डी. का मंत्री कौन है?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ज्वाइंट रेस्पोंसिबिलिटी है, मंत्रीजी हाजिर हैं। सारी बातें नोट हो रही हैं बराबर, आप अपनी बात कहिये।

श्री उपाध्यक्ष: कर रहे हैं, सुरेन्द्र सिंहजी कर रहे हैं।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस गम्भीर विषय पर मैं ध्यान दिला रहा हूं, आज हम एक टाइम बम पर बैठे हुए हैं। पानी की जो स्थिति है उसकी गम्भीरता को इस प्रदेश को समझना पड़ेगा और उसकी शुरूआत हो चुकी है। अभी एक माननीय सदस्य ने पाचना बांध का उल्लेख किया था, पाचना बाँध में हुआ क्या, पाचना बांध में पानी की लड़ाई को लेकर सरकार ने यह साबित किया कि पानी होते हुएं भी सरकार उस पानी को छोड़ने में सक्षम नहीं रही क्योंकि दो गुट पानी छोड़ने को और पानी नहीं छोड़ने को लेकर लड़ाई कर रहे थे। तो यह शुरूआत है जिसके ऊपर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के अन्दर सबसे बड़ी विडम्बना यह है, आजादी के पहले महाराजा गंगासिंहजी का मैंने उल्लेख इसलिए किया था कि उनकी दूरदर्शिता थी। उसके बाद जब यह देश आजाद हुआ तो जो हमारे नेशनल लीडर थे, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उन्होंने सिंचाई पर ध्यान दिया। राजस्थान में भी चम्बल की नहर आयी, इन्दिरा गांधी कैनाल आयी और एक सही दिशा के अन्दर यह प्रदेश बढ़ा, मगर एक स्थिति आयी कि हमने हमारे सरफेस वाटर के ऊपर एक स्थिति के बाद ध्यान जिस रूप में देना चाहिए था वो नहीं किया। लेकिन किसान को यह बात समझ में आ गयी कि खेती बिना पानी के सम्भव नहीं है और आज जो 65-70 लाख हैक्टेयर में सिंचाई हो रही है उसका बहुत बड़ा भाग, 68 परसेंट या 70 परसेंट भाग किसान अपने निजी साधन से कर रहा है। इस सदन में जो डिबेट हो रही है उस डिबेट में उन 68 या 70 परसेंट किसानों की कोई भागीदारी नहीं है। यह जो 21 अरब की डिमाण्ड हम पारित कर रहे हैं, वो किसान जो 68 या 70 परसेंट इस राजस्थान के अन्दर अपने पैसे से, खर्चे से सिंचाई कर रहे हैं, उस 21 अरब डिमाण्ड के अन्दर उनका कोई लेना-देना नहीं है। आज जिस पानी के ऊपर सरकार एक हजार रुपये खर्च कर के किसानों को दे रही है, वही पानी जब किसान खुद के साधन से करता है तो उसका 25 हजार रुपये खर्चा आता है। इतना डिफरेंस है। सरकार का पूरा ध्यान, पूरा बजट सरकारी साधन से जो सिंचाई हो रही है, उसको समर्पित है और जो लोगबाग अपने निजी साधन से सिंचाई कर रहे हैं, भू-जल से दोहन कर रहे हैं उनके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान इस

(श्री भरत सिंह)

बात पर दिलाना चाहूंगा कि आज इस राजस्थान में, जो सूखा प्रदेश है, जहां केवल एक परसेंट सतही जल उपलब्ध है पूरे राष्ट्र का, उस पानी का भी आधा भी आज हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जो योजनाएं पाइप लाइन में है उनका अगर हम अवलोकन करें, अगर मान लें कि उनके अन्दर उसका उपयोग हो जाएगा तब भी चार बिलियन क्यूबिक मीटर पानी आज भी प्रदेश के बाहर जा रहा है। आज प्रदेश के पास कुल उपलब्ध पेयजल, जिसमें खुद राजस्थान के अन्दर उपलब्ध पेयजल है 16.05 बिलियन क्यूबिक मीटर और जो प्रदेश के बाहर से हमें प्राप्त है, अन्तर स्टेट से जो प्राप्त है 17.89 बिलियर क्यूबिक मीटर पानी, कुल मिलाकर 33.94 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रदेश को उपलब्ध है। इस सदन में जब चर्चा होती है, सदन में पूरे समय हमारा ध्यान केन्द्रित है उस पानी पर जो प्रदेश के बाहर से हम ला रहे हैं। हमारा हिस्सा बाहर है 8.60 एम.ए.एफ. जो इन्दिरा गांधी कैनाल का पानी हमें मिलता है, उसमें से क्योंकि 0.6 एम.ए.एफ. नहीं मिल रहा है, उसके लिए हमने संकल्प पारित किया 2004 के अन्दर। संकल्प इस बात का पारित किया कि हमारे हिस्से का पानी हमें मिलना चाहिए। स्वागत करता हूं, निश्चित रूप से प्रदेश के बाहर का हिस्से का पानी हमें मिलना चाहिए। मगर जो प्रदेश के अन्दर सतही जल है वो अगर बह कर जाए और आपकी अनेकों योजनाएं, 400 लघु सिंचाई योजनाएं, मीडियम इर्रिगेशन स्कीम और मेजर इर्रिगेशन स्कीम जो चिन्हित हैं वो कागजों में दबी रहे। जब आपका पानी बह कर जा रहा है, अभी मेरे से पहले करौली से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहें थे, आज की तारीख में जब प्रदेश में पानी इन्दिरा गांधी नहर में उपलब्ध नहीं है, चम्बल नहर का सीपेज का पानी लगभग 1500 से 2000 क्यूसेक्स बह कर जा रहा है और उसको यूटिलाइज करने की योजना नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस बात पर ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं वह यह है कि जो जल आपके पास उपलब्ध है उस पानी को आप रोकें। मैं जिस भू-भाग से आता हूं, साउथ-ईस्ट राजस्थान, उसी क्षेत्र में यह पानी उपलब्ध है। 1440 किलोमीटर नदियों की लम्बाई है हाड़ौती के अन्दर और उसके बाद वहां की नदियां सूखी रहें, पूरी नदी, पूरा इलाका सूख जाए, हाईड्रोलोजिकल ड्राउट हो जाए और सरकार इसके ऊपर पिछले चार साल के अन्दर, मैं बी.जे.पी. और कांग्रेस की बात नहीं करना चाहता, मैं यह बात कह

(श्री भरत सिंह)

रहा हूं कि आजादी के 60 साल में पानी सूख जाए तब हमें बुनियादी सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, आप एक बोल्ड और क्या कहते हैं, ऊर्जावान मंत्री के तौर पर लोगबाग आपके सम्बन्ध में यह विचार रखते हैं, मुझे अत्यन्त पीड़ा है कि आपके होते हुए, जब पांचना बांध के ऊपर पानी का विवाद आया तो आपने वक्तव्य दिया कि संभागीय आयुक्त और जल वितरण समिति जो निर्णय ले लेगी उस अनुरूप पानी छोड़ दिया जाएगा। आप अपनी जिम्मेदारी से हटे। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी बाँध है उसका निर्माण उस जगह पर किया जाए जहां पर ज्योग्राफिकल सिचुएशन अलाउ करती है। किसी नदी पर बांध बना दें उस पर राजस्थान सरकार का पैसा खर्च होता है और उस बांध के बनाने के बाद नीचे के जो डाउनस्ट्रीम के लोगबाग हैं, उनको आप पानी से वंचित कर दें और पूरा बाँध का मालिक सिर्फ उस जल वितरण समिति को बना दें तो जो पानी का उपयोग कर रहा है वो तो कभी कहेगा ही नहीं कि नीचे के लोगों को पानी मिले। इसलिए आपको नीतिगत निर्णय लेना पड़ेगा। कोई भी सिंचाई बांध हो, चाहे बन चुका है या बनने वाला है, आपको कम से कम तीस परसेंट पानी डाउनस्ट्रीम के लोगों के लिए सुरक्षित रखना पड़ेगा। अगर नदी जीवित रहेगी तो आपके जो ट्यूबवैल बोर कर रहे हैं।

ये लोगबाग टेबल टपका रहे हैं। मैंने खुद आपको एक लिस्ट दी है कि हैण्ड पम्प दीजिए। क्योंकि जब से बोरवैल आया है, 1980 में ट्यूबवैल्स और हैण्डपम्प की बोरवैल की जो टैक्नीक आयी उसके बाद से हमारे प्राब्लम्स चालू हुए और आज हम आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हमारा जो सरफेस वाटर है, आपको नीति पलटनी पड़ेगी,आपकी नीति में मूल रूप से परिवर्तन करना पड़ेगा। आज आप सिंचाई का कोई बांध बनाते हैं, माइनर इर्रिगेशन का कोई टैंक बनाते हैं, आप टैंक बना ही इसलिए रहे हैं कि जब गरमी के अन्दर पानी की सबसे अधिक आवश्यकता है उस समय आप पूरे तालाब को बैन कर देते हैं।

पुराने समय के अन्दर जो राजा थे था उसके पहले भी, आदिकाल से तालाब उस जगह बनाया जाता था जहां पानी की आवश्यकता थी। तालाब बनने के बाद पानी अपना काम करता था, वह ग्राउण्ड वाटर को रीचार्ज करता था। आप वन भूमि में हो या कहां भी हों, सिंचाई का अंश हटा दें, आप तालाब

(श्री भरत सिंह)

बनाएं। मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि आप एक योजना लें, जो ग्रामीण रोजगार योजना है उसके तहत हर गांव में जहां भी जमीन उपलब्ध है, उसमें तालाब बनाने का काम हाथ में लें।

माननीय सिंचाई मंत्रीजी, मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि आपके तालाब हैं जो आपने पंचायतों को सौंप दिए हैं। आज गांव की स्थिति यह है, पंचायत इतनी कमजोर हो चुकी है कि अपने तालाबों का संरक्षण नहीं कर सकती। मैं कोटा में देखता हूं, और सभी लोग अपने क्षेत्र में देखते होंगे, कि तालाब के पूरे क्षेत्र पर अतिक्रमण हो रहा है। जो पेटा काश्त होती है उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। नदी के अन्दर पूरे कोई मोगे खोद देता है, उस पंचायत के अन्दर पानी निकाल देता है, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई धणी धोरी नहीं है। जो सिंचाई की आपकी व्यवस्था है कोई नहर के अन्दर उसका मालिक ही नहीं है। सिंचाई वसूल करने के लिए आपने बैंक लोन लेने के लिए आपने जल वितरण समितियां बना दीं। समिति इसलिए बना दी क्योंकि आपको जब लोन लेना है बैंक से तो उनकी कंडीशन है कि जल वितरण समिति होनी चाहिए। इन समितियों के माध्यम से आप लोन ले रहे हैं।

एक बात मैं आपको और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आपकी जितनी योजनाएं हैं, आप, आपसे मेरा मतलब आप और आपके पहले की सरकार, विश्व बैंक से लोन ले रहे हैं, किसलिए ले रहे हैं कि आपके जो बड़े बांध हैं, मीडियम इर्रिगेशन के हैं, माइनर इर्रिगेशन के हैं उनकी हालत खस्ता है। उनकी मरम्मत करके प्रदेश की जनता का पैसा उसमें लगा रहे हैं। जहां उनसे वसूल करना चाहिए उनसे कुछ वसूल नहीं कर रहे हैं । साढ़े चार सौ आपने माइनर इर्रिगेशन्स की रिपेयर के लिए उसमें भी छह सौ करोड़ रुपये ले लिये, पहले वर्ल्ड बैंक से 756 आपने लोन ले लिया। उन काश्तकारों का क्या होगा जो अपने पास से करोड़ों रुपये खर्च करके सिंचाई कर रहे हैं?

मैं आपको मिसाल देता हूं, कालीसिंध सिंचाई योजना है जिसके ऊपर आपने चारसौ करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। वह स्वीकृत तो आपने इसलिए किये हैं कि थर्मल के लिए पानी चाहिए इसलिए उस योजना को जोड़ लिया। जबकि हकीकत तो यह है कि अभी उसका सर्वे ही नहीं हुआ है। परवन का सर्वे हुआ है उसमें आपने पैसे नहीं दिये। मगर चलिये, आपने चार सौ करोड़

(श्री भरत सिंह)

दिये, चार सौ करोड़ का मतलब है पचास हजार हैक्टेयर में उससे सिंचाई होगी। मैं जिस तहसील से आता हूं, छप्पन हजार हेक्टेयर सिंचाई किसान अपने खर्चे से कर रहे हैं। छप्पन हजार का मतलब है कि कम से कम पांच वृहत सिंचाई योजना के बराबर का खर्चा किसान अपने पास से कर रहे हैं। वे किसान आपसे मांग क्या रहे हैं? सूखी नदी के अन्दर बैठकर अभी 23 फरवरी को चौदह-पन्द्रह हजार किसानों ने प्रदर्शन किया, और मांग क्या रहे हैं वे वे यह कह रहे हैं कि हमारी नदी को जीवित करो, वे यह कह रहे हैं कि नदी पर एनीकट बनाओ। आप वहां चार सौ करोड़ रुपये खर्च कर रहे हो और पचास हजार डैम का कास्ट आ रहा है। यहां काश्तकार कह रहे हैं कि आप पांच करोड़ ही खर्च कर दीजिए, एक एनीकट बन जाए। मगर बुनियादी बात जो इसको दिशा दे रही है, मैंने गंगासिंहजी का नाम इसलिए लिया था कि उसके वह शासक थे। आज आपके हाथ में ड्राइविंग सीट है, हम यात्री बैठे हुए हैं, आप पहाड़ के नीचे हमें पटको या सही डेस्टिनेशन पर ले जाओ। यह जो बात कह रहा हूं, इन बातों के ऊपर आपको नीतिगत निर्णय लेने पड़ेंगे। आप छोटे तालाब, सिंचाई का अंश हटाएं ताकि पानी अपना काम कर सके। आप एनीकट बनाएं नदियों के ऊपर। जो मैंने कटौती प्रस्ताव दिए हैं उसमें एक एक का उल्लेख करना मैं उचित नहीं समझता क्योंकि बुनियादी बात यही है कि आपके दृष्टिकोण में आपको तब्दीली लानी पड़ेगी ताकि आप जो हैण्ड पम्प्स खोदते जा रहे हैं, वह सिस्टम पूरा रीचार्ज हो।

आपका यह जो राजस्थान है यह सात इर्रिगेशन जोन में बंटा हुआ है, दस एग्रीकल्चर जोन में बंटा हुआ है। जो स्थिति साउथ ए्इस्ट राजस्थान की है वह वैस्टर्न राजस्थान की नहीं है। कहीं आपको नर्बदा का पानी लाना है तो उसका स्वागत है। कहीं आपको पानी इन्दिरा गांधी नहर के माध्यम से पहुंचाना है उसका भी स्वागत है। मगर जहां भौगोलिक स्थिति अलग है, जहां पर सरफेस वाटर उपलब्ध है उस पानी को अगर आप नहीं रोकेंगे तो आप इस राजस्थान के अन्दर सिंचाई मंत्री के रूप में न्याय नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आपके सामने ये बातें पहले इस रूप में नहीं रखी गयीं, मगर अब आ गयीं।

श्री उपाध्यक्ष: अब कनक्लूड कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री भरत सिंह (दीगोद): हां, कनक्लूड ही कर रहा हूं। आपने एक जल नीति बनाई थी, जल नीति बनाने के बाद आपके चीफ इंजीनियर के यहां से जल नीति के साथ एक चिट्ठी आयी और आपने सुझाव मांगे थे। यह जो बात मैं सदन में कह रहा हूं, कुछ ही एम.एल.ए. होंगे जिन्होंने उसके ऊपर आपको चिट्ठी लिखी होगी। न तो आपके चीफ इंजीनियर से कोई एक्नालेजमेंट आया, न आपने कोई जवाब दिया। बेहतर होता कि आप हमें बुला कर इसके ऊपर बात करते तो दो साल के अन्दर कुछ न कुछ ठोस नतीजे निकल जाते। मैं चार साल के बाद आपको कह सकता हूं, पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि जो हमारी स्वीकृत योजनाएं हैं उन पर काम नहीं हुआ, कोई आपने नया एनीकट बनाया नहीं, भौगोलिक भाग पूरा सूखा हुआ है और इस पृष्ठभूमि के अन्दर पीड़ा होना स्वाभाविक है।

जो अभी मैंने आपको लिस्ट दी है, आप हैण्ड पम्प सैंक्शन कर देते हैं, ट्यूबवैल सैंक्शन कर देते हैं, परिस्थितियां हमें भूख लग रही है, खुद की ही उँगली काटकर हम उसको खाएं, उस प्रकार की हो रही हैं। भौगोलिक स्थिति जिस प्रकार की है, अलग-अलग एरिया की अलग अलग प्रकार की है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कम से कम कुछ एनीकट्स पर, जब आप उत्तर दें तो इस गरमी के अन्दर काम आरम्भ करें ताकि अगली गरमी के अन्दर वह नदी जो आज सूखी है, वह जीवित रहे।

एक बात मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा, और उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पानी की लड़ाई नहीं हो इसलिए यह सुनिश्चित करें कि किसी बांध के बनाने के बाद उसका मालिक उसके अपस्ट्रीम के लोग नहीं रह जाएं, नीचे के लोगों का उतना ही अधिकार है। राइपेरियन अधिकार के तहत अगर आप पंजाब से पानी की मांग करते हैं तो एक बाँध के ऊपर से नीचे का आदमी, एक ही जिले से दूसरे जिले का, उसको पानी का अधिकार है। इस पर अगर सदन ने सहमति नहीं ली तो अभी तो तोपें चलने की शुरुआत ही हुई है पांचना में, फिर बहुत बड़े झगड़े होंगे। हमारी राजनीतिक व्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि हम सही बात बोलने से कतराने लगे हैं और वोट की वजह से डरने लगे हैं। इस प्रकार का आदमी जो कुर्सी पर बैठा है, आप बैठे हैं, आपको इस प्रकार के नीतिगत निर्णय लेने पड़ेंगे । एक चीज और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि के.पी. सिंह लिंक, कालीसिंध, परवन, चम्बल लिंक ये सारी झालावाड़ जिले में से होकर आती हैं। अच्छा होता, मैंने लिखा भी था, जिस क्षेत्र से ये नदियां बहकर जा रही हैं वहां

(श्री भरत सिंह)

के जन प्रतिनिधियों को इस योजना का पता ही नहीं है। क्या मायने रखता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मंत्री समझौता करें और चर्चा करें? जिन लोगों के यहां से पानी आ रहा है, भविष्य में उसका इफैक्ट क्या होगा, उनसे चर्चा करना अनिवार्य अभी भी है। आपका अभी जितना भी समय चुनाव के पहले बचा है उसमें आप झालवाड़ आएं, लोगों से चर्चा करें, उनकी बात सुनें, इसके फायदे और नुकसान क्या होंगे, लोगों को समझाएंगे तो बात आएगी।

मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि जो चम्बल के डाउनस्ट्रीम पानी जा रहा है, धौलपुर का हो, करौली का हो, उसका उपयोग करें। और जो अपस्ट्रीम का पानी है उन तहसीलों में जहां बहुत बड़ी संख्या के अन्दर, झालावाड़ और बारां जिले में, इसके फिगर्स आपके सामने रखकर मेरा स्थान ग्रहण करूंगा, झालावाड़ और कोटा में, बारां में अस्सी प्रतिशत पानी वेस्ट जा रहा है। कोटा संभाग जिसको यह माना जाता है कि यह पानी से संपन्न इलाका है, उसमें पैंसठ प्रतिशत सिंचाई, कोटा संभाग से मेरा मतलब कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, उसमें पैंसठ प्रतिशत सिंचाई अगर भू-जल से हो तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। चार बिलियन क्यूबिक मीटर पानी इस संभाग से बहकर जा रहा है और पैंसठ प्रतिशत सिंचाई छह लाख हैक्टेयर से ज्यादा सिंचाई भू-जल से हो रही है और केवल तीन लाख हैक्टेयर सिंचाई सतही जल से हो रही है। इस प्रकार के डिवास्टेटिंग फिगर्स हैं इस पर आप गौर करें और ऐसी दिशा दिखाएं ताकि आने वाले समय के अन्दर भी जो व्यर्थ बहता है भू जल, उस सरफेस वाटर का उपयोग हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जीवराम चौधरी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की मांग संख्या 27 और 46 के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है कि मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय मंत्री महोदय के जवाब, मांगें पारित होने तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या-27 व 46 पर विचार

श्री जीवराम चौधरी (सांचौर): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 और 46 पर आपने बोलने के लिए मुझे समय दिया, इसक लिए आपका हृदय से धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारा राष्ट्र गुलामी से आजाद हुआ, हमारे लोगों की इस राष्ट्र में सरकार बनी। सरकार बनने के बाद प्रथम कैबिनेट मीटिंग में स्वर्गीय सरदार पटेल साहब ने यह सुझाव दिया था जिसकी आज चर्चा हम हाउस में कर रहे हैं। तत्कालीन प्रधान मंत्रीजी ने कहा कि हमें आजादी मिल गयी, हमारी सरकार बन गयी, ऐसा कौनसा प्रथम कार्य है जो हमें हाथ में लेना चाहिये, जो राष्ट्र के हित में हो। सरदार पटेल साहब ने यह सुझाव दिया था कि हमारे देश का किसान खूब मेहनती है, हिम्मत वाला है, इसको अगर पानी दे दिया जाए तो हमारा किसान समृद्ध होगा और राष्ट्र अपने आप समृद्ध हो जाएगा। इसके लिये उन्होंने यह कहा था कि गंगा नदी को पूरे राष्ट्र में एक आउटर सर्कल और एक इनर सर्कल में घुमा कर पूरे राष्ट्र को पानी दे दो। अगर वह सुझाव मान लिया गया होता उस दिन, तो आज 61 साल की आजादी के बाद हमें इस प्रकार सदन में चर्चा की जरूरत नहीं होती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी और हमारे उतने ही लोकप्रिय जल संसाधन मंत्री आदरणीय सांवर लालजी हैं। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा, मेरे से कई वरिष्ठ सदस्यों ने पूरे प्रदेश में क्या हुआ, मेरे से पहले काफी कुछ बोला है। मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचोर में पिछले चार साल के कार्यकाल में, इन्होंने जो पचास साल में कार्य नहीं किये वे कार्य पेयजल के लिये आदरणीय सांवर लालजी ने किये हैं, इसके लिये मैं पूरी सरकार को और विशेषकर हमारे जल संसाधन मंत्रीजी को हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूं।

आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर में जिन-जिन गांवों में जहां भूमि जल उपलब्ध था, ऐसे गांवों को इन्होंने कई सालों तक प्यास के लिये तरसता छोड़ दिया। मेरे से पूर्व जो भी वहां के विधायक रहे उन्होंने इस बात का प्रयास भी नहीं किया कि एक बार एक एक्सपेरिमेंट करके यहां जांच तो की जाए कि इस जमीन में पानी है या नहीं है। चार साल में उन गांवों में 43 बोर हमारे जल संसाधन मंत्रीजी ने करवाये हैं और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 43 के 43 बोरों में बिलकुल पालर

(श्री जीवराम चौधरी)

और मीठा पानी निकला। उसका लाभ आज सांचौर की जनता ले रही है। 44वां बोर आज ग्राम बोड़ा में दो बजे फुंकवाया और मेरे पास अभी-अभी फोन आया, उसका पानी भी मीठा निकला, जोरदार निकला।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेड़ क्षेत्र जहां पर अभी नर्बदा का पानी लेने की बात कर रहे हैं, उसकी मैं चर्चा करूंगा। उस मेड़ क्षेत्र के अलावा सुरावा एक मेन सोर्स है। 252 गांवों में से लगभग 185 गांवों के पानी की सप्लाई सुरावा स्कीम से हो रही है। दूसरी एक स्कीम है वे्डिया। मेड़ क्षेत्र के लगभग 53 गांवों की सप्लाई उस वे्डिया स्कीम से हो रही है। आपको जानकर ताज्जुब होगा वह वे्डिया स्कीम एग्रीकल्चर फीडर पर जोड़ी हुई थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच-छह घंटा लाइट आती, पूरी पाइप लाइन भरती, उन गांवों तक पानी पहुंचता नहीं और लाइट चली जाती। मैं जब चुनाव जीतने के बाद उन गांवों में लोगों को धन्यवाद देने के लिये गया तब लोगों ने यह बताया कि पानी की समस्या है। मैंने कहा, है क्या ? तो उन्होंने कहा, पांच-छह घण्टे लाइट आती है और यहां गांवों तक पानी पहुंचते-पहुंचते लाइट कट जाती है और हमें पानी की सप्लाई बराबर नहीं मिलती। मैंने सांवर लालजी को इस बात से अवगत कराया। पी.एच.ई.डी. ने 35 लाख रुपये खर्च करके 24 किलोमीटर एक नयी लाइन बिछायी, उस स्कीम को 24 घंटे लाइट से जोड़ा और आज हमारे उस दूर-दराज के मेड़ क्षेत्र के गांवों को पानी की सप्लाई ओवरफ्लो हो रही है। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे खुद के गांव ग्राम पंचायत अरणाय, ग्राम पंचायत धाणता और ग्राम पंचायत चोरा, यह कुल मिला कर 20,000 की आबादी बनती है। इन तीन ग्राम पंचायतों के सराउंडिंग 12-14 किलोमीटर के एरिये में कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी। 3.50 करोड़ की स्कीम बनाकर आदरणीय सांवर लालजी ने उस स्कीम को लागू किया। अभी पांच-सात दिन के बाद में उन गांवों में वह पानी बाजरोणा से जो लेकर गये हैं, पहुंच जाएगा। मैं इसके लिये भी इनको हृदय से धन्यवाद देता हूं।

दूसरी बहुत बड़ी परियोजना है जो माननीय सभी सदस्यों को पता है, नर्बदा नहर जो हमारे आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय के भी ... (व्यवधान) करेगी। बिलकुल काम बोलता है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मामला बड़ा तगड़ा है। (व्यवधान)

श्री जीवराम चौधरी (सांचौर): काम बोलता है। करेगी। पानी से बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता। मेरे से पूर्व जिन-जिन माननीय सदस्यों ने अपने वक्तव्य दिये उन सभी ने यही बात कही है कि ... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आशीर्वाद मिल रहा है। आपका पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री जीवराम चौधरी (सांचौर): पानी जैसे मुद्दे पर हमारे जल संसाधन मंत्रीजी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, वास्तव में नहीं करते। यह इस बात का प्रमाण है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यक्तिगत जानते हैं, हमारे ग्राम पंचायत हेमागुढा में सऊ और डऊपियो की ढाणी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 99 प्रतिशत वहां के लोग कांगेसी विचारधारा के हैं और हमारे मंत्रीजी ने वहां भी एक बोर करा दिया। 12 लाख रुपये खर्च हुए सरकार के इस ढाणी में पानी पहुंचाने के लिये। पानी पिला दिया ... (व्यवधान) कांग्रेसियों को भी पानी पिला दिया। आने वाले समय में भी पिलाएंगे ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हेमागुढा तो लादूरामजी का गांव है, वह कांग्रेसी कब हुए? लादूरामजी कांग्रेस में आ गये क्या ?

श्री उपाध्यक्ष: गांव वाले कांग्रेसी हैं।

श्री जीवराम चौधरी (सांचौर): नर्बदा नहर परियोजना पर दो शब्द कहने जा रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नर्बदा नदी का उदगम स्थल मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक जिले में है जहां से यह नदी कुल 1312 किलोमीटर के लम्बे प्रवाह के पश्चात् गुजरात राज्य के गल्फ आफ केम्बे में गिरती है। नर्बदा जल बँटवारे हेतु नर्बदा जल प्राधिकरण का गठन 1959 में किया गया था। नर्बदा जल में राजस्थान राज्य का हिस्सा 0.50 मिलियन एकड़ फीट, 21,280 एम सी एफ टी नर्बदा जल विवाद प्राधिकरण (एन डब्ल्यू डी टी) द्वारा 1979 में निर्धारित किया गया था। नर्बदा जल सरदार सरोवर बांध से 458 किलोमीटर से चलता हुआ राजस्थान के तहसील सांचौर, गांव सीलू, जिला जालौर में 19 मार्च को शाम को लगभग छह बजे प्रवेश करने जा रहा है। इस बात के लिये मैं सांचोर की जनता की ओर से हमारी सरकार को, हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी को और हमारे सांवर लालजी को हार्दिक धन्यवाद देने जा रहा हूं। नर्बदा जल से जालौर जिले के 125 गांव, बाड़मेर जिले के 108 गांव कुल 233

(श्री जीवराम चौधरी)

गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त जालौर जिले के 518 गांव, बाड़मेर जिले के 589, कुल 1107 गांवों एवं दो शहरों की 45.88 लाख आबादी को भी पेयजल सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने परियोजना का प्रारूप 1966 में वर्ष 19 89-90 की कीमत दर पर बनाकर केन्द्रीय सरकार से रुपया 467.53 करोड़ का अनुमानित करवाया था जिसमें 187.39 करोड़ रुपया राजस्थान में नहर निर्माण के लिये एवं 280.14 करोड़ रुपया गुजरात राज्य के निर्माण के लिये दी जाने वाली हिस्सा राशि निर्धारित थी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2002 में मैसर्स ताल कंसल्टिंग इंजीनियरिंग, न्यू दिल्ली को परियोजना का विस्तृत प्रारूप बनाने हेतु स्वीकृति दी गयी जिनके द्वारा वर्ष 2004 में परियोजना प्रारूप प्रेषित किया गया। प्रेषित प्रारूप एवं राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी के अनुमोदन अनुसार परियोजना की वर्ष 1999-2000 की कीमत दर पर लागत लगभग 1541.36 करोड़ रुपया है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 1541.36 करोड़ की राशि जारी कर दी गयी है।

(समय :17.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकार यह खुशी होगी कि जो एरिया नर्मदा के पानी से सिंचित होगा, यह एशिया का पहला प्रोजक्ट है जिसमें सरकार काश्तकारों के खेतों में पाइप बिछाकर दे। जब यह प्रोजक्ट बना था तब उसमें यह प्रावधान नहीं था। जब हमारी सरकार बनी और आदरणीय मंत्री जी के साथ हम बैठे और इन्होंने पूछा कि आप पानी कैसे लोगे खेतों में, तो मैंने कहा कि साहब पानी डिग्गी में आएगा और डिग्गी से काश्तकार पाइप लाइन से अपने खेतों में ले जाएगा। उन्होंने कहा कि यह तो एकदम पागल बात है, इसके लिये दूसरी प्लानिंग बनाएं। 272.43 लाख रुपये खर्च करके हमारी सांचौर तहसील और बाड़मेर जिले में जहां भी नर्मदा का पानी जा रहा है, उन सभी काश्तकारों के खेतों में पाइप बिछाकर आलरेडी दे दिया है और अभी माननीया मुख्य मंत्रीजी, माननीय गुजरात के मुख्य मंत्री और माननीय जल संसाधन मंत्रीजी को जब समय होगा, 30 और 31 तारीख के आसपास यह पानी हम नर्मदा मैया की पूजा करके सांचोर में लाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसी कल्पना करता हूं कि जिस दिन पानी किसान के खेत में पहुंच जाएगा, दो-तीन साल में हमारे वहां का काश्तकार

(श्री जीवराम चौधरी)

सम्पन्न होगा और जब हमारा काश्तकार संपन्न होगा तो आने वाले समय में हमारे काश्तकारों के बेटे और बेटियां मारूति, स्कार्पियो और सैंट्रो कार में भात लेकर जाएंगे। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): हेमारामजी, अब तो धन्यवाद दे दो।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उन्होंने बहुत दे दिया है, कोई कसर नहीं छोड़ी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री लालचन्द मेघवाल।

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27 और 46 पेयजल और सिंचाई पर चर्चा हो रही है। आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे भारतवर्ष की 70 प्रतिशत पापुलेशन ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है जब कि मात्र 30 प्रतिशत पापुलेशन शहरी क्षेत्र में रहती है। जहां शहरी क्षेत्र के लोगों को पेयजल और विद्युत 24 घंटे उपलब्ध होती है वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यवस्था है वह आपसे कहीं छुपी हुई नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी और मुख्य मंत्री महोदय का आभार प्रकट करूंगा कि पूर्व सरकार ने हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले को नॉन डैजर्ट एरिया घोषित किया था उसकी वजह से पानी की आपूर्ति जो 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी उसको घटाकर 40 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कर दिया था। वर्तमान सरकार के माननीय सिंचाई मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दुबारा पालिसी डिसीजन करके पानी 70 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति की है, इसके लिए मैं विशेष तौर से माननीय सिंचाई मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करूंगा। इसके साथ-साथ पालिसी डिसीजन करके पूर्व में जो 24 दिन के स्टोरेज की डिग्गी बनायी थी, अब एक व्यवस्था करके 32 दिन के स्टोरेज टैंक, डिग्गी बनाने की व्यवस्था की है। इसके लिए माननीय सिंचाई मंत्री जी का और पेयजल मंत्रीजी का बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आज ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की जनता जल योजना की व्यवस्था चल रही है, डिपार्टमेंट

(श्री लालचन्द मेघवाल)

बहुत कार्य करता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में एक गांव में वाटर वर्क्स बन जाता है जब कि दूसरे गांव में पाइप लाइन के जरिये, जीएलआर बनाकर कनेक्शन दिये जाते हैं। जिस तरह से आज गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की व्यवस्था है, हमारी जो लेडीज हैं वे जीएलआर पर, गांव के बीच में घड़ा उठाकर नहीं जा सकती हैं। आप ऐसी व्यवस्था करें कि गांव के बाहर एक जीएलआर बनाएं और गांव के भीतर जो मुख्य चौराहा है वहां सार्वजनिक नल पांच-पांच, सात-सात घरों पर लगाने की व्यवस्था करें। ऐसा एक विशेष योजना के तहत करना पड़ेगा, जनता जल योजना के सर्कुलर में चेंज करके उसको करना पड़ेगा ताकि एक नया काम दिखे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि गंगानगर जिले में गंग कैनाल और इसकी पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूटरी, जिसमें टेल एंड की डिस्ट्रीब्यूटरी भी हैं, सभी का पक्का कंस्ट्रक्शन करवा दिया जब कि मेन फीडर, साधुवाली हैड से लेकर पीएस हैड तक जो मुख्य नहर है उसका कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। इस परिस्थिति में मंत्रीजी ऐसी व्यवस्था करें ताकि नहर का निर्माण हो। नीचे पीएस हैड की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटरी हैं उनका पानी एक साथ चलाने में साढ़े 1100 क्यूसेक की आवश्यकता होती है जब कि उस नहर की कैपेसिटी 850 क्यूसेक है, आप मेन फीडर का कंस्ट्रक्शन करावें ताकि गंगानगर जिले का भला हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के अंदर माननीय मंत्री महोदय ने गंग कैनाल में मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट लागू करके जो वाटर अलाउंस बढ़ाया है, मैं विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री महोदय और सिंचाई मंत्रीजी का धन्यवाद करूंगा कि पहले वाटर अलाउंस 2.56 था प्रति हजार एकड़, जो अब आपने 3 क्यूसेक किया है। आपने मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट लागू की, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगा। इसके साथ साथ भौमपुरा माइनर का निर्माण करवाया आपने, उसका 1.28 वाटर अलाउंस था, उसको समानान्तर गंग कैनाल 3 क्यूसेक किया। इसी तरह लक्खा माइनर का निर्माण करवाया और उसका भी कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट बनाकर किया, इससे किसानों का भला किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा भी अभी हमारा एनपी नहर का

(श्री लालचन्द मेघवाल)

काफी एरिया अनकमांड पड़ा है, गंग कैनाल में जीवणदेसर, बाराणी और काफी एरिया ई.ए. क्षेत्र और डाबला बारानी क्षेत्र में है। आप एक विशेष योजना बनाकर इस अनकमांड क्षेत्र को सिंचित करें ताकि किसानों का भला हो सके। वहां एक योजना बनाकर स्प्रिंकलर सिस्टम के तहत पानी दें और किसानों को बाउंड करें कि वे खेतों में डिग्गी बनाएं और सिंचाई करें। तभी किसानों को राहत मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हमारे बड़े-बड़े गांव हैं, जैसे बाजूवाला है, 4 बीएलडी है, भौमपुरा है, बरूवाला है, आप एक पालिसी डिसीजन करें कि जो एक हजार की आबादी के गांव हैं वहां आप एक ओवरहैड टैंक बनाएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्र को पेयजल की व्यवस्था हो। अगर आप उनमें उच्च जलाशय का निर्माण करेंगे तो लोगों को काफी सुविधा मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल के लिए स्कूलों को आपने पाइप लाइन से जोड़ा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी ग्राम पंचायतों के अधीनस्थ कर्मचारी हैं, वाटर वर्क्स के कर्मचारी हैं, आप या तो उनको डिपार्टमेंट के अधीन करें वर्ना इनको कोई विशेष योजना के तहत परमानेंट करके उन कर्मचारियों का भला करें। इसी आशा और विश्वास के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 और 46 के संबंध में मुझे आपने बोलने की स्वीकृति दी। सभी माननीय सदस्यों ने पानी की कमी और सिंचाई के संबंध में चिंता व्यक्त की है। इस सदन में पेयजल के संबंध में तो कई बार चर्चाएं हुई हैं, मैं प्रदूषित पानी और मौतों के संबंध में चर्चा नहीं करना चाहता। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इतना सा निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि पूरे सदन की चिंता है, आठ महीने पहले भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा एक सर्वे किया गया जी.एस.आई. के पूर्व उप महानिदेशक डाक्टर आर एस गोयल के नेतृत्व में डाक्टर पवन कुमार, डाक्टर पी.सी. श्रीवास्तव ने। यह सर्वे जो आठ महीने पहले हुआ, इसमें दो साल लगे, दो साल लगने के बाद इस सर्वे का जो नतीजा आया, उन्होंने अपने नतीजे में बताया कि घटते हुए पेयजल स्तर के कारण पानी का जो डिस्चार्ज

(श्री बाबूलाल नागर)

है वह इतना नीचे चला गया, इतना कम हो गया कि चट्टानों में भी पानी कम मिल रहा है जिसके कारण विषैले तत्वों की मात्रा कई गुना बढ़ गई है।

जयपुर के सम्बन्ध में यह मेंशन किया कि नाइट्रेट प्रभावित क्षेत्र चारदीवारी, सोडाला, गुर्जर की थड़ी, करतारपुरा, वैशाली नगर, गोपालपुरा, सिसोदिया रानी का बाग, बापू नगर, इसी तरह फ्लोराइड क्षेत्र जल महल, सड़वा, आमेर, सुभाष चौक, सीतापुरा, लालवास, रामगंज, कुण्डा हैं, तो निश्चित रूप से यह पूरे सदन की चिंता का मामला है। कोई भी सरकार जानबूझकर प्रदूषित पानी पिलाना नहीं चाहती है, लेकिन आपके पास पीने का पानी ही नहीं है। जो पीने का पानी आपके पास है उसमें नाइट्रेट, फ्लोराइड दोनों की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई है जो जहर के समान है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह इस जी.एस.आई. के अध्ययन दल ने यह भी अपनी सर्वे रिपोर्ट में इंगित किया कि 21 साल बाद जो पानी की क्षमता है, जो दिसम्बर, 2005 में जयपुर में 8 से 10 हजार लीटर पानी मिलता था उसकी वर्तमान में क्षमता 3 से 4 हजार लीटर पानी हो गई है। इसी तरह पूरे जयपुर जिले के सम्बन्ध में उसमें मेंशन किया गया है कि आमेर, बैराठ, बस्सी, चाकसू, दूदू, गोविन्दगढ़, जमवारामगढ़, झोटवाड़ा, कोटपूतली, फागी, सांभर, सांगानेर और शाहपुरा यहां दोहन की वजह से जो पानी की क्षमता है, 21 साल में जितनी पानी की क्षमता कम हुई वह साल सवा साल में, डेढ़ साल में 21 हजार से भी दो गुना पानी की मात्रा कम हो गई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान को यमुना नदी से पानी मिलता था। माननीय मंत्रीजी, इस पानी से भरतपुर को बहुत बड़ा लाभ मिलता था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 90 प्रतिशत पानी यू पी में चोरी हो जाता है, 10 प्रतिशत पानी ही राजस्थान के भरतपुर को मिल पाता है। अपने को जितना पानी आबंटित है, तय है, यमुना नदी बेसिन ओखला हैड पर राजस्थान का हिस्सा 1281 क्यूसेक्स है जो भरतपुर को मुश्किल से 150-200 क्यूसेक्स पानी मिल रहा है, मतलब 90 प्रतिशत पानी राजस्थान के हिस्से में जो आता है वह यू.पी. के लोग चोरी से

(श्री बाबूलाल नागर)

पी लेते हैं। मैं चाहता हूं कि इसके लिए आपका विभाग कोई बढ़िया कार्य योजना बनाए और राजस्थान को इसका पूरा पानी मिलना चाहिए।

(समय : 17.14 बजे)

(श्री वीरूसिंह राठौड़, सभापति, पदासीन)

पंजाब समझौते के बारे में कोई चर्चा मैं आपसे नहीं करना चाह रहा। पिछले दस साल में पांच साल हमारी भी सरकार रही, चार साल आपने निकाल लिये। यह समझौता 1981 में हुआ, कोई भी करे, चाहे हम करें या आप करें, लेकिन राजस्थान की जनता के लिए बहुत ही दु:खदायी समझौता हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में जनता जल योजना के माध्यम से राजस्थान के काफी गांवों में पेयजल की व्यवस्था की जाती है। जनता जल योजना में एक स्रोत के लिए पांच सौ रुपये वहां काम करने वाले व्यक्ति को दिए जाते हैं। उसका काम खाली पानी खोलना ही नहीं है, टंकी में चाहे ब्लीचिंग पाउडर डालने का मामला हो, चाहे बकाया राजस्व वसूल करने का मामला हो, चाहे नल कनेक्शन काटने का मामला हो, चाहे मरम्मत का मामला हो, वह व्यक्ति पांच सौ रुपये में वह सब काम करता है। पांच सौ रुपये में वह सब काम करता है तो वह कितनी मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा? उसका पारिश्रमिक इतना कम है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि जब आपका डिपार्टमेंट इतने पैसे लगाकर ट्यूबवैल और पानी का सोर्स बनाता है, टंकी बनाता है, इतनी आबादी को पानी पिलाता है तो निश्चित रूप से पांच सौ रुपयों की जगह उसका मानदेय हजार से पन्द्रह सौ रुपयों के बीच में निश्चित रूप से करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हैण्ड पम्प सुधार योजना में आप एक जीप देते हैं, यह प्रैक्टिकल बात नहीं है। आप उन्हें साढ़े बारह हजार रुपये, एक जीप का देते हैं, आज डीजल का भाव बढ़ा है और किस तरह साढ़े बारह हजार रुपये में वह हैण्ड पम्प मिस्त्री कितनी जगह जाकर हैण्ड पम्प ठीक कर सकता है? मैं समझता हूं कि आपको इसमें जीप का खर्चा है वह निश्चित रूप से साढ़े बारह से बढ़ाकर ज्यादा करना चाहिए जिससे हैण्ड पम्प सुधार आगे बढ़ सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान हैण्ड पम्प मिस्त्रियों की तरफ दिलाना चाहता हूं। सामान्यत: 50 से 60 हैण्ड पम्पों पर एक मिस्त्री

(श्री बाबूलाल नागर)

होना चाहिए। मैं मात्र अपने दूदू विधान सभा क्षेत्र का उदाहरण कोट करना चाहता हूं, वहां लगभग 3 हजार हैण्ड पम्प हैं और 50-60 के आधार पर एक मिस्त्री होना चाहिए तो मेरे यहां 70 हैण्ड पम्प मिस्त्री होने चाहिए, जब कि वहां 28 मिस्त्री ही हैं तो जब आपके पास हैण्ड पम्प मिस्त्री ही कम हैं तो वे कैसे आपके समय पर हैण्ड पम्प सुधार कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि आपको हैण्ड पम्प मिस्त्रियों की भर्ती करनी चाहिए जिससे लोगों को लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, सैक्टर रिफार्म और स्वजल धारा के बारे में कई माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। जयपुर जिले में 70-80 करोड़ रुपए आपने इसमें खर्च किए। यह कांग्रेस सरकार के दौरान काम शुरू हुआ, आपके टाइम में भी शुरू हुआ, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 80 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी जयपुर जिले में अगर पी.एच.ई.डी. के अधिकारी और मंत्री महोदय विजिट करें तो मेरा दावा है कि जयपुर जिले में 10 स्कीम भी आपको ऐसी नहीं मिलेंगी जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। इसमें निश्चित रूप से चाहे विभाग की लापरवाही रही हो या इस योजना की कार्य योजना में कहीं कमी रही हो, पंचायतों में इसमें एक समिति बनाई जाती है और उसमें कई तरह के विवाद बढ़ जाते हैं। आपको और विभाग को निश्चित रूप से इसको हाथ में लेना चाहिए। मेरे दूदू विधान सभा क्षेत्र में 36 योजनाएं हैं, 26 तो सैक्टर रिफार्म में हैं, 10 स्वजल धारा योजना में हैं, मंत्री महोदय, आपका विभाग यह कहता है कि 26 में से स्वजल धारा योजना में 16 में पानी आ रहा है। किसी न किसी ढाणी में चाहे 10 आदमी ही पीओ लेकिन उनका कहना है कि 16 में तो कुछ न कुछ पानी मिल रहा है, लेकिन 10 स्कीमों के लिए विभाग कहता है कि उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आया। इतने ज्यादा पैसे लगाने के बाद स्वजल धारा में आपने 10 योजनाएं स्वीकृत की हैं और विभाग कहता है कि एक योजना में खाली मोरूदा में थोड़ा बहुत पानी आता है, 9 योजनाओं में एक बूंद पानी नहीं आता है, इससे निश्चित रूप से योजना पर तो प्रश्न चिन्ह लगता ही है। मैं कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से चिंता का मामला है। आपके पास जो काम करने वाले कनिष्ठ अभियंता होते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ है मेरे यहां नरेना कनिष्ठ अभियंता कार्यालय में तीन साल से कनिष्ठ अभियंता नहीं है। इसी तरह फुलेरा में कनिष्ठ अभियंता नहीं है, वहां भी दूदू का क्षेत्र आता है। इसी तरह जोबनेर में भी कनिष्ठ अभियंता

(श्री बाबूलाल नागर)

नहीं है। जब आपके डिपार्टमेंट के कनिष्ठ अभियंता ही पदस्थापित नहीं हैं तो कैसे पानी की कारगर व्यवस्था हो सकती है? राजस्थान में लगभग 500 कनिष्ठ अभियंता के पद खाली हैं। इसी तरह 200 एइएन के पद खाली हैं। निश्चित रूप से आपको भरने चाहिए।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और मंत्री महोदय का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आपने खूब योजनाएं मंजूर कीं, आपने हैण्ड पम्प भी खूब लगाये। जितनी योजनाएं मंजूर कीं, मैं इस मामले में आपको धन्यवाद दूंगा क्योंकि मैं कभी आप पर आरोप नहीं लगा सकता। मेरे क्षेत्र में आपने हैण्ड पम्प कम मंजूर किये, चाहे आपने अपने तरीके से कैसे भी मंजूर किये। मैं यह नहीं कह सकता कि आपने योजनाएं कम मंजूर की हैं, खूब मंजूर की हैं। लेकिन एक आत्मचिन्तन का मामला है। जितने भी पैसे मंजूर किये हैं, आप इतना तो आंकलन कर लो कि उससे जनता को कितनी योजनाओं से लाभ मिल रहा है, कितने हैण्डपम्पों से लाभ मिल रहा है। आपने खूब योजनाएं कीं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप जयपुर जिले को, टौंक जिले को पानी की व्यवस्था करना चाहते हो तो एक ही सहारा है- बीसलपुर बांध। उसमें आपको याद दिलाना चाहता हूं 22 मई, 2006 को आप राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को दूदू ले गये और बहुत बड़ा कार्यक्रम आपने किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैंने उस समय भी आपको धन्यवाद दिया कि जिस काम के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं उस काम की आप शुरूआत कर रहे हैं। वैसे तो योजना में दो ही चीज होती हैं, एक तो शिलान्यास होता है और एक लोकार्पण होता है। लोकार्पण तब होता है जब आप पानी चालू कर रहे हो। आपकी मैंने प्रगति रिपोर्ट देखी है, उसकी सारी फोटो देखी है, उसमें एक ही योजना ऐसी मिली है जिसमें आपने शुभारम्भ का भी समारोह किया है, शुभारम्भ की भी आपने फोटो लगायी है। आपने मुख्य मंत्रीजी से उस दिन एक बात कहलायी भाषण में कि हम मार्च, 2008 तक बीसलपुर-दूदू पेयजल योजना के 718 गांव हैं उनको पेयजल उपलब्ध करा देंगे। इसके बाद आपके विभाग ने इस बात को अपनी रिपोर्ट में कहा कि हम मार्च, 2008 में नहीं हम दिसम्बर, 2008 में पेयजल उपलब्ध करा देंगे। अभी तक आपने मालपुरा रीजनल स्कीम के टेण्डर नहीं लगाये, आपने नरेना रीजनल स्कीम का टेण्डर नहीं लगाया, आपने सांभर

(श्री बाबूलाल नागर)

रीजनल स्कीम का टेण्डर नहीं लगाया। आपने दूदू का लगाया, आपने झरना का लगाया उसके लिए तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपको इसलिए भी धन्यवाद देता हूं, जब-जब कोई बात मैं उठाता हूं आप संवेदनशीलता से उस बात को मानते हैं। चाहे दो दिन पहले, चाहे तीन दिन पहले मानें, लेकिन नतीजा कुल मिलाकर जनता के पक्ष में जाता है। मेरा आग्रह है, अब आप अपने जवाब में जरूर बता दें, इन 718 गांवों को मुख्य मंत्रीजी से तो मार्च, 2008 में पानी उपलब्ध कराने के लिए खूब तालियां बटोरीं, मैंने भी धन्यवाद दिया, अब आप इस मुख से इतना-सा बता दो कि आप इस बीसलपुर-दूदू योजना के 718 गांव हैं टौंक और जयपुर जिले के, उन 718 गांवों को कौनसी डेट तक पेयजल उपलब्ध करा देंगे?

सभापति महोदय, आपने खूब पैसा मंजूर किया, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं जिसके संबंध में आपसे मैं यह निवेदन करना चाहूंगा ..(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें प्लीज।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): कर रहा हूं। सभापति महोदय, देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी 1998 से 2003 तक, उन्होंने 2500 करोड़ रुपये खर्च किये। मंत्री महोदय, आप जरा मेरी बात को सुनें, आपको मैं यह धन्यवाद दे रहा हूं, आपने खूब काम मंजूर किया, लेकिन इसका लाभ कितना मिलता है, इसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकार ने 1998 से 2003 तक 2500 करोड़ रुपये खर्च किये और 6223 गांव और ढाणियों में पूर्ण रूप से पानी की व्यवस्था हुई। इसी तरह 41436 गांवों और ढाणियों में आंशिक रूप से पानी पहुंचाया। अब आपने चार वर्ष में 2003 से 2007 तक 3800 करोड़ रुपये खर्च किये। ज्यादा खर्च किये। कांग्रेस की सरकार के 5 साल से भी आपने 4 साल में ज्यादा खर्च किया। लेकिन लाभ कितने गांवों को मिला? 2850 गांव और ढाणियों को पीने का पानी मिला और 35029 गांव और ढाणियों को आंशिक व्यवस्था हुई।

सभापति महोदय, अंत में एक निवेदन करना चाहता हूं, आप जानते हैं आपने बड़ी-बड़ी योजनाएं कीं, लेकिन बीसलपुर के अलावा और कोई सोर्स नहीं है। पिछले दिनों आपने सर्वे कराया था, टौंक भी बीसलपुर की उम्मीद

(श्री बाबूलाल नागर)

लेकर बैठा है, जयपुर भी बीसलपुर की उम्मीद लेकर बैठा है, अजमेर भी बीसलपुर की उम्मीद लेकर बैठा है और भीलवाड़ा व कई जिले बीसलपुर बांध से पेयजल की उम्मीद लेकर बैठे हैं। आपने बीसलपुर बांध में नदी डालने का कोई इस तरह का सर्वे किया था। मैं जानना चाहूंगा, आपने कोई कार्ययोजना बनायी है, आपने ऐसा कोई मन बनाया है? बीसलपुर के अलावा आपने यह भी कहा था कि ईसरदा बाँध को भी भरेंगे, बीसलपुर में हम नदियां लाएंगे। तो आपकी यह योजना कहां अटक रही है? इससे 5-6 जिलों के लोगों को फायदा मिलेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें प्लीज।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अंत में, मंत्री महोदय, मैं आपसे हैण्डपम्प के संबंध में निवेदन करूंगा। मैंने आपसे चर्चा की थी, मेरे यहां हैण्ड पम्प के अलावा इमीजिएट रिलीफ का मामला नहीं है। पहले नरैना में हर साल ट्रेन से पानी आता था, इस बार शायद वो लाइन का मामला बिगड़ गया और पानी का दूदू में बहुत बड़ा संकट हो गया है। मैंने आपसे 100 हैण्ड पम्प के लिए निवेदन किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे आप 100 हैण्ड पम्प दे देंगे। अंत में, मंत्री महोदय, आप जितनी दबंगता से काम करते हैं, मैं तो आपके लिए एक छोटा-सा निवेदन करना चाहता हूं माननीय सिंचाई और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डा. सांवरलालजी जाट, आप इतना घमण्ड मत करो ..(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बहादुर सिंहजी गोदारा।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): हमने उगते हुए सूरज को डूबते हुए देखा है, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय बहादुर सिंहजी गोदारा।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): यह तो स्थायी तारा है और हमेशा ही रहता है।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): आप तो यह बता दो कि 5 साल में आपके दूदू में कितने हैण्ड पम्प लगे?

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): मैंने धन्यवाद दिया है। योजनाएं खूब मंजूर कीं, हैण्ड पम्प खूब मंजूर किये, लेकिन गरीब की तरफ भी देखो, बहुत जरूरत है मेरे यहां। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): आप तो एक बात बता दो कि

(श्री धर्मपाल चौधरी)

पांच साल आप सरकार के अंदर एमएलए रहे, आपने पांच साल में कितने हैण्ड पम्प लगाये, कितनी योजनाएं मंजूर करायीं और कितनी जगह बीसलपुर का पानी दिया? आपने सिर्फ पत्थर लगाने के अलावा कुछ काम नहीं किया। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): कांग्रेस की सरकार ने दूदू में क्या किया है, उसका आपको समय आएगा, जब जानकारी होगी। माननीय मंत्री महोदय को सब जानकारी है।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): कुछ नहीं किया। कुछ भी किया हो, लेकिन एहसान फरामोश हो।

श्री सभापति: माननीय बहादुरसिंहजी।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान मेरे क्षेत्र की पेयजल योजना की तरफ दिलाना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, पेयजल के संबंध में मेरे क्षेत्र में भैरोंसिंहजी के जमाने में एक अच्छी योजना बनी आपणी योजना, जिससे गांवों में जहां बड़ी दिक्कत थी उन गांवों में पीने का पानी पहुंचा। इसके लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन जिन गांवों में हमारे पहले दिक्कत नहीं थी उन गांवों में अब एक नयी दिक्कत पैदा हो गई। वह यह है कि नहरी क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े वाटर वर्क्स बन गये थे जिनकी लाइनें बहुत छोटी हैं उन वाटर वर्क्स में फिल्टर प्लांट नहीं लगे हुए हैं, नहरों का जो पानी आ रहा है वह पंजाब से सेम का पानी मिलकर, हरियाणा से सेम का पानी मिलकर आ रहा है और हमारे क्षेत्र में भी सेम का पानी पीने की नहरों में भी मिलाया जाता है, इससे भी जल पीने के लायक नहीं रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो हमारी नहरी क्षेत्रों के लिए छोटी पेयजल योजनाएं बनाई गई थीं, उनको दुबारा बनाया जाए, नये तरीके से बनाया जाए। उन पेयजल योजनाओं को भी आपणी योजना की तरह, जर्मनी की सहायता से जो हमारे क्षेत्र में योजना बनाई गई थी उसी पैटर्न पर बनाया जाए ताकि उनमें फिल्टर्ड पानी लोगों को पीने के लिए मिल सके। हमारे क्षेत्र में काफी लोगों को पेयजल की परेशानी हो रही है क्योंकि पीने का जो पानी आता है वह सारा का सारा हरियाणा, पंजाब से आता है और उसमें वे सेम का पानी मिलाते हैं, इससे लोगों के पीलिया, दमा और भी कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। बार-बार कैम्प लगाने पड़ते

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

हैं गांवों के अंदर इन बीमारियों को रोकने के लिए। इसलिए मेरा अनुरोध है माननीय मंत्री जी से कि वह बड़ी पेयजल योजनाएं बनाए गांवों में। हमारे यहां नहरों की वजह से पेयजल की कमी नहीं है, लेकिन फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है जिसकी वजह से गंदा पानी लोगों को पीना पड़ रहा है, आप फिल्टर प्लांट लगाकर आपणी योजना जो जर्मनी के सहयोग से बनी है, उसकी पैटर्न पर योजना बनाएं। मेरा मंत्रीजी से एक सुझाव है कि इन गांवों में घर-घर पेयजल का कनेक्शन दिया जाए ताकि लोगों को सही ढंग से पानी मिले और चोरी करने का उनको मौका न मिले। आपने आपणी योजना में, जनता जल योजना में जो कर्मचारी लगा रखे हैं उनको केवल 500 रुपये दे रखे हैं और टैम्परेरी लगा रखे हैं, मेरा अनुरोध है कि उनको परमानेंट किया जाए और सही ढंग से उनको रोजगार दिया जाए। (व्यवधान)

दूसरा, मैं इर्रिगेशन के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी, हमारे इलाके में राजस्थान कैनाल भी है, नोहर फीडर भी है, सिद्धमुख कैनाल भी है और भाखड़ा डैम भी है, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो हमें निश्चित पानी मिलना चाहिए वह पानी नहीं मिल पा रहा है। हरियाणा में हमारी नहरों का पानी चोरी हो रहा है, पंजाब में हमारी नहरों का पानी चोरी हो रहा है और हमारे काश्तकार भी नहरों का पानी चोरी करते हैं इसलिए आज घड़साना व छतरगढ़ में समस्या पैदा हो रही है। अगर इस चोरी को रोक दिया जाए तो पानी आगे पहुंचने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी स्थानीय काश्तकारों में लड़ाई-झगड़े भी नहीं होंगे और उन्हें पूरा पानी मिलता रहेगा। एक तो जो हमारे हिस्से का है उसके हमारे प्रांत में एंटर होते ही उसकी नाप होनी चाहिए कि हमारा जितना पानी है, वह हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यह कमी अगर आप दूर कर देंगे तो निश्चित तौर पर टेल तक पानी पहुंच जाएगा।

दूसरा, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि हमारी ये जितनी नहरें हैं, आपने पानी तो बहुत पहले छोड़ दिया था लेकिन सिस्टम अभी तक डवलप नहीं हुआ है, उस सिस्टम को आप जरूर डवलप करें ताकि पानी का सही उपयोग हो। आज भी हमारी लिफ्ट सिंचाई योजना में कहीं भी सिस्टम डवलप नहीं हुआ जिससे काश्तकारों में दुनिया भर के मुकदमे चल रहे हैं, झगड़े-फसाद हो रहे हैं, पानी की चोरी हो रही है, आपस में छीनाझपटी हो रही है। इसमें

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

अगर आप सिस्टम डवलप कर दें जल्दी से जल्दी तो पानी का सही उपयोग होगा। (व्यवधान)

दूसरा, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि हमारे जो हैड वर्क्स हैं उनमें कंट्रोल अभी तक हमारा नहीं है, पंजाब का है, जिसकी वजह से पंजाब हमें पानी पूरा नहीं दे रहा है। आप हैड वर्क्स पर अपनी निगरानी बढ़ाइए। राजस्थान में पानी जिस सिस्टम का भी एंटर होता है वहां तो गेज तक नहीं लगे हुए और हम देखकर यह पता नहीं लगा सकते कि हमें पानी हमारा पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हम कई बार जाते हैं, सीमा पर जाकर हैड वर्क्स के ऊपर देखते हैं कि हमारा पानी पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहां गेज नहीं होने की सूरत में हमें यह पता नहीं चलता कि हमारा पानी हमें पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस सिस्टम को सुधारें, कंट्रोल बढ़ाइए ताकि पानी की चोरी नहीं हो, हरियाणा पंजाब से भी हमें पानी मिले। दूसरा मेरा आपसे अनुरोध है कि खालों की जो कीमतें आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दीं, वे कम की जाएं, 13 हजार की बजाय 10 हजार ही की जाएं।

एक मेरा निवेदन और है, मंत्रीजी, कि हमारी तीन तहसीलों-नोहर, भादरा और तारानगर में 20-22 गांव ऐसे बीच में रह गये जिन गांवों में चारों तरफ पानी लगता है इस सिस्टम का, लेकिन वे सरकार की, प्रशासन की गलती की वजह से रह गये। उनकी जमीनें बड़ी अच्छी हैं, बड़ी फर्टाइल जमीनें हैं और लेवल भी बहुत नीचा है, उनमें बड़ी आसानी से इन तीनों ही सिस्टम का पानी दिया जा सकता है इसलिए उस एरिया का भी सर्वे करवाकर आप पानी देने की कृपा करें ताकि 24-25 गांवों को सिंचाई का पानी मिल सके। पानी की वहां अभी तक कमी नहीं है। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बाबूलालजी खराड़ी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया): सभापति महोदय, आज महत्वपूर्ण मांग पेयजल है। ऐसा कहते हैं कि जल ही जीवन है, वास्तव में सही है कि जल ही जीवन है। मान्यवर, आज कई प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जो भी बोले, उन्होंने सराहना की कि आपने वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है।

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

यह एक हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष ने बहुत समय तक शासन किया और आज कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि आपने यह नहीं किया, वह नहीं किया। सभापति महोदय, माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने एक नारा दिया था, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सब को पढ़ाओ, क्या हुआ ? मान्यवर, पानी तो बचा नहीं, सब को पढ़ाया नहीं लेकिन इन्द्र भगवान ने जरूर इनकी सुनी। इन्द्र भगवान ने कहा कि आप तो मत बचाओ, मैं ही बचा लूं, वह कभी बरसे नहीं। और बरसे नहीं तो, मान्यवर, हमारी माताएं, बहनें पानी के लिए मटकी लेकर सड़कों पर उतरीं। सड़कों पर मटकी फोड़ी। मान्यवर, आज ये किस मुंह से कहते हैं कि हमें राज करना नहीं आता ? मान्यवर, इन्होंने केवल एक काम किया, यह बजट भाषण की पुस्तक है, यह इन्होंने भी पढ़ी होगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही है कि इनके द्वारा स्वीकृत योजनाओं को हमने पूरा किया है, केवल इनका काम यह था कि जैसे समय नजदीक आता, जनता को खुश करने के लिए वहां पर भाटा गाड़ देते और उसके नाम पर वोट ले लेते। यह माननीय मुख्य मंत्रीजी वसुंधराजी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि हमने उन सारी योजनाओं को पूरा किया। इसी संबंध में मैं कहना चाहता हूं, मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटाड़ा में दो परियोजनाएं इन्होंने स्वीकृत कर रखी हैं, लेकिन वित्त पोषित नहीं थी। जैसे ही सरकार आने के बाद में उन परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया, आज सिंचाई हो रही है। मान्यवर, आज भी दो परियोजनाएं ऐसी हैं जिनकी अभी निविदाएं आमंत्रित हैं, यह आपने बजट दे दिया है, मान्यवर, आप बिलकुल नम्र हैं और उदार भाव के हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सैशन के बाद रोहिणी और बिकरणी, साबरमती परियोजना की निविदाएं आमंत्रित करें। मैं चाहता हूं कि आपको आमंत्रण करके आपके माध्यम से वहां भाटा लगवाऊं और उन गांवों को पानी दें। मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): सही कह रहे हैं। सुनो, बहुत अच्छा कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, इस एसी को हाई करवाओ, बहुत लो है, सिर पर आकर बहुत ही बर्फ की तरह जम गया है सारा काम।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): हाई करवाओ या लो करवाओ।

श्री सभापति: करते हैं जी, करते हैं। देखिए, माननीय सदस्य उदयपुर से आए है, उनको बोलने दें कभी कभी बोलते हैं वह।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया): बहुत कम बोलता हूं । मान्यवर, मैं मेरे क्षेत्र की कुछ लम्बित योजनाओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। उबापम स्कीम ऐसी है जिससे दो गांवों को लाभ होगा । विभाग को मैंने कहा, इसको सिंचाई के लिये परियोजना बनाओ, लेकिन डिपार्टमेंट ने किसी कारणवश उसको छोटी स्कीम बनाई, एनीकट बनाया और उसमें यह सीमा डाल दी कि ढाई मीटर से ऊपर नहीं होगा। अगर वह ढाई मीटर तक बनता है तो उन गांवों को लाभ नहीं होता है । इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, अभी वह प्रपोजल बन रहा है और दो-तीन दिन में आ जाएगा, उसको एक बांध के रूप में स्वीकृति दें ।

दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कोटड़ा में एक मेढी ग्राम पंचायत है जहां नाकोला नाम का बांध है, उससे तीन पंयायतें प्रभावित होंगी, वह भी करें । दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, झाडोल में दोनदियां बाँध, मादरी बाँध और एक जामनभाला है, इसमें कोई बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत भी नहीं है, एक करोड से नीचे ही है उनको स्वीकृत करेंगे तो वास्तव में उस गरीब का भला हो जाएगा । वह क्षेत्र ऐसा है आज तक कांग्रेस का शासन रहा लेकिन पानी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। महत्वपूर्ण बात है अगर पानी को रोक कर हम किसान के खेत तक ले गये होते तो निश्चित रूप से उस किसान की माली हालत सुधरती । लेकिन वह काम उन्होंने नहीं किया । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, यह श्रेय तो आपको ही लेना है यह आप कर देंगे तो आपकी बहुत बडी कृपा होगी।

मान्यवर, मैं पेयजल के विषय में कुछ कहना चाहता हूं । मंत्री महोदय, झाडोल में मानसी-वाकल बांध का पानी उदयपुर के लिये बना था और हमने भी मांग की थी कि हमारे क्षेत्र का पानी है और हमारे यहां के लोग बर्बाद हुए हैं तो हमारा भी हक बनता है । हम चाहते हैं कि उदयपुर को पानी मिले लेकिन हमको भी हमारा हक मिलना चाहिये । मंत्री महोदय ने हमें 22 गांवों की पेयजल स्कीम स्वीकृत करके दी और आज वह काम शुरू हो गया ।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो परियोजनाएं ऐसी हैं कोचला और सुल्तान खैरवाड़ा जिनकी निविदाएं आमंत्रित नहीं हुई और एक जैतावड़

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

स्कीम है जो प्रोसिजर में है, उसको भी आप स्वीकृत कर देंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आने वाले समय में नल योजना से पानी पहुंचाने की एक भी बस्ती नहीं बचेगी । इन्होंने तो कुछ नहीं किया, इन्होंने भाटे लगाने का काम किया है । हम काम करके दिखाते हैं। आने वाले समय में, ये दावा करते हैं कि आप इधर होंगे, हम उधर होंगे, यह केवल इनकी कपोल कल्पित कल्पना है । आज क्षेत्र में जाकर जनता से पूछें तो जनता हमको कहती है कि भाई साहब हमने बहुत बड़ी गलती की जो कांग्रेस को इतने लम्बे समय तक शासन करने का अवसर दिया । वह कहते हैं कि आप आये हो तो हमारा काम हो जाएगा। कम से कम इतना विश्वास जनता का है और जनता निश्चित रूप से आने वाले समय में वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी । आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिये आपका आभारी हूं ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, धन्यवाद 6 मिनट में आपने अपना पूरा विषय रख दिया । माननीय सदस्य श्री शंकरसिंह राजपुरोहित ।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आज तो दूल्हे राजा की तरह लग रहे हो ।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): सभापति महोदय, आज वास्तव में मनुष्य जीवन के लिये जल प्राण है और उस विषय पर चर्चा हो रही है । मैं अपने आपको पेयजल और सिंचाई की चर्चा में सम्मिलित करता हूं। सभापति महोदय, पानी और उसके साथ-साथ दूसरी व्यवस्थाएं करना, सरकार की गद्दी पर बैठने के बाद जो वादे किये हैं उनको निभाना, लेकिन उससे ज्यादा जहां जहां भी वास्तव में जिस कमी से लोग दुःखी हैं चाहे वह पीने के लिये पानी हो, चाहे वह सिंचाई के लिये पानी के हो, उस आवश्यकता को पूरा करना और उसके लिये सोच रखना, एक विशाल सोच रखना बड़ी बात है। अभी सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उस समय सरदार पटेल ने यह सपना दिया था, उस सपने को आगे बढाते हुए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी को जिन्होंने देश को नदियों से जोड़ने वाली रचना को आगे बढ़ा कर देश को एक स्वर्ग बनाने का सपना दिया । सभापति महोदय, मैं निंदा करना चाहूंगा केन्द्र की कांग्रेस की सरकार की। यह सपना और यह योजना जो अटल बिहारी वाजपेयीजी ने दिया था, जिस सरदार पटेल की योजना को आगे बढ़ाया अटल बिहारी वाजपेयी ने। कारण यह

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

है कि विश्व की सबसे अधिक वर्षा इस हिन्दुस्तान की धरती पर होती है और विश्व की सबसे कम वर्षा भी इस हिन्दुस्तान की धरती पर होती है, यह एक भौगोलिक विचित्रता का परिचय है । पानी का उपयोग करने के लिये नदियों को जोड़ना, ज्यादा वर्षा वाले इलाके की नदियों का जल कम वर्षा वाले इलाके में ले जाकर उनको भी हरा-भरा करने का एक सपना था। लेकिन उस सपने को लेकर जो केन्द्र में सरकार बैठी है उनकी कोई ग्रामीण सोच नहीं है । इस देश के लिये मौलिक सोच नहीं है, उनकी विचारधारा नहीं है । मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि उन्हें सद्‌बुद्धि दे और ऐसी विचारधारा बने । सभापति महोदय, इस बात को आगे बढ़ाने के लिये वसुंधराजी ने परिवर्तन यात्रा में पूरे प्रांत का दौरा किया । अभी प्रतिपक्ष के माननीय नेता फर्मा रहे थे कि वास्तव में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है । तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आपको तो आज जोरदार शब्दों में धन्यवाद देना चाहिये । (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, एक दृष्टांत देना चाहूंगा, जिस प्रकार से कांग्रेस के पूर्व मुख्य मंत्री महोदय ने पेयजल के लिये योजनाएं, (व्यवधान) सभापति महोदय, थोडी कृपा करेंगे।

कांग्रेस के अशोक गहलोतजी ने जहां-जहां भी जनता का मौका देखकर जनता के साथ एक बहुत बड़ा अपराध किया और सिर्फ पत्थर लगाने के लिये जो काम किये, उसका एक जीता-जागता उदाहरण मैं देना चाहता हूं। परिवर्तन यात्रा के समय किसी कारण से उस एरिये में निकला था नाचना की जो इन्होंने परियोजना बनाई उस पत्थर पर क्या हो रहा था, एक श्वान देवता अपनी प्राकृतिक पीडा का हरण कर रहे थे । यह क्या है, यह क्या है, क्या जनता के साथ आपने वादा किया है, क्या उद्‌घाटन किया था वहां पर? आपके पास फंड नहीं था, आप फंड करने की व्यवस्था में नहीं थे। आपको सिर्फ +++ लेकर घूमने के अलावा कोई काम नहीं था । मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वसुंधराजी को, परिवर्तन यात्रा.... (व्यवधान) शिलान्यास के पत्थर का उद्‌घाटन किया था। सभापति महोदय, वसुंधराजी ने उन सारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये जो इन्होंने फंड की व्यवस्था नहीं की, उस फंड की व्यवस्था की। दूर-दराज में आज जो जमीन का वाटर लेवल इतना नीचे चला गया है, पानी जमीन में नहीं है तो आने वाले कल आने वाले 10-20 सालों के बाद पानी के लिए त्राहि-त्राहि नहीं मचे, पानी के लिए जनता कहीं लड़े नहीं,

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

इस व्यवस्था के लिए उन्होंने नैचुरल वाटर को कहीं न कहीं से लाकर जोड़ने के लिए जैसी योजनाएं चल रही हैं, उन सब के लिए फण्ड की व्यवस्था की। मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिस बाड़मेर जिले से आप आते हैं, जनता आज 50-50 सालों से फ्लोराइड का पानी पी रही है, क्या आपके अपने दिल में कभी बाड़मेर की जनता के लिए दया नहीं आई? उलटे अशोकजी ने खाली पत्थर लगाने का काम किया। आप तो खुले दिल से सावंर लालजी मंत्री महोदय और वसुंधराजी को धन्यवाद दीजिये जिन्होंने जो गुजरात सरकार का नर्बदा प्रोजैक्ट के लिए 660 करोड़ रुपया था, वह आते ही पहले व्यवस्था करके दिया। नर्बदा नदी के पानी के लिए राजस्थान की जनता वसुंधराजी के नेतृत्व में पलक-पांवड़े बिछाकर के इंतजार कर रही है, वह घड़ी आ गई है। मैं आपके माध्यम से वसुंधराजी से और मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस दिन राजस्थान की धरती पर नर्बदा देवी का पानी आए, उस दिन आप पधारें और आप पूरे राजस्थान की जनता की ओर से उसकी आरती उतारकर उस पानी को राजस्थान में लें। (व्यवधान) घनश्यामजी का आशीर्वाद तो है ही। माननीय सभापति महोदय, कहीं पर भी आप प्रतिपक्ष के बन्धु एक छोटा-छोटा हाथ पकड़ने की भी बात कर सकते हो, जितनी योजनाएं हमने साकार की हैं आप कम्पेरीजन कर लें किसी मुद्दे पर।

अभी दूदू से आने वाले माननीय सदस्य एक तरफ तो धन्यवाद दे रहे थे कि बहुत काम किया, बहुत हैण्ड पम्प खोदे। मैं तो यह आश्चर्य करता हूं कि ये पहले मंत्री महोदय हैं जो ऑन डिमांड, खड़े-खड़े हैण्ड पम्प दे देते हैं। यह पहली बार है। ऑन डिमांड यानि खाली मांग करो, जनता की मांग आनी चाहिए, वो जनता के लोग, जनता के जो भी बन्धु हैं, खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, पेयजल की व्यवस्था पर पिछले 5 वर्षों में जितना खर्च हुआ था उससे ढाई गुना हमने बजट खर्च किया है। घंटी तो बजाई है, माननीय सभापति महोदय, आपके डिमांड.....

श्री सभापति: घंटी मैं नहीं बजाता हूं, यह पर्ची मेरे से बजवाती है।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): मैं तो कुछ सोचकर आया था कि मुझे 15-20 मिनट देंगे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, वास्तव में समय

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

की मर्यादा है, काफी लोग बोलने वाले हैं। माननीय सभापति महोदय, 2-3 पाइंट में मैं मेरे विषय रख देता हूं। एक मिनट में मैं बैठ जाऊंगा।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई से सम्बन्धित विषय है, जवाई बाँध से सिंचित हो रहे मेरे 22 गांव हैं उन 22 गांवों में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत मार्मिक विषय है, मेरे 22 गांवों में जवाई बांध का पानी सिंचाई के लिए आता है, उसमें सैटलमेंट के समय प्रतिपक्ष के नेताओं की सरकार थी तो छोटे-छोटे किसानों को नहर के पानी से वंचित कर दिया गया और चाही जमीन घोषित कर दी। वो किसान जिनके खेतों के अन्दर से नहरें जाती हैं, उनको पानी नहीं मिलता है। जालौर कलक्टर के द्वारा सर्वे होने के बाद लगभग 10 हजार बीघा जमीन है और 1100 किसान हैं, मतलब सभी छोटे-छोटे किसान हैं, मंत्री महोदय से निवेदन है कि सारी फाइल बनकर रेवेन्यू सैक्रेटरी के पास आ गई है, इर्रिगेशन की मोहर लग जाए और उन किसानों का बहुत बड़ा भला हो जाए।

आपके माध्यम से दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि रायथल गांव में पांडवों के हाथ का एक तालाब खुदा हुआ है जिसका नाम भीम तालाब है। पिछले 50 सालों से उसका पानी 3-4 गांव पीते थे, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह पेयजल योजना आने के बाद उस पानी के उपयोग के लिए एक मिनी डैम बनाएं। एक फसली के सारे गांव हैं, कम से कम 5-10 हजार बीघा जमीन सिंचित हो जाएगी और बहुत कम खर्चे से उस पानी का उपयोग हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, पंचायत समिति जालौर के गांव आकोली की सरहद पर मोगल्दा बांध है यह बहुत ही मार्मिक विषय है, एक मांग है। माननीय मंत्री महोदय, आपका ध्यान चाहूंगा कि जो आकोली बांध के नाम से योजना प्रस्तावित है उस योजना को आप क्रियान्वित करें जिससे 8-10 गांव वहां लाभान्वित होंगे, नहीं तो पानी वेस्ट जाता है और हर बार नदी में कहीं न कहीं ओवरफ्लो आता है। इस आकोली बांध के कार्य को भी आप मंजूरी दें, ऐसा मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय, दूसरा, जवाई से सिंचित एरिया में कुछ नहरों की एक बनावट हुई है, भाखली डैम है, बाराबंदी नहीं है, ओपन सारा चल रहा है।

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

बांराबंदी हो जाए, सभी किसानों को बराबर पानी मिल जाए भाखली डैम में। एक वर्ल्ड बैंक से नहरें बनी हैं उन नहरों की बनावट में पानी उनको बराबर नहीं आ रहा है। आज नहरें बन गई हैं और आज ही उनमें दरार पड़ गई हैं, उनकी जांच करवा दें और उनकी वापस रिपेयरिंग के लिए भी व्यवस्था करवा दें, मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय, एक खास मुद्दा है जालौर जिले का। एक तो पीएचईडी मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके सारे जो भी पीएचईडी के ट्यूबवैल फीडर हैं उन फीडरों को 24 घंटे बिजली सप्लाई से जुड़वाकर आपने बहुत बड़ा काम किया है उसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, एक-दो विषय हैं, बार-बार बात उठती है, आंदोलन होते हैं जालौर जिले में उसके निवारण के लिए। इस बार हमारा सौभाग्य है कि सिंचाई और पीएचईडी, ये दोनों आपके पास हैं, नदियों के किनारे पुराने समय में गांव बसते थे, जालौर जिले में जवाई नदी 300 किलोमीटर लम्बी निकलती है। उसके आस-पास दोनों तरफ कम से कम 350-400 गांव हैं। जवाई नदी से पीएचईडी के लिए पानी दिया जाता है, सिंचाई के लिए दिया जाता है उसके बाद भी लास्ट ईयर 1800 एमसीएफटी पानी उसमें रिजर्व रहा। मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो नदी सूख गई है, डार्कजोन में आ गई है। पहले जालौर जिले से अनार एक्सपोर्ट होते थे मतलब सारे कुओं में पानी था। अब वो वाटर लेवल इतना सूख गया है, इसलिए कम से कम 500-1000 एमसीएफटी पानी नदी में छुड़वाएं। इसके लिए एक पालिसी बनाएं। डिपार्टमेंट के लोग बिल्कुल सहमत हो गये हैं, आप एक आदेश करें जिससे जालोर जिले के ये 300 किनारे के गांव जीवित हो जाएं और अनार जो एक्सपोर्ट होता था वह भी फिर से हो।

माननीय सभापति महोदय, नर्बदा पेयजल योजना के प्रोजैक्ट का प्रारम्भ बिन्दु तेतरोल में जमीन का कब्जा लेकर फिल्टर प्लांट और पम्प हाउस का निर्माण शीघ्र करावें जिससे नर्बदा का जो आपका लक्ष्य है जालौर एवं बाड़मेर जिले के गांवों के लिए, वह पूरा हो सके। सभापति महोदय, फिर से एक धन्यवाद वसुंधराजी को देना चाहूंगा कि वास्तव में जालौर और बाड़मेर के लिए नर्बदा का पानी लाकर ऐतिहासिक काम किया है, इतना बड़ा काम किया है। मैं प्रतिपक्ष के नेता से एक अपेक्षा करूंगा कि आप भी इस विषय पर, इस

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

बजट पर मुख्य मंत्री और सांवरलालजी को धन्यवाद दें। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्रजी बेनीवाल। कृपया 8 से 10 मिनट में अपनी बात कहें।

(समय : 18.00 बजे)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और 46 पर चल रही चर्चा में आपने मुझे बोलने का समय दिया। सभापति महोदय, सिंचित क्षेत्र के अंदर पेयजल आपूर्ति किसी नहर के माध्यम से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही है। पिछला जो समय रहा है इसके अन्दर कुछ कैनाल क्लोजर की बात भी रही और पानी की बारी भी साढ़े तीन रोज लागू की गई जिसके चलते जो आपका सिस्टम है इर्रिगेशन का, उस सिस्टम में पानी की बारी बहुत लम्बी हो जाने के कारण आज हालात ये बन गये हैं कि जो हमारी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं हैं, उन योजनाओं में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ये आज के हालात हैं, माननीय सभापति महोदय, जिनसे मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अवगत करवाना चाहता हूं।

जिला बीकानेर, जिला जैसलमेर और बीकानेर के साथ लगते हुए गंगानगर का सूरतगढ़ और घड़साना वाला क्षेत्र है, यहां जो भी आपका पेयजल का स्टाक था, विभाग पानी की राशनिंग करके किसी तरह से दिन निकाल रहा है लेकिन हमारा यह संवेदनशील प्रशासन समय-समय पर अवगत कराये जाने के बावजूद भी कोई माकूल व्यवस्था नहीं कर पाया है, सर्वप्रथम मैं यह मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं।

आज के हालात में ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है और मरूस्थलीय जिलों को यह अनुदान शत-प्रतिशत होता है लेकिन फिर भी आज स्थिति यह है कि पेयजल की जो माकूल व्यवस्था की जानी चाहिए, वह नहीं हो पाई और अधिकांश क्षेत्रों में, पांच पी.पी.ए. से अधिक फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र हमारे यहां पर बहुत बड़ी संख्या में है, फ्लोरोसिस पर नियंत्रण पाने के जो उपाय किये जा रहे हैं, वे उपाय सारे ही फेल साबित हो रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, 2007 में गर्मियों में शहरी क्षेत्र के 53 कस्बों में एवं 6,243 ग्राम-ढाणियों में सड़क मार्ग द्वारा जल

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

परिवहन से आपूर्ति करवाई गई थी, आज शहरी क्षेत्र में यह स्थिति है कि हमें गर्मियों में पेयजल ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है तो हम गांवों की तो कल्पना भी क्या करें।

भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत प्रोजैक्ट भी बनाये गये हैं और एक बहुत बड़ी राशि की डिमांड भी केन्द्र से की गई है लेकिन जो संसाधन हमारे यहां पर उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाने के कारण से आम जन पीड़ित है। आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद आज गांवों के हालात ये हैं कि एक छोर से दूसरे छोर तक घर के अन्दर पीने के पानी का संग्रहण करने के लिए पानी के आवक समय में महिलाओं की लम्बी कतार लग जाती है और वे संग्रहण करने के कार्य में ही दिन भर व्यस्त रहती हैं। अनुसूचित जाति बहुल हमारी जो आबादी है, आज वह पेयजल संकट से संघर्ष कर रही है। आज भी उनके यहां पर पेयजल की कोई माकूल व्यवस्था नहीं होती है।

वर्तमान में 1,000 करोड़ रुपये का विभाग के पास में प्रस्तावित बजट है लेकिन इस बजट के अन्दर अगर देखा जाए तो एक ओर जहां ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है, 6,000 से अधिक ढाणियों को आप पेयजल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और 53 से अधिक शहरी आबादियों को कर रहे हैं। वहीं आपने ग्रीष्मकालीन आकस्मिक कार्यों के लिए महज 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, मैं समझता हूं कि इसके लिए नाकाफी है। वहीं दूसरी ओर, आज ग्रामीण क्षेत्र में जो योजना चलाई गई थी जनता जल योजना, इस योजना के तहत और आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ आप बिजली का बिल भरने की भी जिम्मेदारी ले रहे हैं, जबकि उसमें जो राशि का प्रावधान किया गया है, वह महज साढ़े तीन करोड़ रुपये है जो इंगित करता है कि वर्तमान प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितना संवेदनशील है। (व्यवधान) अब यह तो आपकी तरफ से अगर इशारा हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। माननीय मंत्री महोदय मेरी बात पर कुछ निगाह करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करूंगा। संसदीय कार्य मंत्रीजी, थोड़ा आप मेहरबानी फर्माएं।

महज साढ़े तीन करोड़ रुपये जनता जल योजना के तहत आपने प्रावधान किया है, यह नाकाफी है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज हमारा बहुत-

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपने सिस्टम तो अपना बना रखा है लेकिन उस सिस्टम का लाभ वहां के ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। उसका प्रमुख कारण यह है कि विभागीय स्तर पर बार-बार जब कभी भी समस्या आती है तो कहा जाता है कि बिजली का फाल्ट आने के कारण हम सुविधा नहीं दे पाये। ऐसी जलप्रदाय योजनाएं जो सुदूर पूर्व क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उनको क्यों नहीं हम प्राथमिकता से डाइरेक्ट फीडर से जोड़ने का कार्यक्रम करते हैं? अगर उसमें विलम्ब होता है तो यह जो बार-बार एक बात आती है कि आप विशेष अनुमति लीजिये, तभी हम जनरेटर सैट वगैरह लगा पाएंगे...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, थोड़ा मेहरबानी फर्माएं, मंत्री महोदय को तो आसपास के लोग ज्यादा व्यस्त कर रहे हैं।

मैं निवेदन कर रहा था, क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं का महज बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाने के कारण लाभ नहीं दे पा रहे हैं। अगर क्षेत्र विशेष के अन्दर हमारी पुरानी प्राकृतिक कुइयां अगर नहीं हों तो निश्चित रूप से आज का समय पुन: ऐसा हो जाए कि पानी के लिए लड़ाई लड़नी पड़े। विशेष रूप से बीकानेर जिले का सुभलाई, अजीतमाना, बीजरवाली और इसके आसपास के गांवों का क्षेत्र है, जो लम्बे समय से इस समस्या का शिकार रहता है और आज तक उसका समाधान नहीं हो पाया है।

वहीं दूसरी ओर आज जो फ्लोराइडयुक्त पानी का क्षेत्र है, इसके लिए भी विभागीय स्तर पर योजना बनाया जाना प्रस्तावित है। बहुत से गांव ऐसे हैं जिन गांवों में जब तक ये योजनाएं बनाकर पानी नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक वहां के लोगों का स्वास्थ्य इसी तरीके से गड़बड़ाता रहेगा। इसके चलते हमारी तहसील लूणकरणसर के अधिकांश गांव चाहे वह पाण्डुसर की ढाणी से लेकर करणीसर के बीच का क्षेत्र हो, और चाहे नकोदेसर से लेकर रावतसर के बीच का क्षेत्र हो और चाहे मोखमपुरा से लेकर बड़ेरन के बीच का क्षेत्र हो, यह सभी इलाका फ्लोराइडयुक्त पानी से प्रभावित है, चाहे बीकानेर शहर के पास में उदासर से रिडमलसर की बात करें। आज हम योजनाएं इतनी बनाते हैं लेकिन उन योजनाओं को क्षेत्र विशेष में लागू नहीं करके पूरे ही राज्य में सभी स्थानों पर जहां आवश्यकता हो, वहां पर इसको तत्काल प्रभाव से लागू करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूं।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

नहरी पानी की आपूर्ति, इसमें सीपेज वाटर के कारण जो बीमारी फैल रही है, इसके ऊपर भी कुछ दृष्टिपात किया जाना चाहिए। आज अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वह महज इसी कारण बढ़ रही है, यह मैं कहना चाहता हूं।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नहरी पानी के साथ-साथ सिंचाई के क्षेत्र के अन्दर जो योजना बनाई गई उन योजनाओं की सही क्रियान्विति नहीं हो पाने के कारण आज किसान परेशान है। पिछले समय में एक आन्दोलन चला, समय-समय पर किसानों को अपनी मांग की पूर्ति कराने के लिए संघर्ष करना पड़ा है।

हमारे यहां पर दो सिस्टम काम कर रहे हैं, सभापति महोदय, एक फ्लो सिस्टम है और एक लिफ्ट सिस्टम है। लिफ्ट सिस्टम में 60 मीटर ऊँचाई तक पानी को लिफ्ट करके उसकी आपूर्ति की जा रही है और मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में खाजूवाला और इसके आसपास का इलाका है, इसको फ्लो सिस्टम से पानी दिया जा रहा है इस फ्लो सिस्टम के अधिकांश भागों को रैगुलेट कर रहे हैं हमारे हनुमानगढ़ चीफ इंजीनियर। ये चीफ इंजीनियर जिनको जिम्मेदारी न सिर्फ इसकी दी गई है बल्कि इसके साथ-साथ भाखड़ा नहर, इंदिरा गांधी नहर, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर और साथ-साथ रावी-ब्यास से राजस्थान को अपने हिस्से के मिलने वाले पानी के जल लेखे के संधारण करने का काम भी इनको दिया हुआ है। सभापति महोदय, जिनको जिम्मेदारी दी गई है वही हमारे लिये संकट बने हुए हैं। क्योंकि पिछला हमारा समय आंदोलन का रहा- घड़साना, रावला और खाजूवाला क्षेत्र में आंदोलन रहा जिसमें ज्यादा प्रभावी सूरतगढ़, घड़साना और रावला के किसान रहे, उनको आपूर्ति कराने के लिए हर समय हमारे यहां तो सिस्टम में पानी की कमी रहती है, टेल एन्ड तक पानी नहीं पहुंचता है, बार-बार किसान इसके लिए आंदोलनरत रहते हैं और मांग करते हैं कि पानी की हमारी पूर्ति की जाय। विभाग कहता है पानी तो उनको पूरा दिया गया है, पूरा नहीं बल्कि ज्यादा ही दे दिया गया। अगर पानी आपको पूरा मिला तो आज किसान की फसल क्यों नहीं हुई है, यह एक प्रमुख प्रश्न है। और अगर पूरा नहीं मिला तो पानी कहां गया? किसान को पानी मिले, इसको लेकर बीसियों तरीके के प्रतिबंध लगा दिये गये। एपीएम लगा दिया गया, उन एपीएम के चलते आज किसान को सात-सात घंटे के

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

अंदर एक-एक बीघा तक जमीन सिंचित करने का पानी नहीं मिल पा रहा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से, किसान यह नहीं जानता कि एपीएम क्या है और डिस्चार्ज क्या है। वह यह जानता है कि जितनी सिंचित भूमि मुझे दी गई है, जितना रकबा मेरा सिंचित है इसके ऊपर पानी मेरे को मिलना चाहिए और लगना चाहिए। व्यवस्था की कमी के चलते किसान को तो दस कायदे-कानून बता दिये जाते हैं लेकिन उसको पानी की आपूर्ति नहीं कराने के अंदर दोषी एक भी अधिकारी की आज तक जिम्मेदारी तय नहीं की गई है जो किसान के साथ धोखा है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): दो मिनट का समय लूंगा, सभापति महोदय क्योंकि मेरी पीड़ा यह है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र विशालतम विधान सभा क्षेत्रों में से एक है और वहां पर सिंचित क्षेत्र सबसे ज्यादा आता है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि दो मिनट का समय मुझे और दिया जाए।

मैं इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा, गत समय में हमने मांग रखी। कि पानी की सप्लाई पूरी नहीं हुई। विभाग ने भी इस बात को माना कि हां, पानी की सप्लाई पूरी नहीं हुई है, सिंचित क्षेत्र में बहुत सा ऐसा इलाका है। लेकिन जो पारियों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने का कहीं कोई लेखा-जोखा नहीं है। डीसिल्टिंग के लिए आप राशि उपलब्ध करवा रहे हैं लेकिन वह डीसिल्टिंग किसान को स्वयं करनी पड़ रही है क्योंकि जब पानी की आवक होती है, ठेकेदार कहीं दूर-दूर तक नजर नहीं आते हैं। इसको लेकर बीसियों बार शिकायतें भी की गई हैं लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। बार-बार किसानों को आंदोलन करना पड़ता है। पानी की बारी जब कभी भी उनको खामियाजा होता है और लम्बे संघर्ष के बाद उनको पानी दिया जाता है। मैं निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से, कि जब कभी भी ऐसी समस्या उत्पन्न होती है तो उसके कारण क्यों नहीं खोजे जाते? स्थानीय अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी नहीं है कि जब उसको स्थानीय काश्तकार लिखित में सूचित कर रहा है कि हमारी यह समस्या है, उस समस्या का समाधान किया जाए? उसका समाधान करने की बात तो दूर,

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

उसकी अनदेखी कर किसान को मजबूरीवश तब सड़कों पर आना पड़ता है, हैड पर कब्जा करना पड़ता है। उस टैंस माहौल को दूर करने के लिए कितनी मशक्कत होती है, इस बात को हर व्यक्ति जानता है। लेकिन उसकी उस समस्या को इतना कष्ट देने के बाद पूरी करने से पहले ही क्यों नहीं सोच लिया जाता, यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा सिंचित क्षेत्र जहां पर आप एक सब माइनर से सुविधा दे रहे हैं, नजदीकी सब माइन से उस काश्तकार को ज्यादा सुविधाजनक रूप से पानी मिल सकता है, तो क्यों नहीं उसके अंदर परिवर्तन तत्काल प्रभाव से किया जाता और उसको बार-बार क्यों चक्कर कटवाये जाते हैं, यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं?

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं, कई ऐसी नहरें हैं जिनके बेड लेवल ठीक नहीं हैं। विभाग अपनी तरफ से तर्क इसलिए देता है कि ये ठीक है क्योंकि उन्हीं के किन्हीं भाइयों ने इसका निर्माण किया है और वे कभी भी यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि उसके बैड लेवल ठीक नहीं हैं और टेल एन्ड तक पानी नहीं जाता है। इसका उदाहरण हमारी केजेडी नहर है जिसके टेल पर आज के समय भी आप अगर गिरदावरी मंगाकर देखें तो वहां पर नगण्य मात्र बीजान होगा। उसके लिए किस तरीके का कोई हम रास्ता निकालना चाहते हैं उस बात के ऊपर कोई नजर नहीं डाली जाती। पूगल ब्रांच से केजेडी को एक लिंक चैनल बनाने का प्रस्ताव एक चला, लेकिन वह प्रस्ताव कब कहां गायब हो गया, पता नहीं है। बहुत-सी ऐसी डिस्ट्रीब्यूटरी हैं चाहे बीजीएम की बात करें, चाहे बीडी की बात करें, चाहे केवाईडी और केजेडी की बात करें, जिनके बैड लेवल ठीक नहीं हैं। आज छतरगढ़ के पास में 9 डीओएल है जिसके काश्तकार सिंचाई पानी से महरूम हैं। इसकी तरफ कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा। नये-नये क्षेत्रों का निर्माण किया जा रहा है लेकिन सुईसा ब्रांच का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा रहा है। उसके अन्तर्गत आने वाली हमारी तहसील लूणकरणसर का शेखसर, खोडाला, जैतपुर, सुई, इसके आसपास का लम्बा-चौड़ा इलाका उससे लाभान्वित हो सकता है। पेयजल की व्यवस्था हमारे वहां पर ठीक हो सकती है क्योंकि वहां पर फ्लोराइडयुक्त पानी है। बारहों महीने वहां पर जमीन अच्छी है, खेती भी बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन न जाने क्यों उसको नजरंदाज किया जा रहा है, यह बात मैं नहीं समझ पा रहा

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

हूं। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनका आप निर्माण कर रहे हैं। आपके प्रगति प्रतिवेदन में भी दर्ज है कि आपने इतने किलोमीटर लम्बे वाटर कोर्सेज का निर्माण कर दिया लेकिन बंदा माइनर के 5 बीएम और 5 बीएमए का आज बरसों बीत जाने के बावजूद भी निर्माण नहीं हो पा रहा, जब कि उसके बाद के अनेकों सिस्टमों को आपने स्वीकृति देकर निर्माण करा दिया है।

मैं सार में यही निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय कि आज, के समय में हम साधन-सम्पन्न हैं, हमारी यह जिम्मेवारी है कि हम बात को एक दूसरे पर नहीं डालते हुए उस जिम्मेवारी का निर्वहन करें। किसान हमारा इतना पढ़ा-लिखा नहीं है कि वह बहुत से कानूनों को जाने। किसान यह जानता है कि यह समस्या है और मेरी समस्या का समाधान करें। करेगा कौन, जन प्रतिनिधि। यह डैमोक्रेटिक सिस्टम इसीलिए बना है। अधिकारी वर्ग हर समय अनदेखी कर रहा है। इसके चलते मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आप किसानों की मांगों को प्रैक्टिकल रूप से समझे कि आज अगर कुछ रकबा उसका सिंचित हो सकता है, पानी भी उस माइनर को उपलब्ध है तो क्यों नहीं हम सुविधा उपलब्ध करा दें। एपीएम के नाम पर जो उनका अधिकारी शोषण कर रहे हैं और पानी पूरा नहीं मिल पा रहा है इसके ऊपर आप कोई प्रभावी रूप से कार्यवाही करें। आज हमारा यह सिस्टम बिलकुल पूरी तरह से पंगु हो गया है और पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके बारे में अधिकारियों ने आप तक सूचना नहीं पहुंचाई है, इसके बारे में भी आप ताकीद करें और इसका किसी न किसी तरीके का समाधान करें।

साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, आज सत्ताधारी पार्टी के हर माननीय सदस्य ने यह बताया कि पीएचईडी और इर्रिगेशन के सिस्टम में बहुत अच्छा काम हुआ है और आपने उनको बहुत कुछ दिया है, पारदर्शिता का परिचय देते हुए क्षेत्र विशेष की समस्याओं को समझें और हमारे माननीय शेरगढ़ से आने वाले सदस्य ने जो बात रखी थी उस बात को कुछ क्षेत्रों में तो जोड़ते हुए रखें, जैसे मेरा विधान सभा क्षेत्र है, उन्होंने फर्माया सौ हैण्ड पम्प, तो हमारे यहां पर तो दो सौ भी दें तो भी कम है। उन्होंने फर्माया कि पांच ट्यूबवैल..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। और भी सदस्यों को बोलना है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अंतिम वाक्य हैं मेरे। अगर आप आज पाइप लाइन की बात करते हैं तो हमारे यहां अनुसूचित जाति बहुल यह क्षेत्र आज तक पानी से महरूम है। तो आप इन सब जगहों पर ध्यान देंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। व्यवस्था में कमी है, जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्यवाही करेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। समय-समय पर मांग पत्र दिये गये, उन पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? क्यों मांग पत्र देने के बाद में धरने और प्रदर्शन की स्टेज आई? इसके ऊपर कार्यवाही करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।

श्री सभापति: माननीय सदस्य सुभाषचन्द्रजी शर्मा। माननीय सदस्य अमरारामजी धोद। माननीय सदस्य रामप्रतापजी कासनिया।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, पेयजल और सिंचाई पर चर्चा हो रही है, इस पर आपने बोलने के लिए मुझे जो अनुमति दी है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। सभापति महोदय, पेयजल के बारे में पिछले काफी दिनों से चर्चा सुन रहा हूं, मुझे तीसरी बार आने का मौका मिला है विधान सभा में, इस तरह की प्रशंसा, इस तरह का काम, पेयजल की व्यवस्था का पहले नहीं था, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ से माननीय मंत्री महोदय की भूरि-भूरि प्रशंसा हुई है। यह स्वीकार करने में कतई संकोच नहीं करूंगा कि इनकी कार्यशैली और काम करने का जो तरीका है, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं अपनाते। सभापति महोदय, यही सिस्टम सिंचाई का है। सिंचाई के मामले में इस सरकार के सत्ता में आने के बाद में चाहे नहर हो, चाहे खाले का हो, चाहे गेट मरम्मत करने की बात हो, अच्छा कार्य हुआ है। ज्यादा लम्बा मैं नहीं जाना चाहता परन्तु कांग्रेस के टाइम जब से नहर बनी थी उसके बाद में पटरियों पर मिट्टी इधर-उधर करने पर खर्चा जरूर होता हुआ मैंने देखा है। पर नहर की टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है, हैड ठीक करने की आवश्यकता है, पानी लीकेज होकर पाकिस्तान जा रहा है इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर ध्यान दिया गया है तो मौजूदा सरकार के समय में ध्यान दिया गया है।

सभापति महोदय, सिंचाई के पानी के बारे में यहां चर्चा कई बार उठाई जा रही है सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता, सिंचित एरिया के किसान वह दिन भूले नहीं जब

(श्री रामप्रताप कासनिया)

गहलोत साहब के टाइम साढ़े तीन रोजा बारी कितने समय लागू रही थी। वह बात भूल गये? सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारा जो शेयर था, हमारा जो पानी का हिस्सा था, वह हमने पहले ही खर्च कर दिया और हमारे जन-प्रतिनिधियों की मांग पर खर्च कर दिया कि क्या पता डैम में आवक और हो जाए, पानी और आ जाए पर यह तो प्रकृति के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। हां, हमारे हिस्से का उपलब्ध हो डैम में और इस पानी का अगर सरकार ने किसी के साथ सौदा कर लिया हो तो हम सरकार को जरूर कोस सकते हैं, हम विरोध भी कर सकते हैं। परन्तु यह बात मैं पूरी जानकारी के साथ निवेदन करना चाहता हूं, परिस्थिति है, इससे काश्तकारों को नुकसान भी हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है पर सरकार के भी सामने मजबूरी है कि हमारे हिस्से का पानी नहीं है। कई बार मैंने चर्चा सुनी कि उस डेम का लेवल नीचा किया जाए, पक्ष विपक्ष में मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता परंतु यह मैं नहीं जानता, उस डैम का लेवल नीचे करना किसके हाथ में है, क्या राजस्थान सरकार उसमें सक्षम है? नहीं है, यह मैं जानता हूं। मोटे रूप में पंजाब और केन्द्र सरकार चाहें तो यह डैम का लेवल नीचे हो सकता है।

सभापति महोदय, अब मैं मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जिनकी तरफ आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मंत्री जी तो शायद...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ...(व्यवधान) राठौड़ साहब बैठे हैं न।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): दो-दो मंत्री बैठे हुए हैं एक जगह, नोट कर रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नोट पर आपत्ति नहीं है, काम पर आपत्ति है।

श्री सभापति: सब माननीय प्रशासनिक अधिकारी भी लिख रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): काम पर आपत्ति तो आपके राज में थी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जितनी भी पुरानी बनी हुई कालोनियां हैं, उन कालोनियों के ऊपर कई लोगों ने अवैध रूप से कब्जे कर रखे हैं और कई क्वार्टस खाली

(श्री रामप्रताप कासनिया)

पड़े हैं जो क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं, तो मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि या तो इन कालोनियों को आप चाहे जरूरत के मुताबिक रखें और शेष हैं तो नीलामी करवाएं। अन्यथा मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा कि कम से कम उनमें कब्जे तो नहीं हों, आप जन-प्रतिनिधि पंचायत से लेकर विधान सभा, लोकसभा, जिला परिषद, सरपंच उनको किराए पर दे दो और किराया भी मैं यह कहता हूं कि प्राइवेट में है वह चाहे आप ले लो, पर जन-प्रतिनिधियों को दे दो। उन खाली बंगलों में कबूतर बोल रहे हैं, उनमें अवैध धंधे कर रहे हैं लोग, पता नहीं कितनी ही उनकी बरर्बादी हो गई और कई लोगों ने तो मालिकाना हक जता लिया उन पर कब्जे करके। तो इस तरह की संपत्ति, धंधे सब समझते हैं, मेरे से सब पढ़े लिखे हैं क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं, सुझाव देना चाहता हूं कि हमारी बहुत-सी कालोनियां व्यर्थ में पड़ी हुई हैं और आये दिन उनमें से चोरियां होती हैं, कही से कोई दरवाजा निकाल लेता है, कई कोई गटर निकाल ले जाता है, यह मैं सुझाव पहले भी इस सदन में दे चुका परंतु मेरे इस सुझाव की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं पुन: सरकार से यह निवेदन करना चाहता कि प्राइवेट किराया वर्तमान में जिस शहर का जो चलन हो, वह किराया ले, और जन-प्रतिनिधियों को तो प्राथमिकता दे।

सभापति महोदय, इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजस्थान कैनाल नहर के इर्द-गिर्द जो गांव हैं उनमें सीपेज की समस्या है, वैसे तो सरकार ने बहुत कुछ कर दिया, माननीय मुख्य मंत्री महोदया को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि पांच करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष में तो प्रोविजन रखा है, पहले भी दिया है और जो विकराल रूप से जो समस्या थी, मेरे क्षेत्र में उसका समाधान भी हुआ है, बचा-खुचा अब और हो जाएगा। पर इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, 30 से 35 लाख का सारा खर्चा है सरकार का आपने आदेश दिये एक तो गांव है भोपालपुरा जिसमें सेम की समस्या है, वहां सैकण्डरी स्कूल 10+2 है जिसका भवन बर्बाद हो रहा है। 10-12 लाख की स्कीम है, उसको चलाने का खर्चा वहां के काश्तकार भुगतेंगे, इस बात का लिखित में उन्होंने विभाग को दे दिया है। जो भी खर्चा मोटर का पंप चलाने का आएगा, वह हमारी पंचायत की जिम्मेवारी होगी कि हम वह पैसा भरेंगे। सरकार एक बार सिर्फ मोटर लगाकर और पाइप लाइन लगाकर, स्ट्रैक्चर

(श्री रामप्रताप कासनिया)

डवलप करके दे दे, उसके बाद में उसकी देख-रेख, चलाने का खर्चा काश्तकार खुद भुगतेंगे। इसी तरह चक एक एलएम और दो एलएम इन तीनों गांवों की स्कीम बनी हुई है और 30 से 35 लाख रुपये के बीच में इनका खर्चा है। चौथा सात केबीएम, ये चार गांव है। तीन की तो स्कीम बनाकर चीफ इंजीनियर नॉर्थ के कार्यालय में पैंडिंग पड़ी है, अगर आप हुक्म दे देते तो यह कोई बड़ा काम नहीं है आपके लिए। आपने दो करोड़ रुपये हमको दे दिये सेम के लिए तो 30 लाख आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर 30-35 लाख रुपये मिल जाएं तो चार गांव बिलकुल बच जाएंगे और जो स्कूल के भवन नष्ट हो रहे हैं, क्षतिग्रस्त हो रहे हैं वे भी बच जाएंगे।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सरदारगढ़ एक गांव है, यह पूरा गांव सात-आठ हजार की पापुलेशन का है। इस गांव में पुराने समय के अंदर पीएचईडी की योजना बनी हुई है, लेकिन वह जो स्टोरेज टैंक है उसमें तीन और साढ़े तीन से ज्यादा पानी नहीं रह सकता है, पूरे गांव में पानी की हाहाकार मची रहती है। उस गांव की रिवाइज स्कीम बनकर आपके टीएमसी में यहां आ चुकी है, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपना उत्तर दें तो कम से कम इतना मुझे आश्वस्त करें कि सरदारगढ़ गांव की जो 6 करोड़ की स्कीम है, उसकी आप स्वीकृति प्रदान करेंगे।

सभापति महोदय, इसके अलावा मेरे पीलीबंगा के अंदर जितनी पुरानी स्कीम हैं, बहुत पुरानी स्कीम हैं उन स्कीमों के बारे में अगर मैं कोई छींटाकशी करुंगा, तो शायद कोई सुनना भी पसंद नहीं करेगा, उस जमाने की हैं। पुराना आप समझ जाइए, कौनसा जमाना है। उसमें मिट्टी और सीमेंट के नाम पर कुछ नहीं लगाया गया है। पुरानी स्कीमें हैं, खुर्द-बुर्द हो गयी हैं। कहीं चैनल नहीं हैं, कहीं फिल्टर चालू नहीं हैं तो कहीं स्टोरेज टैंक टूटा हुआ है, कहीं स्टोरेज टैंक की क्षमता कम है। मैंने मेरे क्षेत्र की डिटेल का एक पुलिंदा बनाकर मंत्री महोदय को दे दिया और मंत्री महोदय ने यहां से आदेश करके नीचे भेज भी दिया, परन्तु दो साल हो गये उसको इंप्लीमेंट करने में बहुत ही कोताही बरती जा रही है। आपको बैठक में भी मैंने निवेदन किया था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मुझे इस बात का गर्व है कि किसान का बेटा होने के नाते जब मैं पक्ष और विपक्ष से इनकी तारीफ सुनता हूं तो मैं मेरे मन में गद्‌गद्‌ अपने आपको हर्षित महसूस करता हूं। किसान के बेटे का इस पद पर आकर राजस्थान के पक्ष और विपक्ष को संतुष्ट करना, यह कोई बहुत छोटी बात नहीं है। यह नाग को खिलाने वाली बात है, तो मैं इसके लिए भी मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्रीमती सूर्यकांता व्यास। सात-आठ मिनट में अपना कथन पूरा करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): आप ऐसा मत कहो।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 27-पेयजल योजना के कटौती प्रस्ताव पर अपने आपको शामिल करना चाहती हूं। हमारी सरकार ने पिछली सरकार की तुलना में चार वर्षों में चार गुना अधिक राशि का निवेश पेयजल हेतु किया है। हमारी सरकार ने पेयजल एवं सिंचाई के हर क्षेत्र में हुए कार्यों के औसत के हिसाब से पिछली सरकार की तुलना में डेढ़ गुना अधिक कार्य किया। पिछली सरकार ने पूरे पांच वर्षों के कार्यकाल में फ्लोरोसिस नियंत्रण के क्षेत्र में कुछ नहीं किया जब कि हमारी सरकार ने 2650 गांवों को इससे लाभ पहुंचाया है। हमारे नौनिहालों के लिए पिछली सरकार ने पाठशालाओं को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कुछ भी नहीं किया परन्तु हमारी सरकार ने करीब साढ़े चौबीस हजार पाठशालाओं में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवायी है। सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत पिछली सरकार ने 2150 विद्यालयों में शौचालय बनवाये, मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने अब तक सवा चौंतीस हजार और विद्यालयों में शौचालय बनवाये हैं ।

माननीय सभापति महोदय, मेरे जोधपुर शहर के लिए तो भाजपा सरकार वरदान है जहां भैरोंसिंहजी के समय में लिफ्ट कैनाल जोधपुर तक पहुंची तब मरुस्थल में गंगा का आगमन हआ और अब वसुन्धरा राजेजी के कार्यकाल में सवा दस करोड़ की योजना पर कार्य शुरू होने के बाद शहर की ऊंची तंग गलियों तक पानी सही दबाव से पहुंचा है।

माननीय सभापति महोदय, आपने कहा था 5-10 मिनट में ही पूरा करना है, मैंने वो समय देखा है जब रेलगाड़ियों से पानी आता था और हम

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

ऊपर ऊंच-ऊंच कर पानी लाये हैं। हमने सबसे ज्यादा पानी के लिए संघर्ष किया है और अफसरों के घड़े फोड़े हैं । मैंने वो समय देखा है कि मोहल्ले के अन्दर पानी के टैंकर आते थे और कहां-कहां से पानी लाते थे। मैंने वो टाइम देखा हुआ है और मैं अब देखती हूं, इसलिए बोलने के लिए अगर मुझे एक दो मिनट ज्यादा लग जाएं तो आप घंटी मत बजाना। मैं सदन में गर्व के साथ बताना चाहती हूं कि एक समय जोधपुर शहर जहां पानी की लाइनें लगती थीं, सिर फूटते थे, पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या थी वहां हम अगले माह तक इस स्थिति में होंगे कि वहां दैनिक पेयजल वितरण आरम्भ होगा। इस हेतु मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया एवं जलदाय मंत्रीजी का जोधपुर की जनता की तरफ से तहेदिल से स्वागत करती हूं। जोधपुर शहर में कई गलियां बहुत ऊंचाई पर हैं। कई सड़कें ऐसी हैं कि जहां बड़ी तंग-तंग गलियां हैं। इन सभी समस्याओं के निदान के रूप में हैण्डपम्प बहुत उपयोगी हैं जिससे भूजल स्तर में सहायता मिलती है, वहीं उन स्थानों पर जहां पेयजल वितरण का दबाव सही नहीं रहता है, वहां पानी की सुविधा रहती है। हमारे शहर जोधपुर में मुख्य मंत्री जी थे, मुख्य मंत्रीजी ने पिछली सरकार में जोधपुर की कितनी चिन्ता की पूरे पांच साल खाली खजाने का राग अलापते रहे। एक हैण्डपम्प पर कंप्रेशर पंप लगवाया और 27 हैण्डपम्प पर पंप लगाये और कोई भी नया हैण्डपम्प नहीं खुदवाया । आप सभी को जान कर प्रसन्नता होगी कि इस तुलना में वर्तमान सरकार ने 21 हैण्डपम्प पर कंप्रेशर स्थापित किये, 67 पॉवर पंप और 21 नये हैण्डपम्प खुदवाये।

मान्यवरजी, लोग दूषित पानी का बहुत हल्ला मचाते हैं पर वास्तविकता दूसरी है। दूषित पानी और कम दबाव की समस्या से निपटने के लिए जोधपुर में ही 28 किलोमीटर लम्बी पीने के पानी की पाइप लाइन को बदला जा चुका है और 18 किलोमीटर पाइप लाइनों को अगले चार महीने में बदल दिया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान जोधपुर शहर की कुछ मांगों की ओर दिलाना चाहूंगी। वर्तमान में जोधपुर में सवा दस करोड़ रुपये की चारदीवारी परियोजना पर कार्य चल रहा है। एक चरण का कार्य पूरा हो चुका है, दूसरे चरण का कार्य अगले चार महीने में पूरा करना है अत: शेष बजट राशि जल्दी से जल्दी स्वीकृत करावें।

माननीय सभापति महोदय, जोधपुर शहर पुराने जमाने का बसा हुआ

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

है और उस जगह पर ऐसी पाइप लाइनें डाली गयी हैं इसलिए मैं जलदाय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगी और इनके अधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इतनी तंग गलियों के अन्दर किस मुसीबत से लाइनें डाली हैं। करीब पचास साठ साल पहले स्टेट के जमाने में राजा-महाराजाओं के टाइम में वो लाइनें डाली गयी थीं, लाइनें ऐसी डाली गयी थीं कि सीवर लाइनें और पाइप लाइनें साथ चलती थी। फिर कहते हैं कि पानी गन्दा आ रहा है, पता नहीं लगता कि हुआ क्या है। एक ऐसी जगह थी, सभापति महोदय, जहां वो कह रहे हैं कि पानी दे रहे हैं और पानी नहीं पहुंच रहा। सड़क खुदवाने के बाद पता चला कि पाइप लाइन और सीवर लाइन साथ और पाइप अन्दर से बिलकुल गली हुई है। ऐसी-ऐसी गलियों के अन्दर जिस तरीके से किया है उसके लिए मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगी, जलदाय मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगी। ऐसे शहर की गलियों के अन्दर पाइप लाइनें डलवायी इसलिए वो बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। पचेरियो जैसी जगह, ब्रह्मपुरी जैसी जगहों पर इतनी तंग गलियों में इन्होंने जो काम किया है इसके लिए मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

जोधपुर शहर में भूजल रिसाव से उत्पन्न भूजल स्तर बढ़ाने की समस्या के निदान के लिए पूर्व में खोदे कम से कम सौ हैण्डपम्प पर पंप लगाये जाएं ताकि इससे प्राप्त जल नहाने धोने के कार्य में काम आ सके।

माननीय सभापति महोदय, जोधपुर शहर में पुराने जमाने के अन्दर अगर किसी के पास अधिक धन था तो बावड़ियां वगैरह खुदा देते थे जैसे तापी बावड़ी है, जालपा बावड़ी है, नाजाजी की बावड़ी है ऐसी-ऐसी बावड़ियां हैं खूब। बावड़ियां खूब हैं जिनका पानी अभी शहरों में पाइप से जोड़ दिया और वो काम ले रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि ऐसी बावड़ियां जिनके पानी काम में ले रहे हैं, पानी काम आ रहा है उन बावड़ियों को सुधारने के लिए कुछ धनराशि दी जाए जिससे कि वो बावड़ियां ठीक हो सकें। ऐसे ही तरीके से कुए भी खूब हैं- नवचोकिया कुआ है, जत्ताभेरा है, भूतों का भेरा है, इस तरीके से भेरों के नाम दिये, जाति के हिसाब से नाम दिये हैं। लाडजी का कुआं है, एक ब्राह्मण थे लाडजी हमारे रिश्तेदार उन्होंने कुआं खुदवा दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैंने आपसे निवेदन किया कि आप घंटी मत बजाना।

श्री सभापति: देखिये कल आपका जब नाम पुकारा गया था, तो आप बहुत नाराज हुई थीं । दस मिनट आपको हो गये हैं आप चाहे बोलें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): दस मिनट कहां हुए साहब?

श्री सभापति: मैं दुबारा घंटी नहीं बजाऊंगा, चाहे एक घंटे तक बोलें आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): मैं दो मिनट में खतम करूंगी। बस दो मिनट में ही।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, महिला बोल रही हैं, बोलने दें आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): जोधपुर में पेयजल उपलब्धि हेतु परियोजना ...(व्यवधान) यह बात बोल दी मैंने।

मान्यवर महोदय, मेरा एक सुझाव है कि नगर जल प्रदाय योजना जोधपुर में एक उपखण्ड से दूसरे उपखण्ड में कार्य की आवश्यकता अनुसार स्थानांतरित करने का अधिकार नियुक्त अधिकारी अथवा तृतीय अधिकारी को दिया जाए। मान्यवर, मेरा एक कर्मचारियों के लिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है जलदाय विभाग में 1 अप्रैल, 1985 से पहले लगे हुए आठवीं पास दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सहायक की वेतन श्रंखला दी गई जब कि इसके पश्चात ऐसे कर्मचारियों को बेलदार बनाया गया है। आप इस भेदभाव को मिटाओ, इन सब को भी सहायक पद दीजिए। जलदाय विभाग में कई कर्मचारी जो कि हैं तो हैल्पर परन्तु काम ड्राइवर का कर रहे हैं, जब आप उनसे काम ड्राइवर का ले रहे हैं तो उन्हें पोस्ट भी ड्राइवर की दी जाए। ऐसे ही वाहन चालक के पात्र कर्मचारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की जा चुकी है परन्तु डीपीसी नहीं हो रही है, कृपया जल्दी से जल्दी करें एवं उन कर्मचारियों के हित का ध्यान रखे। सभापति महोदय, आपने मेरे को जो बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: माननीय सदस्य अशोकजी नागपाल।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 46-सिंचाई और मांग संख्या-27 पेयजल पर हो रही चर्चा में सम्मिलित होने के लिए आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से

(श्री अशोक नागपाल)

राजस्थान में आई है, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने सत्ता सम्भाली। गंगानगर, हनुमानगढ़ जिला जहां से हम प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णतया सिंचाई के ऊपर निर्भर है। सिंचाई, पानी से उस क्षेत्र के काश्तकार अपनी आजीविका चलाते हैं। माननीय सभापति महोदय, इन चार वर्षों में माननीय मुख्य मंत्री महोदय के सामने, माननीय सांवरलालजी जो हमारे सिंचाई मंत्री हैं उनके सामने क्षेत्र की जो भी बात रखी, उसको बहुत ही सहर्ष स्वीकार करते हुए उस क्षेत्र की जो भी समस्या थी उसका निराकरण करने के लिए इन्होंने प्रयास किये, मैं उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय, माननीय सांवरलालजी सिंचाई मंत्री का बहुत बहुत आभर व्यक्त करता हूं। अभी पिछले साल मई के महीने में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने फिरोजपुर हुसेनीवाला से लेकर जैसलमेर के अंतिम छोर तक अपनी यात्रा की, उस यात्रा के अंदर आप सूरतगढ़ के बिरद्वार हैड पर सभी क्षेत्र के किसानों से रूबरू हुए। वहां पर क्षेत्र के किसानों की और से रखी गई बात को आपने सहर्ष स्वीकार करते हुए मेरे विधान सभा का गांव संगीता जो कि पूर्णतया सेम की चपेट में आया हुआ था, उस क्षेत्र के किसानों की समस्या को देखते हुए आपने 12 लाख रुपये की उसी समय घोषणा की और उस पर कार्य हो रहे हैं, इसके लिए मैं सिंचाई मंत्रीजी का, माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

इसके साथ-साथ गंगानगर जिला और हनुमानगढ़ जिला, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग कैनाल और भांखड़ा नहर से सिंचित होता है। आईजीएनपी में डिसिल्टिंग के लिए और जो भी पुरानी लाइनिंग हुई थी और उसमें जो टूट-फूट हुई उसके सुदृढीकरण करने के लिए आपने पैसा दिया। उसी के साथ-साथ आज हमारी गंग कैनाल पक्की हो रही है, उसके अंदर मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि गंग फीडर जो 31 आरडी से लेकर 205 तक कच्ची है उसको भी इसमें सम्मिलित करते हुए शीघ्रातिशीघ्र पूरी कराएंगे।

इसके अलावा हमारे वहां पर आईजीएनपी और गंग कैनाल के साथ साथ वाले पेड़ काटे गये थे, मैं उस सन्दर्भ में यह कहना चाहूंगा कि जितने भी पेड़ कटे हैं उसके बाद लगे नहीं हैं। विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो पेड़ काटे गये हैं उनको पुनः लगवाएं। चाहे सिंचाई विभाग से या वन विभाग के माध्यम से लगवाकर जो पेड़ कटे हैं उनकी भी पूर्ति करवाएं।

मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि कुछ काश्तकार ऐसे हैं जिनकी

(श्री अशोक नागपाल)

जमीन गंग कैनाल के अंदर अनकमांड है लेकिन उनके चारों ओर सारी जमीनें कमांड हैं। उसमें कुछ टुकड़ा अनकमांड छोड दिया गया है, किसके लिए छोड़ा गया है, यह पता नहीं है, उस समय अधिकारियों की गलती से, किसानों की गलती? से लेकिन मैं यह अवश्य निवेदन करना चाहूंगा कि उन जमीनों को भी कमांड करते हुए जितना भी, जो राज्य सरकार के नार्म्स हैं या उस कैनाल के अंदर उस माइनर के अंदर पानी की उपलब्धता को देखते हुए अवश्य इसको करेंगे।

इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री महोदय का, माननीय मुख्य मंत्री महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि पोंग डैम की विकट परिस्थितियां होने के बावजूद भी हमारे उस क्षेत्र को आपने इतना पानी उपलब्ध कराया। मैं उसके लिए जितनी प्रशंसा करना चाहूं, कम है। इतना अवश्य निवेदन करना चाहूंगा कि इसके साथ-साथ जो कनक की फसल है वह पकाई की ओर है, एक बारी पानी साढ़े तीन रोजा अगर और उपलब्ध हो जाए तो उस क्षेत्र के किसान का फायदा होगा।

इसके साथ-साथ मैं पेयजल के संबंध में आपसे यह कहना चाहूंगा कि मेरे सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में इस समय करीब 70 करोड़ रुपये की पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य चल रहे हैं और उसमें काफी योजनाएं ऐसी भी हैं जो आपके यहां पड़ी हैं। माननीय मंत्री महोदय, जब आप उस क्षेत्र में गये थे, 40 जीवी गुरूद्वारा के अंदर आपने घोषणा भी की थी। 48 जीवी, 49 जीवी, 12 बीएलएम, 25 जीवी और भैंरूपुरा सीलवानी ये कुछ योजनाएं आपके यहां लम्बित पड़ी हैं, कृपया उनको शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत करवाकर आप भिजवाएं।

इसके साथ-साथ सूरतगढ़ शहर और श्री विजयनगर शहर की जो पेयजल की योजनाएं हैं, वे बहुत पुरानी हैं और वहां आबादी काफी बढ़ चुकी है, उस सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि इन दोनों शहरों की पेयजल की योजनाएं अभी नई जो हमारी वहां की जनसंख्या है उसके आधार पर बनवाकर इन दोनों शहरों में आप नई पेयजल योजना की स्वीकृति शीघ्रातिशीघ्र प्रदान करें।

इसके साथ-साथ एक विशेष रूप से आग्रह करना चाहूंगा उस क्षेत्र के किसानों की ओर से, मेरे क्षेत्र के सभी नागरिकों की ओर से कि जो किसान अपने खेत में फव्वारा पद्धति को अपनाता है उसको जो बिजली का कनेक्शन है, मोटर बड़ी वाली पर देते हैं। उसकी बजाए सिंगल फेज की मोटर के ऊपर

(श्री अशोक नागपाल)

उनको कनेक्शन दिया जाए तो आने वाले समय में पानी की बचत भी हो सकती है और उस क्षेत्र के किसानों को और भी फायदा होगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री सभापति: श्री सी.एस. वैद।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और 46 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। मैं कोशिश करूंगा कि सीमित समय में मेरी सारी बात कह लूं।

सबसे पहले, जब वर्तमान सरकार शासन में आई उसके ठीक सात महीने बाद सदन में बहुत गहरी चिंता दिखाई दी कि रावी-व्यास के पानी का क्या हुआ, पंजाब से मिलने वाला पानी था उसका क्या हुआ, पानी का बंटवारा कैसे होगा, राजस्थान को अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल रहा, बीबीएमबी के अंदर सारे जो खण्ड हैं उनको नहीं डाला गया। पूरे प्रदेश में चिंता का माहौल बना। सदन की भी बैठक हुई । अंत में निर्णय किया गया और माननीय मुख्य मंत्री जिन्होंने अपनी प्रस्तावना के अंदर यह कहा कि राजस्थान वीरों की भूमि है, उस वीर भूमि की माननीय वीर मुख्य मंत्रीजी ने एक संकल्प पारित करवाया। प्रस्ताव उन्होंने किया और उसका अनुमोदन हमारे आदरणीय शिवचरणजी माथुर साहब ने किया।

यह साफ-साफ उसकी प्रस्तावना में लिखा हुआ था कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले के करीब एक करोड़ लोग इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से प्रभावित होते हैं। इसके लिये जो वास्तविक संकल्प इस पवित्र सदन में एक जुलाई, 2007 को पारित किया गया था उसमें यह मेंशन किया गया था कि अनुबंध के अन्तर्गत राजस्थान के पूरे हिस्से को सुरक्षित रखने और अभी तक नहीं मिलने वाले 8.6 एम.ए.एफ. पानी के हिस्से को मिलाकर 52.69 प्रतिशत पानी प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार कटिबद्ध है। साथ में यह भी कहा कि हरिके और फीरोजपुर हैडवर्क्स को बी.वी.एम.बी. में हस्तांतरित कराये जाने हेतु प्रयास किये जाएंगे। उस समय तो यह कहा कि राजस्थान वीरों की भूमि है, वीर मुख्य मंत्री हैं। सारे सदन ने पूरी ताकत उनमें समाहित कर दी। उसके उपरान्त इन चार सालों के अन्दर

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

कैसे घटनाचक्र पलटा, उसके बारे में मैं थोड़ा-सा कहना चाहूंगा। पूरे सदन ने राजनीति से, पार्टी से ऊपर उठकर यह निर्णय लिया और हमारी सदन की नेता को सारी ताकत दे दी, राजस्थान को मिलने वाले पानी के हिस्से के बारे में केन्द्र सरकार से बात करने या सुप्रीम कोर्ट से अगर केस करना है तो उसके लिये अधिकृत कर दिया। उसके उपरान्त एक महीने के अन्दर, सिर्फ एक महीने के अन्दर मुख्य मंत्री महोदया ने, कोशिश तो हमने भी की थी, प्रस्ताव हमने भी पारित किया था, हमने भी उसका अनुमोदन किया था, लेकिन उन्होंने उसको राजनीतिक रंग देते हुए, जब दिल्ली में गयीं तो एकला चलो की नीति अपना ली, वह स्वयं ही प्रधानमंत्रीजी से मिलने गयीं। हमारे नेता, प्रतिपक्ष को उन्होंने कांफिडेंस में नहीं लिया, न किसी प्रतिपक्ष के सदस्य को उन्होंने कांफिडेंस में लिया। आज जब आपके पूरे पांच साल होने वाले हैं, आखिरी बजट है, तो राजस्थान की 6 करोड़ 40 लाख जनता और यह सदन यह जानने को आतुर है कि जो संकल्प आपने पारित किया था उस संकल्प को राजनीतिक रंग देने के बाद राजस्थान की वीर भूमि के अन्दर वह पानी लाने में आप कहां तक सफल रहे। क्या आपने राजस्थान के हिस्से का 8.6 एम.ए.एफ. पानी हासिल करने में सफलता प्राप्त कर ली? क्या आप बी.वी.एम.बी. का जो कण्ट्रोल, सारे खण्डों का कण्ट्रोल उनको देना चाहते थे, उसमें आपने सफलता हासिल कर ली? या उसके लिये आपने किस तरह से प्रयास किये? यह जानने का अधिकार तो सारे सदस्यों को है और यह खुलासा करना भी जरुरी है क्योंकि, शायद, मैं यह समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री को यह जानकारी थी कि यदि पंजाब अपने हिस्से का पूरा पानी 8.6 एम.ए.एफ. राजस्थान को दे भी देता है तो क्या हरिके बैराज के जो गेट हैं वे पूरा पानी लाने में सक्षम हैं या नहीं हैं। वे राजस्थान में पूरा पानी लाने में सक्षम ही नहीं हैं। जो 8.6 एम.ए.एफ. पानी आपको मिलने वाला था उसमें एक तरफ वह कहते हैं कि फिरोजपुर हरिके बैराज के जो फाटक हैं, वे 18 क्यूसेक पानी लाने की क्षमता ही नहीं रखते हैं, वे क्षमता रखते हैं 15 क्यूसेक पानी लाने की। साथ में जो फीडर कैनाल है, सभापति महोदय, जो फीडर कैनाल, पानी को पंजाब से लेकर राजस्थान के अन्दर आती है, इतनी उसकी व्यवस्था खराब हो चुकी है कि नहर के अन्दर बबूल के, सरकण्डे के पेड़ उग रहे हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि पंजाब अपने को पूरा पानी दे देता है, पोंग डैम के अन्दर लेवल पूरा हो जाता है ऐसी

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

स्थिति में राज्य सरकार उस पानी का पूरा लाभ उठाने के लिये सक्षम है या नहीं है। यह सुनिश्चित नहीं किया गया। जब यह सुनिश्चित नहीं किया गया तो हम कैसे कह सकते हैं कि आपने राजस्थान के हितों की रक्षा के लिये कदम आगे बढ़ाया? यह ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिये भी हो जाता है कि पूरे सदन का कांफिडेंस और पूरे हाउस की पावर आपके साथ में लगी हुई थी।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिये अपन यह कहते हैं कि राजस्थान की एक करोड़ जनता प्रभावित होती है, जब एक करोड़ जनता प्रभावित होती है, 8 जिले इससे प्रभावित होते हैं, और किसानों के बारे में इस सदन में एक बार नहीं, अनेकों बार, अनेक तरह की चिंताएं जताई जाती हैं, आपने पिछले बजट के अन्दर प्रावधान रखा था 1001.24 करोड़ रुपये का, 1001.24 करोड़ रुपये के प्रावधान के अन्दर यदि आप वास्तव में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को सम्पूर्ण करने में इंट्रेस्टेड थे तो 31 जनवरी, 2008 तक आपने सिर्फ 55 प्रतिशत पैसा ही खर्च किया? आप क्या समझते हैं कि डेढ़-दो महीने के अन्दर बाकी बचा हुआ 45 प्रतिशत पैसा आप खर्च कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपकी प्रतिबद्धता और सीरियसनैस इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को पूरा करने के बारे में नहीं रही। यदि रहती तो आप बजट का समुचित प्रयोग करते। मैं आपसे यह निवेदन करूं, आई.जी.एन.पी. फेज-1 और फेज-2 के अन्दर जो बजट आपको आबंटित किया गया था, स्पेशयली मैं फेज-2 की बात करना चाहूंगा क्योंकि फेज-1 का काम, उसकी मुख्य नहर और वितिरिकाओं का काम पूर्ण हो चुका है, वहां के किसान इसका सम्पूर्ण लाभ उठा रहे हैं। जब फेज-2 की बारी आई तो इसके अन्दर भी यह कोशिश की गई, राजस्थान के इतिहास में पहली बार रावला-घड़साना के अन्दर गोलियां चलीं। किसानों ने पानी की ही तो मांग की होगी। एक तरफ तो आप वीर भूमि राजस्थान कहते हो, दूसरी तरफ बार्डर के एरिया के ऊपर जो किसान पाकिस्तान से लड़ाई होने के बाद सबसे पहले अपने सीने पर गोली खाता है, उसी के सामने सेना को खड़ा कर देते हो। उसके बाद फिर दुबारा राजनीतिक लाभ उठाने के लिये क्या किया आपने? फेज-1 और फेज-2 के किसानों को आमने-सामने खड़ा कर दिया जिससे कि उसका भी राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। फेज-1 के किसानों को कहा कि हमको फेज-2 में पानी देना है। फेज-2 के किसानों को इसलिये सचेत कर दिया कि फेज-1 वाले पूरा पानी पी जाते हैं, तुम्हारे हिस्से का पानी बचता ही नहीं है तो तुमको पानी दें कहां से। लेकिन

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

यदि आप फेज-2 को पूरा करने में और टेल-एण्ड तक पानी पहुंचाने में सीरियस हो तो क्या कारण रहा कि 167 करोड़ रुपया जो आपने आबंटित करवाया था रिवाइज्ड बजट एस्टीमेट के अन्दर, उसमें से सिर्फ 102 करोड़ ही आप खर्च कर पाये? यह यह दर्शाता है कि जो बचा हुआ हिस्सा है उसके बारे में सरकार की नीति साफ नहीं है।

मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि फेज-1 में जहां 5.53 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित होती है वहीं फेज-2 के अन्दर 14.10 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित होती है, जब इतना बड़ा हादसा रावला-घड़साना के अन्दर हो गया उसके बाद तो सरकार को यह शिक्षा लेनी चाहिए थी कि हम इस मामले का ईमानदारी से पारदर्शिता बरतते हुए हल निकालें कि हमको जो पानी अपने हिस्से का पंजाब से मिल रहा है, उस पानी का बंटवारा हम कैसे करेंगे, फेज-1 को हम कितना पानी देंगे, फेज-2 को कितना पानी देंगे और पेयजल योजनाओं के लिये हमने कितना पानी छोड़ रखा है और आगे आने वाले समय में जिस तरीके से राजस्थान के अन्दर अधिकांश हिस्सा डार्क जोन में कन्वर्ट हो गया तो जो नवीन पेयजल योजनाएं हैं उनके लिये कितना हम पानी छोड़ेंगे। आशा तो हमने यह की थी कि हम सब की पूर्ण योजना बनाएंगे और जो पानी हमको मिल रहा है उसका सम्पूर्ण सदुपयोग होगा। लेकिन अब दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि हमेशा जब भी इस बारे में पूछा गया तो सरकार ने राजस्थान की जनता को भी भ्रम की स्थिति में रखा और इस सदन को भी भ्रम की स्थिति में रखा। आज की तारीख तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पानी कैसे-कैसे, किस-किस को दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि लिफ्ट परियोजना के अन्तर्गत चूरू की तीन तहसीलों तारानगर, राजगढ़ और सरदारशहर को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाना था जहां के 154 गांव इससे लाभान्वित होने वाले थे, जिसमें सबसे ज्यादा गांव तारानगर के थे, उसके बाद सरदारशहर के और राजगढ़ के गांव थे और तीनों में 53 हजार हैक्टेयर, 22 हजार हैक्टेयर और 43 हजार हैक्टेयर भूमि सिंचित होनी थी। आज शानदार साढे चार साल हो गये लेकिन जो भूमि 2003 में सिंचित होनी थी, चूरू जिले के अन्दर वह आज तक सिंचित नहीं हो पाई है। शुरू-शुरू में मेरे को यह आशा थी कि हमारे राजेन्द्रसिंहजी राठौड़ जो मुख्य मंत्रीजी के बड़े नजदीक हैं, बहुत पावरफुल मिनिस्टर हैं, पूरी पार्टी को कण्ट्रोल करते हैं, आर.एस.एस. को भी जिन्होंने

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

धता बात रखा है, तो हमने तो यह आशा की, हमने सारी चीजें सोचकर उन पर यह आशा कर ली कि वह प्रयास करेंगे जिससे चूरू के अन्दर पानी आए। अच्छा तो यह होता कि शुरू में ही मैं इस विश्वास को तोड़ कर आदरणीय सिंचाई मंत्रीजी के पास चला जाता ... (व्यवधान)

(समय : 19.00 बजे)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सांवरलालजी से मिल लेते।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): सांवरलालजी से मिल लेता तो हो सकता है कि इस योजना में थोड़ी-बहुत बढ़ोतरी होती। उन्होंने इस बारे में बिलकुल रुचि नहीं ली। रुचि क्यों नहीं ली? यह जब हमने तहकीकात की तो लोग कहने लग गये कि साहब का जो मुरब्बा है वह तो हनुमानगढ़ के अन्दर है, चूरू के अन्दर तो एक भी मुरब्बा नहीं है। वहां तो बहुत पानी लग रहा है और आपको पानी की जरूरत क्या है? तो उनके मुरब्बे हनुमानगढ़ में हैं। चूरू में पानी लाने के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया। गलती हमारी यह हो गयी कि शुरू में मंत्रीजी से मिले नहीं। राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ के भरोसे रह गये तो वह पानी आज तक चूरू में नहीं पहुंच पाया।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह एग्रीमेंट दूसरा है। वह उनसे एग्रीमेंट आपका दूसरा है। पानी का एग्रीमेंट था नहीं आपके पास।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि कल जो नहीं बोले उनको बुलाएं आप। जो कल भी बोल गये और आज भी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपके और उनके बीच में पानी का एग्रीमेंट नहीं था।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, जो कल बोल लिये उनको तो कम से कम बाद में बुलाएं। हम कल भी नहीं बोल पाये। हम तो एक बार भी नहीं बोल पाये। अभी हमारा फिर आज नम्बर नहीं आएगा, ऐसा लगता है मुझे तो। (व्यवधान)

श्री सभापति: मेरे पास माननीय सचेतकजी ने सूची दी है, उसमें से ही नाम बोलूंगा।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): सूची में तो नाम है लेकिन कल जो बोल लिये वे दुबारा बोल रहे हैं आज। (व्यवधान)

श्री सभापति: आज सब को बुलाऊंगा मैं। जब तक मैं आसन में बैठा हूं, ××× ही चेंज हो जाए तो मुझे पता नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): बुलाने वाले गजब करते हैं। यह कल बोल लिये, जिनको भी पहले बुला दिया आज। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, एक बहुत ... (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, सुनिये जरा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ××× चेंज नहीं होगा, सभापति चेंज होगा, साहब।

श्री सभापति: हां। सभापति चेंज होगा, मैंने मेरे शब्द वापस लिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): राजस्थान की बहुत महत्वाकांक्षी योजना ... (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): उनको बुलाना ही नहीं चाहिए। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): राजस्थान की बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो आपणी योजना के नाम से जानी जाती है, जिसमें राज्य सरकार ने के.एफ.डब्ल्यू. से लोन लेकर 405 करोड़ रुपये की योजना ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मतलब व्यक्ति बदल जाता है लेकिन हुक्म नहीं बदलता है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): 405 करोड़ रुपये की आपणी योजना जिसके अन्तर्गत आज तारानगर, सरदारशहर के कुछ गांवों को और राजगढ़ के कुछ गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, यह सोचा जा रहा था कि चूरू जिले के अन्दर पेयजल समस्या को हमेशा के लिए निपटाने के लिए के.एफ.डब्ल्यू. की जो फेज-2 योजना है, उसको प्रारम्भ कर दिया जाएगा। के.एफ.डब्ल्यू. में आपके पास प्रस्ताव भी रखा। समझ में नहीं आया कि किन कारणों से उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। उसके बाद किसी एक उद्यमी जिसने यह ऑफर किया कि हम 10 परसेंट पैसा हमारा लगा देंगे और बाकी 90 प्रतिशत आप पैसा दे देना, तो बुंग्गी-राजगढ़ परियोजना की शुरूआत की गयी। वह भी अभी अधर-झूल में पड़ी है। उसका भी कोई निस्तारण नहीं हुआ है। आपसे हमारी यह गुजारिश है कि चूरू जिले का वास्तव में अगर आप लाभ

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

करना चाहते हैं, क्योंकि चूरू जिले का अधिकांश हिस्सा खारे पानी से पीड़ित है, वहां जब तक सतही जल नहीं पहुंचेगा, पेयजल समस्या का हल नहीं हो सकता। फेज-2 को किसी भी तरीके से आप मंजूरी दिलवा दें तो रतनगढ़ और सुजानगढ़ और सरदारशहर का बचा हुआ हिस्सा और राजगढ़ का बचा हुआ हिस्सा, पूरा जिला उससे लाभान्वित हो जाएगा।

चूरू-बिसाऊ योजना जो हमारे आदरणीय केन्द्रीय नेता शीशरामजी ओला की मेहनत से केन्द्र सरकार की एड के बाद में शुरू हुई, उसके कारण चूरू तहसील के कुछ गांवों को पानी मिल रहा है। नहीं तो आज भी स्थिति यह है कि चूरू जहां से मंत्रीजी आते हैं, वहां पर अभी भी खारा पानी और आपणी योजना का पानी मिक्स करके पूरे चूरू जिले में सप्लाई करवाया जा रहा है।

जिस आपणी योजना को देखने के लिए देश के, विदेश के लोग आते हैं, जिस तरह से इस योजना का संचालन किया जा रहा है उसको, लेकिन उसका लाभ चूरू तहसील को आज तक नहीं मिल पाया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले साल इतनी अच्छी योजना के लिए उन्होंने कहा था कि इसकी एक समिति बना दो, जिसमें पब्लिक रिप्रजेंटेटिव भी हो, जिसमें टैक्नोक्रेट भी हों, जिसमें जिला प्रशासन के लोग भी हों और उसमें जल प्रबंधन समिति जो गांवों में बनी हुई होती ,है उसके रिप्रजेंटेटिव भी हों, लेकिन पता नहीं क्यों आपने उसको ठेके पर दे दिया। ठेके पर देने के बाद मंत्रीजी, आप पधारे थे एक बार चूरू, लोगों ने शिकायत भी की और आपने तत्काल यह निर्णय लिया कि मैं उस ठेकेदार को हटा दूंगा। आज तक न तो कोई ठेकेदार हटा और वह व्यवस्था वैसी की वैसी लागू है। जिस मैमोरेण्डम आफ अण्डरस्टैंडिंग में आपने ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें कथन। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): मैं बस तीन ही मिनट में कर दूंगा, साहब। तीन मिनट में। बस एक ही बात और कहनी है मेरे को। (व्यवधान)

श्री सभापति: 15 मिनट तो हो गये अब। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर जिस योजना को जाना जाता है, उसको खाली ठेके पर देने के कारण उस योजना का सत्यानाश हो रहा है। आप कृपा करके यह तो अवलोकन करें कि जो मैमोरेण्डम आफ अण्डरस्टैंडिंग आपने उस ठेकेदार के साथ में साइन किया है,

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

उसकी अनुपालना हो रही है या नहीं हो रही है। और नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इतनी अच्छी योजना को इस तरह से गर्त में डालने से आगे के लिए यह एक उदाहरण बन कर रह जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, एक यह बहुत ही ज्वलंत समस्या है, पिछले दिनों में राजस्थान के अन्दर जगह-जगह यह रहा कि शुद्ध पेयजल सप्लाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इस पेयजल की गुणवत्ता की जांच किस प्रकार से की जाए और यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि राजस्थान के अन्दर शुद्ध पेयजल हर नागरिक को प्राप्त हो? अब इसके लिए शुरू में तो आपने कोई मापदंड ही नहीं बना रखे थे। बाद में जब मापदंडों के बारे में पूछा गया तो आपने यह लिखा कि पेयजल गुणवत्ता नियंत्रण हेतु भारतीय मानक संस्थान, बी.आई.एस. द्वारा निर्धारित मापदंड की पालना की जाती है। इस निर्धारित मापदंड को देखने से इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर पापुलेशन 20 हजार तक है तो आप उस पानी का पीरियोडिकली एग्जामिन करेंगे, कितने ड्यूरेशन में? एक महीने के अन्दर ओर उसके बाद फिर अगर 20 हजार से 50 हजार है तो उसका हर जनसंख्या के आधार पर यह तय किया गया है कि पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए पीरियोडिकली किस प्रकार उस पानी की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाएगा। यह काम अगर 2004 से ही प्रारम्भ कर लिया होता। मैं ये नहीं कहता कि पहले बना हुआ नहीं था, पहले भी बना हुआ था, पहले भी ये नियम-कानून कायदे थे, लेकिन इसकी जानकारी तभी होती है जब कोई हादसा होता है। यह हादसा जयपुर में हुआ, हर जगह रोळा-रप्पा मचा कि, साहब, लोग मर गये और पता नहीं कौनसा पानी आ गया और कैसा पानी आ गया, क्या-क्या बीमारियां हो गयीं। यदि इसकी गुणवत्ता की जांच शुरू से की जाती तो यह नहीं होता। दूसरा, आपने ग्रामीण और अरबन इलाके को, माननीय मंत्रीजी, आप बुरा मानेंगे, अरबन इलाके को और ग्रामीण इलाके को, दोनों को आपने सैपरेट कर रखा है। आपने यह लिखित में कह रखा है कि ग्रामीण इलाके में जो पीने का पानी आप सप्लाई करते हैं उसमें सारे कानून-कायदों को शिथिलता देते हुए किसी भी प्रकार का पानी, किसी भी तरीके से उपलब्ध हो रहा है तो आपको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसी का कारण है कि आज ज्यादातर ग्रामीण इलाके में जो पानी उपलब्ध हो रहा है उसकी गुणवत्ता जांचने के लिए सरकार ने कोई नियम-कानून-कायदे बना ही नहीं रखे हैं।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

मैं आपको लास्ट एण्ड फाइनल चीज यह बताना चाहूंगा, साहब, बस यह आखिरी, कि राजस्थान के अन्दर जितनी भी इण्डस्ट्रीज लग रही हैं, जैसे कालाडेरा की मांग बारबार उठायी जाती है, कालाडेरा डार्क जोन में आने वाला है, उसमें अत्यधिक भूजल का दोहन किया जा रहा है लेकिन उसके ऊपर नजर किसी की नहीं पड़ी। वहां के चालीस गांवों का जो पानी है, जो वहां की आने वाली पीढियों के काम में आएगा, पीने का पानी, सिंचाई का पानी, उसका दोहन करके उसको डार्क जोन में कन्वर्ट कर रहे हैं। लाभ कौन उठा रहा है? लाभ कोका-कोला कम्पनी उठा रही है और उसके एवज में आप वाटर शेड प्रोग्राम करोड़ों रुपये के चला कर इस चीज का प्रयास करते हैं कि भूजल स्तर को किस तरह से बढ़ाया जाए। एक तरफ तो भूजल स्तर बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है और दूसरी तरफ इससे इस तरह के उद्योग। अब आपको लगाना ही है तो इसको बांसवाड़ा में लगा दो। माही के अन्दर खूब पानी है। वहां पर खूब कोका-कोला बनेगा। इसी तरह से अब लाइसेंस दिये हैं आपने बीयर बनाने की 13 फैक्ट्रियों को, एक बोतल बीयर बनाने में 40 लीटर पानी बर्बाद होता है भी उस जगह दिये गये जयपुर और दिल्ली के बीच में जहां कि अत्यत्धिक भूजल का दोहन किया जाने लगा। आज स्थिति यह बन गयी कि 237 ब्लाक्स जो राजस्थान के अन्दर हैं, उनमें 32 ब्लाक्स ही सेफ रहे हैं बाकी ब्लॉक्स या तो डार्क जोन में कन्वर्ट हो गये या क्रिटिकल जोन के अन्दर कन्वर्ट हो गये। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन यह है कि इस तरह के जो भी उद्योग हैं उनके लिए यह सुनिश्चित करें कि भूजल का प्रयोग नहीं करके सतही जल का प्रयोग, जहां वह अत्यधिक मात्रा में है, वहां किया जाए जिससे कि उस एरिया के लोगों को, आगे आने वाली पीढ़ियों को भूजल की समस्या से और पानी की समस्या से ग्रसित नहीं होना पड़े। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

स्पष्टीकरण

राजेन्द्र राठौड़ श्री, सार्वजनिक निर्माण मंत्री का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, आन ए पाइंट ऑफ क्लैरीफिकेशन। सभापति महोदय, मेरी अनुपस्थिति में तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरा नाम लेकर यह कहा कि चूंकि मेरी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जमीन हनुमानगढ़ में है इसलिए चूरू जिले के अंदर सिंचाई के पानी के अंदर मैंने रुचि नहीं ली। सभापति महोदय, मैं नहीं, पूरा राजस्थान जानता है कि एक दो साल नहीं, पैंतीस साल तक लगातार इसी एक ही परिवार, इनके और इनके पिता श्री जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उन्होंने उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। जब इंदिरा गांधी नहर पर साहवा लिफ्ट डिजाइन हो रही थी, दो क्यूसेक से उसका सवा क्यूसेक वाटर अलाउंस करने वाले भी यही हैं जिन लोगों ने पानी के नाम पर इतने साल तक लोगों से वोट लिये, अब हमसे सवाल करते हैं। हां, मैं स्वीकार करता हूं, मेरी जमीन हनुमानगढ़ में है, पर चूरू जिले के हितों का संरक्षण करने के लिए जितना मुझसे बन सका, मैंने किया। यह कह रहे हैं, चूरू जिले के अंदर मिलावटी पानी बन रहा है। चूरू के अंदर आपणी योजना का पानी, इसकी परिकल्पना किसने की थी? आज चूरू के अंदर आपणी योजना का पानी सफलता से लोगों को मिल रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि रिकार्ड पर सारी बात आ जाए।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): वह रिकार्ड में तो आ जाए, आप इतिहास ...(व्यवधान)

मांग संख्या-27 व 46 पर विचार

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री रणवीर सिंह गुढा। पांच मिनट में अपने सुझाव दें।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27-पेयजल और मांग संख्या 46-सिंचाई के ऊपर बोलने के लिए समय दिया है, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में पेयजल की विकट समस्या है। वाटर लेवल नीचे चले जाने के कारण ज्यादातर हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं। ठेकेदार एक-दो पाइप बचाने के चक्कर में हैण्ड पम्प लगाते हैं, लेकिन एक-दो पाइप की कमी के कारण वह पानी नीचे चला जाता है और हैण्ड पम्प खराब हो जाते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जहां पर वाटर लेवल नीचा है ठेकेदारों को सुनिश्चित किया जाए। 60-70 हजार रुपये का जो बजट लगता है एक हैण्डपम्प के ऊपर, वह एक-दो पाइप के चक्कर में खराब हो जाता है। इस प्रकार का नियम बनाएं कि जहां पर वाटर लेवल कम है, नीचे है तो वहां हैण्ड पम्प को ज्यादा पाइप दिये जाएं।

(श्री रणवीर सिंह गुढा)

दूसरा, सभापति महोदय, झुन्झुनूं जिले में फ्लोराइड की विकट समस्या है। मण्डावा, सूरजगढ़, बुहाना, थली, पचेरी और पथाना ऐसे गांव हैं। सुन्दरलालजी हमारे वहां से सूरजगढ़ के विधायक हैं, इन्होंने काफी सारे गांवों में हैण्डपम्प और ट्यूबवैल लगाये हैं, ढाणियों में लगाये हैं, लेकिन जिन गांवों में फ्लोराइड है वहां का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। माननीय सभापति महोदय, थली और पथाना ऐसे गांव हैं, वहां के गांवों में जाकर मैंने वहां का पानी पीया है, इतना खारा पानी है। 30 साल की उम्र में वृद्धावस्था दिखाई देती है। यहां तक कि पशुओं के अंदर भी काफी बीमारियां पानी के कारण से पायी गयी हैं।

खेतड़ी के अंदर जो कापर प्रोजैक्ट है, माननीय सभापति महोदय, चवरा गांव से 24 घंटे पूरा पानी कापर प्रोजैक्ट में आता है, जिसके कारण वहां सैकड़ों गांवों का वाटर लेवल नीचे चला गया है। सभापति महोदय, एक तरफ तो वहां पूरा एरिया खेतड़ी का है, बुहाना का है और गुढा क्षेत्र का है, उसको डार्क जोन घोषित किया हुआ है। दूसरी तरफ वहां से इतनी ज्यादा मात्रा में पानी कॉपर प्रोजैक्ट में जा रहा है। वह पानी पूरा कापर प्रोजेक्ट को दिया जा सकता है तो वह पूरा क्षेत्र डार्क जोन कैसे हो सकता है? आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि उस क्षेत्र का डार्क जोन तोड़ें ताकि वहां पर लोगों को कनेक्शन मिल सके, कुओं के लिए लोन मिल सके। वहां के किसानों का कुछ भला हो सके।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि नहर के लिए हमारे शेखावाटी में कई बार उद्घाटन हो गया। शीशरामजी ओला तो आये चुनाव में नहर का उद्घाटन करते हैं, वोट मांगते हैं।

मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा, सिंचाई मंत्रीजी, जयपुर में जो कानोता बाँध बना था पेयजल के लिए, वह जयपुर के पानी के संकट के लिए बना था। करोड़ों रुपये का बजट लगाकर बनाया गया था। प्रशासन की लापरवाही से, आपके जलदाय विभाग के प्रशासन की लापरवाही से सीवर का पानी जलमहल का गंदा पानी उस कानोता बांध में चला गया। वह पानी लोग पूजा-पाठ में काम में लेते थे और उस पानी से पूरा कानोता बांध दूषित हो गया। वहां का पानी पीने वाले मवेशी और मत्स्य पालकों की मछलियां मारी गयीं। आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि लापरवाही करने वाले प्रशासन के जो

(श्री रणवीर सिंह गुढा)

दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ आप एक्शन लें, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी सारे ऐसे गांव हैं जहां पर हम पानी के ट्यूबवैल भी सैंक्शन करते हैं, हैण्ड पम्प भी, लेकिन ठेकेदार वहां लगाते नहीं हैं, क्योंकि ठेकेदार यह कहते हैं कि अगर पानी नहीं आया, हैण्ड पम्प सूखा निकल गया तो हमारे को पैसा नहीं मिलता है। मंडकचास, खोह एवं मण्डवारा, जो पूरा पहाड़ी बैल्ट है, उस पूरे पहाड़ी बैल्ट में, छापोली के लोग पलायन कर रहे हैं पानी की कमी के कारण। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से यह चाहूंगा कि वहां पर ट्यूबवैल की विशेष बोरिंग मशीन भेजकर गहरे ट्यूबवैल खुदवाएं ताकि उन लोगों को पानी मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि जो भी घड़साना में घटना घटी, इसमें दोषी पंजाब है, पंजाब ने हमारा पानी रोका। केन्द्र के अंदर सरकार कांग्रेस की है, मैं प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि इस प्रकार की राजनीति न करें। पंजाब ने हमारा पानी रोका और हम यहां पर राजनीति करें, आन्दोलन करें, इससे भी लोगों के अंदर हमारा एक तमाशा बनकर रह गया था। एक तरफ हरियाणा हमारे को कोआपरेट नहीं कर रहा। शीशरामजी कह रहे थे कि यमुना का पानी आएगा, हरियाणा हमको कोआपरेट नहीं कर रहा। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है, केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है...

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

मैं आपसे यह भी चाहूंगा कि भाजपा सरकार मिलकर करे, आपस की लड़ाई से हमारे किसान हमारे यहां की जनता को जो हानि हो रही है, उसको बचाया जाए।

मैं माननीय सदस्यों से यह भी कहना चाहूंगा कि केन्द्र में आपकी सरकार है, प्रतिपक्ष की कांग्रेस की सरकार है, उनको कहा जाए कि पंजाब के अंदर जो पानी हमारा रोका जा रहा है, वह हमारे किसानों को मिले। इंदिरा गांधी नहर के अंदर जो ताकतवर लोग हैं, पीने का पानी अपने खेतों में लगाते हैं और आम गरीब किसानों को पानी नहीं मिलता है, उन खामियों को भी दूर किया जाए।

(श्री रणवीर सिंह गुढा)

सबसे मुख्य बात, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा फिर दुबारा कि, मेरे क्षेत्र में कापर प्रोजैक्ट को पानी जाता है, अन्तरराष्ट्रीय प्रोजैक्ट है, पूरा पानी मेरे क्षेत्र से जाता है। वहां छोटी सी सड़क गयी हुई है, वह सड़क जिस जमीन के नीचे आ गयी उनको तो कापर प्रोजैक्ट में नौकरी दे दी गयी, लेकिन वह पानी जाने से पूरा क्षेत्र बंजर हो गया है, पूरी जमीन खराब हो गयी है और पूरा का पूरा फ्लोराइड वहां फैल गया है, उन सभी लोगों को नौकरी के अंदर विशेष सुविधाएं मिलें। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री अशोकजी नवलखा। अब मैं जिन माननीय सदस्यों का नाम पुकार रहा हूं, मेरा आपसे सुझाव है कि तीन से पांच मिनट में अपनी डिमाण्ड रखें तो सभी माननीय सदस्यों का नम्बर आ जाएगा।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, काफी लम्बे अन्तराल के पश्चात् आपने बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आज मांग संख्या 27-पेयजल और 46-सिंचाई पर चर्चा हो रही है, पक्ष-विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी वसुन्धराजी राजे और माननीय जलदाय और सिंचाई मंत्री, माननीय सांवरलालजी जाट के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर पेयजल की दृष्टि से हो, चाहे सिंचाई की दृष्टि से हो, जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, उनकी प्रशंसा की है, मैं आज अपनी ओर से भी और मैं जिस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं वीरभूमि मेवाड़ के, चित्तौड़गढ़ जिले की, प्रतापगढ़ जिले की जनता की ओर से माननीय सांवरलालजी जाट साहब का इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जो-जो हमने समस्याएं बताई, आपके सामने रखीं, उन बातों का आपने अक्षरशः पालन किया। हमारे राजस्थान के मंत्रिमण्डल में सांवरलालजी जाट साहब एक ऐसी मंत्री हैं जिनकी डिक्शनरी में न शब्द है ही नहीं। इनके सामने हमने चाहे हैण्ड पम्प मांगे तो हां भरी, आपसे जब पनघट योजना मांगी तो हां भरी, आपसे जब पेयजल की स्कीम मांगी तो हां भरी, आपसे जब सिंचाई के लिए एनीकट मांगे तो हां भरी और आपसे जब डैम मांगे तो हां भरी, मैं माननीय सांवरलालजी जाट साहब का इस बात के लिए आभारी हूं। अभी-अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है ...

श्री सभापति: अब तो आप मुख्य दो डिमाण्ड रख दो।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): उसके अन्दर भी हमारे चित्तौड़गढ़ जिले के तीन डैम आपने सैंक्शन किये हैं- सिंहपुर डैम, बागदरी डैम और एक पीन डैम। तीन डैम आपने सेंक्शन किये उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं।

हमारे क्षेत्र के अन्दर चित्तौड़गढ़ जिले की सब से महत्वपूर्ण समस्या थी पानी की समस्या। चित्तौड़गढ़ जिले में पानी की समस्या को लेकर आन्दोलन होते हैं। धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं। जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं निम्बाहेड़ा, वहां पर लोग हमारी सरकार से पहले खड्डों के अन्दर से पाइप लाइनों का पानी खोद-खोद कर वहां से पानी भरते थे, यह स्थिति हमारे वहां की थी। छोटी सादड़ी के अन्दर लोग फिल्टर नहीं होने की वजह से गंदे पानी का उपयोग करते थे, यह स्थिति वहां की थी। लेकिन हमारी सरकार बनने के पश्चात् माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने, माननीय जलदाय मंत्रीजी ने वहां की जो प्रमुख समस्या थी, पानी की समस्या का समाधान किया। निम्बाहेड़ा शहर के अन्दर आपने पानी की स्कीम्स मंजूर कीं, छोटी सादड़ी शहर के अन्दर पानी की स्कीम मंजूर की और आज निम्बाहेड़ा क्षेत्र के अन्दर पानी की स्कीम्स के माध्यम से वहां की जनता पेयजल सुविधा का लाभ ले रही है।

क्योंकि समय कम है, ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन हमारे क्षेत्र की जो प्रमुख डिमाण्ड है, मेरा निवेदन है माननीय सिंचाई मंत्रीजी से, आप जब निम्बाहेड़ा पधारे थे बाड़ी डैम के ऊपर, तो वहां पर सब लोगों ने एक डिमाण्ड की थी कि बाड़ी से गोमाना तक 14 गांवों के अन्दर पानी की बड़ी समस्या रहती है, बाड़ी बांध से इन 14 गांवों की पेयजल स्कीम्स बनाकर वहां से विभाग ने भेजी है और आपने घोषणा भी की है, आज घोषणा कर देंगे तो हमारे क्षेत्र की जनता को काफी लाभ मिलेगा।

दूसरा, हमारे यहां पर जो स्वीकृत पेयजल स्कीम है निम्बाहेड़ा की और कनेरा की, दोनों स्कीमों की राइजिंग लाइन के पाइप नहीं पहुंचे हैं यदि वो पाइप पहुंच जाएं तो निश्चित रूप से अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा।

एक अभी प्रतापगढ़ के जिला बनने से कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें आ रही हैं, निम्बाहेड़ा के अन्दर जो ए.ईएन. आफिस है वह ए.ईएन. आफिस अभी प्रतापगढ़ में लगता है, मेरा निवेदन है कि उसको आप चित्तौड़गढ़ के अन्दर

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

सम्मिलित कर दें ताकि वहां की जो समस्याएं हैं वो चित्तौड़गढ़ से दूर हो जाएं।

छोटी सादड़ी की जो स्कीमें पास हुई, हमारे यहां 6 करोड़ 35 लाख रुपये की 6 स्कीमों के टेण्डर दो-तीन बार कैंसिल हो गये, मैंने विभाग की मीटिंग के अन्दर भी आपसे निवेदन किया था, यदि छोटी सादड़ी की स्कीम के आप टेण्डर जल्दी लगा देंगे तो चुनाव से पहले वहां के क्षेत्र की जनता इस योजना का लाभ उठा सकेगी।

सिंचाई के क्षेत्र में मेरा निवेदन है कि आप कनेराघाटा क्षेत्र में पधारे थे, जो दो डैम हमारे वहां के हैं, वहां पधारे थे। कनेराघाटा क्षेत्र में दोनों डैम बन गये, एक का आपने उद्घाटन किया, दूसरा डेम भी बन कर तैयार हो गया है। कनेराघाटा पहाड़ी पर बसता है, वहां पानी की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है, यदि आप रेण का नाका लघु सिंचाई परियोजना जो वहां के लोगों ने भेजी है, माननीय चुन्नीलालीजी धाकड़ जो पूर्व में जलदाय राज्य मंत्री थे, उनकी भी विशेष रूप से मांग है क्योंकि वो हमेशा उस क्षेत्र में जाते हैं और यह समस्या देखनी पड़ती है, इसलिए रेण का नाका लघु सिंचाई परियोजना जो विभाग के पास भेजी है उसको भी आप स्वीकृत करें। भावलिया लिफ्ट सिंचाई परियोजना एक 14 लाख 38 हजार की छोटी-सी परियोजना है, उसमें भी आप स्वीकृति प्रदान करें।

एक विशेष रूप से निवेदन है, जनजाति क्षेत्र की ओर से केबिनेट मंत्री माननीय नन्दलालजी मीणा साहब भी विराजमान हैं, हमारे वहां पर लोगों की विशेष रूप से डिमाण्ड थी कि छोटी सादड़ी में पण्डेरिया एनीकट बनना चाहिए। पहले भैरोंसिंहजी शेखावत साहब वहां से विधायक थे, उन्होंने भी उसके लिए काफी प्रयास किये, लेकिन वन विभाग की एन.ओ.सी. उस समय मिल नहीं पायी। लेकिन वन विभाग ने अब एन.ओ.सी. जारी कर दी है इसलिए माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन है कि कृपया पण्डेरिया एनीकट आप जनजाति क्षेत्र की जनता की मांग पर निश्चित रूप से स्वीकृत करें। और भी एनीकट और पेयजल योजनाओं के प्रस्ताव दे रखे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री देवीशंकर भूतड़ा, पांच मिनट में अपनी बात कहें।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): चित्तौड़गढ़ जिले की हमारी पेयजल योजनाएं ...(व्यवधान)

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, हमारा दस मिनट तो दे ही रहे हैं आप, मेरा निवेदन है कि नये सदस्य को कंसीडर किया गया है, आग्रह है मेरा आपसे।

माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 27 और 46 पर चर्चा में भाग लेते हुए मैं राज्य सरकार का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने जल को जो जीवन समझा है। अभी गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य नहीं हैं, उन्होंने कहा है कि जल ही जीवन है। सत्य कहा था। लेकिन, यह जल ही जीवन है, यदि उस समय की आपकी सरकार को और आपके नम्बर वन मुख्य मंत्री को समझ में आ जाता तो आपको ये दिन नहीं देखने पड़ते। अभी तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य जिन्होंने कहा हमारी वीर भूमि की वीर मुख्य मंत्री, मैं आज इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि जो बात आपके नम्बर वन मुख्य मंत्री को समझ में नहीं आयी वो हमारे राजस्थान को हिन्दुस्तान में नम्बर वन बनाने वाली वीर भूमि की वीर मुख्य मंत्री को समझ में आयी है इसीलिए आज राजस्थान के अन्दर विकास की गंगा बह रही है और जो पेयजल की समस्याएं हैं उसका निदान भी हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे शासनकाल के अन्दर जब से वसुन्धराजी राजे ने इस शासन की बागडोर सम्भाली है और उसको गम्भीरता से सम्रझ कर इसका बीड़ा इस सदन के अनुभवी सदस्य सांवरलालजी जाट साहब को दिया है, मैं समझता हूं कि उन्होंने पेयजल योजनाओं के प्रति गम्भीरता दर्शायी है। उसी का कारण है कि पेयजल योजनाओं को शीघ्र क्रियान्वयन की योजना बना कर जो कार्य शुरू किया है उसमें पिछले चार वर्षों के अन्दर एक खरब की पेयजल योजनाएं मंजूर, प्रगति या क्रियान्वयन की ओर चल रही हैं। मैं समझता हूं कि आज से पहले किसी भी सरकार ने इतना बड़ा कार्य नहीं किया।

अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य चले गये, वो जिक्र कर रहे थे कि, सांवरलालजी मंत्रीजी ने आपके यहां इतना काम किया, हमारे यहां क्या किया? मैं समझता हूं जयपुर के लिए बीसलपुर परियोजना का कार्य तीव्र गति से इस शासन के अन्दर चल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अजमेर जिले

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

की बात करना चाहता हूं जिस क्षेत्र से माननीय मंत्री महोदय भी पधारते हैं। मैं समझता हूं, यह गर्व की बात है अजमेर जिले के लिए कि वो इस क्षेत्र से आते हैं। अजमेर जिले की समस्या के समाधान के लिए पहली बार बीड़ा उठाया है तो सांवरलालजी जाट, हमारे माननीय मंत्री महोदय ने उठाया है। इस शासन से पहले चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे कोई भी जन प्रतिनिधि रहा हो, पूरे अजमेर जिले के अन्दर पेयजल की विकराल समस्याओं को लेकर समय-समय पर बहुत त्राहि-त्राहि मची है और उसकी आवाज इस सदन में अनेकों बार गूंजी है। अनेकों बार ऐसी स्थिति भी ब्यावर क्षेत्र में आयी है कि पेयजल को लेकर बहुत कर्फ्यू लगे हैं, पांच-पांच दिन और पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक धरना भी देना पड़ा। लेकिन इस कार्यकाल के अन्दर राजस्थान में तो कोई आन्दोलन खड़ा नहीं हुआ। अजमेर जिले के अन्दर पहली बार प्रतिपक्ष के नेता या कांग्रेस का कोई व्यक्ति कोई आन्दोलन खड़ा करने की हिम्मत नहीं कर सका क्योंकि वहां पर विकास और पेयजल के बारे में गम्भीरता से प्रयास किया गया और योजनाओं की क्रियान्विति की गयी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं कि हमारे अजमेर जिले के अन्दर सबसे बड़ी समस्या थी फ्लोराइड की समस्या और उससे मैं समझता हूं कि अजमेर जिले के सारे गांव ग्रस्त हैं। कभी कल्पना नहीं की थी कि फ्लोराइड की समस्या का कोई समाधान हो सकता है और अजमेर जिले के गांवों को पेयजल की आपूर्ति हो सकती है। लेकिन इस समस्या के निदान के लिए भी इस शासनकाल के अन्दर, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय वहां के रहने वाले हैं तो निश्चित रूप से उनकी पुराने शासन में जो समस्याएं रही हैं उनकी सारी जानकारी रही है, उस जानकारी के आधार पर इन्होंने योजना बनायी और योजना बना कर उस काम को हाथ में लेकर समस्या निदान का प्रयास किया। उसी का नतीजा है कि केकड़ी और सरवाल की 32.62 करोड़ की योजना बनायी, नसीराबाद के अन्दर 61.3 करोड़ की योजना, नसीराबाद में सैकिण्ड फेज में 11.53 करोड़ की, अराई के अन्दर 152.49, पीसांगन के अन्दर 183.97 और जवाजा के अन्दर 149.30 की योजना बन चुकी है। माननीय मंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि आज के दिन इसकी घोषणा करके वहां कार्य शुरू कराने का प्रयास करें। मैं समझता हूं इतना बड़ा काम आज तक कभी नहीं हुआ।

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

अजमेर की नगरी अंतिम हिन्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी कहलाती है, अजमेर शहर की विकराल समस्या के निदान के लिए पहली बार 1876.81 लाख रुपये खर्च कर, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन, अजमेर की जो मेन नगरी है, जो ख्वाजा साहब की नगरी है और पुष्कर तीर्थ नगरी है वहां पर समस्या का निदान करने का बीड़ा उठाया। पहली बार अजमेर, किशनगढ़...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं पांच मिनट में अपनी बात कह दूंगा। समस्याएं कोई नहीं हैं मेरे, पर मैं बात कह रहा हूं, जो उपलब्धियां हैं।

अजमेर, किशनगढ़ और ब्यावर में जो पेयजल की विकराल समस्या थी उस समस्या को समझा और एक दिन की खपत के सभी जगह, चाहे किशनगढ़ हो, चाहे अजमेर हो, चाहे ब्यावर हो, उसकी स्वीकृति दी। स्वीकृति देकर उस पर कार्य शुरू हुआ, सब जगह 50 परसेंट से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है और 50 परसेंट काम बाकी रहा है, केवल पत्थर नहीं लगा है।

अभी चर्चा हुई योजनाएं स्वीकृत करने की, इन्होंने योजनाओं को स्वीकृत करके पूर्ण करने का प्रयास भी किया। पुष्कर तीर्थ, हमारे पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य नहीं हैं, जहां विश्वभर से पर्यटक आता है, वहां पेयजल की भयंकर किल्लत है। पुष्कर शहर के लिए भी 224 लाख की योजना स्वीकृत की गयी है। 96.48 लाख रुपये उस पर व्यय किये जा चुके हैं और 2008 तक इसके पूर्ण होने की सम्भावना है। माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं इतनी जबर्दस्त समस्याओं का जो समाधान किया है, वह आज तक नहीं हुआ। उसके बाद भी हम केवल अंगुलि उठाएं कि नहीं हुआ।

यह केवल यहीं नहीं हुआ, सम्पूर्ण राजस्थान के अन्दर इन समस्याओं के निदान का प्रयास किया गया है। बीसलपुर फेज द्वितीय परियोजना अभी स्वीकृत हुई है 359.46 करोड़ की। जो हमारे पानी का व्यवधान पड़ता था, सीमेंट की पाइप लाइन डाली हुई थी जो बार-बार टूटती थी, पहली बार इसमें सकारात्मक प्रयास करते हुए सैकिण्ड फेज की जो स्वीकृति दी गयी है। सरवाड़ से नसीराबाद तक 1500 एम एम व्यास की 42.1 किलोमीटर की लम्बी पाइप लाइन डालने का जो काम शुरु किया है उसमें 40.2 किलोमीटर का काम पूर्ण

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

हो चुका है, जो सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। यह जो काम पूरा हुआ उससे मैं समझता हूं पेयजल का जो व्यवधान आता है, विशेष तौर पर अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद में वह काम भी पूरा हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं और ज्यादा नहीं कहकर केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरे वन-डे स्टोरेज के बारे में जो काम चल रहा है, इसको तीव्र गति से करवाएं। जवाजा पंचायत समिति की जो मैंने अभी बताई है, सभापति महोदय के माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि 191 गांवों को जोड़ने की जो प्रस्तावित योजना है उसकी भी स्वीकृति दिलवा दें। ब्यावर में पेयजल वितरण व्यवस्था की शुरु में 11.63 करोड़ की योजना जिसकी टी एस पी हो गयी है, जिसकी स्वीकृति भी दे दी है, उसका काम शुरु हो जाए। उसका जो व्यवधान आ रहा है, केवल इतना आ रहा है कि नगर परिषद् की जमीनें पहले निःशुल्क मिलती थीं। मैं अभी माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में भी लाया था, उन्होंने आदेश दिया है कि उसके लिए जिला कलक्टर को निर्देश दें कि वह भूमि जो मिलती थी वह वापस निःशुल्क मिले। इसका कोई प्रावधान ऐसा हो कि वह काम शुरु हो जाए, उसकी वजह से वह अटकी हुई है।

एक बात मैं पेयजल के बारे में कहूंगा क्योंकि मंत्री महोदय हमारे जिले से आते हैं। कि बीसलपुर का पानी चाहे जयपुर जाए चाहे और कहीं जाए, उससे हमें एतराज नहीं है लेकिन अजमेर, नसीराबाद, किशनगढ़ और ब्यावर के पेयजल की जो योजना बनी है उस अजमेर के हितों पर कुठाराघात नहीं हो, उसके हितों के अनुरूप पानी मिलता रहे। आगे आने वाले समय में चौबीस घंटे पानी मिले, ऐसी योजना का रूप दें। आपके रहते हुए कुठाराघात होगा तो मैं समझता हूं इस समस्या का निदान नहीं होगा।

सिंचाई के क्षेत्र में भी मैं समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर तो इतिहास रचा गया है। राजस्थान में शासन सम्भालते ही 163 योजनाओं को हाथ में लेकर 149 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया है और सात में से तीन बड़ी योजनाएं पूर्ण कर ली गयी हैं। चार वर्ष में प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक हैण्ड पम्प सिंचाई की क्षमता का सृजन करके माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और सांवरलालजी जाट साहब ने रिकार्ड कार्य किया है। बूंद-बूंद पानी का उपयोग समझकर एक ऐतिहासिक कार्य किया है। मेरे क्षेत्र में भी जो एनीकटों का जाल

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

बिछाया है, कम से कम दो करोड़ के एनीकट इस मगरा क्षेत्र के अन्दर बने हैं आज वे एनीकट पानी से लबालब हैं। सिंचाई की दृष्टि से वह एरिया डवलप हो रहा है, हमारे जो टाटगढ और मालासी का बेरा है। सन् 1962 से जो लम्बित योजनाएं पड़ी थीं, चाहे वह मोडा का बांध हो, चाहे वह सूरागाथा फीडर हो, चाहे अन्य योजनाएं हों, उन योजनाओं को स्वीकृति देकर माननीय मंत्री महोदय ने एक ऐतिहासिक कार्य किया है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, सूरागाथा योजना 1962 से अधूरी पड़ी थी जिस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान भी दिया, स्वीकृति भी की और वहां जाकर उसका शिलान्यास भी किया और शिलान्यास करके उसका कार्य शुरू भी किया। लेकिन उसके कार्य के बीच में रोक आ गयी उसकी वजह से वह काम रुक गया। उसका रिवाइज एस्टीमेट भी आपके पास आ गया है एक करोड़ का। मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है, कि वह बहुत बड़ी योजना है, उसके पूर्ण होने से कम से कम 52 हैक्टेयर जमीन सिंचित होगी, तो इस एक करोड़ की स्वीकृति देकर उस कार्य को पूर्ण कराएं जो कार्य आपने हाथ में लिया है उसको पूर्ण कराएं।

मैं निश्चित रूप से सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का और माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि सवा चार साल के अन्दर ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। आपने मुझे जो समय दिया है उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य रघुवीर सिंहजी मीणा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मेरा नाम पुकार लिया। सभापति महोदय, आज मांग संख्या 27-पेयजल और मांग संख्या 46-सिंचाई की मांगों पर वाद-विवाद चल रहा है, मैं अपने आपको इसमें सम्मिलित करते हुए मेरे क्षेत्र की कुछ योजनाओं का जिक्र करूंगा और विभाग की गतिविधियों के बारे में चर्चा करूंगा । मैं समझता हूं और आशा भी करता हूं कि आपके माध्यम से जो विचार मंत्री महोदय तक पहुंचाना चाह रहा हूं, वे निश्चित तौर पर इस पर गौर करेंगे और कुछ अमल करने का भी और क्षेत्र को कुछ देने का भी प्रयास करेंगे।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में पेयजल के लिए पारम्परिक स्रोत कुएं हैं

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

और सरकार की तरफ से जो हैण्ड पम्प खोदे जाते हैं उनसे पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है। इसके अतिरिक्त जयसमंद डैम जो मेरे क्षेत्र में है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी का कृत्रिम झील कहलाता है। इससे जो पेयजल की योजना बनी थी, अशोक गहलोतजी मुख्य मंत्री थे उस सरकार में पैंतालीस लाख की स्कीम बनी थी, जो वीरपुरा, गातोड, कन्थोड़ा या नीचे के क्षेत्र जहां पानी उपलब्ध नहीं था वहां दिया। उसके बाद पांच करोड़ सत्तर लाख की योजना बनी, तीन पंचायतों के करीब तेरह गांवों को पानी देना था। परन्तु विभाग की कछुआ चाल अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इस सरकार के चार साल पूरे हो गये परन्तु वह योजना पिछली सरकार जहां छोड़कर गयी थी, वहीं की वहीं पड़ी है। पांच करोड़ सत्तर लाख की योजना पूरी क्यों नहीं हुई, यह मेरा सवाल है? पिछली सरकार के समय फिल्टर प्लाण्ट बनना शुरु हो गया था, पाइप लाइन बिछनी शुरु हो गयी थी, टैंक बन गये थे और बहुत सारा काम हो गया था परन्तु आपने उस योजना को पूरा नहीं किया, क्यों नहीं किया, यह निश्चित तौर पर बताने की कृपा करेंगे।

जयसमंद डैम बहुत बड़ा डैम है जिससे उदयपुर जैसे शहर की पेयजल योजना की पूर्ति होती है। उदयपुर के लिए जो स्कीम बनी थी, 1995 में पूरी हो गयी थी और बाइस करोड़ की योजना थी। 210 लाख लीटर पानी प्रति दिन उदयपुर शहर को मिल रहा है और साल भर में करीब 250 एम सी एफ टी पानी जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम शहर को पानी पिलाने के लिए इतने उतावले भी हैं और हमारा फर्ज है वह पूरा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। करना भी चाहिए। बाइस करोड़ की योजना हमने त्वरित गति से पूरी कर दी, 210 लाख लीटर पानी प्रति दिन दे रहे हैं, अच्छी बात है, हमारी उपलब्धि है। परन्तु वहीं ऐसे गांव भी हैं जहां पीने के पानी के लिए चार-चार सौ फीट हैण्ड पम्प खोदते हैं तब तक भी पानी नहीं आता है और आता है तो खारा पानी आता है। जयसमंद डैम के किनारे पर चारों तरफ लगे हुए गांव हैं। जावत जैसे गांव, अदवास जैसे बड़े-बड़े गांव हैं, कस्बे हैं जहां बरसात के दिनों में भी टैंकर से पानी पिलाया जाता है। मेरा सवाल है मंत्रीजी से कि आप इस योजना को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में निश्चित तौर पर जानकारी प्रदान करेंगे।

मैं दूसरी बात निवेदन कर रहा हूं, सोम कमला अम्बा डैम की स्कीम

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

है, डाया डैम की स्कीम है, सोम कमला से सलूम्बर और सराड़ा के मिलाकर करीब 85 गांव हैं, डाया डैम से भी करीब 27 गांव हैं। पूरे क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाई है, टंकी भी बनाई है। परन्तु यह काम बहुत मंद गति से चल रहा है। आगे की योजना के बारे में आप सदन को बताएंगे तो हम निश्चित तौर पर यह जान पाएंगे कि आपके मन की इच्छा क्या है।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई के लिये मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि मुख्य तौर पर जयसमन्द डैम, खरचन डैम, केजर डैम, चावण्ड, डाया डैम, ये डैम हैं जिनकी वजह से हमारे क्षेत्र में सिंचाई योजना होती है। इन तालाबों में चावण्ड को महाराणा प्रताप तालाब के नाम से जानते हैं। चावण्ड, केजर और खरचन तीन तालाब अगर भर जाते हैं, हर साल यदि भर जाते हैं तो वहां ट्यूरिस्ट भी बढ़ता है, इर्रिगेशन के हिसाब से भी हमें बहुत बड़ा फायदा मिलता है। महाराणा प्रताप की जहां कर्म स्थली रही है, जहां महाराणा प्रताप ने 17 साल तक राज किया वहां का तालाब अगर हमारी सरकार की लापरवाही की वजह से नहीं भरे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा हो नहीं सकता। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार के समय एक पाराई नदी देवेन्द्र एनीकट के नाम से सर्वे हुई थी, मेरी जानकारी के अनुसार 12 करोड़ के आस-पास 300 एम सी एफ टी का एनीकट बनना था और इस चावण्ड तालाब में ... (व्यवधान)

श्री सभापति: यह, माननीय सदस्य, महाराणा प्रताप का तालाब कहां है ?

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): चावण्ड करके जगह है। उसको महाराणा प्रताप एनीकट, महाराणा प्रताप तालाब कहते हैं। चावण्ड तो ... (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय सभापति महोदय, हमें भी समय चाहिये। रोज लास्ट टाइम में फिर नाम कट जाता है, इनके समय की सीमा पूरी नहीं ... (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): तीनों तालाब भर जाते हैं। अगर इस एनीकट को हम बना देते हैं तो बरसात का पानी टर्न करके एक तालाब में डालना है, इससे तीन तालाब अगर भरेंगे तो निश्चित तौर पर वहां बहुत सारा फायदा होगा। मुझे जहां तक जानकारी है, 2005 में तत्कालीन एक्स ईएन थे

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

उन्होंने 332/7.1.2005 को एस ई, उदयपुर को इस स्कीम के बारे में सर्वे रिपोर्ट भेजी थी। अनुशंसा भेजी थी। एस ई, उदयपुर ने पत्र क्रमांक 938/5.2.2005 को राज्य सरकार को भेजा है और यह निवेदन किया है कि यह बहुत अच्छा एनीकट है, फिजिबल है और इसको अगर बनाते हैं तो कम लागत में बहुत बड़ा काम होता है। 2005 से अभी तक इसका सर्वे, मंत्रीजी, गौर करेंगे क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप निश्चित तौर पर पाजिटिव सोचेंगे, तो आज तक उस एनीकट ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): भरोसा कायम रखेंगे। चिन्ता न करो आप।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): तो उसका सर्वे क्यों नहीं हुआ ? अभी कटौती प्रस्ताव आया है उस एनीकट के नाम से, देवेन्द्र एनीकट के नाम से तो मैं यह जानना चाहूंगा, क्या उस कटौती प्रस्ताव पर अधिकारियों की तरफ से पाजिटिव रिपोर्ट है या नेगेटिव है? जो भी है आप जानकारी करें। आप प्रोफेसर हैं, आप विद्वान हैं, आप काम्पीटेंट हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी भी तरह से अधिकारी आपको गुमराह नहीं कर सकते।

मुझे, माननीय सभापति महोदय, 1993 से बराबर इस विधान सभा में आने का मौका मिल रहा है, 1993 और 98 के बीच में राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ चिकित्सा मंत्री थे, उन्होंने सदन में ही एक अधिकारी को तत्काल सस्पैंड करता हूं ऐसा आदेश किया था। अभी तक किसी मंत्री ने आज तक घोषणा नहीं की है। मैं आपसे चाहूंगा आप जानकारी करें कि जो 2005 में रिपोर्ट सरकार को भेजी थी उस एक्स ईएन ने कि यह एनीकट अच्छा है, 300 एम सी एफ टी का एनीकट है, कम लागत में ज्यादा काम हो सकता है, उस एनीकट को अभी तक नहीं बनाने के पीछे क्या मंशा रही? अधिकारियों ने क्या आपको फीड बैक दिया? या नेगेटिव रिपोर्ट भेजी? आप जानकारी करें। अगर नेगेटिव रिपोर्ट भेजी है तो आप उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करें। या जांच कराएंगे तो निश्चित तौर पर जो मेरा विश्वास है आपके प्रति, वह कायम रहेगा, मुझे उम्मीद रहेगी कि आप न्याय करते हैं, अन्याय नहीं करते। आप गुमराह करने वाली किसी बात पर भरोसा नहीं करते हैं, यह मुझे भरोसा होगा।

मेरे क्षेत्र में कई छोटे एनीकट बन सकते हैं जिनसे इर्रिगेशन हो

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

सकती है। गौराई सांखड़ा नाला एनीकट है, जिसके बन जाने से एक पूरा बहुत बड़ा गांव फायदा उठा सकता है। इसी तरह से जयसमन्द की नहरें हैं। जयसमन्द की नहरों को पता नहीं आपका विभाग क्या कहता है, परन्तु सीपेज होने की वजह से, ठीक नहीं होने की वजह से टेल तक पानी नहीं पहुंचता है। मंत्रीजी, मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि डैम पूरा भरा हुआ होने के बाद भी, पर्याप्त पानी होने के बाद भी, 11-11 फीट तक पानी होने के बाद भी काश्तकारों को पानी पूरी तरह से नहीं दिया गया और काश्तकार आपस में मार-काट करने की स्थिति में आ गये। ईवन हमारे कपड़े फाड़ने को तैयार हो गये। गाड़ियां भर-भर कर अधिकारियों के पास गये, एक्स ईएन के पास गये परन्तु हुआ यह कि उनकी फसलें अन्ततोगत्वा सूख गयीं।

वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में तो आप स्वयं जानते हैं ... (व्यवधान)

(समय-समाप्त-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, एक मिनट, हाई कोर्ट में एक पी आई एल दर्ज हुई उसके बारे में। डबल ए जी गये हैं, उनको भी पता नहीं क्या कहा, क्या नहीं कहा, परन्तु सरकार की तरफ से भी जवाब नहीं दिया है। वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हमारी सरकार बहुत फेल्योर है। यह कोर्ट भी मान रही है। हमारी सरकार की तरफ से अभी तक जवाब नहीं गया है ... (व्यवधान) फेल्योर है। एक नम्बर फेल्योर है। आप काम अच्छा करेंगे तो हम भी आपकी तारीफ कर पाएंगे।

मुझे एक बात निवेदन करनी है, आप बड़ा अच्छा अपने आपको कहते हैं और हम भी कह देते हैं, परन्तु सिंचाई के लिये जनजाति विभाग में जनजाति ट्राइबल सब प्लान इलाके में जो महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया है उसकी वजह से आन गोइंग स्कीम जो भी हैं वे भी इसलिये रुक जाती हैं कि महाराष्ट्र पैटर्न का पैसा आएगा और वह पैसा लगेगा, आपके काम होंगे। हम इस इंतजार में रहते हैं कि महाराष्ट्र पैटर्न का पूरा पैसा, पर्याप्त पैसा दिया है, अलाट कर दिया है, लगेगा। हमारे काम इर्रिगेशन के हों, चाहे किसी विभाग के, हर विभाग का 12.56 परसेण्ट पैसा फिक्स कर दिया है। 2007-2008 में राज्य योजना में 1453.04 करोड़ रुपये थे उसके अगेंस्ट में हमने दिसम्बर, 2007 तक खर्च कितना किया है ? 356.42 करोड़। कहां तो 1453 और कहां 316, हमारा खर्चा करने का जो परसेण्टेज है उसको देखो आप। यह टी ए डी

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

का है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं। सिंचाई विभाग का अगर आप देखें, राज्य योजना से 90 करोड़ 92 लाख 70 हजार रुपये मिले थे, उसमें हमने खर्च किये 24 करोड़ 77 लाख 41 हजार। यह परसेण्टेज अगर आप देखेंगे तो 24 परसेण्ट के आस-पास आता है। हम 24 प्रतिशत पैसा खर्च करके वाहवाही लूटना चाहें कि हमने बहुत कुछ कर दिया। यही नहीं ... (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): सभापतिजी, ए सी बंद करवा दीजिये, हमारी तबीयत खराब है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): हम अगर माड़ा क्षेत्र का भी देखें तो दौसा और टौंक जिले का खाली हम उदाहरण ले लें, इसमें शुद्ध पानी पिलाने के लिये हम क्या कर रहे हैं? राजस्थान इंटीग्रेटेड फ्लोरोसिस मैनेजमेंट प्रोग्राम चालू कर रखा है उसमें दोनों जिलों के ... (व्यवधान)

श्री सभापति: समय का ख्याल करें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): 2981 परिवारों को हमने फिल्टर वितरण किया है। उसके लिये हमने करीब 49 लाख 22 हजार रुपये खर्च किये हैं। इन पैसों का हमारा क्या हिसाब-किताब है? क्या फिल्टर बांट दिये? अभी फिल्टर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कौन देखेगा इस बात को? परन्तु हम इतना करके भी कुछ नहीं कर पायें। यही नहीं, सहरिया क्षेत्र का विकास देखें। सहरिया क्षेत्र में 10 करोड़ 9 लाख 66 हजार के अगेंस्ट 2007-08 में हमने कितना खर्च किया था? 33.35 लाख तो हमारे खर्चे का परसेंटेज देखें आप। पैसा आप हजारों करोड़ का प्रावधान कर दो और खर्च करो मामूली, काम पूरे हो नहीं, फिर वाहवाही लूटने की बात करें। इसी तरह से सभी योजनाओं का आबंटन अगर देखें तो 2007-08 में 139.97 करोड़ के अगेंस्ट में 73 करोड़ 61 लाख रुपये खर्च किये। आप देखिये कि खर्च का प्रतिशत क्या है। अगर आप इतना ही खर्च करेंगे और बहुत सारी वाहवाही लूटना चाहें तो मेरे ख्याल से आप वाहवाही लूट नहीं पाएंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): सभापति महोदय, अंतिम बात कह रहा हूं। मुझे मंत्री महोदय पर किसी भी तरह की कोई शंका नहीं है। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री महोदय अपने क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त हैं। हैंड पंपों पर महिलाएं जब पानी भरती हैं तो सांवरलालजी रूककर कहते हैं कि आपरो सांवरो

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

आई ग्यो, अरे सांवरो आई ग्यो। हमें आपकी योग्यता पर कोई शंका नहीं है, आपकी ईमानदारी पर कोई शंका नहीं, परन्तु चूंकि आप हमारे सदन की संपत्ति हैं, हमारे प्रदेश की संपत्ति हैं इसलिए जब आपके ऊपर कोई उंगली उठाता है तो हम सबको निश्चित रूप से चिंता होती है। इसलिए इस सदन का भी अधिकार है, जनता का भी अधिकार है। वैसे मैं कोई आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं परन्तु जब 4 जनवरी, 2008 को अखबारों में यह खबर आयी, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि खबर सत्य है, परन्तु जब खबर छपी तो मैंने भी पढ़ी। आप पर यह आरोप आया कि 10 हजार करोड़ का ठेका जो किसी कम्पनी को देना था, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आपने कुछ किया, यह मैं नहीं कह रहा हूं, पर उसमें यह था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिल्ली में गंगवाल साहब ने मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा। यादव साहब सांसद महोदय ने पत्र लिखा कि यह ब्लैक लिस्टेड कम्पनी है और इस कम्पनी को किसी तरह का ठेका नहीं देवें तो हम यह जानने का हक तो रखते हैं कि क्या आपने उस कम्पनी को ठेका दिया या कैंसिल किया? या कैंसिल कर देंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो? आप पर किसी प्रकार का आरोप सिद्ध नहीं होवे, यह मुझे कहना है। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री प्रभुलालजी वर्मा, पांच मिनट में आप अपनी बात को रखेंगे।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, आपने कम से कम प्रभु का नाम तो पुकारा, नहीं तो यहां कलियुग में प्रभु का नाम लेना ही अच्छा नहीं समझते।

श्री सभापति: आप बोलना तो चालू करें, मन में शंका क्यों रख रहे हैं?

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): सभापति महोदय, मांग संख्या 27, मांग संख्या 46, सिंचाई और पेयजल पर चर्चा चल रही है। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए पानी, बिजली, सड़क और शिक्षा की विशेष जरूरत होती है लेकिन पानी आम आदमी की प्रथम आवश्यकता है चाहे वह पीने का हो, चाहे वह सिंचाई का हो, चाहे वह उद्योग में काम आता हो। हमारा राजस्थान प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से अजीब टाइप का है, कहीं पर पहाड़ी है तो कहीं पर बालू रेत है, कहीं पर काली मिट्टी है, कहीं मोटी रेत है। यहां पर पेयजल की व्यवस्था करना एक चुनौती का काम होता है लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने आते ही इन चुनौतियों का सामना किया और भरपूर ताकत लगाकर जितना सम्भव हो सका, पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई।

(श्री प्रभुलाल वर्मा)

सभापति महोदय, इस मौके पर मैं माननीय अटलजी को याद करना चाहूंगा क्योंकि अगर हम नदियों को जोड़ देते तो ये दिन आज हमें नहीं देखने पड़ते। धरती का जल स्तर नीचे होता जा रहा है। आटोमेटिक हमारी जमीन रीचार्ज होती और पानी टयूबवैल से निकालते, हैंड पंप नहीं सूखते। हजारों हैण्ड पम्प और टयूबवैल सूख चुके हैं। हमें पानी की चिंता करनी चाहिए और यह चिंता माननीय अटलजी ने की थी। अगर उनकी योजना जो हमारे सामने बैठे हैं उनकी केन्द्र सरकार अगर चालू कर दे तो मैं समझता हमें पानी के लिए मुंह नहीं देखना पड़ेगा।

सभापति महोदय, आज मैं सिंचाई के बारे में थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहता हूं, सीएडी चम्बल की नहरें कोटा, बूंदी और बारां में फैली हुई हैं। 2 लाख 29 हजार हैक्टेयर इनका एरिया है, 124 किलोमीटर राजस्थान में दायीं मुख्य नहर चलती है, इतनी ही आगे एम.पी. में जाती है। इस नहर को बने करीब 42-44 वर्ष हो गये हैं, पूर्वोत्तर सरकार ने राज तो किया लेकिन जो हाड़ौती की रीढ़ की हड्डी है, कोटा, बूंदी और बारां की रीढ़ की हड्डी है, 90 प्रतिशत किसान वहां खेती करता है, 90 प्रतिशत आदमी आज भी वहां खेती पर निर्भर है, इस नहर की दशा सुधारने की बिलकुल नहीं सोची, मरम्मत के नाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं दी और आज हमसे कहते हैं कि पानी टेल पर नहीं पहुंच रहा है। हमारी सरकार आते ही जब मैंने यहां विधान सभा में प्रश्न उठाया, जानकारी दी उन नहरों की जो जर्जर हो चुकी थीं, जो 42-43 साल पुरानी थीं, दायीं मुख्य नहर एक साल छोड़कर एक साल में टूटती थी। वहां पर देराश्री जी, एक एस.ई. हुआ करते थे, उनके पास में मैं असिस्टेंट इंजीनियर हुआ करता था, उस समय भी हमने उन नहरों की दशा सुधारने की एक प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाकर भेजी थी। तब कांग्रेस का राज हुआ करता था उसमें यह नोट लिखा हुआ था कि ये नहरें इतनी जर्जर हो चुकी हैं, देराश्री जी के हाथ से लिखा हुआ नोट है, जो एस.ई. हुआ करते थे, कि इस नहर का तो भगवान ही मालिक है, सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा ज्यों ही मैंने यहां प्रश्न उठाया माननीय मंत्रीजी ने मुझे बुलाया और अधिकारियों को बुलाया और कहा कि प्रोजैक्ट बनाकर लाओ कि कितना रूपया इस नहर में लगेगा ठीक करने में। पूरे नहरी तंत्र की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनायी गयी, 540 करोड़ रुपये की स्कीम बनाकर हमने दी। मैं मुख्य मंत्रीजी को और मंत्री महोदय, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने तुरन्त ही एक साल में 140 करोड़ रुपये देकर पूरी

(श्री प्रभुलाल वर्मा)

नहर की मरम्मत करायी है जब कि कांग्रेस सरकार ने फूटी कौड़ी तक मरम्मत के लिए नहीं दी। जितने भी पैसे देते थे वे सारे बेलदार, चौकीदार में ही बंट जाया करते थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सांवरलालजी।

एक मेरा क्षेत्र है, इंद्रगढ़ क्षेत्र कहलाता है, केशोरायपाटन भी मेरा एरिया पड़ता है। मेरा विधान सभा क्षेत्र तीन जिलों में बंटा हुआ है। वहां पर 20-22 साल से चाकन नदी बहती है और नदी इतनी तगड़ी बहती है कि बरसात का पानी हमेशा चलता रहता है। 20-22 साल से मांग कर रहे थे कि चाकन नदी पर एक छोटा-मोटा बांध बना दिया जाए तो 22 गांवों में पानी लग सकता है। मेरे रिक्वैस्ट करते ही, यहां पर विधान सभा में क्वेश्चन लगाते ही चाकन बांध के लिए 25 करोड़ रुपये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सांवरलाल जी के प्रयासों से स्वीकृत कर दिये। अभी-अभी मेरे पास फोन आया है कि टेंडर भी लग गये और इसी महीने में टेंडर हो जाएंगे।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सिंचाई मंत्री जी को, मेरे क्षेत्र में चार गांव ऐसे थे जिनमें फ्लोराइड युक्त पानी था, नदी किनारे होते हुए भी उन गांवों में सिचुएशन ऐसी थी कि वहां खारा पानी निकलता था। मैंने दो स्कीम बनाकर पिछले वर्ष भिजवायी थीं, 19 लाख की थी मोर, कुंडला, डूंगराली। दूसरी पागली और गठौर 21 लाख की थीं। आपने स्वीकृत करके पूर्ण भी करा दी हैं और इस साल पानी पी रहे हैं।

(समय : 20.00 बजे)

सभापति महोदय, मैं बहुत कम बोलूंगा। मेरे इंद्रगढ़ क्षेत्र में जहां पर कोई सिंचाई का साधन नहीं है, वहां पर टयूबवैल लगाकर लोग सिंचाई करते हैं। वह वही एरिया है जहां पर चाकन बांध बनेगा और 22 गांवों में पानी लगेगा। उस क्षेत्र में इस समय लोग टयूबवैल से, इंजनों से पानी निकालकर सिंचाई करते हैं।

वहां के आठ गांवों का वाटर लेवल बैठ गया है, क्योंकि सिंचाई जब करते हैं तो वाटर लेवल बैठता है। खेतों में पानी काम ले लिया लेकिन वहां के हैण्ड पम्पों का पानी सूख गया है। मेरा आपसे निवेदन है, अणगौरा पंचायत समिति सुमेरमण्डी, बेलनगंज पंचायत गुढा, सुनारी पंचायत दौलतपुरा, पापड़ा पंचायत है गुढा, दौलतपुरा पंचायत है दौलतपुरा, कंवरपुरा पंचायत है बलवन, देवपुरा पंचायत है दौलतपुरा, चारदां खुर्द पंचायत है चारदां खुर्द, इन दोनों

(श्री प्रभुलाल वर्मा)

पंचायतों के अंदर आठ गांवों में पानी बिलकुल सूख गया है। आपने आश्वासन भी दिया है, माननीय मंत्रीजी जब आप जवाब दें तो इनको सैंक्शन करके, 8 गांवों में 8 ट्यूबवैल की मैंने आपको थोड़ी-सी सलाह दी थी, 8 गांवों में एक-एक ट्यूबवैल लगाकर हम उनको पानी मुहैया करा दें तो वे एक जगह ही पानी भर लेंगे और पानी पी सकेंगे, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है।

अब मैं आपसे मेरे कस्बे इटावा की बात कर रहा हूं। वहां पर स्कीम बनी हुई है, पानी चालू है लेकिन पानी आगे तक नहीं पहुंच पाता, प्रैशर कम होता है। दो मोहल्लों में ट्यूबवैल अलग से बनवाकर खुदवाने के लिए 11 लाख रुपए की स्कीम आपके यहां भिजवाई थी, वह अभी चीफ इंजीनियर, जयपुर के यहां पड़ी हुई है, कृपया उसको भी स्वीकृत कर दें तो इसी वर्ष पानी वहां पर लग जाएगा, इटावा कस्बे की स्कीम है।

अब मैं आखिर में यह सुझाव देना चाहूंगा कि सिंचाई की जो नहरें हैं वे मिट्टी की बनी हुई हैं और जब भी हम काम करने के लिए उनके टेण्डर करवाते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं कि क्या-क्या काम उसमें करवाना है, काडा की कोटा में, जब मीटिंग बुलाई जाती है उस समय मैंने यह कहा कि हम इंजीनियर तो नहीं लेकिन जन प्रतिनिधि होने के नाते इतना तो समझते हैं कि नहर कैसे दुरुस्त की जा सकती है, कैसे इसका क्या समाधान हो सकता है। जैसे आज हम कई जगह पानी नहीं पहुंचा पाते, वहां तक पानी कैसे पहुंचा सकते हैं। इसके लिए जब भी प्रोग्राम बनाया जाए रिपेयर का या मेंटिनेंस का या किसी भी नहर को आगे बढ़ाने का या उसकी सफाई करने का तो कम से कम जन प्रतिनिधियों के साथ काडा की मीटिंग में तय किया जाना चाहिए कि क्या-क्या काम जरूरी हैं।

अंत में मैं माननीय अटलजी के सम्मान में दो पंक्तियां कहकर मेरा स्थान ग्रहण करूंगा-

जन-जन के होठों पर आज बस एक गान है,
नेता अटल है और वह भारत की शान है,
यह सोच है सभी की, यह सब का बयान है,
आदर्श है वह शख्स तभी तो महान है।

जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री शिवजीराम मीणा। पांच मिनट में अपनी बात कहें।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27- पेयजल योजनाएं एवं मांग संख्या 46- सिंचाई पर मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कृषक के दुःख को समझा और उसको दूर करने का जो प्रयास किया, उसके लिए सभी लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। पिछले चार साल में जितनी सिंचाई योजनाएं बनीं, वे पिछली सरकार के मुकाबले में दुगनी से भी अधिक थीं। व्यय करीब 3621 करोड़ रुपए हुए जो दुगने से भी अधिक खर्च था। अतिरिक्त सिंचाई क्षमताओं का सृजन किया, टेल एण्ड तक पानी पहुंचाने का कार्य किया, उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगा, मेरे क्षेत्र में माननीय मंत्रीजी ने काश्तकारों को राहत देने के लिए 475.33 लाख की चार स्कीमें सैंक्शन कीं, जो प्रोग्रेस पर हैं, 31 मार्च तक उनके कार्य पूरे हो जाएंगे। लेकिन एक स्कीम पार्वती सागर लुहारी के लिए सलैक्टेड सॉइल नहीं मिलने से उसका कार्य पूरा नहीं हो रहा है और विभाग के अधिकारियों ने दूसरी जगह से मिट्टी लाने के प्रस्ताव भिजवाए थे, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि उस प्रस्ताव की स्वीकृति कराकर उसको भी पूरा करने का कष्ट करें।

माननीय सभापति महोदय, न केवल लघु सिंचाई योजनाओं बल्कि 42 एनीकट जिनकी लागत करीब 2.29 करोड़ है, वे भी स्वीकृत कर मेरे क्षेत्र में जल स्तर को ऊपर बढ़ाने का कार्य किया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जहाजपुर क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र है जहां एनीकटों की सबसे ज्यादा सम्भावना है, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे क्षेत्र में सांकड़ा एनीकट, कल्याण सागर एनीकट, दांतड़ा एनीकट, उस्तादियों का झोपड़ा एनीकट, डगारिया एनीकट और कंजर कालोनी एनीकट मनोहरपुर, जिनका अनाउन्स भी आपने किया, उनको स्वीकृत करने का कष्ट करें जिससे सिंचाई जल हम रोक सकेंगे और जिससे गांवों के वाटर टेबल को ऊंचा करने में मदद मिलेगी।

(श्री शिवजीराम मीणा)

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने झाड़ोल बांध है हमारे क्षेत्र में, उसकी नहरों पर करीब 92 लाख रुपए खर्च कर पानी को टेल तक पहुंचाने का कार्य किया है और किसानों को राहत प्रदान की है, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की एक समस्या है, माननीय मंत्रीजी हमारे क्षेत्र में पधारे थे उस समय बावड़ी तसवारिया, भीलड़ी और ठिठोड़ी के जो चार तालाब हैं उनको इन्टरलिंक करने का आपने अनाउन्स किया था, एक घोषणा की थी, उनको परस्पर मिलाने से जो सिंचाई जल बहकर चला जाता है वह रुकेगा और उनको भरने में सहयोग मिलेगा और वाटर टेबल ऊंची आएगा, काश्तकारों के हित में होगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इनको मिलाने की महत्ती योजना आपके पास विचाराधीन है, उसको स्वीकृत करने का कष्ट करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में एक भृतपुरा तालाब है जो स्टेट टाइम का बना हुआ तालाब है, उसमें पानी की आवक बहुत कम है, एक गौरमगढ़ क्षेत्र में एनीकट बन गया उसमें फीडर के माध्यम से पानी आता है तो उसकी भराव क्षमता बढ़ेगी, भराव क्षमता बढ़ने से उसका कमाण्ड एरिया उसमें पूरे में पानी मिलने की सम्भावना बढ़ेगी इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसको भी स्वीकृत करने का कष्ट करें।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार सरला सागर रासेड जिसको ऊंचा करने का आपने अनाउन्स किया है, ठिठोड़ा तालाब, खैरूणा तालाब, शिवसागर पारोली, झालरा बांध और बावड़ी बांध, इनको भी रेज करने की आपसे प्रार्थना है जिससे सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। ठिठोड़ा मावे का तालाब है जिसके सुदृढ़ीकरण करने का आपने अनाउन्स किया था, मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसको भी ऊंचा करने का कष्ट करें, उसको सुदृढ करने का कष्ट करें। जमनासागर, नवलसागर आसोप, इनको भी मजबूत करने का कष्ट करें।

इसी प्रकार मेरे क्षेत्र में धार्मिक आस्था की प्रतीक है नागड़ी नदी जो जहाजपुर शहर में होकर निकलती है, उसमें गंदगी हो गई है, पानी कम आ रहा है, उसके पुनरुद्धार के लिए आपने हमें विश्वास दिलाया था, मेरी आपसे प्रार्थना है कि नागड़ी नदी जो कि हमारे क्षेत्र की एक बहुत पवित्र नदी है,

(श्री शिवजीराम मीणा)

हम सभी की आस्था का प्रतीक है, उसका भी पुनरुद्धार करने का कष्ट करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जो तालाब आपने पंचायतों और पंचायत समितियों को ट्रांसफर कर दिये, आपने ट्रांसफर तो कर दिये लेकिन उनकी मरम्मत के लिए, उनकी देखरेख के लिए आपने पैसा नहीं दिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं तो कभी-कभी बोलता हूं, बड़ी शालीनता से आपकी बात सुनता हूं और कभी-कभार ही बोलता हूं।

श्री सभापति: आप मंत्री महोदय को लिख कर दे दें, आपको विशेष सुविधाएं देंगे वह।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आपने उन तालाबों को ट्रांसफर तो कर दिया लेकिन उनकी देखरेख के लिए, उनके रखरखाव के लिए न तो आपने स्टाफ की व्यवस्था की और न राशि की व्यवस्था की, जिससे उनकी दुर्दशा हो रही है, उनका कोई लाभ नहीं मिल रहा है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि उनमें स्टाफ की व्यवस्था की जाए, उनके रखरखाव के लिए पैसों की व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में पेयजल की जो स्कीमें हैं उनके लिए मुझे करीब 10 करोड़ 96 लाख से 28 स्कीमें सैंक्शन की हैं, 406 हैण्ड पम्प स्वीकृत किए हैं, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में 85 गांव, 7 मजरे, कुल 92 राजस्व गांवों की शाहपुरा नगरपालिका के जहाजपुर, पंडेर, शाहपुरा के नाम से वाटर सप्लाई प्रोजैक्ट की एक स्कीम आपके पास विचाराधीन है। 15.41 लाख रुपए सैंक्शन किए गये हैं उसकी प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए, उसकी कंसलटेंसी के लिए। आपके पास विचाराधीन है।

हमारे क्षेत्र में जो फ्लोराइड की समस्या है, लोगों को फ्लोराइड का पानी मिलता है अगर वह स्कीम सैंक्शन हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमको शुद्ध पेयजल मिल सकेगा, जो आपकी भावना है, आप सब को शुद्ध पेयजल और प्रैशर से पेयजल देते हैं, हम पर भी मेहरबानी करें।

(श्री शिवजीराम मीणा)

माननीय मंत्री महोदय, इसी प्रकार से मोडा बिसनिया आसोप मेरे क्षेत्र में एक बहुत पुरानी स्कीम है, 18 साल से चल रही है, लेकिन बिसनिया और दांतड़ा में उसका पानी नहीं पहुंचा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बिसनिया और दांतड़ा में उस रीजनल स्कीम को पाइप्ड स्कीमें सैंक्शन कराने का कष्ट करें।

इसी प्रकार से मेरे क्षेत्र में एक आमलदा गांव है, यहां की पापुलेशन दो हजार से अधिक है, वहां पर पाइप्ड स्कीम बनाकर पानी पहुंचाने की व्यवस्था करें। इसी प्रकार से मनोहरपुरा भगवानगढ़ में करीब 15 गांव हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य मांगीलालजी गरासिया।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पानी पहुंचाने का कष्ट करें। अंत में एक सुझाव देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में जहाजपुर पंचायत समिति में 37 ग्राम पंचायतें हैं।

श्री सभापति: अंकित नहीं करें। (व्यवधान) अंकित नहीं करें।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): ×××

श्री सभापति: बैठिए। माननीय मांगीलालजी गरासिया। आप सुझाव अलग से लिखकर दे दें। वह तो एक ही बात है। इनको आसानी से समझ में आ जाएगा।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): ×××

श्री सभापति: माननीय मांगीलालजी गरासिया।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय सभापति महोदय, आज जिस तरह से पेयजल और सिंचाई को लेकर चर्चा में भाग लेने का मौका मुझे मिला मैं कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं संक्षेप में मेरे एरिये की स्थिति के बारे में जानकारी दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, पेयजल योजना के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा को 8 पेयजल योजनाओं में से 7 योजनाओं की स्वीकृति जारी हुई, केवल एक योजना ही पूर्ण हो पायी, 6 योजनाएं अभी पूर्ण नहीं हो पायीं, मुझे इस बात का अफसोस है। एक योजना से थोड़ा-बहुत एरिया लाभान्वित हो पा रहा है लेकिन 6 योजनाओं से पूरे एरिया में पानी की जितनी किल्लत है उस किल्लत को देखते हुए वहां के वासी बहुत ही परेशान हैं और जनाक्रोश व्याप्त है।

(श्री मांगीलाल गरासिया)

माननीय सभापति महोदय, बड़े प्रयास के बाद 898 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये, लेकिन स्वीकृत करने के बाद उनमें से 450 हैण्ड पम्पों को खोदा नहीं गया और उस एरिया के लिए तकलीफ ज्यों की त्यों बनी हुई है। विगत टाइम पर कई तरह के प्रयास करने के बाद भी आज समस्या एरिया में है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, जावास पड़ावली कलां और पलासमा का जो एरिया है वहां पर मेरे कोटे से पैसा देने के बाद भी कुछ एरिया में अभी तक जल योजनाओं को पूर्ण नहीं किया गया। हमारे जलदाय मंत्री बड़े विचारवान और चिंतनशील हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, आप उनमें अतिशीघ्र काम करके 6 योजनाओं का काम पूर्ण कराएंगे। इसके साथ ही मैं अनुरोध करना चाहता हूं, दूरदराज के एरिया में जहां विद्यालय हैं, विद्यालयों में हैण्ड पम्प होते हैं, पर कहीं-कहीं विद्यालय दूरदराज के एरिया में हैं वहां पर गाड़ी जाना सम्भव नहीं है। जहां गाड़ी नहीं जा पा रही है वहां पर आज भी लोग पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वहां पर ओपन वैल भी कराया जाए तब उन लोगों का उद्धार हो सकता है, वर्ना नहीं हो सकता।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, राजधानी जयपुर में पानी की समस्या को लेकर 10-15 मौतें होने के बाद में इस एरिया की तुलना कोटड़ा से करें या गोगुन्दा से करें, तो वहां पर भी सैकड़ों मौतें दूषित पानी पीने से हो रही हैं और उस एरिया के लिए समस्या बनी हुई है। जहां पर सैकड़ों मौतें हो रही हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, दूषित पानी दिया जा रहा है। आज भी दूरदराज के इलाकों के वासियों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, उस एरिया के लिए पानी की समुचित व्यवस्था हो सके, ओपन हैण्ड पम्प लगाकर, सार्वजनिक कूप निर्माण करके वहां की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे जो 450 हैण्ड पम्प हैं उसमें केवल यह लिखा गया, रिंग मशीनों हेतु रास्ता नहीं होने से। परन्तु ऐसा नहीं है। वहां पर रास्ता है, परन्तु कई तरह की बड़ी गाड़ी नहीं जा पाती है। दूसरी छोटी गाड़ी आती है वही जा सकती है, यह तकलीफ भी है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि छोटी गाड़ी भिजवाकर उनका समाधान कराया जाए, तभी जाकर समाधान होना है। कुछ एरिया ऐसा है जहां पर बड़ी

(श्री मांगीलाल गरासिया)

गाड़ी भी जा सकती है, वहां पर नहीं भेजने से तकलीफ आ रही है।

माननीय सभापति महोदय, आज जनता जल योजना में पानी देने का मामला है उस एरिया में जनता जल योजना में उन लोगों को पानी नहीं पिलाने से पैसा पड़ा हुआ है। पैसा उन्होंने जमा करा दिया, लोगों के जमा कराने के बाद में भी तकलीफ है। इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उस एरिया के लिए भी उस योजना की जल्दी स्वीकृति जारी करवाएं।

दूसरा, सिंचाई विभाग में ...(व्यवधान) दो मिनट में मेरी बात को खतम कर रहा हूं, नाका डेम से मुख्य नहर जो खराब हो गई है, ठेकेदारों के सही काम नहीं करने से सीपेज हो रही है उससे फसल का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मादड़ा नहर है उससे भी पानी का रिसाव हो रहा है और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सूअर बावजी डैम से नहर का निर्माण करके मादड़ी तक पानी दिया जाए। दूसरा, कालीबोड डैम से जहां सिंचाई के लिए पानी सीवड़िया और पीपला को देने का मामला है एस्टीमेट बनाकर विभाग में भेजा गया है, कोई कमी नहीं होने के बाद भी स्वीकृतियां जारी नहीं हो रही है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि निश्चित तौर पर जो सीवड़िया नहर है, उसकी स्वीकृति प्रदान करने की आज घोषणा कर दें। जो पीपला का एरिया है वह बहुत बड़ा एरिया है, कई काश्तकार वहां सिंचाई से वंचित रह रहे हैं। वहां पर स्वीकृति जारी कर दी जाएगी तो बहुत बड़ा उस एरिया को लाभ होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हुआ आपने जो बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद, जय हिन्द। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्रो. सांवरलालजी जाट, जल संसाधन मत्री, वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट केवल। ...व्यवधान) एक मिनट केवल।

श्री सभापति: आसन से व्यवस्था हो चुकी है, कोई भी माननीय सदस्य खड़ा नहीं होगा। आसन से व्यवस्था हो गई। (व्यवधान)

श्री सभापति: आसन की व्यवस्था हो गई। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): इतना तो चाहिए, हमारी बात तो

आए।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गये न ऊबरे मोती मानस चून। (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): माननीय सभापति महोदय, महिलाओं को मटकी भरनी पड़ती थी पानी की, उनको कितनी अच्छी सुविधा हो गई, पांच मिनट महिलाओं को भी बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): मुख्य मंत्री ने 33 प्रतिशत आरक्षण दे दिया और 5 महिलाओं को यहां 33 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया। (व्यवधान) हम चाहेंगे, हम भी तो बोलें, हमारा भी तो हक है। (व्यवधान)

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्य बैठिए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल ससांधन मंत्री): मांग संख्या 27 और 46 के सम्बन्ध्ा में, माननीय सभापति महोदय, 230 और 172 कुल 402 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 48 घंटे के अंदर-अंदर आपके पास में कटौती प्रस्ताव का जवाब पहुंचेगा।

(समय : 20.21 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र के अंदर जो भी काम-काज पेयजल और सिंचाई के हो रहे हैं उनके सम्बन्ध्ा में बातचीत रखी और ओवरआल, मैं कह सकता हूं कि जो 4 साल में काम-काज हुआ उस पर संतोष प्रकट किया। इसके अलावा, कुछ नीतिगत मुद्दे भी कई माननीय सदस्यों ने रखे हैं, उनके सम्बन्ध्ा में मैं एक-एक का जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी अपने-अपने क्षेत्र की बात आपने रखी है, मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा सचिवालय से सारी आज की डिबेट को ले लूंगा और जो-जो भी समाधान आपके क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में हो सकता है, निश्चित रूप से करने का प्रयास करूंगा। यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। इस 4 साल के कार्यकाल में राजस्थान के लोगों की समस्याओं के सम्बन्ध्ा में सिंचाई, पेयजल, आईजीएनपी, भूजल, जीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारियों का सहयोग पूरा मिला, चार साल में राजस्थान सरकार के इस विभाग ने इतना काम किया तो इस सदन के माध्यम से हमारे विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को भी मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूं।

(श्री सांवर लाल)

सभापति महोदय, राजस्थान अपने देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। एरिया 10 परसेंट है, सरफेस वाटर जिसको सतही जल वर्षा का पानी कहते हैं 1.16 परसेंट है। धरती के अंदर का पानी 1.7 परसेंट है इसलिए बड़ा चुनौतीपूर्ण काम हमारे पास में है, और भू-जल का जो दोहन है वह सवा सौ परसेंट है। कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में चिंता भी प्रकट की कि, धरती के अंदर का जो पानी है वह ज्यादातर एक्सप्लायट हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि चार जिलों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर लगातार डिप्लीट हो रहा है, धरती के नीचे पानी जा रहा है। तो यह सब हमारे लिए चिंता का विषय है। चार जिले भी वे हैं, जहां पर लगातार नहरें चल रही हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर इसलिए वहां पर डिप्लीशन कम हो रहा है।

पानी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रकृति की देन है। पहले जब हम पढ़ा करते थे तो हमको पढ़ाया करते थे कि चेरापूंजी में इस देश की, दुनिया की सबसे ज्यादा बरसात होती है, मारवाड़ में, बाड़मेर में सबसे कम होती है। पर यह नेचर है, गई बार जब कवास में अधिकारी गये, रात को कहा, गांव खाली करिए, बाढ़ आ जाएगी। तो बोले, भाई, दिमाग ठीक नहीं है तुम्हारा, आप जाइए, 7 पीढ़ी में बाढ़ नहीं आई, कहां से बाढ़ आ जाएगी ? चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बरसात होती थी, वहां की हालत यह रही कि पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे थे। अब इसका कारण यह है कि भू-जल लगातार नीचे जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुराने जमाने में, आज के 20-30 वर्ष पहले हम जब पढ़ा करते थे, गांवों में रहते थे, पानी का जो एक्सप्लायटेशन होता था, पानी के लिए आदमी औरतें लाते थे, अगर खेती-बाड़ी करते थे तो पशुओं, बैलों की जोड़ी, ऊंट से पानी निकालते थे तो धरती में ज्यादा जाता था और कम पानी बाहर निकलता था। पनघट पर पानी लाने के लिए पनिहारिनें जातीं, गीत गाते हुए आती थीं। तो धीरे-धीरे निकलता पानी रीचार्ज हो जाता था। बरसात के दिन भी ज्यादा हुआ करते थे, आजकल रेनी-डेज भी कम हो गये। अब ये सब कारण हैं जिनकी वजह से आज ये हालात हैं। हालत यह है, उपाध्यक्ष महोदय, जितना पानी अगर कोई हाइड्रोलोजिस्ट बता देता है, उतनी ही हार्स पावर की मोटर उसको निकालने के लिए लग जाती है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अब तो मानते हैं न कि चौधरी ब्राह्मणों से

आगे निकल गये हैं बुद्धिमानी में ?

श्री सांवर लाल (जल ससांधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बार मांग आती है कि बिजली किसान को 24 घंटे दी जाए, सब जगह दी जाए। अगर 24 घंटे बिजली है तो धरती के नीचे का पानी निकलने में कितना टाइम लगेगा, कल्पना करिए आप। इसलिए मैं माननीय सभी सदस्यों से कहना चाहता हूं कि पानी की राजस्थान में वास्तव में स्केयरसिटी है। पानी का मैनेजमेंट कैसे हो, कैसे इसका उपयोग हो, इस बारे में सब को मिल कर मनन, चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। कई माननीय सदस्यों ने चिंता प्रकट की, इसके लिए मैं उन सब को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एक जो बात आई है वह यह कि बांध देश आजाद होने के पहले और पुराने जमाने में भी बांध बने, पर बहुत कम लेवल पर बनते थे, कहीं आस-पास के गांव में एक बांध बन गया, तालाब बन गया पर जब से देश आजाद हुआ है तो योजनाएं बनीं, पानी रोकने का प्रयास किया गया, बड़े-बड़े बांध बने, छोटे बड़े, मध्यम, मेजर प्रोजैक्ट, मल्टी परपज प्रोजैक्ट्स बने। अभी कई माननीय सदस्यों ने चिंता प्रकट की, दीगोद वालों ने और दूसरों ने, कि पानी जब टैप हो गया तो डाउन स्ट्रीम में पानी नहीं जाता है जिससे नीचे के जो बांध के नीचे का जो एरिया है। वह बराबर सूख रहा है। जब हम किताब पढ़ते थे, सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं बसती थीं, गंगा के किनारे बसती थीं। बनास नदी है, खारी नदी है, इनके किनारे भी जब हम जाते थे गुलाबपुरा, विजयनगर में, तो इतना पानी होता था कि कल्पना नहीं कर सकते। आज जब जगह-जगह पानी टैप हो गया तो निश्चित रूप से डाउन स्ट्रीम के लोगों की समस्याएं बढ़ी हैं। अब इसके सम्बन्ध में तो सभी माननीय सदस्यों को विचार कर, चिंतन करने की आवश्यकता है। हमने, राजस्थान सरकार की माननीय वसुंधराजी ने जलनीति के सम्बन्ध में, जल के बारे में कमेटी बनायी थी, उसके बाद में वह वैबसाइट पर पड़ी हुई है। हमने जिला परिषद्, पंचायत समितियों में वह भेजी है। कई माननीय सदस्यों ने विचार भी किया मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अप्रैल महीने के अंदर जन प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हम बुलाएंगे, उसमें आपके सुझाव आने के बाद में जल नीति के सम्बन्ध में कोई न कोई फैसला लेंगे जिससे वाटर मैनेजमेंट ढंग से हो और इस पानी का लम्बे समय तक उपयोग राजस्थान की जनता के लिए हम कर सकें। दुनिया में दो ही चीज तो ऐसी हैं जो कहीं फैक्ट्री में नहीं बनती हैं। अगर रिश्तेदार बीमार हो गया तो जाओगे हास्पिटल में, कहेगा, दो ब्लड यूनिट चाहिए हमको खून का।

(श्री सांवर लाल)

कहां से लाओगे ? किसी न किसी को ले जाओगे रिश्ते- नाते में या किसी ने ब्लड डोनेट किया होगा तो वहां पर्ची लेने के लिए कोशिश करोगे, तभी मिलेगा। इसी प्रकार पानी प्रकृति की देन है, प्रकृति अगर बरसात कर देगी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी के नेतृत्व में इन चार सालों में पानी रोकने के लिए हमने कोई कमी नहीं रखी। पानी रोकने के लिए या एनीकट बनाने की बात तो, आपके टाइम में सैंक्शन करके राज चला गया, एक काम नहीं किया, उन बांधों को पूरा करने का काम हो या नये सैंक्शन करने का काम हो, काफी कुछ किया है। इसके अलावा, जहां-जहां नहरें कच्ची, पक्की करने की आवश्यकता थी, मोगे ठीक करने की थी, जो पानी वर्षों से पाकिस्तान जा रहा था, हरिके के गेट से, उसको रोकने की बात थी, इन सब के बारे में हमने पैसा खर्च किया। उसके बाद में निश्चित रूप से प्रयास हुए और काफी हद तक हम सफल रहे कि टेल एंड तक किसानों को पानी मिला। (व्यवधान) माथा हिलाने की तो कोई बात ही नहीं थी, पैसा भी नहीं लगता। बाकी 2500 करोड़ की सपोर्टिंग प्राइस पर देश आजाद होने के बाद किसी सरकार ने सरसों खरीदी हो तो मुझे बता दीजिए। यह सरसों बिना पानी के तो पैदा नहीं हो सकती। ...(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): आपको यूं करें तो भी एतराज, यूं करें तो भी एतराज हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल ससांधन मंत्री): पानी के बिना कुछ नहीं हो सकता। (व्यवधान) जल ही जीवन है इसीलिए रहीमदासजी ने बहुत पुराने जमाने में जल का महत्व समझा- रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गये न ऊबरे मोती मानस चून। तो पानी है तो सब कुछ है। (व्यवधान)... जैसे ब्लड है, वैसे ही पानी बड़ा दुर्लभ है इसलिए इसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इसका उपयोग हम ढंग से करें। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट, इसको संशोधित कर लो आप। पानी रहे न नहीं, पानी बिने न ऊबरे।

श्री उपाध्यक्ष: मतलब समझ गये जी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मोती मानस चून। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आप भावना समझो, भावना क्या है? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल ससांधन मंत्री): आपका संतुलित होगा, पंडित जी, यह मैं मानूं, यह जरूरी नहीं है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): शब्दों को नहीं समझना है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल ससांधन मंत्री): आप अपना इंटरप्रिटेशन करिए और मेरे को समझने की कोशिश करो, मैं क्या कह रहा हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपको समझने के लिए तो एक जन्म और लेना पड़ेगा।

श्री सांवर लाल (जल ससांधन मंत्री): आपकी कमी यही है कि आप केवल अपनी बात को ही समझते हो, दूसरे जो कहते हैं उसको नहीं समझते हो।

श्री उपाध्यक्ष: वह समझ गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आज प्रोफेसर की प्रोफेसर से टक्कर है।

श्री सांवर लाल (जल ससांधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में जो स्थाई जल है वह 16.05 बीसीएम है। अन्तरराज्यीय समझौतों से जो हमको पानी मिलने वाला है, वह पानी हमारा रावी-ब्यास का है, चम्बल का है, माही का है, नर्मदा का है और यमुना का है। इस अवसर पर सदन को मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूं राजस्थान के बाड़मेर और जालौर जिले की जनता जो वर्षों से नर्मदा के पानी के इंतजार में बैठी थी, मैं आश्वस्त करता हूं कि राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी और गुजरात के मुख्य मंत्री इसी महीने में राजस्थान के चिल्लू हैड से राजस्थान की जनता के लिए पानी छोड़ेंगे और लाखों की संख्या में वहां की जनता आएगी। प्रतिपक्ष के माननीय नेताजी और माननीय सदस्यों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के लिए पानी सबसे दुर्लभ है और अपने को नर्मदा का पानी मिलना शुरू हो रहा है तो आप सब का स्वागत भी मैं वहां पर करना चाहता हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह भी एक साल डिले हुआ है। जो बात कह रहा हूं वह बिलकुल सही है। एक साल पहले यह पानी आना चाहिए था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : रुपये आपने जमा नहीं कराये, आप किस मुंह से बोल रहे हो, आपको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक साल पहले राजमंदिर में नरेन्द्रजी मोदी आये थे और उन्होंने घोषणा की थी, उस घोषणा के बाद एक साल डिले हो गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पानी का स्वागत आप करोगे या नहीं करोगे? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह नर्मदा की योजना बनाने वालों को धन्यवाद तो दो। किसने बनाई योजना? (व्यवधान) उसको धन्यवाद तो दो। इतना-सा तो कहो। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कल्ला साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि आप वरिष्ठ सदस्य हो, कोई भी बोला तो मैं बीच में नहीं बोला, अब कम से कम हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि थोड़ी बहुत तकलीफ होती है तो बर्दाश्त तो करो। पानी तो हमारे राज में ही आ रहा है, वसुंधरा के राज में ही आ रहा है, इसमें क्या कहना है? योजना आपने बनाई और योजना बनाकर छोड़ते जाओ और हम चालू कर दें तो उसमें भी एतराज है क्या? यह पानी तो 10 वर्ष पहले आ जाता अगर आप काबिल होते और काम करते तो। आज राजस्थान की जनता सफर कर रही है इसका कारण यह है कि गुजरात को नहर बनाने के लिए, सिस्टम डवलपमेंट के लिए अपने हिस्से की जो राशि है वह नहीं उपलब्ध करायी गयी। मैं राजस्थान की मुख्य मंत्री को इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि राज में आने के बाद साढ़े छह सौ करोड़ रुपये एकमुश्त पेमेंट किया, इसी की वजह से यह पानी आ रहा है। कुछ डिले हुआ, आपको पता है-बाढ़ आ गई, चुनाव आ गया। चुनाव में तो सब अपने-अपने हिसाब से थोड़ा बहुत तरीके से निकलना चाहते हैं, इसमें भी आपको तकलीफ है तो मैं क्या करूं। बाकी टाइम पर पानी आ रहा है। जीवारामजी और हम सब गये थे, गुजरात तक के लोग स्वागत कर रहे हैं कि राजस्थान में सीधा पानी जाएगा तो हमको बड़ी खुशी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बरसात के पानी को रोकने के सम्बन्ध में भी बात हुई कि अपने पास हिन्दुस्तान का केवल 1.16 प्रतिशत पानी है उसके बावजूद भी हम पूरा पानी टैप नहीं कर पाये, पानी दूसरे स्टेट में जाता है। तो बरसात का तो मैंने कहा कि प्रकृति का कौन कह सकता है। इसीलिए तो बहुत पुराने जमाने से कहा गया है कि खेती मौसम का जुआ है। मौसम का मतलब

(श्री सांवर लाल)

यह है कि बरसात हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो। ओले पड़ जाएं, हवा निकल जाए। अभी हुई या नहीं सारी? अब आप फटाफट खड़े हो जाओ कि मुआवजा दो।और आपने क्या किया, यह तो भूल गये। अपने इतिहास की भी तो आप कोई उपलब्धि खड़े होकर गिनाओ कि हमने यह दिया इसलिए आप यह दीजिये तब तो हमको भी लगे कि हम सुनें तो बहुत बढ़िया बात है। आज दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने यह चिंता प्रकट की है, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार बनने के बाद में जो 63 प्रतिशत पानी को हम रोक रहे थे, 9 प्रतिशत उसमें इजाफा हुआ है। इस साल भी हम बड़े-बड़े बांध सैंक्शन करें तो निश्चित रूप से ज्यादा से ज्यादा पानी टेप हो। हमारा, मुख्य मंत्रीजी का दृढ़ निश्चय है कि कम से कम 80 प्रतिशत इस कार्यकाल में और बचा हुआ अगले कार्यकाल में रोकें, यह हमारा लक्ष्य है।

राजस्थान की मुख्य मंत्री ने जल संसाधन क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए 14 घोषणाएं की हैं, बजट में हैं। इसमें से 10 घोषणाओं की क्रियान्विति हो चुकी है और 4 घोषणाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री ने स्थानीय आवश्यकताओं, जनता के सुझावों के आधार पर वो जहां भी गई हैं, लगभग 92 घोषणाएं की हैं, उनमें से 34 की क्रियान्विति हो गई है और शेष 58 की क्रियान्विति चुनाव से पहले करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वर्तमान सरकार ने चार वर्षों में इन्दिरा गांधी नहर में 3560 करोड़ व्यय किये हैं। आपके टाइम में 5 वर्षों में 2022 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। जब हम एमएलए थे तब इर्रिगेशन वाले दफ्तरों के अन्दर टेबिलों पर धूल जमी होती थी, वो कर्मचारी कहते थे कि क्या करें, पता नहीं यह कौनसी सरकार आ गई, एक भी काम नहीं हो रहा है। अगर हुआ हो तो बता दो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अब आप नाम से बोल रहे हैं तो हमारे वक्त में लिफ्टें बनीं और उस समय के दो हजार करोड़ आपके तीन हजार करोड़ से दुगने थे और उससे ज्यादा फिजिकल टार्गेट हमने प्राप्त किये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): यह कौनसी गणित है?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप जनता में जैसे भाषण दे रहे हो वैसे दे रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है कि कैसे लिफ्टें बनीं, कितना पैसा लगा। वर्तमान सरकार के 4 साल में 128 माइनर इर्रिगेशन प्रोजैक्ट हमने पूरे

(श्री सांवर लाल)

किये जो अपने आप में एक रिकार्ड है। आपके टाइम में पांच साल में केवल 84 हुए और हमारा आंकड़ा इस साल चुनाव के पहले 150 के पार हो जाएगा। तो बताइये आप। इसके अलावा चार मध्यम योजनाएं पांचना, बैंसली, चवली, छापी, ये भी पूरी की हैं हमने। वर्तमान सरकार ने 650 करोड़ से अधिक की 66 नई सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। हमारे दूदू से आने वाले माननीय सदस्य बड़ा एतराज करते हैं कि योजना हमने सैंक्शन की है और शिलान्यास कर दिया तो फिर चालू कराने का पत्थर क्यों लगाया? इसी तरीके की ये दो योजनाएं थीं सूकली-सैलवाड़ा, बांडी-सैंधणा, मीडियम प्रोजैक्ट की थीं, चुनाव आया और उसकी घोषणा होने से पहले-पहले पत्थर लगा कर आ गये तो क्या इलाज करें, यह आप बताइये? अब वो जनता नहीं मानती, वो कहती है कि इन्होंने तो केवल भाटा ही लगाया, अब आप आ गये, आप चालू करा रहे हो तो पत्थर लगाओ। जन-भावनाओं की कद्र करना अगर अपराध है तो आप बता दीजिये। पहली बार राजस्थान में सरकारें सन् 1952 से बनना शुरू हो गई, बजट के हैड में लेकर मेंटिनेंस हो इर्रिगेशन सिस्टम का, पहली बार वसुंधरा राजेजी ने चिंता की, इस बात का धन्यवाद तो हम सब मिलकर दे दें। 2005-06 में 42 करोड़, फिर थोड़ा कम हो गया साढ़े 12 और इस साल इसको 50 करोड़ का ले लिया। अच्छा काम हुआ न यह तो? अब इसमें यूरोपियन... (व्यवधान) नहीं, नहीं, करेंगे, साहब, थोड़ा बहुत सुन तो लो। काम कर रहे हैं, बेगार कर रहे हैं तो कुछ तो हमारी सुनो।

श्री उपाध्यक्ष: हैण्ड पम्प तो मामूली बात है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अब अपन आपस में थोड़ा-थोड़ा सुन लें तो ठीक है। जल संसाधन के क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी को प्रोत्साहन देना भी हमने शुरू किया। इसके लिए गाइड लाइंस जारी कीं। कई एन जी ओज आ रहे हैं, उनके माध्यम से कई अच्छे काम राजस्थान में हो रहे हैं। यूरोपियन कमीशन द्वारा 450 करोड़ रुपये का जो अनुदान है इस अनुदान का उपयोग पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करने के लिए, जल के प्रति चेतना बढ़ाने के लिए, माननीय सदस्यों की जानकारी में है कि राजस्थान में पानी की चिंता करते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जल अभियान और जल चेतना यात्रा हर पंचायत मुख्यालय पर निकाली और उसमें पानी के महत्व के बारे में, आप्टिमम यूटिलाइजेशन के बारे में, पानी रोकने के

(श्री सांवर लाल)

सम्बन्ध में जानकारी दी गई। मैं सदन में यह आप लोगों के बीच में घोषणा करना चाहता हूं कि इस वर्ष इस मार्च के महीने में एक-एक मेला पंचायत समिति स्तर पर और एक-एक जल मेला जिला स्तर पर होगा। जिसमें आप सब की भागीदारी रहेगी तो निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता में पानी के यूटिलाइजेशन के प्रति लगाव पैदा होगा और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा।

जापान अन्तरराष्ट्रीय बैंक के सहयोग से लगभग 518 लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं उनका भी सुदृढ़ीकरण किया जाएगा जिससे भी काश्तकारों को फायदा मिलेगा। राजस्थान कम्युनिटी बिजनेस एलायंस आन वाटर के तहत भी तालाबों से मिट्टी निकालने का काम हाथ में लिया जा रहा है।

फव्वारा और ड्रिप सिंचाई पद्धति-चूंकि पानी की स्केयरसिटी है तो ज्यादा से ज्यादा एरिया में इर्रिगेशन हो, ज्यादा किसानों को लाभ मिले, इसके लिए अगर फव्वारा और ड्रिप के प्रति लोगों में कुछ रूझान हम सब मिलकर पैदा करेंगे तो किसानों के प्रति बड़ा न्याय होगा। इस दिशा में नर्मदा का जो प्रोजैक्ट है उसमें 2,46,000 हैक्टेयर में पूरा का पूरा सिस्टम फव्वारा सिस्टम से होगा। माननीय सदस्यों से भी मैं निवेदन करूंगा कि जब यह पानी आ जाए और चालू हो जाए उसके बाद में अपनी-अपनी सुविधा के हिसाब से एक बार आप जाकर देखेंगे तो मैं यह कह सकता हूं कि दुनिया का यूनिक सिस्टम होगा और उसका फायदा किसानों को मिलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए जो भी अभी लिफ्टों की बात बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे, उन लिफ्टों में भी फव्वारा सिस्टम से इर्रिगेशन हो, यह पायलट योजना के रूप में इसको भी हमने शुरू किया है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ भी मिलेगा। इस वित्तीय वर्ष में जो शुरू होगा, उसमें कालीसिंध वृहत् सिंचाई परियोजना झालावाड़, परवन वृहत् सिंचाई परियोजना का कार्य भी हाथ में लिये जाने का हमारा निश्चय है। पांच नई लघु सिंचाई परियोजनाएं खोह, करौली, सिंहपुर, चित्तौड़, बागदरी, प्रतापगढ़, पिंड चित्तौड़, न्यू फतेहगढ़ माइनर हनुमानगढ़ प्रारम्भ की जाएंगी।

सेम समस्या के समाधान के लिए इस साल भी, जो हनुमानगढ़ के एरिया में है, पांच करोड़ रुपये का काम कराया जाएगा। इसके अलावा पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य ने विशेष दो-तीन गांव बताये हैं, भोपालपुरा,

(श्री सांवर लाल)

1 एलएम, 2 एलएम, इसमें 30-35 लाख रुपये जो भी लगेंगे, उसकी भी स्वीकृति हम करेंगे।

अभी अन्तरराज्यीय जल के बारे में तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, आपने यह कहा कि हमारे से संकल्प पारित कराया हुआ है। आपको यह भी जानकारी नहीं है कि संकल्प क्यों आया, क्या पृष्ठभूमि है? संकल्प इसलिए पारित नहीं कराया कि आपका 0.6 एम.एफ. पानी फटाफट मिल जाएगा। आपको पता है, जब आपकी पार्टी के मुख्य मंत्री पंजाब में थे, उन्होंने विधान सभा में एक टर्मिनेशन आफ एग्रीमेंट पास किया था, पूरे राजस्थान के नहरी क्षेत्र पर संकट छा गया था। तब राजस्थान की जनता के लिए पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी नेताओं ने मिलकर यह तय किया कि राजस्थान के हितों के खिलाफ अगर कार्यवाही की गई तो राजस्थान का पूरा सदन और राजस्थान की पूरी जनता नहरी क्षेत्र के किसानों के साथ में है। यह संकल्प वहां पर भेजा गया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस हुआ। मुख्य मंत्रीजी ने विशेष प्रयास किये। अब आप कह रहे हो कि मुख्य मंत्रीजी ने हमको नहीं कहा चलो, राजस्थान का एक-एक आदमी आपको कहेगा तब आप राजस्थान की जनता की सोचेंगे?

आप कह रहे हैं कि हरिके के ऊपर पानी ले सकते हैं, क्षमता है कि नहीं? वह तो 13,000 क्यूसेक्स के लगभग पानी आएगा, वहां तो 15,000 क्यूसेक्स से ज्यादा ले सकते हैं। इसी गलतफहमी में तो पहले माथुर साहब छोड़कर आ गये 1981 में, राजस्थान की जनता के साथ अन्याय किया। अभी भी आप इस गलतफहमी में मत रहिये। कई बार हमने चिट्ठी लिखी, मुख्य मंत्रीजी ने भी लिखी, बार-बार जाकर सम्पर्क किया, आज तक यह 0.6 एम.ए.एफ. पानी नहीं मिल रहा है। यह राजस्थान के नहरी क्षेत्रों के साथ अन्याय हो रहा है, उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। मैं गुढा से आने वाले माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने वास्तव में अपने मन की बात कही है कि जब हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री के सामने समझौता हुआ, चार स्टेट के मुख्य मंत्री थे, तो आप जाइये, हमारा सहयोग चाहिए तो हम भी चलेंगे। पर मनमोहन सिंहजी के पास चलिये और कहिये कि हमारा सिस्टम वर्षों पहले बन गया, हम पानी लेने की स्थिति में हैं, राजस्थान में पानी की कमी है। आज हजारों करोड़ रुपये 0.5 एम. एफ. पानी के लिए हमने नर्मदा को दिये हैं, तो यह पानी तो हमारा अधिकार है, 0.6 एम.ए.एफ.

(श्री सांवर लाल)

पानी रेस्टोर कराने की आपकी महती भूमिका होनी चाहिए, यह जिम्मेदारी आपकी है, आपके शासन के अन्दर छोड़ा है। आज दिल्ली में आपका राज है तो आप सभी भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने फर्ज को निभाइये। राजनीति में यह नहीं होना चाहिए कि नाराज हो जाएंगे तो टिकट मिलेगा। कि नहीं मिलेगा, यह छोड़ दीजिये। आज राजस्थान की जनता के साथ न्याय का सवाल है। जो छोड़ा है वह तो लीजिये। आप कह रहे हैं कि पंजाब पानी नहीं दे रहा है। आपका पानी तो हरिके से आ रहा है, पोंग डैम से, भाखड़ा से और बी.वी.एम.बी. जो है, वहां से पानी छोड़ते हैं। हैडवर्क्स पर नियंत्रण उनका है। हमने प्रयास किये, बराबर प्रयास किये, चिट्ठियां भी लिखीं, जाकर कहा कि इसके ऊपर बी.वी.एम.बी. का नियंत्रण होना चाहिए, पर यह फैसला कोई वसुन्धराजी की सरकार यहां पर थोड़े ही कर सकती है। हम लिख सकते हैं, लड़ सकते हैं। आप कह रहे हैं शेरे-राजस्थान, तो इस मामले में कमी नहीं है। आप क्या चाहते हैं? वहां जाकर जंग ही करनी है क्या पहले वाली, पुराने जमाने की तरह इसलिए मेरा निवेदन है कि आपको प्रयास करना चाहिए कि आज हैडवर्क्स पर नियंत्रण स्वतंत्र संस्था बी.वी.एम.बी. के पास होना चाहिए और राजस्थान का प्रतिनिधि बी.वी.एम.बी. में सदस्य मनोनीत होना चाहिए, यह जिम्मेदारी आपकी है। (व्यवधान)

अब बार-बार यमुना के पानी की बात आती है। कई बार दिल्ली के मंत्री भी कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा कि मैं क्या करूं, यह तो बताओ। पानी देने वाले आप हैं, आप दिल्ली में बैठे हैं केबिनेट में। हमारी मीटिंग भी हो गई, हमने अधिकार जता दिया, फिर बुलाया तो हमने कहा कि बिजली में हिस्सा लेंगे, हमारे हिस्से की कोस्ट हम जमा करा देंगे, हमारा पानी दीजिये, ताजेवाला से दीजिये, ओखला से दीजिये, 1.119 बी.सी.एम. पानी देओ, चूरू और झुंझुनूं जिले की पानी की समस्या का समाधान होगा। हरियाणा में सरकार आपकी, वह कहते हैं कि हम नहर का पानी नहीं ले जाने देंगे, एम.ओ.यू. पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं। अब राजनैतिक बात करना अलग बात है, पर कम से कम हम सबको यह प्रयास करना चाहिए कि हरियाणा भी एम.ओ.यू. करे। इस बात का दबाव बनाइये यमुना का पानी मिलेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान के इन हिस्सों को और भरतपुर का फायदा मिलेगा।

(श्री सांवर लाल)

अभी यमुना के पानी के बारे में बात उठाई थी दूदू से आने वाले माननीय सदस्य ने, वास्तव में मैं यह मानता हूं कि 1,281 क्यूसेक्स पानी ओखला से एग्रीमेंट होने के बाद मिलेगा, पर जो पुराना शेयर गुड़गांव कैनाल से मिल रहा है 800 क्यूसेक्स के लगभग, उसका हमें 30-25 प्रतिशत से ज्यादा पानी नहीं मिल रहा है। बराबर हम कोशिश में हैं। अब इन्टर स्टेट कोई भी चीज होती है तो उसमें थोड़ी प्रोब्लम आती है। उन्होंने मांग की है कि आपकी नहर को दुरस्त करने के लिए पैसा चाहिए, हमने दे दिया। बाद में हम सोच रहे हैं कि जोइंट टीम बनाएंगे। हमारे हिस्से का वहां से पानी जो मिल रहा है, वह पानी मिले, यह सुनिश्चित करने का प्रयास हम करेंगे।

माही के बारे में जो हाई लेवल कैनाल वगैरह हैं, इसका सर्वे करवा रहे हैं और इस काम को भी कराएंगे जिससे आदिवासी एरिया के जो भी भाई-बंधु हैं, इसका बचा हुआ काम हो, उस क्षेत्र के अन्दर भी पानी मिले। अब मैं शार्ट में ही बता दूं... (व्यवधान)

एक तो मोगे ठीक करवाये, आपके ध्यान में है। हरिके के गेट रिपेयर करवाये। मसीतांवाली हैड पर लीकेज हो गया, चूंकि मसीतांवाली तो मेन एंट्री पाइंट है इसलिए उसको भी हमने ठीक करवाया। कंवरसेन लिफ्ट नहर की पम्पिंग के बारे में माननीय सदस्यों को ज्यादा शिकायतें थीं। वास्तव में पुरानी मोटरें थीं, पूरे लोड से पानी नहीं उठाती थीं, इसलिए उनको भी हमने लगभग 23 में से 16 को चेंज करा दिया, बाकी को और कराएंगे।

इसी प्रकार से गोगड़िया माइनर की लिंक चैनल है, 90 लाख का कार्य करवाया जा रहा है।

पटवारी और जिलेदार उस समय से बिलकुल खतम कर दिये गये थे कि नहर में पानी ही नहीं है तो पटवारी क्या करेंगे? मैं वसुन्धराजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह वापस पटवारी जिलेदार सारे लगाये जिससे किसानों का काफी फायदा मिल रहा है।

बीसलपुर- हमारी सरकार बनने के बाद हमने फुल क्षमता से इसको लगातार भरा है। उस पानी से जहां 45,000 हैक्टेयर इंटेनसिटी के हिसाब से इर्रिगेट हो सकती है, हमने डेढ़ लाख से ज्यादा हैक्टेयर पानी देकर किसानों को लाभान्वित किया है। माननीय मुख्य सचेतक महोदय का भी इसमें सहयोग रहा है, इसलिए इस अवसर पर मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। 600-600 करोड़ रुपये की फसल लगातार हुई है... (व्यवधान)

(श्री सांवर लाल)

एक और बताऊं कि नेगड़िया में जो सिवाय चक में मकान बने हुए हैं, जब हमारी सरकार थी भैरोंसिंहजी की, तब तो उनको मुआवजा देने का प्रावधान था। जैसे ही सरकार बदली, उनके मुआवजे का प्रावधान खतम कर दिया और वे बेचारे दु:खी थे, तो उनको हमने लगभग चार करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है।

चम्बल नहरों की स्थिति के बारे में माननीय सदस्यों ने चिंता प्रकट की है और वास्तव में राइट मेन कैनाल और लैफ्ट मेन कैनाल, दोनों की हालत ज्यादा ठीक नहीं है और 1,000-1500 क्यूसेक्स पानी का लीकेज-सीपेज होता है। तो इसको भी हमने हाथ में लिया है। आर.एम.सी. में मध्य प्रदेश और अपन ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से उसको हाथ में लिया है, तो वह प्रक्रिया में है, पूरा होने से निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा।

इसी प्रकार से केवलादेव नेशनल पार्क में जल की आवक कम हो जाने के कारण विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों और पौधों का जीवन संकट से उबारने हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना हाथ में ली जा रही है। गोवर्द्धन ड्रेन से पानी लिफ्ट करके पाइपों के माध्यम से केवलादेव नेशनल पार्क तक पहुंचाने के कार्य हेतु विस्तृत योजना तैयार कर वन विभाग को प्रेषित कर दी गई है, कुल 56 करोड़ की है। अब यह कार्य वन विभाग को सम्पादित करवाना है। (व्यवधान)

नम्बर एक तो मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिनके क्षेत्र में पानी रोकने की सम्भावना है, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए मुख्य मंत्रीजी ने 70 करोड़ रुपये इस साल के लिए दिये हैं। जहां-जहां भी सम्भावना होगी और आपके इर्रिगेशन सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऐसे क्षेत्र में हम एनीकट की स्वीकृति देंगे। इसके अलावा पाली जिले के धारिया, अजमेर जिले के अम्बापुरा, झालावाड़ के बोरबंद और भैंरूघाटी लघु सिंचाई परियोजना तथा भरतपुर जिले की चिकसाना सिंचाई परियोजना के कार्य करवाये जाएंगे इस साल। झालावाड़ जिले में गैर सरकारी संस्था के सहयोग से तीन करोड़ रुपये की लागत से धार गंगा की सहायक नदी पर बांसखेड़ी, लोदान, आहू नदी पर धनबारस, उजाड़ नदी पर तीनधार के पास एनीकट बनाये जाएंगे। बारां जिले में पार्वती की कुन्नू व कराई नदियों पर व जयपुर जिले की चौमूं तहसील में नांगल बरड़ा में छह करोड़ की लागत से एनीकटों का निर्माण कराया जाएगा। आगामी वर्ष में एक लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई क्षमता

(श्री सांवर लाल)

अर्जित की जाएगी। तीस करोड़ की लागत से रिवैम्पिंग के कार्यों को करवाया जाएगा। बारां जिले की नहर प्रणाली के लिए पांच करोड़ रुपये के कार्य करवाये जायेंगे। अजमेर जिले में सुरा घाटा, लगभग एक करोड़ की लागत से उसको पूरा करवाया जाएगा। ढाई करोड़ की लागत सें सिरोही जिले के मानसरोवर आखेलाव बाँध और भरतपुर, बांसरोली की मरम्मत के कार्य करवाये जाएंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में पानी की चोरी रोकने के सुचारु रैगुलेशन हेतु 18 नई जीपें एक करोड़ की लागत की खरीदी जाएंगी। आधुनीकरण हेतु नहरी तंत्र के लिए, तीस करोड़ की लागत से स्काडा प्रणाली लागू की जा रही है। जीरो से 1458 आर डी तक 12 करोड़ रुपये की लागत से जो हैड रेगुलेटर हैं नहर के सभी, उनका आटोमाइजेशन किया जाएगा।

तो बंधुओं, इस राजस्थान में किसान है, किसान के लिए पानी ही सब कुछ है, पानी है तो खेतीबाड़ी होती है, पशुपालन होता है और उनका जीविकोपार्जन होता है। अब राजस्थान के अंदर पानी की जो स्थिति है, आज पता नहीं, वर्षों पहले से लिखा हुआ है कि काल पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, गुर्रा होगा। गुर्रा होगा तो कभी स्यारा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। इसका मारवाड़ी में एक हिसाब-किताब लिखा है- सात काल तेईस जमाना, सड़सठ कोरा कांचा, तीन काल ऐसा पड़े मां और पूत मिले न पाछा । संवत रा अंक इकट्ठा कीजे भाग सात रो उनमें दीजे, सात को भाग लगाओ तो उनमें दो बचे तो समझो श्मसान में जाओगे, तीन बचे तो घमासान, चार बजे तो पवन बाजे, पांच बचे तो अन्न घणेरो साजे, एक और छह बचे तो आधो काल, शून्य बचे तो महाकाल। यह एक मारवाड़ी की कहावत है। (व्यवधान) यह पानी के महत्व के संबंध में इनके और आपके लिए बराबर ही है। पानी होगा तो अपन सब रहेंगे, बाकी पानी के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। मोटरें चलेंगी उसमें भी पानी डलता है, नहीं डले तो गर्म हो जाती हैं।

दूसरा, पीने के पानी के संबंध में माननीय सदस्यों ने सब ने चिंता प्रकट की कि भूजल में नाइट्रेट है, खारा पानी है, फ्लोराइड का है, और यह वास्तव में हकीकत है। कई जगह मिलाकर उसका स्तर कम किया जाकर दिया जाता है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि रिलैक्सेशन किया जाए, किसी माननीय सदस्य ने उठाया था कि गांव के लिए उसको रिलैक्स किया गया, शहरों के लिए नहीं, तो यह वास्तव में ठीक है कि किसी पर्टीकुलर एरिया में

(श्री सांवर लाल)

नहीं है। अपने यहां पर विशेष रूप से रिलैक्सेशन करके भी नोर्म्स को बढ़ाया चाहे थोड़ा-बहुत नुकसान हो, इसको कहने में कोई आपत्ति नहीं है।

पीएचईडी के क्षेत्र में इन चार सालों में औसत खर्चा हुआ है, 1034 करोड़ रुपये, आपके पांच साल का खर्चा है 499 करोड़, जो तनख्वाह में जाता था लगभग। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में चार साल में 7256 नलकूप खोदे हमने, 1 लाख 4 हजार 371 हैण्ड पम्प बनाये, जब कि पांच साल के अंदर आपने सात हजार की तुलना में छह हजार बनाये। एक लाख चार हजार हैण्ड पम्प की तुलना में केवल 76 हजार का निर्माण किया। हमारी सरकार ने 6 लाख 98 हजार 956 हैण्ड पम्पों को ठीक किया मरम्मत में, आपके टाइम में 6 लाख 65 हजार ही थे। अनुसूचित जाति की बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था 4726 बस्तियों में करायी, जब कि पांच साल में यह आंकड़ा 3900 था। सम्पूर्ण स्वच्छता योजना के तहत भी हमने कई काम करवाये। बजट का औसत आपका स्टेट प्लान का 126 करोड़ रुपये रहा था और हमारा 206 करोड़ है। टीएसएस का आपका 3.14 करोड़ है औसत पांच साल का, हमारा है 7.79 करोड़। यह अरबन एरिया का है। रूरल सेक्टर में पांच साल का औसत आपका 142 करोड़ का खर्चा है, हमारा 242 करोड़ का है। टीएसएस में आपका 227 करोड़ है, हमारा 537 करोड़ है। राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्री द्वारा चार वर्षों में 104 घोषणाएं इस विभाग के सम्बन्ध्ा में की गयी हैं, मैं आपको सूचित करता हूं कि सरकार ने उनमें से 53 योजनाओं को पूर्ण कर लिया, 45 पर कार्य चल रहा है और शेष शीघ्र स्वीकृत कर दी जाएंगी और कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। पीएचईडी मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर ने चार वर्षों में 616 घोषणाएं कीं, इनमें से 582 को स्वीकृत कर दिया, शेष प्रक्रियाधीन हैं और इनको 15 अप्रैल तक स्वीकृत करके बाद में काम चालू करवा दिया जाएगा। मुझे यह बताते हुए भी हर्ष है कि इन चार सालों के अंदर माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर 60 हजार हैण्ड पम्प विशेष तौर से स्वीकृत किये गये जो अपने आप में सन 52 के बाद में भी रिकार्ड होगा। बजट में तीन घोषणाएं 2004-2005 में की गयीं, 05-06 में 9, 2006-07 में 5 और 2007-08 में चार घोषणाएं, इस प्रकार टोटल 21 घोषणाएं की गईं, इनमें में सात को पूरा कर दिया। यह प्रगति पर है, जैसे उदयपुर शहर और आस-पास के क्षेत्र के लिए देवास। मेरे ख्याल से मेवाड़ में जब मुख्य मंत्रीजी सुखाड़ियाजी थे उस समय से यह देवास की मांग बराबर आ रही थी और जनता यह कहती थी कि सारा

(श्री सांवर लाल)

पानी गुजरात में जा रहा है इसको रोकिये। मैं राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि एक साथ 379 करोड़ देवास के लिए स्वीकृत करके काम चालू करा दिया है, टनल के जरिये यह पानी झीलों में आएगा। झीलों की नगरी में आने वालों का तांता लगा रहेगा और वहां के लोगों को रोजगार मिलता रहेगा। इसके लिए गृह मंत्रीजी को भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने भी इसके लिए लगातार प्रयास किये।

एक माननीय सदस्य: बड़ी-बड़ी शादियां खूब होंगी वहां।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): बड़ी-बड़ी होंगी, आपको बुलाएंगे सब को अपने को। कोटा, चित्तौड़, झालावाड़ समस्याग्रस्त ग्रामीण एरिया है उसके लिए रामगंजमण्डी, पचपहाड़ योजना 150 करोड़ की है जो इसी साल पूरी की जायेगी और लगभग पानी मिलना शुरू हो जाएगा। धौलपुर की डांग, चूरू-बिसाऊ के कुछ गांव बचे हुए हैं...(व्यवधान) अब एक-दो बातें और माननीय सदस्य ने...

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय मंत्री महोदय, देवास से राजसमंद को भी जोड़ा जाए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपको तो छोड़ेंगे ही नहीं न, किसने कहा आपको छोड़ रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? आपका नाम जहां आ गया, राजसमंद अपने आप आ गया। आप राजसमंद के लिए ही तो कर रहे हो, बस तो।

माननीय सदस्य ने एक तो आपणी योजना और एक बूंगी-राजगढ़ के लिए वहां, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि जर्मन की टीम हमारे पास में आई है, उनकी भी कुछ कण्डीशंस जो ओरिजिनल एग्रीमेंट में थीं, उसके हिसाब से सरकार ने सहमति दे दी है। अब उसके ऊपर कार्यवाही चल रही है, भारत सरकार के पास हमने भेज दी है, मैं आपसे भी रिक्वैस्ट करूंगा कि आपका भी थोड़ा-बहुत प्रभाव वहां पर काम आएगा, आप भी जाओ तो ग्रामीण मंत्रालय मंत्रीजी से या किसी से सम्पर्क कर इस दिशा में मदद कराओ। बूंगी-राजगढ़ योजना उद्योगपति जो मित्तल साहब हैं उन्होंने कहा है कि हम सहयोग से शुरू करेंगे। उनका शेयर नहीं मिल रहा है इसलिए यह बराबर डिले हो रही है। इसमें भी आपका प्रयास अगर होगा तो निश्चित रूप से हम सब लाभान्वित होंगे।

(श्री सांवर लाल)

(समय : 21.00 बजे)

अब जो उपलब्धियां हैं- सबसे मोटी उपलब्धि तो माननीय सदस्यों ने जो चिंता प्रकट की है कि पानी में फ्लोराइड है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इस चार साल में लगभग 15 करोड़ रूपए की 62 योजनाएं सरफेस वाटर, ऊपर के पानी से एनीकट में, तालाब में, बांध में स्वीकृत की हैं। अब कई बार यह सवाल उठा कि आपने पैसे तो खर्च कर दिए पर योजना से गांव कम लाभान्वित हुए, तो मोटे-मोटे डल रहे हैं, इनमें पानी डलेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाएगा तब लाभान्वित होंगे। अब सीधे ही कभी लाभान्वित पैसे खर्च करते ही आप हो गये होंगे तो बता दो। दूसरा धरती के नीचे पानी है, अब आप ट्यूबवैल खुदवा लोगे, अभी किसी सदस्य ने चिंता भी प्रकट की है, अगर हैण्ड पम्प और ट्यूबवैल आपका हाइड्रोलोजिस्ट बताता है कि इस जगह पर खुदवाएं, उसमें अगर पानी नहीं निकलता है तो ठेकेदार की क्या गलती है, इसमें बताइए आप? उसके बावजूद भी आपके जमाने का फैसला था, हमको भी डर लगता है पीपीसी ने फैसला किया हुआ है कि जिसमें पानी नहीं निकलेगा, क्वालिटी खराब होगी, उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। अब आप सब लोग यहां पर अगर मुझे इजाजत दे दो तो मैं कल ही पीपीसी बुलाकर चेंज कर दूंगा। पर डर लगता है कि इसमें ...(व्यवधान) आपसे सारे में पूछ रहा हूं।

एक माननीय सदस्य चले गये शायद, उन्होंने एक सवाल उठाया था, मुख्य मंत्री के नाम से शिकायत आई थी, शिकायत आने के बाद में टैक्निकल कमेटी में उसको भेजा है, कोई भी अगर ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार होगा तो मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम राजस्थान की जनता के ट्रस्टी हैं इसलिए आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि किसी एनबैंड आदमी को ठेका नहीं देंगे, जो राजस्थान की जनता के लिए काम नहीं करेगा। दूसरा, जो रेट्स होंगी वे रीजनेबल होंगी तभी वह आर्डर दिया जाएगा। यह एग्जामिनेशन के अंदर है। इसलिए सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। शिकायतें तो हर चीज की होती हैं, करते हैं। शिकायत के अगर फैक्ट्स ये हैं कि अगर एक रुपए का काम है, किसी को दो रुपए में दे दिया, चार रुपए में दे दिया तब तो सरकार डिफाल्टर है। मैं आप सब को यह आश्वस्त करना चाहता हूं अभी यह शिकायत एग्जामिनेशन में ही है, निश्चित रूप से अगर उचित होगा, सही रेट

(श्री सांवर लाल)

पर होगा तभी दिया जाएगा। री-टेंडर करने में कितनी कास्ट बढ़ेगी? सोना, स्टील और सीमेंट ये तीनों ही चीज़ें ऐसे बढ़ रही हैं, कल क्या भाव था, आज क्या भाव हो रहा है। इन सारे पहलुओं पर भी विचार करने के बाद ही सरकार जनहित के अंदर फैसला लेगी, यह मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं।

अब यह सरकार आने के बाद में हमने एक तो जो हैण्ड पम्प और ट्यूबवैल में समानान्तर जो रेट कॉन्ट्रेक्ट होता था, एक नाम पर छूटता था फिर सब बांट लेते थे, हमने इसको खतम किया और निश्चित रूप से इसका लाभ मिला और वह लाभ यह मिला कि इसकी रेट 10 से लगाकर 25 प्रतिशत तक कम आई है। एक माननीय सदस्य का सुझाव है, बाबूसिंहजी का कि हैण्ड पम्प जो लगाया जाता है उसकी मेंटिनेंस का काम भी ठेकेदारों को दिया जाए। मिस्त्रियों की भी कमी है, अभियान हम शुरू करते हैं। तो निश्चित रूप से हमने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि इसका एग्जामिनेशन करिए। अगर यह संभव हो सकता है तो ठेकेदार ही हैण्ड पम्प खोदेगा, उसमें सामान लगाएगा, दो साल, चार साल, पांच साल तक ठीक करने की उसी की जिम्मेदारी होगी, हर माह उसकी रिपोर्टिंग होगी। इस प्रकार की व्यवस्था करने का भी हम प्रयास करेंगे।

अवैध जो जल सम्बन्ध थे जिन्होंने कनेक्शन तो ले रखे हैं, अवैध जल सम्बन्ध, आप ऐसी बातें कहां सुनते हैं? क्योंकि जो कनेक्शन एक बार कर लेता है उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको बंद करवाना फिर पानी लगातार जा रहा है तो सरकार ने एक फैसला लिया है इतना पैसा दो, 1500 रुपए, पांच सौ रुपए पैनल्टी का और 31.05.2008 तक अगर वह चाहे तो सारे पानी के कनेक्शन जो उन्होंने अपने स्तर पर ले रखे हैं, इनका नियमन कर दिया जाएगा। नियमन होने पर सरकार को भी फायदा मिलेगा और उन लोगों को भी फायदा मिलेगा।

वर्तमान में स्वीकृत की जा रही समस्त पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन एकल बिन्दु उत्तरदायित्व टर्न के आधार पर, संविदा पर करवाया जा रहा है, तीन से पांच वर्ष की अवधि हेतु संधारण व संचालन का प्रावधान किया जा रहा है। हम यह कोशिश कर रहे हैं, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, जो भी योजनाएं हैं उसके लिए हम प्रयास करेंगे आपणी योजना पद्धति

(श्री सांवर लाल)

स्तर पर। चूरू की जो आपणी योजना है निश्चित रूप से इस हिन्दुस्तान के अंदर एक उदाहरण है। गांव के बाहर मीटर लगता है, कमेटी बनी हुई है, सारा पैसा मीटर के हिसाब से अपने-अपने कनेक्शन के हिसाब से वसूल करते हैं और वो जमा कराते हैं। पानी का भी दुरुपयोग भी वे रोकते हैं। इस बारे में सभी सदस्यों का सहयोग मिलेगा तो जो भी बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को इस स्तर पर लाएंगे और निश्चित रूप से सब को फायदा मिलेगा।

अधिकारियों की शक्ति का भी विकेन्द्रीकरण किया है। अब आपने आपके राज में अधिकारियों पर विश्वास ही नहीं किया। एडिशनल चीफ को पांच सात लाख रुपए का अधिकार दो तो क्या कर लेगा? वह जनता का काम ही तो करेगा। हमारी यह जानकारी में आया कि इतने सारे अधिकारी, कोई अधिकार ही नहीं है, दफ्तर में केवल पैन लेकर दस्तखत करने के अलावा। कोई जनता का प्रतिनिधि जाता है, जनता जाती है कि कि हैण्ड पम्प कर दो, यह लाइन डाल दो, यह मोटर चेंज कर दो, तो कोई अधिकार नहीं थे। हमने उनके ऊपर विश्वास करके आठ-आठ लाख रुपए तक का काम एट-ए-टाइम सैंक्शन करने का उनको राइट दिया है। छोटी-छोटी योजनाओं में दो-दो, तीन-तीन साल तक टेंडर में कंडीशन होती थी, आपको पता है, माननीय दूदू से आने वाले सदस्य, हमने इनको 9 महीने कर दिया। छोटे काम में अधिकतम समय 9 महीने होगा। जवाई पाली जैसी 300 करोड़ की योजना को हमने कहा, 15 महीने में पूरा करिए। आपको आश्चर्य होगा, जब यह कानून हमने बना दिया, उसके बाद द्रुत गति से काम हो रहा है।

अब स्वजल धारा में तो कुछ प्राब्लम है वह पता ही है, भारत सरकार ने इसमें ....

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): यह भी कर दो जंवाई वाली जैतारण तक...

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): हां कर रहे हैं...

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): 15 महीने में हो जाएगी?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): क्या बात कर रहे हो? अब जादू से तो होगा नहीं, काम तो काम के तरीके से होगा उसमें जो टाइम लगना है, जितना मिनिमम हम कर सकते थे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने...

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ...(व्यवधान) परियोजना में प्राब्लम है उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, आप इतना थोड़ा-सा बता दो?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): बिलकुल सही है। यह भारत सरकार की योजना है, अब अगर दो तरीके की प्रदेश में योजना चलेंगी तो निश्चित रूप से उसकी सफलता संदिग्ध है। अंग्रेज़ों ने भी तो कानून बनाया था दो-दो तरह का कानून, उनके लिए अलग, हमारे लिए अलग तो जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? जो यह एक योजना तो सरकार से पानी पी रही है, तो पड़ोस के गांवों को बिजली भी आप दीजिए। यह स्वजल धारा योजना है यह सैक्टर रीफार्म से है, इसमें आप 10 प्रतिशत दीजिए। उसमें यह शर्त है कि एक बार योजना बन गई तो रिवीजन नहीं होगा, लाइन कम पड़ गई तो क्या? मैंने तो आने के बाद किसी बिजली के बिल भी करा दिये, पाइप लाइन भी डलवाई, पर इसका फायदा जो मिलना चाहिए, वह अपेक्षित नहीं मिल रहा है। एक बार योजना एग्जीक्यूट करने के लिए कमेटियां बना देते हैं, उसके बाद आप लोगों से यह समस्या आई कि पानी नहीं पहुंचता है। देखो, एक बात है कि स्रोत में पानी नहीं निकलना वह अलग चीज है, स्रोत सही जगह पर खोदा गया, इतनी गहराई तक खोदा गया तो वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो। इसमें भी जो कुछ होगा, कुछ ज़िलों में यह योजना है तो अभी इस विधान सभा के बाद में या इसके बीच में एक मीटिंग रखेंगे। अभी तो इन्होंने 50 प्रतिशत कर दिया तो अब नया काम तो मुश्किल है, पर पुराना है उसको कैसे ठीक करें, इसके बारे में एक बैठक रखेंगे।

अब गर्मी के अंदर पानी की खपत भी बढ़ जाती है, पानी नहीं मिले तो चक्कर भी आ जाते हैं। यूपी और हरियाणा में जाएंगे तो पानी में गुड़ मिलाकर पिलाते हैं जिससे ताजगी आ जाए। पानी का लेवल लगातार नीचे जाता है इसलिए सरकार को इस बात की चिंता है कि पानी की सर्विस का लेवल लोगों में बना रहे, पर्याप्त पानी मिले। इसलिए मैं आप सब के बीच में सदन में घोषणा करता हूं कि गर्मी की समस्या को मीट-आउट करने के लिए तत्काल 134 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाते हैं। इसके अलावा रैगुलर काम होंगे, वे काम होंगे, 134 करोड़ रुपए गर्मी से राहत के लिए किए जाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जन-प्रतिनिधि भी गर्मी में अपने क्षेत्र में जाएंगे तो इनसे भी लोग अपेक्षा करते हैं, हमारी छोटी-मोटी समस्या है तो उसका समाधान हो। पीने के पानी का संकट है, पुराने जमाने में तो आपको

(श्री सांवर लाल)

पता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेठ-साहूकार प्याऊ लगाते थे, आदमी बैठाते थे, कोरी मटकियां रखते थे ताकि लोगों को ठण्डा पानी मिले, कपड़ों से ढकते थे। अब आजकल तो सरकार सारी व्यवस्था कर रही है। इसलिए सभी सदस्यों को 30-30 हैण्ड पम्प अप्रैल से जून तक...

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): 50-50 करिए।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): चलिए, एक बार और कर देंगे। आपका तो जो कागज आएगा उस पर दस्तखत ही तो करने हैं हमको। और ये राजस्थान में सब के लिए है 30-30 । जहां पर हैण्ड पम्प सक्सैस नहीं हैं, कई एरिया ऐसे भी हो सकते हैं, तो वहां पर 30-30 हैण्ड पम्प की कास्ट का जो भी काम वो करवाना चाहेंगे, वह करवाएं, देंगे। जिन माननीय सदस्यों को ज्यादा की जरूरत है, वो प्रस्ताव लाएंगे तो उनके ऊपर विचार करेंगे। मैं मना नहीं कर रहा हूं । मारवाड़ी में कहते हैं न कि 'बिना मांगें तो मां ही बोबो नहीं चुखावे। नाणी करते रहे, काम करती रहे' अब आओ ही नहीं और मांग पर रहो कि हमको दे तो ऐसा थोड़े ही होगा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय मंत्री महोदय, आपने दो साल पहले एक काम का बजट स्वीकृत किया था, मेन कैनाल जो है इंदिरा गांधी नहर की उसके 495 आरडी पर जो हादसा हुआ था उसके बाद में चक 1 जीएसएम के खाला निर्माण के लिए पच्चीस लाख रुपये स्वीकृत हुए थे, वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, बीच में ही रुका हुआ है, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): कौन-सा वाला, वो जो?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): हां, मेन कैनाल वाला, चक 1 जीएसएम के लिए जो साढ़े पच्चीस लाख आपने स्वीकृत किये थे ।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): आप कल मेरे से सम्पर्क करना, अपन निकाल लेंगे इसका सोल्यूशन।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): जी, ठीक है, धन्यवाद।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): आज तो केवल इंदिरा गांधी नहर, सीएडी को लिया नहीं न। मैं कुछ घोषणाएं जन हित में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करना चाहता हूं, वृहत् पेयजल परियाजनाएं ...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसा शब्द माननीय मंत्रीजी आवेश में आकर कह गये जो असंसदीय है, उसको तो निकलवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, इसमें तो असंसदीय नहीं है।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): ऐसा तो कोई असंसदीय बोला ही नहीं हूं मैं, जुबेर खानजी।

श्री उपाध्यक्ष: ये तो सदियों से है।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): मुझे एक-एक शब्द का पता है कौन-सा संसदीय है कौन-सा असंसदीय है। ऐसा मैं बोलूंगा क्या? वो आपको कुछ लग गया होगा, बाकी है संसदीय शब्द।

श्री उपाध्यक्ष: ये सदियों से चला आ रहा है।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): 2008-09 में शुरू किये जाने वाले प्रस्तावित कार्य बाड़मेर लिफ्ट पेयजल योजना, पोकरण, फलसुंड, बालोतरा, सिवाना जल योजना, माणकलाव धोती वाला पेयजल योजना, उम्मेदसागर धावा समदड़ी... करोड़ों की है योजना, थोड़ी बहुत ढंग से बजाओ न, आज मुख्य मंत्रीजी के द्वारा इतनी व्यवस्था, राजस्थान का चाहे मारवाड़ हो, चाहे मेवाड़ हो, चाहे हमारे पूर्वी राजस्थान हो, चाहे उधर का नोर्थ राजस्थान हो कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं है, जितनी जहां पर आवश्यकता है योजनाएं स्वीकृत कर रहे हैं। इसलिए आपका फर्ज बनता है, मौका है। बार-बार तो यहां पर मैं भाषण दूंगा नहीं, इसलिए मुख्य मंत्रीजी तक ये आवाज तो पहुंचनी चाहिए न कि आप काम कर रहे हो। एक फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना, अजमेर पीसांगन फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना, ब्यावर, जवाजा, टौंक, उणियारा, देवली पेयजल योजना, नर्मदा आधारित पेयजल योजना, खुदालिया, जियाबेरी पेयजल योजना, देवनिया, शेरगढ़, चाबा पेयजल योजना, धुलंडी पेयजल योजना, कालीखार पेयजल योजना, रेण पेयजल योजना, कोलायत पेयजल योजना, कलस्टर सिस्टम, टोंक मालपुरा पेयजल बीसलपुर, दूदू, सवाईमाधोपुर कलस्टर, कलस्टर वितरण प्रणाली नागौर लिफ्ट पेजयल परियोजना फेज-I भरतपुर जिले के चंबल, धौलपुर, भरतपुर परियोजना के लिए क्लस्टर योजना ...(व्यवधान) आपकी जो दूसरी योजनाएं वो छोटी-छोटी योजनाएं हैं, और मैं ये सारी स्वीकृत कर दूंगा। अब जो भी माननीय सदस्यों

(श्री सांवर लाल)

की समस्याएं हैं, क्षेत्र की हैं, मेरे को कागज दिया है, यहां पर बोले हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उन समस्याओं का समाधान, पूरा रिकार्ड मैं ले लूंगा, यह कागज मेरे पास है, उसके बाद सैंक्शन कर दूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके क्षेत्र की भी कुछ योजनाएं हैं उनको भी हम पीपीसी की मीटिंग जब भी होगी, करेंगे। माननीय सदस्यों को मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस चार साल में पानी के उपयोग के सम्बन्ध में, पानी रोकने के संबंध में, नये अभिनव प्रयोग करने के सम्बन्ध में जो-जो किया जा सकता था उन सबको करने में राजस्थान की सरकार ने प्राथमिकता दी है। पैसा कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं रखा है। हमारा प्रयास है कि इस बार एनयूटी मैथड के ऊपर भी कुछ योजनाएं लें, वार्षिक आधार पर, जिसमें हर साल सरकार के द्वारा कुछ पैसा उनको पेमेंट कर दिया जाए और उसके बाद वो योजना ठेकेदार स्वयं चलाए। इस दिशा में हमारा प्रयास है। इस प्रकार बिजली की जो मोटरें हैं उनमें ज्यादा खर्चा आता है, इसके लिए भी कोई प्राइवेट ऐसी योजना आ रही है जिसमें अगर दस प्रतिशत से ज्यादा बचत होगी उस आधार पर ही उसको पेमेंट किया जाएगा। इसका भी हम एग्जामिनेशन करवा रहे हैं कैसे कम खर्चा हो। इस बारे में भी हम बराबर प्रयासरत हैं। निश्चित रूप से इस पर विचार करंगे। हैण्डपम्प के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत माननीय सदस्यों ने की है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान में रैंडम सैम्पल के आधार पर हर जिले के अन्दर दो-दो, चार-चार जगहों पर चैक करवाऊंगा सडन टीम के द्वारा और अगर कहीं पर पाइप कम मिला, हैण्डपम्प कम गहरा मिला तो निश्चित रूप से कड़ी कार्यवाही उन अधिकारियों के विरुद्ध की जाएगी। किसी भी प्रकार का घटिया काम होगा-पानी का लेवल, पानी का स्तर मेंटेन नहीं करेंगे, जिस लेवल पर पानी जाना चाहिए, मंजिल पर, वहां तक नहीं पहुंचेगा तो भी हम जिम्मेदारी तय करेंगे। बाकी अभी जांच के बारे में भी आपने कहा, रैगुलर सिस्टम हमारा नियमित जांच करता है और कहीं पर भी दूषित पानी है जिससे कोई बीमारी होती है तो उस पानी की जानकारी हमको हो जाती है। इसलिए अब हमारा सैम्पल आप आथेंटिक मानिये, माननीय तारानगर से आने वाले सदस्य, जो सरकार करेगी क्योंकि सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति है और सरकार ही जनता के बीच

(श्री सांवर लाल)

वापस जाएगी इसलिए मैं सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते सदन में गलत नहीं बोल सकता हूं, मैं जो बोल रहा हूं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। बीमारी के कई कारण हो सकते हैं पर पानी का जांचने का जो हमारा सिस्टम है निश्चित रूप से ठीक है। हमारे जो नमूने हैं, लगातार लिये जा रहे हैं, जब भी आप चाहेंगे मैं यह सूचना आपको उपलब्ध करवा सकता हूं। और भी कोई ग्रीवेंसेज होगी, अगर कहीं पर पानी खराब आ रहा है, सुबह पानी खराब आया और शाम को हमको बताएंगे, फिर कहेंगे कि ये आया नहीं आफिसर, तो यह नहीं चलेगा। हमारे चीफ इंजीनियर से बात करें, अगर काई नहीं जाता तो हम इलाज करेंगे पर पानी चलता हुआ हमारी टूंटी में से सैम्पल भराएंगे तब हम मानेंगे कि हमारे नल के पानी की जांच हुई है। ये अगर पानी डिफैक्टिव है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस अधिकारी को उच्च अधिकारी भी हो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, निश्चित रूप से कड़ी कार्यवाही करूंगा, पर यह होनी चाहिए आथेंटिक बात। बाकी शहरों में पाइप लाइन जर्जर है उनको चेंज करना, सर्विस लाइन जो उपभोक्ताओं को करनी है, उसको चेंज करने की शुरूआत भी सरकार ने कर दी। केवल जयपुर में ही नहीं पूरे राजस्थान के शहरों में ये आग्मेंटेशन की स्कीम हमने चालू कर दी है और चेंज करा रहे हैं। बीस-बीस, तीस-तीस, चालीस-चालीस साल पहले के पाइप लगे हुए हैं, पापुलेशन प्रैशर भी बन गया है, कुछ पाइपों में भी हो सकता है डिफैक्ट आ गया हो। इसलिए जहां-जहां आवश्यकता होगी, राजस्थान के सभी शहरों में गांवों में उसी हिसाब से हम इस व्यवस्था को पाइप वाली को चेंज करेंगे।

बंधुओं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, 'वसुन्धरा जी रो सुशासन है, अबै गरीब भी समझे है कि आपणो ही शासन है। नर्मदा रो पानी भी मरू भूमि रे विकास रो साधन है', यह राजस्थान की जनता को अब एहसास हुआ है। माननीय सभी सदस्यों ने इस वाद-विवाद में कंस्ट्रक्टिव एप्रोच रखते हुए जो अपने-अपने विचार रखे हैं मैं सबको बहुत ...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप तो बेरोजगार हो जाएंगे अगर इन्होंने ये काम ले लिया तो।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): एक गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य चले गये, वो कह रहे थे कि हैण्डपम्प मेरे नहीं खोदे। तो पांच

(श्री सांवर लाल)

साल में तो उनके हुए 452 और इस चार साल में हुए 461 । पूरे सवाईमाधोपुर में थे 2000 और अब हो रहे हैं 4300, मतलब हर जगह काम हमने किया है, विधायकों की अनुशंसा पर भी किया है। जो भी माननीय सदस्यों के प्रस्ताव हैं उनके ऊपर हम विचार करेंगे।

इंदिरा गांधी नहर में पानी के संबंध में भी बात आयी, मैं यह कहना चाहता हूं कि जितना पानी इन चार साल में राजस्थान के नहरी क्षेत्रों से चाहे माही का एरिया हो, चाहे चंबल का हो, चाहे आपके बीसलपुर का हो, पानी छोर तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। खाजूवाला से, कोटा से कई चिट्ठियां आती हैं कि नहर बनने के बाद पहली बार ही हमको खाने का दाना पैदा हो रहा है। अब ऐसा गरीब आदमी भावावेश में लिखता है तो मैं समझता हूं कि वो गलत चिट्ठी तो हमको नहीं लिखेगा। एक पोस्टकार्ड लिखने में भी उसको जोर आता है। कुछ कमियां हो सकती हैं पर यह तो आपको मानना पड़ेगा इस चार साल में बेहतर व्यवस्था हुई है। निश्चित रूप से परचेजिंग पावर काश्तकार की बढ़ी है। नर्मदा वाले जैसा कह रहे हैं कि स्कोर्पियो और दूसरी गाड़ियां, नाम मैं तो जाणूं कोनै पर वो सब वो लाएंगे। अगर पानी आएगा तो सबको फायदा होगा। इन चार सालों में जो किसानों के लिए किया है, उसमें सुधार के जो आपने सुझाव दिये हैं उन सुधारों को भी हम इस बार इस साल में लेंगे और निश्चित रूप से सर्विस कैसे बेहतर की जा सकती है इस बारे में प्रयास करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मांग को पारित करवाया जाए।

मांग संख्या 27 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 38,41,71,57,000/- (अड़तीस अरब इकतालीस करोड़ इकहत्तर लाख सत्तावन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 46 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46-सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,26,97,25,000/- (इक्कीस अरब छब्बीस करोड़ सतानवे लाख पच्चीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 14 मार्च, 2008 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.21 बजे, शुक्रवार, दिनांक 14 मार्च, 2008 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र (जयपुर) में सैटेलाइट चिकित्सालय की स्थापना

241. प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या आगामी वित्तीय वर्ष में जयपुर नगरीय क्षेत्र में सैटेलाइट चिकित्सालय खोले जाने की योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो कहां-कहां?

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के वार्ड संख्या-8 झोटवाड़ा क्षेत्र में सैटेलाइट चिकित्सालय खोले जाने की सरकार की योजना है? यदि नहीं, तो क्या उक्त क्षेत्र के वार्ड संख्या 7, 8, 9, 10 के लगभग 4 लाख की जनसंख्या वाला उपनगर चिकित्सा सुविधा से वंचित रहेगा?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में सैटेलाइट चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) आगामी वित्तीय वर्षों में 50 शैय्याओं युक्त चिकित्सालय खोले जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर पुरानी बस्ती जयपुर में 50 शैय्याओं युक्त चिकित्सालय खोला जाना विचाराधीन है।

(2) माननीय मुख्य मंत्री महोदया के द्वारा विधान सभा में दिनांक 29.02.2008 को राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी झोटवाडा को 30 शैय्याओं युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है।

(3) माननीया मुख्य मंत्री महोदया के द्वारा विधान सभा में दिनांक 29.02.2008 को राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी झोटवाड़ा को 30 शैय्याओं युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है।

बरेठा (धौलपुर) में पेयजल आपूर्ति हेतु कार्य-योजना

242. श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बरेठा पंचायत समिति, धौलपुर में जल आपूर्ति हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से?

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में खारे पानी की भयंकर समस्या है? यदि हां, तो सरकार उक्त समस्या के निदान हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम में मानक अनुरूप 14 क्रियाशील हैण्ड पम्पों से वर्तमान में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(2) जी नहीं। ग्राम पंचायत, बरैठा के हैण्ड पम्प योजना से लाभान्वित 6 गांवों में विभागीय मानदण्ड अनुरूप मानक गुणवत्ता पेयजल के हैण्ड पम्प वर्तमान में क्रियाशील है।

प्रश्न संख्या-243

(स्थगित)

खेडली मोड़-पथैना (कठूमर) के टोल नाके की समाप्ति

244. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि खेडली मोड़ (पथैना) तहसील महुवा में टोल टैक्स का नाका संचालित है? यदि हां, तो कब से तथा उक्त नाका किस-किस ठेकेदार द्वारा कब-कब से संचालित किया जा रहा है?

(2) उक्त टोल टैक्स से गत पांच वर्षों में कितनी-कितनी राशि किस-किस दर से वसूल की गई?

(3) क्या यह सही है कि खेडली मोड़ (पथैना) में पुल निर्माण किया गया है? यदि हां, तो कब तथा उक्त पुल निर्माण में कितनी राशि व्यय की गई?

(4) क्या उक्त पुल निर्माण में व्यय राशि की वसूली टोल टैक्स के माध्यम से की जा चुकी है? यदि हां, तो अब उक्त टोल टैक्स नाके को कब तक बन्द कर दिया जावेगा?

(5) अब तक उक्त नाके को बन्द नहीं करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त ठेका दिनांक 01.01.1988 से संचालित किया जा

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

रहा है। उक्त ठेके को संचालित किये जाने वाले ठेकेदारों का विवरण प्रपत्र ''अ'' पर संलग्न है।

(2) गत पांच वर्षों से की गई टोल वसूली राशि का विवरण प्रपत्र ''ब'' पर संलग्न है तथा वसूली दर का विवरण प्रपत्र ''स'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि खेडली मोड़ (पथैना) में पुल निर्माण किया गया है। उक्त पुल का निर्माण वर्ष 1987-88 में हुआ है एवं उक्त पुल के निर्माण पर राशि 82.64 लाख रु. व्यय हुई है।

(4) जी नहीं।

(5) उक्त पुल निर्माण में व्यय हुई राशि की वसूली पूर्ण नहीं होने के कारण टोल नाके को बन्द नहीं किया जा सका है। पुल की लागत मय ब्याज व अन्य खर्चों सहित 396.11 लाख रुपये है। जिसमें से दिनांक 31.01.2008 तक 361.72 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है तथा शेष वसूली दिनांक 31.01.2008 को 34.39 लाख रुपये है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-245

(स्थगित)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में चिकित्सा कर्मियों के रिक्त पद

246. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) लक्ष्मणगढ़ (सीकर) स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों व पैरा मेडिकल स्टाफ के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं इनमें से कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्ष्मणगढ़ में एनेस्थेसिया डाक्टर व गायनिक डाक्टर उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो कब से व क्यों?

(3) क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्ष्मणगढ़ में रिक्त सभी चिकित्सकों व पैरा मेडिकल स्टाफ के पदों को भरने एवं पदों में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र लक्ष्मणगढ़ में 5 चिकित्सकों एवं 3 पैरा मेडिकल स्टाफ के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के पद रिक्त नहीं है।

(2) जी हां। स्टाफिंग पेटर्न के अनुसार 30 शैय्याओं वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में निश्चेतन एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञों के पद स्वीकृत करवाये जाने का प्रावधान नहीं है।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मणगढ़ में चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के वर्तमान में पद रिक्त नहीं है।

जी नहीं। स्टाफिंग पेटर्न के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मणगढ़ में चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के पद स्वीकृत है।

सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के अपूर्ण एनीकट

247. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाडा में दिनांक 01 जनवरी, 2004 से अब तक कौन-कौन से गांवों में एनीकट बनाये गये इनमें से कितने पूर्ण हो चुके हैं एवं कितने अपूर्ण हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अपूर्ण एनिकटों को पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में 01 जनवरी, 2004 से जल संसाधन विभाग द्वारा 41 एनीकट विभिन्न गांवों में निर्मित किये गये हैं, जिसमें 38 एनीकट पूर्ण हैं एवं 3 एनीकट अपूर्ण हैं जिनकी सूची प्रपत्र–'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। 30 जून, 2008 से पूर्व पूर्ण कराये जायेंगे।

प्रपत्र 'अ'

सहाड़ा में 01 जनवरी, 2004 से जल संसाधन विभाग द्वारा निर्माण कराये गये एनीकटों का विवरण

क्र.सं.	एनीकटों का नाम	तहसील	गांव का नाम	कार्य की स्थिति
1.	अदकाली एनीकट	सहाड़ा	गणेशपुरा	कार्य पूर्ण
2.	डियास एनीकट	सहाड़ा	डियास	कार्य पूर्ण
3.	सहाडा एनीकट	सहाड़ा	सहाडा	कार्य पूर्ण
4.	झामरा एनीकट नादसा	सहाड़ा	नादसा	कार्य पूर्ण
5.	लखमनियास एनीकट	सहाड़ा	लखनियास	कार्य पूर्ण
6.	अडसीपुरा एनीकट	सहाड़ा	अडसीपुरा	कार्य पूर्ण
7.	खाखला एनीकट	सहाड़ा	खाखला	कार्य पूर्ण
8.	सरगांव एनीकट	सहाड़ा	सरगांव	कार्य पूर्ण
9.	माझावास एनीकट	सहाड़ा	माझावास	कार्य की
10.	सोनियाणा छोटा टेक कम एनीकट	सहाड़ा	सोनियाणा	कार्य पूर्ण
11.	शमशान घाट एनीकट	सहाड़ा	सुरावास	कार्य पूर्ण
12.	उचकिया एनीकट	सहाड़ा	उचकिया	कार्य पूर्ण
13.	फुटिया एनीकट कम तालाब	सहाड़ा	माकडिया	कार्य पूर्ण
14.	भैरूनाथ का एनीकट (फुकिया)	सहाड़ा	फुकिया	कार्य पूर्ण

क्र.सं.	एनीकटों का नाम	तहसील	गांव का नाम	कार्य की स्थिति
15.	पालरा एनीकट	सहाड़ा	पालरा	कार्य पूर्ण
16.	झरना एनीकट	सहाड़ा	झरना	कार्य पूर्ण
17.	चतरसिंह जी का खेडा एनीकट	सहाड़ा	चतरसिंह जी का खेडा	कार्य पूर्ण
18.	आमली एनीकट	सहाड़ा	आमली	कार्य की
19.	काला ढुंडा एनीकट	सहाड़ा	काला ढूंढ	कार्य पूर्ण
20.	आलोली एनीकट	सहाड़ा	अलोली	कार्य पूर्ण
21.	कुमारिया खेडी एनीकट	सहाड़ा	कुमारिया खेडा	कार्य पूर्ण
22.	धुलखेडा एनीकट	रायपुर	धूलखेडा	कार्य पूर्ण
23.	सुरास एनीकट	रायपुर	सुरास	कार्य पूर्ण
24.	आबरीमाता एनीकट	रायपुर	झाडोल	कार्य पूर्ण
25.	चारोट एनीकट	रायपुर	खेमाणा	कार्य पूर्ण
26.	नाहरी एनीकट	रायपुर	नाहरी	कार्य पूर्ण
27.	ढिकाणी एनीकट	रायपुर	ढिकाणी	कार्य की
28.	लडकी एनीकट	रायपुर	लड़की	कार्य पूर्ण
29.	मासिंगपुरा एनीकट	रायपुर	मासिंगपुरा	कार्य पूर्ण
30.	टूंगच एनीकट	रायपुर	टूंगच	कार्य पूर्ण
31.	बागोलिया एनीकट	रायपुर	बागोलिया	कार्य पूर्ण

क्र.सं.	एनीकटों का नाम	तहसील	गांव का नाम	कार्य की स्थिति
32.	माण्ड का खेड़ा एनीकट	रायपुर	माण्ड का खेडा	कार्य पूर्ण
33.	सगरेव एनीकट	रायपुर	सगरेव	कार्य पूर्ण
34.	काला घोड़ा एनीकट	रायपुर	सगरेव	कार्य पूर्ण
35.	बखाण एनीकट	रायपुर	आशाहोली	कार्य पूर्ण
36.	राली खेड़ा एनीकट	रायपुर	रालीखेडा	कार्य की
37.	सरगू एनीकट	रायपुर	सरगू	कार्य पूर्ण
38.	खानिया एनीकट	रायपुर	पालरा	कार्य पूर्ण
39.	बोरियापुरा एनीकट	रायपुर	बोरियापुरा	कार्य पूर्ण
40.	गोवलिया एनीकट	रायपुर	गोवलिया	कार्य पूर्ण
41.	पाटिया खेड़ा एनीकट	रायपुर	पाटियाखेडा	कार्य पूर्ण

प्रश्न संख्या-248

(स्थगित)

मावली डांगियान (वल्लभनगर) हेतु सम्पर्क सड़क

249. श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वल्लभनगर तहसील के मावली डांगियान गांव की आबादी 912 की होने के बावजूद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) मुख्य अभियन्ता के पत्र दिनांक 20 जनवरी, 2004 नम्बर इइ-पी.एम.जी.एस.वाई./प्रोग्रेस/04/डी.-06 पत्र में यह माना गया कि "There are Still some habitations of both phases where the links are not connected in full length" और जानकारी भी ऐसे क्षेत्रों की मांगी गई लेकिन फिर भी इस गांव को पूर्णतया क्यों नहीं जोड़ा गया?

(3) सरकार अब कब तक उक्त कार्य पूर्ण करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) वल्लभनगर तहसील के मावली डांगियान गांव की आबादी जनगणना 2001 के अनुसार 951 है तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशानुसार यह गांव सड़क से जुड़ा हुआ है।

(2) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्ग दर्शिका अनुसार यह गांव सड़क से पूर्व में ही जुड़ा हुआ था। मुख्य अभियन्ता के पत्र में मांगी गई जानकारी ऐसी सड़कों के लिए थी जिनके मार्ग के मध्य में भूमि विवाद अथवा वन भूमि अथवा संरक्षित वन क्षेत्र होने के कारण आंशिक भाग में सड़क निर्माण नहीं हो पाया था।

(3) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशानुसार उक्त गांव सड़क से जुड़ा हुआ है।

नागौर जिले के राजस्व शिविरों में दर्ज प्रकरणों का निस्तारण

250. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (नागौर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में गत राजस्व शिविर में कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामचन्द्र जारोड़ा)

(2) राजस्व समस्या समाधान शिविरों में कितनी समस्याएं दर्ज हुई व कितनी का निस्तारण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्व शिविरों में नामान्तरण, बंटवारा, अतिक्रमण, नियमन, भूमि आबंटन के कितने प्रकरण दर्ज हुए व मौके पर समाधान कितनों का हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में राजस्व अभियान 2008 के शिविरों में 17512 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया गया है तथा 225 प्रकरण अवशेष है। प्रकरणों का वर्गीकरण एवं पंचायत समितिवार सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) शिविर के दौरान 30705 समस्याएं दर्ज हुई जिनमें से 30652 का निस्तारण किया गया है तथा 53 समस्याएं अवशेष हैं। विस्तृत विवरण समस्याओं का वर्गीकरण एवं पंचायत समितिवार सूचना परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) राजस्व शिविर में नामान्तरण-10536, बंटवारा-3599, बाड़ा अतिक्रमण नियमन-एक भूमि आबंटन-शून्य कुल 14136 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें से 14103 का निस्तारण कर दिया गया है। नामान्तरण के 13 व बंटवारा के 20 कुल 33 प्रकरण अवशेष है।

(सूचना प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

गुर्दा प्रत्यारोपण कानून का सुदृढ़ीकरण

251. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में गुर्दा प्रत्यारोपण हेतु किस कानून की पालना की जाती है? क्या उक्त कानून अन्य राज्यों की तुलना में भिन्न है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में वर्ष 2004 से अब तक गैर कानूनी रूप से गुर्दा प्रत्यारोपण के कितने मामले प्रकाश में आये एवं उसमें कौन-कौन दोषी पाए गए तथा सरकार द्वारा उक्त दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(3) क्या सरकार अवैध गुर्दा प्रत्यारोपण रोकने हेतु वर्तमान कानून में संशोधन कर इसे सख्ती से लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 की पालना राज्य में की जाती है।

(2) राज्य में वर्ष 2004 से अब तक गैर कानूनी रूप से किये गुर्दा प्रत्यारोपण की सूचना शून्य है।

शेष प्रश्न उपस्थिति नहीं होता।

(3) जी नहीं। अवैध गुर्दा प्रत्यारोपण रोकने के लिए वर्तमान कानून सख्ती से प्रभावी हैं।

भीलवाड़ा शहर की पेयजल समस्या समाधान हेतु कार्य-योजना

252. **श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया** (भीलवाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा औद्योगिक शहर भीलवाड़ा की पेयजल समस्या के स्थाई समाधान हेतु कोई योजना तैयार की गई? यदि हां, तो इस योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भीलवाड़ा शहर में पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के लिये जल स्त्रोत चयन हेतु विभिन्न तकनीकी पहलुओं, फिजीबिलिटी आदि मुद्दों पर वर्तमान में अध्ययन किया जा रहा है। स्त्रोत चयन के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय होने के उपरान्त विस्तृत अभियांत्रिकी सर्वे कर योजना बनाना सम्भव होगा।

सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र की मिसिंग लिंक सड़कें

253. **श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मिसिंग लिंक सड़क के निर्माण हेतु विधायकों से अभिशंसा मांगी गई है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की मिसिंग लिंक सड़कों का कब तक निर्माण करा दिया जावेगा?

उत्तर

जी हां। मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए माननीय विधायकों

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

से 10 कि.मी. लम्बाई, अधिकतम राशि 150 लाख तक के विधान सभा क्षेत्रवार प्रस्तावों की अभिशंसा मांगी गई थी।

विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर (जिला-चूरू) में मिसिंग लिंक योजना के कार्य वित्तीय वर्ष 2008-09 में पूर्ण हो जायेंगे।

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में नई तहसील/उप तहसील की स्थापना

254. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में नई तहसील व उप तहसील कार्यालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में राज्य में कहां-कहां नई तहसील व उप तहसील खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में बढ़ते राजस्व मामलों के मद्देनजर नए तहसील/उप तहसील कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां व कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नई तहसील एवं उप तहसील कार्यालय खोलने के अधिनियम/नियमों में मानदण्ड निर्धारित नहीं है। क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति एवं जन सुविधाओं के मद्देनजर, वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

(2) अभी कोई भी प्रस्ताव विचारार्थ नहीं लिया गया है।

(3) नई तहसील/उप तहसील खोलने के सम्बन्ध में अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है। जब भी विचार किया जावेगा, इस क्षेत्र के सम्बन्ध में भी गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में रिक्त पद

255. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में प्राथमिक

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों, नर्स, मेल नर्स, तकनीकी कर्मचारियों व अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने पद व कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सभी रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा गत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कितने नये उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पुराने व नये स्वीकृत कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन विहीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में सी.एच.सी., पी.एच.सी. व उप स्वास्थ्य केन्द्र के कितने भवन मरम्मत योग्य हैं? क्या सरकार इनकी मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार एवं पदवार संख्या विवरण परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद को जिला स्तर पर समेकित वेतन के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

महिला स्वास्थ्य दर्शिका एवं मलेरिया निरीक्षक के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

नर्स श्रेणी द्वितीय की चयनित सूची राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्राप्त हो गई है तथा रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

लैब टैक्नीशियन के रिक्त पदों को नियमित भर्ती के माध्यम से भरने की कार्यवाही पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा अस्थाई रोक लगा रखी है रोक हटते ही पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कनिष्ट लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

सफाई कर्मचारी के रिक्त पद सीधी भर्ती के हैं जिन्हें भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में गत चार वर्षों में स्वीकृत किये गये उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों का विवरण निम्न प्रकार है :-

<u>स्वीकृत किये गये उप केन्द्र का नाम</u>

1. रामसर
2. विशन नगर
3. ढांढणिया मायला
4. बावड़ी
5. पंडितों का बास
6. देवानिया
7. खेतनगर

(4) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में 11 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन रहित हैं। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर प्रस्तुत है।

(5) जी हां। आगामी वित्तीय वर्षों में उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्दों के भवन निर्माण करवाये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(6) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के अन्तर्गत आने वाले 39 चिकित्सा संस्थानों के भवन मरम्मत योग्य है। आगामी वित्तीय वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों के भवनों में मरम्मत हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के मरम्मत योग्य चिकित्सा संस्थानों के भवनों की मरम्मत करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिराई	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेतरावा	चिकित्सा अधिकारी लैब टैक्नीशियन	1 1
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चामू	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केतूकला	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	2
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाथडाउ	कनिष्ठ लिपिक	1
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आगोलाई	नर्स श्रेणी द्वितीय महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1 1
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोमेसर	नर्स श्रेणी द्वितीय मलेरिया निरीक्षक महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1 1 1
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तेना	नर्स श्रेणी द्वितीय सफाई कर्मचारी	1 1
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोईन्तरा	लैब टैक्नीशियन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1 1
उप स्वास्थ्य केन्द्र, रामसर	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1
उप स्वास्थ्य केन्द्र, विशन नगर	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1
उप स्वास्थ्य केन्द्र, दासनिया	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1
उप स्वास्थ्य केन्द्र, बुडकिया	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1

परिशिष्टि ब

विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों का विवरण निम्नानुसार है

<u>भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम</u>

देवराजगढ़

टिमडी

चतुरापुरा

भोमसागर

रामसर

विसननगर

ढांढणिया मायला

बावडी

पंडितों का बास

देवानिया

खेतनगर (वित्तीय वर्ष 2007-08 में भवन निर्माण करवाये जाने की स्वीकृति जारी कर दी गई है।)

किशनगंज की परानियां घट्टी क्षेत्रीय पेयजल योजना का कार्यान्वयन

256. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में गत दो वर्षों में कौन-कौनसी पेयजल योजनाएं कहां-कहां की स्वीकृत की गई व कहां-कहां की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि परानियां घट्टी रीजनल पेयजल योजना एक वर्ष पूर्व स्वीकृत होने के बाद भी कार्य शुरू नहीं हुआ? यदि हां, तो क्यों? उक्त योजना अब कब तक शुरू कर दी जावेगी?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में 70 प्रतिशत हैडपम्प खराब हैं? यदि हां, तो पेयजल के लिये सरकार ने क्या-क्या व्यवस्था की है व क्या-क्या योजनाएं बनाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में स्वीकृत पेयजल योजनाओं की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। वर्तमान में सक्षम स्तर पर स्वीकृति हेतु कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। योजना अप्रैल, 2007 में एस्बेस्ट्स सीमेंट पाइप के प्रयोग के साथ स्वीकृत हुई थी। स्थानीय प्रतिरोध कि एस्बेस्ट्स सीमेंट पाइप्स के स्थान पर सी.आई./डी.आई. पाइप्स काम में लिये जावें, के कारण देरी हुई। अब योजना हेतु निविदाएं 27 मार्च, 2008 को प्राप्त की जा रही हैं। प्राप्त होने वाली निविदाओं पर निर्णय उपरान्त कार्य प्राथमिकता पर प्रारम्भ करवाया जायेगा।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) जी नहीं। विभाग द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत अभियान दिनांक 1 फरवरी, 2008 से प्रारम्भ कर दिया गया है। जनवरी, 2008 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार तहसील किशनगंज एवं शाहबाद में कमशः 397 एवं 294 मरम्मत योग्य खराब हैण्डपम्प पाये गये जिनमें से क्रमशः 381 एवं 261 हैण्डपम्प दिनांक 7 मार्च, 2008 तक ठीक करवा दिये गये थे। मरम्मत अभियान सतत प्रक्रिया में है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पूर्व सैनिकों हेतु अंशदाई स्वास्थ्य योजनान्तर्गत देय चिकित्सा सुविधाएं

427. श्री नन्दलाल बंशीलाल (दौसा) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए अंशदाई स्वास्थ्य योजनान्तर्गत कौन-कौन से जिलों के चिकित्सालयों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के अजमेर, अलवर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, सीकर, चूरू, नागौर, पाली, कोटा, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, झुंझुनूं एवं भरतपुर जिलों में भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत पालिक्लिनिक खोले गये हैं।

धौलपुर जिले के स्वीकृत हैण्डपम्पों की क्रियान्विति हेतु निविदा

428. श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा धौलपुर जिले में स्वीकृत हैण्डपम्पों में से कितने हैण्डपम्प ठेकेदार द्वारा लगाये जा चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नये टेण्डर आमंत्रित करने एवं शेष रहे हैण्डपम्पों को लगाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) धौलपुर जिले में दिनांक 1 अप्रैल, 2007 को शेष 1198 हैण्डपम्प एवं वित्तीय वर्ष 2007-08 में (फरवरी, 2008 तक) स्वीकृत 752 हैण्डपम्प, कुल 1950 हैण्डपम्पों में से 937 हैण्डपम्प (विभागीय रिग मीशनों से-22 एवं संवेदकों द्वारा-915) निर्मित कर चालू किये जा चुके हैं।

(2) जी हां। धौलपुर जिले में उपरोक्तानुसार शेष रहे 1013 हैण्डपम्प निर्माण कार्यों के विरुद्ध 614 हैण्डपम्प निर्माण का कार्यभार पूर्व से ही संवेदकों को आबंटित है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

शेष 399 हैण्डपम्प एवं आगामी समय में नई स्वीकृति की संभावना के मध्यनजर हैण्डपम्प निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की जाकर दिनांक 12 फरवरी, 2008 को प्राप्त की जा चुकी है। कार्यादेश हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उपरोक्तानुसार शेष रहे हैण्डपम्प माह जून, 2008 तक लगाना प्रस्तावित है।

जसवन्तपुरा (जालौर) में कनिष्ठ/सहायक अभियन्ताओं के रिक्त पद

429. **श्री अर्जुन सिंह देवड़ा** (रानीवाडा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जसंवतपुरा जिला जालौर में सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

जिला जालौर के जसवंतपुरा स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उपखण्ड के सहायक अभियन्ता एवं उपखण्ड जसवंतपुरा के अधीन कनिष्ठ अभियन्ता के स्वीकृत 2 पदों में से मुख्यालय जसवंतपुरा के कनिष्ठ अभियन्ता का पद रिक्त है।

उक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

किशनगढ़ के कार्यरत/नाकारा हैण्डपम्प

430. **श्री भागीरथ चौधरी** (किशनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत 4 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में किन-किन योजनाओं में कितने नवीन हैडपम्प स्वीकृत कर लगाये गये एवं कितने हैण्डपम्प लगाये जाने शेष हैं? विवरण वर्षवार, ग्राम पंचायतवार व शहरी क्षेत्र सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कुल कितने हैण्डपम्प कार्यरत हैं एवं कितने नाकारा हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन नाकारा हैण्डपम्पों के स्थान पर नवीन हैण्डपम्प लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2006-07 की अवधि में विधान सभा क्षेत्र, किशनगढ़ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत एवं लगाये गये हैण्डपम्पों का विवरण निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष	**शहरी क्षेत्र**		**ग्रामीण क्षेत्र**	
	स्वीकृत	**लगाये गये**	**स्वीकृत**	**लगाये गये**
2003-04	34	34	101	101
2004-05	30	30	148	148
2005-06	74	74	345	345
2006-07	51	51	149	148
योग	**189**	**189**	**743**	**742**

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 2007-08 में (माह फरवरी, 2008 तक) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में क्रमश: स्वीकृत 26 एवं 118 हैण्डपम्पों के विरुद्ध 26 एवं 116 हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं।

वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र, किशनगढ़ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हैण्डपम्पों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्षेत्र	**स्थापित हैण्डपम्पों का विवरण**			
	कुल	**क्रियाशील**	**मौसमी**	**सूखे/नाकारा**
शहरी	719	634	0	85
ग्रामीण	2461	1394	526	541
योग	**3180**	**2028**	**526**	**626**

(3) भू-जल की उपलब्धता एवं पेयजल की आवश्यकता को ध्यान में रखकर हैण्डपम्प लगाये जाते हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीराम विहार कालोनी मानसरोवर (जयपुर) में पेयजल व्यवस्था

431. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

(1) क्या यह सही है कि सी.जी.एम. नगर, सचिवालय विहार विस्तार एवं श्रीराम विहार कालोनी मानसरोवर पुलिया के पास जयपुर के निवासियों द्वारा पेयजल की गम्भीर समस्या के निराकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कालोनियों की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु ट्यूबवैल लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) कालोनाइजर द्वारा पेयजल व्यवस्था की जाती है। मांग आने पर सहभागिता पर आधारित योजना पर विचार किया जा सकता है।

बांदीकुई में विभिन्न योजनान्तर्गत विकास कार्य

432. श्री मुरारीलाल मीणा (बांदीकुई) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में दिनांक 01 अप्रैल, 2003 से 31 जनवरी, 2008 तक की अवधि में कौन-कौनसी योजनाओं में कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य कहां-कहां पर कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कौन-कौनसी योजनाओं में कितनी-कितनी राशि के क्या–क्या कार्य कहां-कहां पर प्रस्तावित हैं?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, बांदीकुई में वर्णित अवधि में पेयजल योजना एवं हैण्डपम्प स्थापना हेतु स्वीकृतियों का विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) पेयजल योजनाएं (हैण्डपम्प के अतिरिक्त) :-

वर्णित अवधि में स्वीकृत 20 योजनाओं में से 16 योजना पूर्ण हो चुकी हैं। शेष 4 योजनाएं जिनकी स्वीकृति माह जुलाई, 2007 (1 योजना) एवं दिसम्बर, 2007 (3 योजना) में जारी हुई है, के कार्य प्रगति पर हैं। ये योजनाएं अक्टूबर, 2008 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित है।

(भू-जल मंत्री)

(ब) हैण्डपम्प :-

वर्णित अवधि में कुल 867 हैण्डपम्प स्वीकृत किये जाकर अब तक 838 हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं।

उक्त कार्यों के संबंध में वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) वर्तमान में उक्त क्षेत्र की 5 योजनाओं के प्रस्ताव सक्षम स्तर पर तकनीकी जांच प्रक्रियाधीन हैं। विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

डेगाना में हुई गिरदावरी में व्याप्त अनियमितताएं

433. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) खरीफ की फसल वर्ष 2007 के दौरान जिला नागौर में किन-किन तहसीलों में वर्षा सामान्य से कम हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त जिले में गिरदावरी का कार्य पूरा कर लिया गया है? यदि हां, तो तहसीलवार कितने ग्रामों में कितने प्रतिशत तक खराबा हुआ तथा कितने ग्राम अकालग्रस्त ग्रामों की श्रेणी में आते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना के कई ग्रामों में गिरदावरी गलत किये जाने की शिकायतें संबंधित राजस्व अधिकारियों को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कहां-कहां से? इन शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खरीफ की फसल वर्ष 2007 के दौरान नागौर जिले की निम्न तहसीलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई :-

क्र.सं.	तहसील	खरीफ फसल (जून से सितम्बर, 2007 तक वास्तविक वर्षा मि.मि. में)
1	खींवसर	296.0
2	जायल	244.0
3	मेड़ता	339.0
4	डेगाना	186.0

(राजस्व मंत्री)

क्र.सं.	तहसील	खरीफ फसल (जून से सितम्बर, 07 तक वास्तविक वर्षा मि.मि. में)
5	डीडवाना	101.0
6	लाडनूं	182.0
7	परबतसर	261.0
8	मकराना	262.5
9	नावां	210.0

(2) जी हां। तहसीलदार खराबे एवं अकालग्रस्त गांव की सूची परिशिष्ट 'अ' संलग्न है। 192 ग्राम अकालग्रस्त घोषित किए गए हैं।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम जालसूकलां, डेगाना गांव एवं जावा सिसोदिया ग्रामों में फसलों में अधिक खराबा बताते हुये अभावग्रस्त घोषित किये जाने के संबंध में ग्राम पंचायत एवं ग्रामवासियों की ओर से परिवाद प्राप्त हुये थे। ग्राम जालसूकलां में 44 प्रतिशत, डेगाना में 29 प्रतिशत एवं जावा सिसोदिया में 29 प्रतिशत खराबा गिरदावरी में दर्ज होने से इन ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट

434. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2004 से अब तक सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर को किन-किन मामलों की जांच सौंपी गई? इस संबंध में सरकार द्वारा जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा उक्त अवधि में किन-किन मामलों की जांच रिपोर्ट कब-कब सरकार को सौंपी गई? उक्त रिपोर्टों पर सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की? प्रत्येक रिपोर्ट की प्रति सहित कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से किन-किन मामलों की जांच रिपोर्ट अब तक सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई व उसके क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) आदेशों की प्रति परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है।

(2) दो प्रकरणों की जांच रिपोर्ट क्रमश: 26.5.2005 एवं 24.10.2005 को सौंपी गई एक प्रकरण में जांच विचाराधीन है। जांच रिपोर्ट दिनांक 24.10.2005 मय संबंधित समस्त अभिलेख सहित कार्मिक विभाग द्वारा राज. लोक सेवा आयोग को राय हेतु भेजी गई है। इसलिए उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट दिनांक 26.5.2005 की प्रति परिशिष्ट ''ब'' संलग्न है तथा राज्य स्तर पर की गई कार्यवाही परिशिष्ट ''ग'' पर संलग्न है।

(3) एक प्रकरण की जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। विभागीय जांच में नियमित जांच की कार्यवाही एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें समय लगना सम्भव है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील हिण्डौली एवं नैनवां के गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकार के लम्बित प्रकरण

435. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) हिण्डौली एवं नैनवां तहसील क्षेत्र में सिंचित व असिंचित क्षेत्र के किस-किस पटवार सर्किल में कितने-कितने गैर खातेदारान, कितनी-कितनी भूमि पर कब से राजस्व रिकार्ड में अंकित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2004 से अब तक कितने-कितने गैर खातेदारान ने खातेदारी प्राप्त करने हेतु कब-कब आवेदन प्रस्तुत किये और उन आवेदनों में से कितने गैर खातेदारान को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये और कितनों के प्रार्थना पत्र कब से लम्बित हैं?

(3) क्या सरकार राजस्व रिकार्ड में अंकित गैर खातेदारान को खातेदारी अधिकार देने के संबंध में समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील क्षेत्र हिण्डौली में सेटलमेंट 2028 (सन् 1971) से अब तक 50 पटवार मण्डलों में सिंचित क्षेत्र के 4586 गैर खातेदार रकबा 22262-12 बीघा पर तथा असिंचित क्षेत्र के 1223 गैर खातेदार रकबा 4960-18 बीघा पर राजस्व रेकार्ड में अंकित हैं।

(राजस्व मंत्री)

तहसील क्षेत्र नैनवां में सेटलमेंट 2028 (सन् 1971) से अब तक 50 पटवार मण्डलों में सिंचित क्षेत्र के 1691 गैर खातेदार रकबा 9096-05 बीघा पर तथा असिंचित क्षेत्र के 2068 गैर खातेदार रकबा 9997-09 बीघा पर राजस्व रेकार्ड में अंकित हैं।

तहसीलवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''अ'' व ''ब'' पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2004 से अंत तक तहसील क्षेत्र हिण्डौली में 882 गैर खातेदारों एवं तहसील क्षेत्र नैनवां में 209 गैर खातेदारों द्वारा खातेदारी दिये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये, उन सभी गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। अत: कोई प्रार्थना पत्र खातेदारी देने हेतु लम्बित नहीं है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राजस्व अभियान 2008 के दौरान गैर खातेदारान द्वारा आबंटन की शर्तें पूर्ण करने पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किये बिना भी तहसील हिण्डौली में 584 एवं तहसील नैनवां में 448 गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये।

वर्षवार विवरण परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। राज्य सरकार द्वारा कृषकों की समस्याओं के निराकरण हेतु समय-समय पर राजस्व अभियान चलाया गया है। राजस्व अभियान के दौरान भी राजस्व रेकार्ड में अंकित गैर खातेदारान को खातेदारी प्रदत्त किये गये हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कोटपूतली के ग्राम पावटा में तहसील की स्थापना

436. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्राम पावटा को तहसील बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

तहसील बनाने के लिए क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति तथा राज्य के वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए विचार किया जाता है, अभी इन

(राजस्व मंत्री)

प्रकरणों पर विचार नहीं किया जा रहा है, जब भी विचार किया जायेगा पावटा के सम्बन्ध में भी गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

ग्राम जगन्नाथपुरा (अलवर) में अवैध खनन

437. श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवारामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर के खसरा नम्बर 218 में किन-किन मार्बल खनन आवेदकों को कब-कब अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये तथा गत पांच वर्षों में किन-किन व्यक्तियों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आवेदकों में से किसी ने अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र के अलावा भी खनन कार्य किया है? यदि हां, तो उसके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या अलवर जिले की थानागाजी तहसील के ग्राम जगन्नाथपुरा के खसरा नम्बर 218 में मार्बल लीज स्वीकृत है? यदि हां, तो कितनी और किस-किस को?

(4) क्या अनाधिकृत खनन की सूचना सरकार के पास है? यदि हां, तो किस-किस अतिक्रमणकारी द्वारा कितने भाग पर हैं और सरकार द्वारा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील थानागाजी में जिला अलवर के ख.न. 218 में निम्न तीन आवेदकों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये :-

1. एम.एल. नम्बर 2433/91 में श्री नरेश कुमार को दि. 24.2.1996 को
2. एम.एल. नम्बर 2435/91 में श्री विजय कुमार भटेरिया को दि. 24.2.1996
3. एम.एल. नं. 164/02 श्रीमती कुन्ती देवी को दि. 13.10.2003 को

तथा गत पांच वर्षों में एक अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस खसरे में निरस्त किया गया है। जो एम.एल. नम्बर 164 श्रीमती कुन्ती देवी का है।

(2) जी नहीं।

(राजस्व मंत्री)

(3) जी हां। अलवर जिले की थानागाजी तहसील के ग्राम जगन्नाथपुरा के ख.न. 218 में निम्न कुल 10 मार्बल लीज स्वीकृत हैं।

1. एम.एल. नम्बर 218/89 (आर) मैं. सी.सी. माइन्स 4.6232 हैक्टेयर
2. एम.एल. नम्बर 87/97 (आर) मैं. मानसी मिनरल 1.00 हैक्टेयर
3. एम.एल. नम्बर 30/97 (आर) मैं आंधी मार्बल एण्ड मिनरल 1.00 हैक्टेयर
4. एम.एल. नम्बर 81/88 श्रीमती किरण माहेश्वरी 1.00 हैक्टेयर
5. एम.एल. नम्बर 361/88 श्री रोहित कुमार 1.00 हैक्टेयर
6. एम.एल.नम्बर 34/96 (आर) मैं. अर्पित मारबल 1.00 हैक्टेयर
7. एम.एल. नम्बर 35/96 (आर) मैं. अर्पित मारबल 1.00 हैक्टेयर
8. एम.एल. नम्बर 8/97 (आर) मैं. अर्पित मारबल 1.00 हैक्टेयर (बन्द)
9. एम.एल. नम्बर 37/96 मैं. अर्पित मारबल 1.00 हैक्टेयर (बन्द)
10. एम.एल. नम्बर 59/97 मैं. अर्पित मारबल 1.00 हैक्टेयर (बन्द)

(4) खसरा नम्बर 218 ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील थानागाजी में अनाधिकृत खनन का एक प्रकरण सामने आया है। इसमें मैसर्स सी.एस. माइन्स द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 2 मीटर चौडा, 54 मीटर लम्बा एवं 3 मी. गहराई में अनाधिकृत खनन किया गया जिसके विरुद्ध खनन विभाग द्वारा पंचनामा बनाया जाकर अवैध खनन बाबत राशि 303771 रु. की मांग कायम की गई जो वसूल हो चुकी है। पुन: अवैध खनन पाये जाने पर मांग कायम करने का नोटिस जारी किया गया जिसके विरुद्ध पट्टाधारी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. सिविल मिस अपील सं. 2576/04 दायर की हुई है। माननीय न्यायालय द्वारा कमिशनर नियुक्त किया गया तथा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आगे कार्यवाही होनी है।

नावां के प्रस्तावित राजस्व ग्राम

438. श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा नये राजस्व ग्राम बनाने बाबत जारी परिपत्र क्रमांक

(श्री हरीशचन्द्र कुमावत)

प. 9 (16)राज./ग्रुप-1/07 जयपुर दिनांक 19 मार्च, 2007 के पश्चात कितने नये राजस्व ग्राम के प्रस्ताव तहसील क्षेत्र नावां हेतु प्राप्त हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नये राजस्व ग्राम हेतु जारी परिपत्र के निर्देशानुसार राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनी ओर से राजस्व अभियान के दौरान पंचायत समिति कुचामनसिटी क्षेत्र में नये राजस्व ग्राम बनाने के कौन-कौन से प्रस्ताव तैयार किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) नागौर जिले में किन-किन तहसीलों में कितने-कितने नये राजस्व ग्राम घोषित हो चुके हैं व अब कितने ग्राम प्रस्तावित हैं? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अब भी नये राजस्व ग्राम बनाने के प्रस्ताव तैयार किये जा सकते हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) परिपत्र दिनांक 19.3.2007 के पश्चात राज्य सरकार को नवीन राजस्व ग्रामों के 19 प्रस्ताव प्राप्त हुए। सूची परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है।

(2) राजस्व अधिकारियों द्वारा नवीन राजस्व ग्राम चम्पापुरा, शिवपुरा, अलायपुरा एवं श्रीरामपुरा के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं।

(3) अब तक घोषित 278 राजस्व ग्रामों की सूची परिशिष्ट ''ब'' संलग्न है। 27 ग्रामों के प्रस्ताव जिला स्तर पर परीक्षणाधीन है। सूची परिशिष्ट ''स'' संलग्न है।

(4) जी हां।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-439

(स्थगित)

ग्राम रोजवाडी (बस्सी) की भूमि खसरा नम्बर 130 एवं 139 का अनियमित आबंटन

440. श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

(1) जयपुर जिले की तहसील बस्सी के ग्राम रोजवाडी की सरकारी भूमि खसरा नम्बर 130 तथा 139 कब से आबंटित है? आवंटन से पूर्व भूमि कि किस्म क्या थी तथा रकबा कितना है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आबंटी को खातेदारी दी जा चुकी है? यदि हां, तो किसको एवं किस नियम के तहत तथा आबंटन से अब तक उक्त भूमि पर किस-किस व्यक्ति का कब्जा रहा तथा कौन-कौन अब तक काश्त करते रहे हैं?

(3) एक ही व्यक्ति को भिन्न-भिन्न खसरों में भूमि आबंटन की शर्तें, पात्रता एवं उद्देश्य क्या थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार गलत आबंटनों को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) माननीय न्यायालय द्वारा वर्ष 1947 के राजस्व रिकार्ड को बहाल करने संबंधी प्रकरण की पालना में बस्सी तहसील के किन-किन व्यक्तियों का आवंटन निरस्त किया जा चुका है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) सरकार द्वारा निरस्त आबंटनों में किन-किन का कब्जा लिया जा चुका है तथा शेष में कब तक कब्जा ले लिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम रोजवाडी तहसील बस्सी स्थित आ.ख.न. 130 रकबा 1.12 बीघा, ख.न. 139 रकबा 5.08 बीघा जरिये नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 30.6.1973 के द्वारा बजरंग लाल बल्द कल्याण मल जाति ब्राह्मण सा. रोजवाडी के नाम गैर खातेदारी अंकित की गयी है। नियमन से पूर्व उक्त वर्णित भूमि की किस्म व रकबा निम्न प्रकार था :-

ख.न.	रकबा बीघा	किस्म	जमीन बीघा
130	1.12	बा. अव्वल	1.14
139	5.06	बा. दो. बजंड दो.	3.12

(2) जी हां। प्रश्न के बिन्दु संख्या 1 में वर्णित व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व (कृषि कार्यों के लिए भूमि का आबंटन) नियम, 1970 के नियम 18 के तहत खातेदारी दी गयी है। नियमन से अब तक उक्त व्यक्ति ही भूमि पर काश्त करता आ रहा है।

(राजस्व मंत्री)

(3) उपरोक्त आबंटन न होकर नियमन हुआ है। नियमन नियमित की गयी भूमि पर लगातार पुराना कब्जा होने एवं कृषक के भूमिहीन होने के आधार पर किया जाता है।

(4) गलत आबंटनों को निरस्त करने के संबंध में भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत आबंटन निरस्त करवाने हेतु न्यायालय में रेफरेन्स किया जाकर आबंटन निरस्त करवाया जाता है।

(5) तहसील क्षेत्र बस्सी, जिला जयपुर में मा. उच्च न्यायालय द्वारा उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित किये निर्णय से प्रभावित 174 प्रकरणों का चिन्हिकरण कर इन सभी के रेफरेन्स न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर के यहां प्रस्तुत किये जा चुके हैं। जो वर्तमान में विचाराधीन है। अभी तक आबंटन निरस्त नहीं हुए हैं।

(6) न्यायालय से निर्णय होने पर ही कार्यवाही सम्भव है।

प्रश्न संख्या-441

(स्थगित)

अजमेर जिले में उपभोक्ता संरक्षण समिति की बैठकें

442. **श्री गोपाल लाल धोबी** (केकड़ी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला अजमेर के रसद विभाग में अनियमिततायें पाई गई हैं? उक्त अनियमितताओं की जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये एवं दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को आबंटित चावल, गेहूं एवं कैरोसीन के डीलर कालाबाजारी करते हैं? यदि हां? तो उक्त जिले में वर्ष 2007 में ऐसे कितने मामले पकड़े गये? सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राशन डीलर एवं उपभोक्ता संरक्षण हेतु कमेटी का गठन किया जाता है? यदि हां, तो अजमेर जिले में कमेटी द्वारा कितनी बैठकों का आयोजन कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गैस एजेन्सीयों, पेट्रोल पम्पों, राशन डीलरों, करोसीन थोक विक्रेता के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर समय-समय पर क्षेत्र के प्रवर्तन निरीक्षकों द्वारा उनकी जांच करवाई जाती है तथा अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए प्रमाणित आरोपों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली नियंत्रित वस्तुओं को समय पर उपलब्ध कराने हेतु जिला, तहसील एवं उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन किया गया है। जिलों में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का भी गठन किया हुआ है, जिनकी समस्या-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं।

बीकानेर जिलें में मृत राशन डीलरों की संचालित दुकानें

443. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बीकानेर में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में तहसीलवार कितनी कितनी उचित मूल्य की दुकानें हैं? सूची मय उचित मूल्य दुकान के अधिकृत व्यक्ति के नाम एवं पतेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सभी उचित मूल्य दुकानदार उसी वार्ड एवं उसी ग्राम के रहने वाले हैं? यदि नहीं, तो ऐसे कितने उचित मूल्य दुकानदार हैं, जो उस वार्ड/गांव के रहने वाले नहीं हैं एवं दूसरे वार्ड एवं गांव में उचित मूल्य की दुकान चलाते हैं? दुकानवार, नामवार, स्थानवार, गांववार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला बीकानेर में ऐसी कितनी उचित मूल्य की दुकानें हैं जिनके संचालकों का देहान्त हो गया और वे दुकानें बिना उत्तराधिकारी के नाम हस्तान्तरण के चल रही हैं? दुकानवार, नामवार, कार्य स्थानवार उचित मूल्य दुकानों की सूची सदन की मेज पर रखते हुये यह बतायें कि वर्तमान में उनका संचालन कौन कर रहा है तथा क्या ये संचालनकर्ता वैधानिक रूप से सही हैं?

उत्तर

(1) जिला बीकानेर में ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलवार 496 दुकाने हैं तथा शहरी क्षेत्र नगर पालिका श्रीडूंगरगढ़, नोखा, देशनोक एवं बीकानेर नगर परिषद

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

क्षेत्र में 263 दुकाने हैं। इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कुल 759 दुकाने हैं जिनकी पूर्ण सूची मय उचित मूल्य की दुकान के नामवार अधिकृत व्यक्ति के नाम एवं पतेवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जो उचित मूल्य दुकानदार उसी ग्राम के रहने वाले नहीं हैं तथा अन्य वार्ड या गांव में डिपो चलाते हैं, उनकी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जिला बीकानेर में ऐसी कोई उचित मूल्य दुकान कार्यरत नहीं है, जिसके संचालक का देहान्त हो गया है तथा वे दुकानें बिना उत्तराधिकारी के नाम हस्तान्तरण के चल रही हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

गंगरार के ग्रामीण क्षेत्र की गैस एजेन्सीज के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

444. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगारार) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में नए रसोई गैस कनेक्शन देने के क्या मानदण्ड तय किये गये हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में कितनी गैस एजेन्सीज कार्यरत हैं तथा उनके द्वारा कौन-कौन से गांवों में कितने-कितने गैस कनेक्शन दिये गये हैं तथा कितने उपभोक्ता गैस कनेक्शन हेतु प्रतीक्षारत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) गैस कनेक्शन धारकों के हित संक्षणार्थ सरकार ने जिले में कौन कौनसी एजेंसीज एवं अधिकारियों को अधिकृत कर रखा है जो सिलेण्डर्स की मात्रा, बुकिंग, बैकलाग उपलब्धता एवं सही वजन की जानकारी उपभोक्ताओं को दे सके एवं उनकी शिकायतों के सामाधान तत्काल कर सकें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा रसोई गैस कनेक्शन के मापदण्ड तय नहीं किये गये हैं, तेल कंपनियों द्वारा ही मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं। उपभोक्ताओं को अपने आवासीय प्रमाण-पत्र के साथ एक शपथ पत्र देना होता है कि उसके पास किसी भी आयल कंपनी का कोई कनेक्शन नहीं है, उसके

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

बाद आवास का सत्यापन करने के पश्चात गैस कनेक्शन नियमानुसार जारी कर दिया जाता है।

(2) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में 2 गैस एजेन्सी राशमी एवं गंगरार में कार्यरत हैं। उक्त दोनों एजेन्सियों द्वारा पंजीकृत उपभोक्ताओं को ग्रामवार रसोई गैस उपलब्ध कराती है। रसोई गैस धारक उपभोक्ताओं की गांववार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। उपभोक्ताओं को उपलब्धता अनुसार कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। प्रतीक्षारत कोई भी आवेदक नहीं है।

(3) गैस कनेक्शन धारकों के हित संरक्षणार्थ राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1990 के कालेज 22 के द्वारा अनुज्ञापन अधिकारी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, कोई भी पुलिस अधिकारी जो उप अधीक्षक से निम्न स्तर का नहीं हो और कोई भी अधिकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग का जो प्रवर्तन अधिकारी से निम्न स्तर का नहीं हो एवं कोई भी सरकार का अधिकारी जो खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रर्वतन अधिकारी से निम्न स्तर का नहीं हो, को प्राधिकृत किया हुआ है तथा शिकायतों के तत्काल समाधान हेतु उद्योग विभाग के विधिक बाट-माप निरीक्षक व आयल कंपनियों के अधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से जांच/ निरीक्षण किए जाते हैं।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र गंगरार में कार्यरत गैस एजेन्सीज से प्राप्त ग्रामवार जारी किये गये कनेक्शनों एवं प्रतीक्षारत उपभोक्ताओं की सूची

क्र.सं.	गंगरार इण्डेन गैस सर्विस, गंगरार					गंगरार इण्डेन गैस सर्विस, राशमी				
	गांव का नाम	जारी कनेक्शनों की संख्या			गैस कनेक्शन प्राप्त करने हेतु प्रतीक्षारत उपभोक्ताओं की संख्या	गांव का नाम	जारी कनेक्शनों की संख्या			गैस कनेक्शन प्राप्त करने हेतु प्रतीक्षारत उपभोक्ताओं की संख्या
		S.B.C.	D.B.C	N.D			S.B.C.	D.B.C	N.D	
1	गंगरार	665	2041	16		राशमी	505	406	4	
2	बस्सी	138	-	-		उपरेडा	56	26	-	
3	हमीरगढ़	853	-	-		अडाना	20	3	-	
4	चन्देरिया	222	-	-		आरनी	140	19	-	
5	सिंहपुर	134	-	-		पावली	40	19	-	
6	ताणा	170	-	-		बारू	30	19	-	
7	आकोला	152	-	-		पहूंना	300	195	2	
8	मंगलवाड	163	-	-		सोमी	50	19	-	
9	घोसुण्डा	43	-	-		सिंहाना	20	13	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	नेतावल	40	-	-		रेवाडा	45	24	-	
11	साडास	150	-	-		रूद	180	13	-	
12	कुंवालिया	152	-	-		जवासिया	35	15	-	
13	मण्डपिया	104	-	-		मुरोली	60	19	-	
14	बावलास	129	-	-		भीमगढ़	199	119	2	
15	सोनियाना	105	-	-		गिलूण्ड	105	12	-	
16	जोजरों का खेडा	25	-	-		रेलमगरा	156	42	2	
17	चौगावडी	126	-	-		डिण्डोली	133	18	-	
18	आजोलिया का खेडा	143	-	-		मातृकुण्डिया	78	30	-	
19	मेडीखेडा	20	-	-		मान्यास	28	11	-	
20	बूढ	30	-	-		सिंहपुर	49	18	-	
21	डेट, पुठोली	41	-	-		जाडाना	66	12	2	
22	जवासिया	31	-	-		लसाडिया खुर्द	28	21	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	सादी	22	-	-		बावलास	17	16	-	
24	नगरी	24	-	-		ऊचां	21	11	-	
25	रूद	29	-	-		जवानपुरा	10	5	-	
26	सुवानिया	52	-	-		नेवरिया	25	5	-	
27	**योग**	**3763**	**2041**	**16**		लांगच	17	8	-	
28						मरमी	45	30	-	
29						बनाकिया	40	10	-	
30						भोपलाई	5	3	-	
31						कुण्डिया	10	4	-	
32						खारखन्दा	30	12	-	
						योग	**2543**	**1177**	**12**	-

जिला रसद अधिकारी
चित्तौड़गढ़

भीम में नवीन राशन डीलरों की नियुक्ति

445. श्री हरीसिंह रावत (भीम) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में कितने राशन डीलर कार्यरत हैं एवं कितने नये राशन डीलरों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं?

(2) क्या सरकार विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों पर विचार कर नये डीलरों की नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में कुल 97 राशन डीलर कार्यरत हैं एवं एक अतिरिक्त नवीन डीलर नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र देवगढ़ नगरपालिका का विचाराधीन है।

(2) जी हां। विचाराधीन प्रार्थना-पत्र पर नया डीलर नियुक्त करने का विचार है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

निवाई के चिकित्सालयों में रिक्त पद

446. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के विभिन्न चिकित्सा केन्द्रों में चिकित्सकों व पैरा मेडिकल स्टाफ के कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को जिला स्तर पर समेकित वेतन के आधार पर/राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

सहायक रेडियोग्राफर एवं लेब टेक्निशियन के रिक्त पदों को नियमित भर्ती के माध्यम से भरने की कार्यवाही पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अस्थाई रोक लगा रखी है। रोक हटते ही पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र निवाई के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवाई	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य, मेडिसिन, शिशुरोग, नेत्ररोग, स्त्रीरोग)	5	-
		ब्लाक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	1	-
		चिकित्सा अधिकारी	2	1
		चिकित्सा अधिकारी (पी.जी. निश्चेतन)	1	-
		चिकित्सा अधिकारी (पी.जी. हड्डी रोग)	1	-
		लेब टेक्निशियन	1	-
		सहायक रेडियोग्राफर	1	1
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झिलाय	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	-
		चिकित्सा अधिकरी	1	-
		लेब टेक्निशियन	1	1
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चनानी	चिकित्सा अधिकारी	1	-
		लेब टेक्निशियन	1	-
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दतवास	चिकित्सा अधिकारी	1	-
		लेब टेक्निशियन	1	-
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राहोली	चिकित्सा अधिकारी	1	-
		लेब टेक्निशियन	1	-
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डांगरथल	चिकित्सा अधिकारी	1	1
		लेब टेक्निशियन	1	-

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
7	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरस	चिकित्सा अधिकारी	1	-
		लेब टेक्निशियन	1	-
8	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पराना	चिकित्सा अधिकारी	1	-
		लेब टेक्निशियन	1	1
9	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अरनियाकेदार	चिकित्सा अधिकारी	1	-
		लेब टेक्निशियन	1	-

मावली क्षेत्र में प्रस्तावित स्वास्थ्य केन्द्र

447. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु विधायकों से प्रस्ताव मांगे गये थे?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा इसी वर्ष में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन बनाने हेतु भी विधायकों से प्रस्ताव मांगे गये थे? यदि हां, तो उन प्रस्तावों का क्रियान्वयन अभी तक नहीं होने के क्या कारण रहे?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मावली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन फतह नगर, तहसील मावली में बनाने का व सालेराकला तहसील मावली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) विधान सभा क्षेत्र मावली के फतह नगर में निर्बन्ध राशि योजना अन्तर्गत जिला परिषद उदयपुर द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में राशि रुपये 10.00 लाख स्वीकृत किए गए हैं। भवन निर्माण कराये जाने की कार्यवाही जारी है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा सालेराकला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की घोषणा की है।

भीलवाड़ा जिले के उच्चीकृत उप केन्द्रों में रिक्त पद

448. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

भीलवाड़ा जिले में कौन-कौन से गांव/कस्बे/शहर में उच्चीकृत उपकेन्द्र स्वीकृत हैं एवं उनमें कौन-कौन से पद सृजित एवं कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर केन्द्रवार रखें।

उत्तर

जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

चित्तौड़गढ़ जिले एवं प्रतापगढ़ में कार्यरत उप स्वास्थ्य केन्द्र

449. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं? यदि हां, तो जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले में कुल कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं तथा उनमें से वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक कितने नये खोले गये? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उप स्वास्थ्य केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में ही खोले जाने का प्रावधान है। स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों की जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ के अधीन वर्तमान में 189 एवं प्रतापगढ़ के अधीन 217 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2007-08 (फरवरी 2008) तक खोले गये उप स्वास्थ्य केन्द्रों के पंचायत समितिवार नाम निम्न प्रकार हैं -

पंचायत समिति का नाम	खोले गए उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम
अरनोद	रायपुर जंगल

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

1	2
	नांदी खेड़ा
निम्बाहेड़ा	खरदेवला
	ढोरिया
	बरडा
	बडोली घाटा
बडी सादड़ी	उत्तरवाडा
	जियाखेडी
भदेसर	रेवालियाखुर्द
	पोटलाकलां
	सैंगवा
छोटी सादड़ी	जलोदिया केलूखेडा
	कालाकोटा
चित्तौड़गढ़	कश्मीर
	गरदाना चौराया
	सेमलिया
डूंगला	ईडरा
	बिलोदा
गंगरार	बोलो का सावला
बेगूं	चावण्डिया
राशमी	नेवरिया

परिशिष्ट-अ

राज्य में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों के जिलेवार संख्या सूची निम्न प्रकार है-

जिले का नाम	**स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या**
अजमेर	290
अलवर	488
बारां	206
बांसवाड़ा	348
बाड़मेर	478

जिले का नाम	**स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या**
भरतपुर	396
भीलवाड़ा	415
बीकानेर	312
बूंदी	177
चित्तौड़गढ़	406
चूरू	359
दौसा	237
धौलपुर	167
डूंगरपुर	306
गंगानगर	351
हनुमानगढ़	279
जयपुर	515
जैसलमेर	136
जालौर	366
झालावाड़	236
झुन्झुनूं	429
जोधपुर	505
करौली	226
कोटा	161
नागौर	611
पाली	426
राजसमन्द	219
सवाई माधोपुर	202
सीकर	496
सिरोही	187
टोंक	250
उदयपुर	562
कुल योग	**10742**

निजी चिकित्सालयों पर नियंत्रण हेतु गठित समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन

450. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निजी चिकित्सालयों पर नियंत्रण के लिये श्री एस. आर. मेहता की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त समिति की रिपोर्ट को लागू कर दिया गया? यदि हां, तो कब से? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि समिति द्वारा प्रत्येक चिकित्सालय की विभिन्न इकाइयों हेतु अलग-अलग नियम बनाये गये थे और इसी तरह प्रत्येक निजी चिकित्सालय में 30 बैड से 500 बैड के चिकित्सालयों के लिये अलग अलग नियम बनाये थे? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त नियमों को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। निजी अस्पतालों पर नियंत्रण करने के लिए श्री एस. आर. मेहता की अध्यक्षता में एक समिति दिनांक 01.08.2001 को बनाई गई थी। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की किन्तु भारत सरकार द्वारा निजी अस्पतालों पर नियंत्रण हेतु क्लिनिकल एस्टीब्लेशमेन्ट एक्ट बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण राज्य सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) समिति द्वारा 30 से 500 बैड के चिकित्सालयों के लिये अलग अलग नियम प्रस्तावित किये गये थे किन्तु राज्य सरकार द्वारा अभी इसे लागू नहीं किया गया।

(4) भारत सरकार द्वारा क्लिनिकल एस्टीब्लेशमेन्ट एक्ट पारित कराने के पश्चात सभी राज्यों पर उक्त एक्ट प्रभावी होगा।

सिटी डिस्पेन्सरी ब्यावर में आवश्यक सुविधाएं

451. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

(1) मेवाड़ी गेट पर सिटी डिस्पेन्सरी ब्यावर में प्रतिदिन कितने रोगियों द्वारा इलाज करवाया जाता है? गत चार वर्षों में लाभान्वित रोगियों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सिटी डिस्पेन्सरी का स्थानीय भामाशाहों द्वारा जीर्णोद्धार कराया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार उक्त डिस्पेन्सरी से जनता को राहत मिले इसके लिये क्या कार्य योजना बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी मेवाड़ी गेट, ब्यावर पर मरीजों की प्रतिदिन औसत संख्या 34 के लगभग रहती है। गत 4 वर्षों का उक्त डिस्पेन्सरी का आउटडोर का संख्या विवरण निम्न प्रकार हैः-

वर्ष	आउटडोर मरीजों की संख्या
2004	9920
2005	9440
2006	12352
2007	12362

(2) जी हां। राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी मेवाड़ी गेट, ब्यावर में स्वीकृत स्टाफ द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है। उक्त सिटी डिस्पेन्सरी को वर्तमान में क्रमोन्नत किया जाना विचाराधीन नहीं है।

विकिरण सुरक्षा हेतु निदेशालय का गठन

452. **डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार को माननीय उच्चतम न्यायालय से विकिरण सुरक्षा हेतु कोई दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा विकिरण सुरक्षा कानून अन्तर्गत निदेशालय का गठन कर लिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(3) वर्तमान में सरकार द्वारा अस्पतालों व अनुसंधान केन्द्रों पर विकिरण रोकने हेतु क्या योजना संचालित की जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। दिशा-निर्देश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(2) विकिरण सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निदेशालय का गठन किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(3) सरकारी एवं निजी अस्पतालों तथा अनुसंधान केन्द्रों पर विकिरण रोकने हेतु संभाग स्तर पर अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो अपने सम्भाग के अधिकारी/निजी अस्पतालों में स्थापित होने वाले विकिरण वाले उपकरणों के भवन निर्माण, सेफ्टी उपायों आदि का निरीक्षण कर ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करते हैं, इसके पश्चात ही उपकरण स्थापित किये जाते हैं। समय-समय पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया जाता है तथा इसरो द्वारा जारी दिशा-निर्देश की पालना सुनिश्चित करते हैं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के नर्सिंग स्टाफ आवासों के रख-रखाव पर व्यय

453. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय में स्थित नर्सिंग स्टाफ हेतु राजकीय आवासों के मरम्मत/रखरखाव हेतु वर्ष 2004 से अब तक सरकार द्वारा कितनी कितनी राशि कब-कब, किस-किस आवास पर व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में किस-किस आवासधारी द्वारा कौन-कौन से मरम्मत कार्य व अन्य कार्य करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये तथा उनमें से कितने कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं व कौन-कौन से शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रत्येक आवासों के मरम्मत/रखरखाव के लिए अलग-अलग राशि आबंटित की गई थी? यदि हां, तो किस-किस आवास पर कितनी-कितनी राशि व्यय की जानी थी व कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. समरजीत सिंह)

(4) क्या यह सही है कि जिन आवासों हेतु राशि आबंटित की गई थी वह राशि अन्य आवासों के मरम्मत/रखरखाव पर व्यय की गई है? यदि हां, तो किस-किस आवास पर कितनी-कितनी राशि किसके आदेशों से व इसके लिए कौन दोषी है व उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में स्थित नर्सिंग स्टाफ हेतु राजकीय आवासों के मरम्मत एवं रखरखाव पर वर्ष 2004-05 में अभी तक व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सवाई मानसिंह चिकित्सालय में नर्सिंग स्टाफ हेतु राजकीय आवासों में अवधि में आवासधारियों द्वारा सामान्य रखरखाव एवं परिवर्तन/परिवर्धन इत्यादि के कार्यों के लिए शिकायत पुस्तिका में दर्ज शिकायतों में से सामान्य रखरखाव से संबंधित कार्य ही सम्पादित किये गये हैं तथा परिवर्तन/परिवर्धन के कार्य समुचित वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण नहीं कराये गये है।

(3) जी नहीं। सामान्यतया आवास अनुसार अलग-अलग राशि का आबंटन नहीं किया जाता है।

(4) जी नहीं।

परिशिष्ट-1

सवाई मानसिंह चिकित्सालय में स्थित नर्सिंग स्टाफ हेतु राजकीय आवासों के पुनर्निर्माण, मरम्मत एवं रखरखाव आदि पर किये गये खर्चों का पूर्ण विवरण (वर्ष 2004-05 से 2006-07)

क्र. सं.	आवास संख्या	कार्य का नाम	वर्ष 2004-05 मद 2216 रखरखाव व्यय	वर्ष 2005-06 मद 2216 रखरखाव व्यय	वर्ष 2006-07 मद 2216 रखरखाव व्यय
1	कंपाउंडर क्वार्टर सं. 1	1. सभी क्वार्टरों के पीछे खराब हुई सीवर लाइन की जगह नई लाइन बिछाई गई 2. क्वार्टरों के पीछे रफ कोटा स्टोन लगाया गया 3. सभी क्वार्टरों के कमरों में टूटी हुई फर्श को बदल कर चिप्स की टाइल लगाई गई 4. कमरों में दरवाजे आदि लगाये गये मय चौखटों के 5. शौचालयों में टाइल्स लगाई गई। 6. कमरों का प्लास्टर किया गया 7. सभी क्वार्टरों में रंग सफेदी आदि की गई	25000.00	8000.00	9095.00
2	कंपाउंडर क्वार्टर सं. 2		20000.00	-	2000.00
3	कंपाउंडर क्वार्टर सं. 3		30000.00	16684.00	2000.00
4	कंपाउंडर क्वार्टर सं. 4		40000.00	-	1300.00
5	कंपाउंडर क्वार्टर सं. 5		35000.00	20000.00	9000.00
6	कंपाउंडर क्वार्टर सं. 6		40000.00	10000.00	12000.00
7	कंपाउंडर क्वार्टर सं. 7		45000.00	-	4000.00
8	कंपाउंडर क्वार्टर सं. 8		40000.00	-	4000.00
9	कंपाउंडर क्वार्टर सं. 9		20000.00	-	2500.00

राजकीय चिकित्सालय नदबई (भरतपुर) में आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता

454. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार कस्बा नदबई (भरतपुर) के राजकीय चिकित्सालय में रोगियों के स्वास्थ्य की जांच में काम आने वाली नवीन तकनीकी मशीनों एवं उपकरणों को उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या-क्या व कब तक?

उत्तर

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नदबई (भरतपुर) में वर्तमान में 30 शैय्याऐं स्वीकृत हैं। 30 शैय्याओं वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अनुरूप प्रयोगशाला से संबंधित साधारण जांचें, एक्सरे एवं ई.सी.जी. की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित उपकरण भी उपलब्ध करवाये गये हैं :-

1- Photo Electric Calorimeter

2- Glucometer

3- Water Bath

4- Pulse Oxymeter

5- Hot Air Oven

6- Slit Lamps

श्रीडूंगरगढ़ के सड़क विहीन ग्राम

455. श्री मंगलाराम गोदारा (बीकानेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में कौन-कौन से गांव ऐसे हैं, जो सड़क से जोड़े जाने शेष हैं? क्या सरकार शेष गांवों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस योजना में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

अन्तर्गत वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 250 तक की आबादी के 5 गांव धोरों की ढाणी (455), रावली ढाणी (449), राजपुरा (406), लाघडिया (353) तथा रेवाड़ा (269) सड़कों से जोड़े जाने शेष हैं। इनमें से चार गांवों को सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रगति पर है तथा कार्य अक्टूबर, 2008 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। रेवाड़ा गांव प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत स्वीकृत है तथा दिसम्बर, 2008 तक सड़क से जोड़ दिया जावेगा।

स्टेशन-इण्डिया मोटर चौराहा (अजमेर) क्षेत्र में एलीवेटेड सड़क निर्माण

456. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार अजमेर की बढ़ती यातायात समस्या के समाधान हेतु स्टेशन से इण्डिया मोटर चौराहे तक एलीवेटेड रोड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस योजना का आकार व व्यय राशि कितनी होगी?

(2) सरकार द्वारा कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा व योजना की अवधि क्या होगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उपरोक्तानुसार।

फतेहपुर की क्षतिग्रस्त सड़कें

457. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार क्षतिग्रस्त सड़कों को पेवर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में ऐसी कौन-कौनसी सड़कें हैं, जो क्षतिग्रस्त हैं तथा इन्हें पेवर करवाया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में किस-किस श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें से किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सड़कों का पेवर कार्य करवाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता पर निर्भर है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची एवं जिन सड़कों पर पेवर हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। शेष सड़कों पर पेवर कार्य राज्य सरकार की प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में विभिन्न संवर्गों के 22 पद स्वीकृत हैं। विभिन्न संवर्गों के 6 पद रिक्त चल रहे हैं। स्वीकृत पद, भरे हुए पद एवं रिक्त पद की सूची परिशिष्ट 'ख' पर दर्शाई गई है।

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी. में)
1	फतेहपुर से बेसवा	1.000
2	बेसवा से बागडोदा	1.500
3	बलारां से भगासरा	1.200
4	रामगढ़ से मण्डावा	6.000
5	सदीनसर से ठिमोली	2.500
6	फतेहपुर से गोडिया बड़ा	3.000
7	ताजसर से गांगियासर	2.000
8	बलौद बड़ी से बलौद छोटी	1.500
9	सम्पर्क सड़क गारिण्डा	3.000
10	गोडिया बड़ा से हेतमसर	2.000
11	दौलताबाद से ठेडी	4.000
12	रामगढ़ से ढाढण सड़क	1.000 रु. 5.0 लाख बारहवें वित्त आयोग योजना में स्वीकृत
13	रामगढ़ बस स्टेण्ड से काली माता मंदिर	1.000 रु. 5.0 लाख बारहवें वित्त आयोग योजना में स्वीकृत
	योग :-	**29.700**

परिशिष्ट ''ख''

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में श्रेणीवार रिक्त पदों की सूचना

खण्ड कार्यालय फतेहपुर में पद स्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों की श्रेणीवार सूची

क्र.सं.	पद का नाम	श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	कब से रिक्त	विशेष विवरण
1	अधिशासी अभियन्ता	राजपत्रित	1	1	-	-	
2	तकनीकी सहायक एवं सहायक अभियन्ता	राजपत्रित	1	-	1	8/06	तकनीकी सहायक का पद रिक्त है।
3	खण्डीय लेखाधिकारी	राजपत्रित	1	1	-	-	
4	कनिष्ठ लेखाकार	लेखा सेवा	1	1	-	-	
5	स्टेनोग्राफर	अधीनस्थ सेवा	1	1	-	-	
6	कार्यालय सहायक	मंत्रालयिक	1	-	1	5/04	
7	वरिष्ठ लिपिक		2	2	-	-	
8	कनिष्ठ लिपिक		5	5	-	-	
9	वरिष्ठ प्रारूपकार	तकनीकी	1	1	-	-	
10	कनिष्ठ प्रारूपकार		1	-	1	8/07	
		योग :-	**15**	**12**	**3**		

उपखण्ड कार्यालय फतेहपुर में पद स्थापित अधिकारियों/ कर्मचारियों की श्रेणीवार सूची

क्र.सं.	पद का नाम	श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	कब से रिक्त	विशेष विवरण
1	सहायक अभियन्ता	राजपत्रित	1	1	-	-	
2	कनिष्ठ अभियन्ता	अराजपत्रित	3	1	2	8/04 व 9/07	अनुभाग फतेहपुर एवं रोल के दो पद रिक्त हैं।
3	वरिष्ठ लिपिक	मंत्रालयिक	1	-	1	17-7-06	
4	कनिष्ठ लिपिक		1	1	-	-	
5	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	सहायक	1	1	-	-	
		योग :-	**7**	**4**	**3**		
		महायोग	**22**	**16**	**6**		**कुल पद 7 रिक्त है।**

उपरोक्तानुसार विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग में कुल 6 पद रिक्त हैं।

वल्लभनगर के सड़क विहीन ग्राम

458. श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में ऐसे कितने गांव हैं, जिनमें 500 की आबादी से अधिक व्यक्ति निवास करते हैं? क्या सरकार उक्त ग्रामों में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत डामरीकृत सड़कों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 500 से अधिक की आबादी के कुल 130 गांव हैं।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के 500 से अधिक की आबादी के सभी गांव डामर सड़क से जोड़े जा चुके हैं।

बाली-पिण्डवाड़ा राज्य राजमार्ग की चौड़ाई में वृद्धि

459. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाली में नवीन सड़क निर्माण एवं बाली से पिण्डवाडा राज्य राजमार्ग सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

बाली विधान सभा क्षेत्र में 250 तक की आबादी के समस्त गांव दिसम्बर, 2008 तक सड़कों से जोड़ दिये जायेंगे तथा 250 की आबादी से नीचे के समस्त ग्रामों को ग्रेवल सड़क से जोड़ने का राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है।

बाली से पिण्डवाड़ा राज्य राजमार्ग सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का कार्य राज्य सरकार की प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

बांसवाड़ा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़क निर्माण की प्राप्त शिकायतें

460. श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री जीतमल खांट)

(1) राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दिसम्बर, 2003 से दिसम्बर, 2007 तक कुल कितनी सड़कें स्वीकृत हुई? प्रत्येक सड़क पर कितनी राशि व्यय की गई? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सड़क सुदृढ़ीकरण योजना में दिसम्बर, 2003 से दिसम्बर, 2007 तक कुल कितनी सड़कें स्वीकृत हुई एवं उन पर कितनी राशि व्यय की गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों योजनाओं की गुणवत्ता को लेकर बांसवाड़ा जिले में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो बांसवाड़ा जिले की सड़कों के लिए कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? शिकायतों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या बांसवाड़ा जिले की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही की गई हैं? यदि हां, तो क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दिसम्बर, 2003 से दिसम्बर, 2007 तक कुल 7578 सड़कें स्वीकृत हुई। स्वीकृत सड़कों की संख्या, स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) दिसम्बर, 2003 से दिसम्बर, 2007 तक विभिन्न योजनाओं में 255 सड़कों पर सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य स्वीकृत किये गये। स्वीकृत सड़कों की संख्या, स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। बांसवाड़ा जिले की सड़कों के लिये 6 शिकायतें प्राप्त हुई। विवरण परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है। शिकायतों की प्रति परिशिष्ट ''द'' पर संलग्न है।

(4) जी हां। प्राप्त शिकायतों पर वांछित कार्यवाही की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। पालना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट ''य'' पर संलग्न है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

मुख्य मंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कें

461. श्री टीकम चन्द कांत (सिवाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री टीकम चन्द कान्त)

(1) गत चार वर्षों में बी.ओ.टी. के अन्तर्गत कुल कितनी परियोजनाएं निजी उद्यमियों को आबंटित की गई? इनमें से कितनी परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं एवं कितनी शेष हैं?

(2) मुख्य मंत्री सड़क योजना की कुल लागत कितनी है? इसमें से कितने किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण गत चार वर्षों में कर दिया गया एवं कितने किलोमीटर शेष है?

उत्तर

(1) गत चार वर्षों में बी.ओ.टी. के अन्तर्गत कुल 9 परियोजनाएं निजी उद्यमियों को आबंटित की गई हैं। इनमें से 6 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं एवं तीन परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है जो शेष है।

(2) मुख्य मंत्री सड़क योजना की कुल लागत 2300 करोड़ रुपये है। 6521 कि.मी. लम्बी सड़कों का निर्माण/उन्नयन/विकास गत चार वर्षों में किया गया है एवं 1526 कि.मी. शेष है।

बिलीया-अखड़ (शाहपुरा) सड़क मार्ग का डामरीकरण

462. श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मेगा हाईवे कांकरोली से जयपुर एवं नागौर से सतूर स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो इसका निर्माण कब से प्रारम्भ होगा व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में बिलीया से अखड़ तक की सड़क पर डामरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) यह कार्य राज्य सरकार के उपलब्ध संसाधनों एवं कार्य की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

सलूम्बर की मरम्मत योग्य सड़कें

463. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

(1) गत चार वर्षों में उपखण्ड सलूम्बर में कितनी सड़कों पर कार्य स्वीकृत हुए व कितनी पर कार्य चल रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि डगार से कटाकला तक सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों का पुन: डामरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत चार वर्षों में उपखण्ड सलूम्बर में 379 सड़क कार्य स्वीकृत हुए हैं, विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है। 77 सड़क कार्य प्रगति पर हैं। विवरण परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है। 40 सड़क कार्य की निविदा प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट ''ग'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

(3) जी हां। उक्त सड़क का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा किया गया था एवं सड़क के रख-रखाव की जिम्मेदारी भी सिंचाई विभाग की है। क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करती है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम कीर्ति नगला (महुवा) हेतु सड़क निर्माण

464. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कीर्ति नगला तहसील महुआ जिला दौसा में प्रधानमंत्री सड़क योजना अन्तर्गत वर्ष 2004-05 से जनवरी, 2008 के बीच सड़क स्वीकृति जारी की गयी है? यदि हां, तो कब व उक्त सड़क कितने किलोमीटर तक डामरीकरण एवं सी.सी. रोड कहां से कहां तक बनाना प्रस्तावित है एवं सी.सी. रोड की लम्बाई एवं चौड़ाई कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क को बनाने हेतु ग्रामवासियों द्वारा सरपंच, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी, जिला कलक्टर आदि को ज्ञापन दिया गया है? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(श्री हीरालाल)

(3) क्या सरकार उपरोक्त योजनान्तर्गत प्रस्तावित सड़क को यथा शीघ्र बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम कीर्ति नगला तहसील महुआ जिला दौसा के लिये प्रधानमंत्री सड़क योजना अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में 0.80 कि.मी. लम्बाई के लिए राशि रुपये 16.05 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 से गांव कीर्ति नंगला के लिये 0.650 कि.मी. डामर सड़क एवं 0.150 कि.मी. गांव के भाग में सी.सी. सड़क प्रस्तावित है। सी.सी सड़क 0.150 कि.मी. लम्बाई एवं 4.05 मीटर चौड़ाई में प्रस्तावित है।

(2) जी हां। ग्रामवासियों द्वारा उपखण्ड अधिकारी, महवा को ज्ञापन दिया गया है, गांव के भाग में अतिक्रमण होने के कारण सी.सी. सड़क का कार्य नहीं हो पा रहा है। इस सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड महुआ ने अपने पत्रांक 1480 दिनांक 2-3-07 एवं 1545 दिनांक 26-3-07 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, महुआ से अतिक्रमण हटाने हेतु प्रशासनिक सहयोग मांगा है।

(3) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 से 0.65 किमी लम्बाई में डब्ल्यू.बी.एम. तक कार्य हो चुका है तथा मार्च, 2008 तक डामरीकरण पूर्ण कर लिया जायेगा। गांव के भाग में 0.150 किमी. लम्बाई में सी.सी. सड़क का निर्माण अतिक्रमण हटने के पश्चात ही सम्भव हो पायेगा।

विधि सहायकों के रिक्त पद

465. **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में विधि सहायक के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? उक्त स्वीकृत पदों में से कितने पद रिक्त हैं? विभागवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर भर्ती का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या विधि सेवा में किसी संवर्ग का बैकलॉग शेष है? यदि हां, तो वर्ष 1990 से समस्त भर्ती का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में विधि सहायक के कुल 158 पद स्वीकृत हैं तथा 13 पद प्रतिनियुक्ति के हैं, कुल 171 पद स्वीकृत हैं। उक्त पदों में से 31 पद रिक्त हैं।

विभागवार रिक्त पदों का विवरण प्रदर्श-क पर संलग्न है।

(2) जी हां। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। अनुसूचित जाति के 18 पद एवं अनुसूचित जनजाति के 17 पदों का बैकलॉग शेष है। 1990 से विधि सहायक के पदों पर समस्त भर्ती का विवरण प्रदर्श-ख पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कार्यालय राजकीय अधिवक्ता जोधपुर/जयपुर के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष पद का पदोन्नयन

466. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सही है कि कार्यालय राजकीय अधिवक्ता, जोधपुर एवं जयपुर में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों को पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर क्रमोन्नत करने का प्रकरण स्वीकृति हेतु लम्बित है? यदि हां, तो उक्त प्रकरण कब से लम्बित है तथा लम्बित रहने के क्या कारण हैं? उक्त प्रकरण का निस्तारण कब तक कर दिया जाएगा?

उत्तर

जी हां। यह सही है कि राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर में सहायक पुस्कालयाध्यक्ष के पदों को पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर क्रमोन्नत करने का प्रकरण वित्त विभाग की स्वीकृति हेतु लम्बित है। प्रकरण वित्त विभाग के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदन हेतु बजट निर्णायक समिति वर्ष 2007-08 में रखा गया। वित्त विभाग से अनुमोदन होने पर प्रकरण का निस्तारण किया जा सकेगा।

कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की घोड़ादर्रा/झाखरिया/नवागांव सिंचाई परियोजनाओं से रिसाव

467. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री फतेह सिंह)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में घोड़ादर्रा/झाखरिया/नवागांव सिंचाई योजनाओं से पानी सीपेज होकर निकल जाता है?

(2) क्या यही भी सही है कि तालाबों में पानी होने की वजह से काश्तकार फसलों की बुवाई करते हैं?

(3) क्या यह सही है कि फसलों में एक पानी मिलने के बाद पानी के अभाव में फसलें सूख जाती हैं व फसलों को नुकसान होता है?

(4) क्या सरकार उक्त तीनों परियोजनाओं का सीपेज बन्द करने के लिये मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में घोड़ादर्रा झाखरिया सिंचाई परियोजना से पानी का सीपेज है एवं नयागांव परियोजना में सीपेज नहीं है।

(2) घोड़ादर्रा, नयागांव तालाबों में पानी होने से काश्तकार फसलों की बुवाई करते हैं एवं झाखरिया तालाब में बुवाई नहीं होती।

(3) जी नहीं। बांध में पानी की उपलब्ध मात्रा के अनुसार ही जल वितरण समिति द्वारा सिंचित होने वाला क्षेत्र एवं पाणों की संख्या का निर्धारण किया जाता है।

(4) जी हां। नयागांव तालाब के सीपेज की मरम्मत का कार्य किया जा चुका है। झाखरिया तालाब की मरम्मत का कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वर्ष 2008-09 में प्रस्तावित है तथा घोड़ादर्रा तालाब की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधन उपलब्धतानुसार किया जाना सम्भव होगा।

माही डैम (बांसवाड़ा क्षेत्र) की दाईं/बाईं/भूगड़ा कैनाल में शिल्ट सफाई पर व्यय

468. श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में माही डेम की दाईं और बाईं व भूगडा कैनाल में वर्ष 2007-08 में रबी फसल की तैयारी के लिए नहरों की मरम्मत कराई गई है? यदि हां, तो यह कार्य विभाग द्वारा कराया गया या ठेकेदारों द्वारा?

(श्री नवनीत नीनामा)

(2) क्या यह सही है कि नहरों में पड़ा मलबा या शिल्ट सफाई का कार्य कराया गया? यदि हां, तो ठेकेदार का नाम व शिल्ट में लगाई गई राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माही बांध की दांयी मुख्य नहर व भूंगडा कैनाल में वर्ष 2007-08 में रबी की फसल की तैयारी के लिए नहरों की मरम्मत कराई गई है तथा ये कार्य ठेकेदारों द्वारा कराया गया है।

(2) जी हां। ठेकेदारों का नाम एवं शिल्ट सफाई में व्यय राशि का विवरण प्रपत्र-अ में अंकित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजसमन्द झील की दाईं/बाईं नहरों का सुदृढ़ीकरण

469. श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के ग्रामीण क्षेत्र की पुनर्गठित ग्रामीण जल प्रदाय योजना क्रमशः लम्बित है :

(i) केलवा-1.93 करोड़

(ii) एमडी-1.25 करोड़

(iii) भाणा, लवाणा, भगवान्दा-1.43 करोड़

यदि हां। तो उक्त योजनाएं कब तक स्वीकृत कर दी जायेंगी? व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार राजसमन्द झील की दाईं एवं बाईं नहरों का सुदृढ़ीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(3) क्या सरकार बनास नदी में सरफेस बेरियर- (कुरज, अमलोई, मजा नादीडा बडारडा) बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के ग्रामीण क्षेत्र की वर्णित 3 पुनर्गठित पेयजल योजनाएं वर्तमान में सक्षम स्तर पर तकनीकी जांच प्रक्रिया में है। जांच में उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

(सिंचाई मंत्री)

(2) जी हां। प्रस्ताव तकनीकी जांच की प्रक्रिया में है। उपादेय पाये जाने पर संसाधनों की उपलब्धतानुसार स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

(3) जी नहीं। बनास नदी पर सरफेस बेरियर के कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

पाली जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम निर्माण में व्याप्त अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतें

470. **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : क्या सहाकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में विभिन्न ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम बनाने के लिए राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कहां-कहां व कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सभी समितियों ने स्वीकृत राशि का उपयोग करके गोदाम बनवा लिये थे? यदि हां, तो निर्माण किस एजेन्सी से करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अनेक सहकारी समितियों ने उक्त स्वीकृत राशि नहीं उठाई? यदि हां, तो क्यों तथा उक्त राशि का क्या किया गया?

(4) क्या यह सही है कि निर्मित गोदाम की गुणवत्ता की जांच करवाई गई थी? यदि हां, तो किस एजेन्सी द्वारा? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त गोदामों की स्वीकृत राशि आबंटन में भ्रष्टाचार की ''दी पाली सैन्ट्रल कॉ-आपरेटिव बैंक' प्रशासक या प्रबंधक को शिकायतें मिली थी? यदि हां, तो उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पाली जिले में 58 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम बनाने के लिए विभाग द्वारा स्वीकृति जारी की गई जिसकी सूची परिशिष्ट–'ए' पर संलग्न है।

(2) जिले की 57 ग्राम सेवा सहकारी समितियों ने राशि का उपयोग कर गोदाम बनवा लिये हैं। जिले की एक निम्बाज ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, निम्बाज, पंचायत समिति जैतारण में भूमि विवाद के

(सहकारिता मंत्री)

कारण उसे ''डी-सेंक्शन'' कर राशि वापस लेकर जिले की बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा कराई गई है।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम निर्माण स्वयं समितियों द्वारा किये गये हैं किन्तु निर्माण सम्बन्धी समस्त कार्यों की गुणवत्ता एवं पर्यवेक्षण हेतु कमेटी का गठन किया गया है जिसमें बैंक का ऋण पर्यवेक्षक समिति का अध्यक्ष, व्यवस्थापक एवं एक तकनीकी सदस्य रखा गया है।

(3) जिले की निम्बाज ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, निम्बाज, पंचायत समिति जैतारण में भूमि विवाद के कारण स्वीकृत राशि ''डी-सेंक्शन'' कर समिति से वापिस लेकर बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा कराई गई है।

(4) जी हां। गठित कमेटी के तकनीकी प्रतिनिधि द्वारा गुणवत्ता की जांच कर प्रमाण पत्र दिया जाता है।

(5) जी नहीं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्मिकों का लम्बित समझौता

471. **डा. समरजीत सिंह** (भीनमाल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में बढोत्तरी करने का समझौता कब से लम्बित है? इसे लागू नहीं करने के क्या कारण रहे? क्या यह सही है कि इस पर पड़ने वाला वित्तीय भार राज्य सरकार को वहन करना होगा?

(2) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सहकारी बैंक कर्मियों को उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान की व्यवस्था पर रोक लगाई गई है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इस रोक को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में बढ़ोत्तरी का 13वां समझौता जो दिनांक 1.1.2004 से प्रभावी होना है, लम्बित है। 13वां वेतनमान समझौता हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की सिफारिशों पर स्वीकृति वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

जी नहीं।

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी हां। शीर्ष बैंक/केन्द्रीय सहकारी बैंकों हेतु सम्पन्न द्विपक्षीय वेतन समझौते में उपार्जित अवकाश के नकद भुगतन की सुविधा राज्य सरकार के अनुसार देय होने का प्रावधान होने एवं राज्य सरकार द्वारा उक्त सुविधा वर्तमान में स्थगित होने से उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान अग्रिम आदेशों तक स्थगित है।

जी हां। राज्य सरकार में उपार्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान की व्यवस्था पर रोक हटाने के पश्चात समझौते की शर्तों के अन्तर्गत रहते हुए बैंक अधिकारियों/ कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

सहकारी बैंकों में कार्मिकों के रिक्त पद

472. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितने सहकारी बैंक कहां-कहां कार्यरत हैं एवं इनमें कितने कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) सहकारी बैंकों में रिक्त पदों के भरने के मानदण्ड क्या हैं? इनके नियम/परिपत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) सहकारी बैंकों में अंतिम बार कर्मचारियों/अधिकारियों की भर्ती कब की गई थी तथा किस स्तर के कितने कर्मचारियों/अधिकारियों की भर्ती की गई?

उत्तर

(1) राज्य में एक राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. जयपुर में स्थित है व एक राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जयपुर में स्थित है जिनके स्वीकृत पद व रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। राज्य में 29 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक एवं 37 अरबन/नागरिक सहकारी बैंक कार्यरत हैं। जिनकी स्थिति, स्वीकृत पद व रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है जो समय-समय पर की जाती है। भर्ती की कार्यवाही जारी है।

(सहकारिता मंत्री)

(3) सहकारी बैंकों में रिक्त पदों को भरने के मानदण्ड बाबत नियम परिपत्रों की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) अंतिम बार सहकारी बैंकों में नियुक्तियां वर्ष 2006-07 में की गई थीं। भर्ती किये गये केडर वार अधिकारी/कर्मचारी की सूचना परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

चूरू जिले की सहकारी समितियों द्वारा काश्तकारों को उपलब्ध ऋण एवं सहायता

473. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला चूरू में सहकारी समितियों के माध्यम से पिछले तीन वर्षों में काश्तकारों को कितना ऋण व अन्य क्या-क्या सहायता उपलब्ध कराई गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

चूरू जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से पिछले तीन वर्षों में काश्तकारों को उपलब्ध करवाये गये ऋण की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

चूरू जिले में पिछले तीन सालों में काश्तकारों को खरीफ एवं रबी की फसलें खराब होने पर फसल बीमा के क्लेम दिलाये गये। काश्तकारों को दुर्घटना बीमा के क्लेम भी दिलवाये गये। काश्तकारों से समर्थन मूल्य पर एवं वाणिज्यिक खरीद के आधार सरसों व अन्य कृषि जिन्सों की खरीद की गई। कृषकों को खाद बीज आदि भी उपलब्ध करवाये गये।

परिशिष्ट-1

(राशि लाख रुपयों में)

क्र. सं.	वर्ष	अल्पकालीन फसली ऋण	स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड ऋण	उपभोक्ता ऋण	डेयरी विकास	बकरी पालन	वर्षवार योग
1	2004-05	3351.08	0.45	3.36	-	-	3354.89
2	2005-06	4516.82	0.95	2.38	-	-	4520.15
3	2006-07	6479.04	60.32	5.35	0.50	2.07	6547.28
योग	**पिछले तीन वर्षों में**	**14346.94**	**61.72**	**11.09**	**0.50**	**2.07**	**14422.32**

सवाईमाधोपुर जिले में माडा योजनान्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति

474. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) माडा योजनान्तर्गत जिला सवाईमाधोपुर में वर्ष 2007-08 में किस निर्माण कार्य पर कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की स्वीकृति इस वित्त वर्ष में समाप्त होने जा रही है, लेकिन स्वीकृत निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उपरोक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति शीघ्र जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) माडा योजनान्तर्गत जिला सवाईमाधोपुर में वर्ष 2007-08 में निर्माण कार्यों के लिये जारी की गई स्वीकृत राशि का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	योजना का नाम	राशि लाखों में
1	एनिकट निर्माण	20.00
2	ग्रामीण सड़क निर्माण	38.50
	योग	**58.50**

(2) जी नहीं। उपरोक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की स्वीकृति वित्तीय वर्ष में समाप्त नहीं होगी। जो स्वीकृत निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुई हुये है उनके कारण परिशिष्ट-अ के अन्तिम कॉलम में दर्शाये गये हैं। तकनिकी स्वीकृतियां जारी होने के बाद कार्य प्रारम्भ किया जाता है।

(3) उपरोक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी कि जा चुकी है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जनजाति क्षेत्र में विभिन्न योजनान्तर्गत व्यय राशि

475. श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुआ) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या जनजाति क्षेत्र में उन्नत खाद प्रदर्शन, स्टोरेज विन वितरण

(श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर)

कार्यक्रम कपास प्रदर्शन, सेरीकल्चर/उद्यानिकी कार्यक्रम, मशरूम कार्यक्रम, डीजल पम्प सेट वितरण, ब्लास्टिंग से कुएं गहरे कराने, फव्वारा सिंचाई योजना, बस्ती, विद्युतीकरण, लघु सिंचाई कार्यक्रम के तहत एनीकट कृषि उपकरण एवं पावर थ्रेसर योजना प्रभावी है? यदि हां, तो उक्त योजनाएं कब-कब प्रारम्भ की गई तथा प्रत्येक से कितने-कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए? प्रत्येक योजना पर वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक कुल कितनी राशि व्यय की गई?

उत्तर

जी हां। जनजाति क्षेत्र में प्रभावी योजनाओं का विवरण, प्रारम्भ का वर्ष, लाभान्वित हुये व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक योजना पर वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक कुल व्यय राशि का विवरण क्षेत्रवार व योजनावार परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-238 का विवरण)

धारा-27(1)

''किसी सहकारी सोसाइटी का साधारण निकाय सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबन्ध उपविधियों के अनुसार गठित समिति को सौंपेगा :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की दशा में, ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन पर हस्ताक्षर किये हैं, सोसाइटी के कार्यकलापों के संचालन के लिए रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन मास की कालावधि के लिए कोई समिति नियुक्त कर सकेंगे, किन्तु इस परन्तुक के अधीन नियुक्त समिति, ऐसी किसी नयी समिति के गठन पर कार्य करना बन्द कर देगी जिसका गठन उपविधियों के अनुसार तीन मास की उक्त कालावधि के भीतर-भीतर किया जायेगा।''

बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., बारां के मनोनीत संचालक मण्डल के सदस्यों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक के बकाया अवधिपार ऋण की स्थिति

(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति के बकाया अवधिपार ऋण :

क्र. सं.	नाम संचालक	ऋण का प्रकार	ऋण देने की तिथि	समिति में ऋण के अवधिपार होने की तिथि	अवधिपार ऋण	अवधिपार ऋण के कारण निरर्हता की श्रेणी में आने की तिथि
1	श्री नरेश सिंह सिकरवार	फसली ऋण	25.6.99 4.7.99 1.9.99	1.3.2000 1.3.2000 1.6.2000	13,000.00+ब्याज 17,500.00+ब्याज 8,000.00+ब्याज	1.6.2000 1.6.2000 1.9.2000
2	श्री नाथूलाल पारेता	फसली ऋण	15.12.2004	1.6.2005	23,400.00+ब्याज	1.9.2005
3	श्री गिरीराज नागर (बामला)	फसली ऋण	16.5.2007	1.3.2008	45,000.00+ब्याज	-
4	श्री रामेश्वर दयाल मीणा	फसली ऋण	23.5.2007 28.6.07 9.7.2007	1.3.2008	33,000.00+ब्याज 20,000.00+ब्याज 07,000.00+ब्याज	-

क्र. सं.	नाम संचालक	ऋण का प्रकार	ऋण देने की तिथि	समिति में ऋण के अवधिपार होने की तिथि	अवधिपार ऋण	अवधिपार ऋण के कारण निरर्हता की श्रेणी में आने की तिथि
5	श्री गिरिराज धाकड़	फसली ऋण	12.7.2007	1.3.2008	35,000.00+ब्याज	-
6	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा	फसली ऋण	1.6.2007	1.3.2008	50,000.00+ब्याज	-

नोट : श्री नाथूलाल पारेता द्वारा दिनांक 21.2.2008 को अपना समस्त बकाया जमा करा दिया गया है।

(2) केन्द्रीय सहकारी बैंक के बकाया अवधिपार ऋण :

क्र.सं.	नाम संचालक	ऋण का प्रकार	ऋण देने की तिथि	समिति में ऋण के अवधिपार होने की तिथि	अवधिपार ऋण	अवधिपार ऋण के कारण निरर्हता की श्रेणी में आने की तिथि
1	श्री नरेश सिंह सिकरवार	कृषक ज्योति	23.5.2001	1.6.2000	50,000+ब्याज	1.9.2000

परिशिष्ट-2

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गई

भीलवाड़ा के उपनगर पुर की डिस्पेंसरी का सामुदायिक अस्पताल में क्रमोन्नयन

मेरे विधान सभा क्षेत्र में भीलवाड़ा के उपनगर पुर में सिटी डिस्पेन्सरी स्थित है। उपनगर पुर व इसके आसपास 50,000 की आबादी है। जिन्हें इसी सिटी डिस्पेन्सरी पुर से चिकित्सा सुविधा प्राप्त होती है। रात्रिकालीन आकस्मिक चिकित्सा एवं महिला चिकित्सक के अभाव में प्रसव चिकित्सा हेतु मरीजों को भीलवाड़ा जाना पड़ता है, इसमें यातायात के साधन उपलब्ध नहीं होने पर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पुर से भीलवाड़ा महात्मा गांधी चिकित्सालय की दूरी लगभग 15 किमी. है।

पुर डिस्पेन्सरी में आधारभूत सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जैसे लेबर रूम, प्रयोगशाला, एक्सरे रूम या वार्ड के लिये पर्याप्त कमरे व हॉल मौजूद है। इसलिये उपनगर पुर की डिस्पेन्सरी को क्रमोन्नत कर सामुदायिक हास्पीटल कराने की कृपा करावें।

भवदीय

सुभाष चन्द्र बहेड़िया
(भीलवाड़ा)

राजस्थान के किसानों को महाराष्ट्र सरकार की 'आत्मा' परियोजना के अनुरूप अनुदान

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्द राज्य सरकार एवं माननीय कृषि मंत्रीजी के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा। देश के अनेक राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र में जब किसानों द्वारा बोई गई फसल का बाजार मूल्य कम हो जाता है तो आत्मा परियोजना (कृषि प्रबन्ध एवं प्रौद्योगिकी परियोजना) के माध्यम से किसानों को

अनुदान राशि प्रदत्त की जाती है। राजस्थान में चूंकि यह व्यवस्था लागू नहीं है, इससे राज्य के किसानों के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। महाराष्ट्र में व्यवस्था यह है कि जब किसानों द्वारा बोये गये प्याज का बाजार मूल्य तीन रुपये प्रति किलोग्राम से कम हो जाता है तो उन्हें सरकार द्वारा एक सौ रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान नकद रूप में उपलब्ध करवाया जाता है। इसी प्रकार से अन्य कृषि फसलों एवं फलों के लिए अनुदान महाराष्ट्र राज्य में कृषकों को सहजता से उपलब्ध है। राजस्थान में जब किसान द्वारा बोये गये प्याज की आज वर्तमान में कीमत दो से तीन रुपये किलोग्राम ही रह गई है तो क्यों नहीं यहां के काश्तकारों को भी एक सौ रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से अनुदान राशि इस आत्मा परियोजना के माध्यम से प्रदत्त की जा रही है। मेरा राज्य सरकार एवं माननीय कृषि मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में निवेदन है, मेरी मांग है कि शेखावाटी में प्याज बहुतायत से पैदा किया जाता है, पूरे राज्य के किसानों को इससे आर्थिक फायदा होगा, किसान वैसे ही शीतलहर एवं पाले की मार से पीड़ित है, अतएव मैं सरकार से इस महान सदन के जरिये यह मांग करता हूं कि राज्य के किसानों को प्याज पर अनुदान राशि उपलब्ध करवाने की आज ही सदन में घोषणा की जाकर काश्तकारों को राहत प्रदान की जाये।

धन्यवाद, जय हिन्द।

के. डी. बाबर

(लक्ष्मणगढ़)

पुष्कर व आसपास के गांवों में कुंए खोदने व कृषि कनेक्शनों पर लगी रोक हटाई जाए

महोदय,

विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के तहत निवेदन है कि पुष्कर के पैरा-फेरी गांवों में काश्तकारों को बदहाल कर रखा है स्थिति यह है कि डार्कजोन के नाम पर काश्तकार को खेती के लिये कुआ, ट्यूबवैल यहां तक कि हैण्डपम्प खोदने पर राज. सरकार ने पाबन्दी लगा रखी है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर काश्तकार खेती नहीं करेगा तो और क्या करेगा? खेती के लिये पानी की आवश्यकता है और उसके लिये आवश्यकतानुसार कुआ या ट्यूबवैल अपेक्षित है। काश्तकार अनावश्यक कुआ या टयूबवैल खुदाने की स्थिति में नहीं कि लाखों रुपये जाया करे पर जब वर्तमान कुआ या टयूबवैल ड्राई होता है तभी नया खोदता है और वह भी सरकार नहीं खोदने दे तो काश्तकार क्या करें?

कैसे खेती करें? यह सरकार फैसला करे। अन्डर ग्राउन्ड पानी की कमी की जिम्मेदारी काश्तकार की न होकर राजस्थान सरकार की है जिसने पेयजल के लिये तथा रेल्वे ने कारखाने के लिये पानी का भरपूर दोहन किया। पानी का दोहन सरकार करे और सजा भुगते काश्तकार यह विडम्बना है। यह बात कतई समझ में आने वाली नहीं है कि खेती के लिये काश्तकार को कुआ या ट्यूबवैल खोदने की स्वीकृति नहीं मिले, होना तो यह चाहिये कि अपने खेत में किसान आवश्यकतानुसार कुआं/ट्रयबवैल खोदने को स्वतंत्र हो। पुष्कर के पैराफेरी के गांव खेती व पशुपालन पर ही आधारित हैं और उनको अधिकार से महरूम रखना असंवैधानिक व नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि पुष्कर के विश्व प्रसिद्ध गुलाब के फूल, आवंला, जामुन, शहतूत, अमरूद आदि फल एवं सब्जियों की देशक्रोप का उत्पादक प्रभावित हो रहा है तथा प्रकारांतर में इस पर आधारित कुटीर उद्योग भी प्रभावित हो रहा हैं। अतः मेरी सरकार से मांग हैं कि

(1) पैराफेरी गांवों में कुंऐ/टयूबवैल पर लगी पाबन्दी तत्काल हटाई जाये।

(2) पैराफेरी गांवों में कृषि कनेक्शन पर लगी रोक तत्काल हटाई जाये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती

(पुष्कर)

जयपुर की गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा बसायी गई आवासीय कालोनियों का नियमन

महोदय,

राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि जयपुर में विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा आवासीय कॉलोनियों को वैध/अवैध रूप से बसाई गई है। उक्त आवासीय कॉलोनी को जविप्रा द्वारा प्राप्त दस्तावेज के आधार पर कैम्प लगाया जाकर नियमित किया जाकर पट्टा/आबंटन विलेख जारी किया है। किन्तु अभी भी अनेक गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा नियमन सम्बन्धी आवश्यक रिकार्ड जयपुर विकास प्राधिकरण को नहीं दिया है जिसके कारण जविप्रा नियमन की

कार्यवाही नहीं कर सका है। ऐसी गृह निर्माण सहकारी समितियों के द्वारा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने के कारण तथा नियमन की प्रक्रिया नहीं होने के कारण उन आवासीय कॉलोनी का विकास नहीं हो पा रहा है। विकास समितियों द्वारा कुछ आवश्यक दस्तावेज जविप्रा को नियमन हेतु उपलब्ध तो कराये हैं किन्तु मुख्य क्रय-विक्रय सम्बन्धी कागजात उपलब्ध नहीं होने के कारण नियमन किया जाना सम्भव नहीं है।

अतः मैं सदन से मांग करता हूं कि दस्तावेज के अभाव में इन आवासीय कॉलोनियों का नियमन किये जाने बाबत उचित उपाय किये जावें तथा जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा दस्तावेज नहीं दिये हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावे ताकि पुर्नवर्ती नहीं होवे और आवासीय कॉलोनी का नियमन किया जा सके।

प्रो. बीरू सिंह राठौड़

(बनीपार्क)

डेगाना के गैस एजेंसी खोली जाए

मान्वयर,

मैं नियम 295 में विशेष उल्लेख के जरिए विधान सभा का ध्यान आकर्षित करता हूं कि नागौर जिले की डेगाना में आज तक इतने बडे क्षेत्र में ग्रहस्थियों के घर पर खाना बनाने हेतु लकड़ी महंगी उपलब्ध हो रही है। एवं आज तक कोई गैस एजेन्सी को भी इस क्षेत्र हेतु कोई लाईसेंस परमिट भी नहीं मिला है इससे लोग ब्लैक से गैस लाकर खाना बनाने हेतु मजबूर हैं। सरकार को चाहिए इसकी ततकाल जांच कराकर गरीबों को शीघ्र गैस उपलब्ध कराने हेतु गैस एजेन्सी परमिट जारी करावे।

मेरे विधान सभा क्षेत्र मकराना में जो कि 1 लाख से ऊपर की संख्या वाला औद्योगिक नगर है यहां भी 2 गैस एजेन्सी है एक एजेन्सी तो ब्लैक से गैस विवरण कर अन्याय कर रही है जिससे सरकार की इज्जत धूमिल हो रही है। अतः उसको बाद जांच बन्द करा कर लाईसेंस जब्त करावें एवं 1-2 एजेन्सी और बढ़ावें ताकि गरीब जनता को गैस सुलभता से मिल सके।

धन्यवाद।

भंवर लाल

(मकराना)

बूंदी के गांव इन्द्रगढ़ से गुड्डा के बीच चाकन नदी पर पुलिया का निर्माण

महोदयजी,

मेरे विधान सभा के बून्दी जिले तहसील इन्द्रगढ़ में कुछ वर्षों पहले इन्द्रगढ़ से ग्राम गुडडा तक पक्के रोड का निर्माण कृषि उपज मण्डी द्वारा कराया गया है।

मान्वयर मेरा आपसे निवेदन है कि रोड तो बन गया लेकिन रास्ते में चाकन नदी आती है इसके दोनों तरफ पक्का रोड बन गया लेकिन पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया जिससे आम जनता को पानी से होकर निकलना पड़ता है वर्षा से तो रास्ता ही बन्द हो जाता है। गुड्डा गांव पंचायत हैड क्वार्टर है लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पूर्वत सरकार ने इस पर कोई ध्यान दिया मेरा आपसे निवेदन है कि इन्द्रगढ़ से गुड्डा गांव के बीच चाकन नदी पर पुल बनवाने की कृपा करें, जिससे आम जनता को पक्की सड़क का समुचित लाभ मिल सके।

दूसरा मेरा निवेदन है कि सुमेरगंज मण्डी जिला बून्दी से लाखेरी रोड बना हुआ है यह सड़क भी कृषि उपज मण्डी द्वारा बनायी गयी थी इसके बीच में जो पुल बनी हुई है वह क्षतिग्रस्त हो चुकी है जिससे आवागमन बन्द हो गया है।

अतः आम जनता को राहत देने हेतु तुरन्त मरम्मत कराने के आदेश करावें।

धन्यवाद।

प्रभु लाल वर्मा
(पीपल्दा)

खारची की पेयजल समस्या का समाधान

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र खारची में पेयजल की समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्षेत्र में अधिकांश गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी है जिससे गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसके निवारण के लिये तुरन्त जवाई बांध पेयजल योजना से शीघ्र अतिशीघ्र जोड़ा जाये। साथ ही चम्बल नदी का पानी नहर द्वारा

चित्तौड़, भीलवाड़ा जिले से होते हुये वाया भीम टाढगढ होकर अरावली के नदियों में छोड़ा जाये जिससे पेयजल सिंचाई व पनबिजली का भी उत्पादन हो सकेगा, साथ ही जिससे सूखती हुई नदियों को पेरेरिनयल बनाया जा सकेगा, जिससे गोरवाड क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जल प्रपातों द्वारा पनबिजली की भी पूर्ण सम्भावना है। विशेषकर वन रेंज जोजावर के 200 फीट की सीधी ऊंचाई वाले भीलबेरी जलप्रपात व गोरीधाम जलप्रपातों को भी पर्यटन की दृष्टि से इको ट्यूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि चम्बल नदी में आने वाली बाढ का अतिरिक्त जल को अरावली के गोढवाढ क्षेत्र की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के समानान्तर से नदियों में छोड़े जाने हेतु व्याप्त स्तर पर सर्वे करवाई जाये।

खुशवीर सिंह जोजावर
(खारची)

डूंगरपुर की कतिपय पंचायतों का पुनर्गठन

महोदय,

सादर निवेदन इस प्रकार है कि प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधित नियम 295 के तहत मैं राज्य सरकार एवं पंचायत राज मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि पंचायत समिति बिधिवाड़ा जिला डूंगरपुर के निम्न पंचायतों में ग्रा.पं. गन्धवापाल, ग्रा.पं. करावाडा, ग्रा.पं. चारवाडा, ग्रा.पं. रेंटा, ग्रा.पं. विकास नगर, ग्रा.पं. गैजी, ग्रा.पं. वेंजा, ग्रा.पं. महुडीपाल जिनकी दूरी पंचायत समिति मुख्यालय से 55 से 70 किलोमीटर कि दूरी पर स्थित है पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से इन पंचायतों को पंचायत समिति मुख्यालय जाने हेतु डूंगरपुर मुख्यालय घूमकर रोज आना-जाना पड़ता है इन पंचायतों कि दूरी पंचायत समिति सीमलवाड़ा से दूरी मात्र 10 से 13 किलोमीटर दूर ही पड़ती है तथा ग्रा.पं. महुडीपाल, गैजी, वेजा, विकासनगर, रेंटा, की दूरी डूंगरपुर पंचायत समिति से 10 से 15 किलोमीटर पड़ती है।

अतः माननीय उपाध्यक्ष महोदय पंचायत समिति बिधिवाडा कि निम्न पंचायतें करावाडा, चारवाड़ा, गन्धवा, तथा पंचायत समिति डूंगरपुर के ग्रा.पं. पोहरी खानुरात इन चार पंचायतों को पंचायत समिति सीमलवाड़ा में मिलाने का आदेश प्रदान करें तथा ग्रा.पं. रेंटा, वेजा, विकासनगर, गैजी, मदुडी को पंचायत समिति डूंगरपुर में मिलाने कार्यवाही करावें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय इन पंचायतों की तहसील उपखण्ड, थाना आदि अन्य विभागों के कार्यों के लिए पंचायत समिति सीमलवाड़ा में जाना पड़ता है। तथा और मात्र पंचायत समिति के कार्यों के लिए जनजाति के लोगों को 55 से 70 किलोमीटर दूरी दो-तीन बार गाड़ियां बदलकर पंचायत समिति विधिवाड़ा जाना पड़ता है।

अतः माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से निवेदन है कि इन पंचायतों को पंचायत समिति सीमलवाड़ा एवं पंचायत समिति डूंगरपुर में मिलाने का अतिशीघ्र आदेश प्रदान करावें। इन पंचायतों को मिलाने से किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा न ही किसी प्रकार अन्य व्यय करना पड़ेगा।

अतः माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त पंचायतों को अतिशीघ्र गरीब जनता को इतनी दूर जाने से होने वाली परेशानियों से बचाया जावे।

धन्यवाद।

सुशील कटारा
(चौरासी)

कृषि उपज मण्डी समितियों को आयकर के दायरे से मुक्त कराने हेतु पहल

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों को आयकर के दायरे में लाया गया है जिस कारण मण्डी समितियों की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा है व मण्डी सैम में विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। कृषि विपणन विभाग ने मण्डी समितियों को चैरिटबैल ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन का सुझाव दिया है, किन्तु आयकर विभाग ने मण्डियों को चैरीटेबल ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं दिया है तथा आयक राशि जमा नहीं कराने पर मण्डी समितियों के खाते सीज करने की कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जिले की 5 कृषि उपज मण्डी समितियों चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, बड़ा सादड़ी, बेगूं व प्रतापगढ़ के बैंक खाते सीज कर उनमें जमा राशि आहरण कर ली है व करीब 23 लाख रुपये बकाया निकाल दिये हैं।

आयकर विभाग की इस कार्यवाही को लेकर राज्य सरकार को गम्भीर होकर मण्डी समितियों के भविष्य व आर्थिक संकट को लेकर चिन्ता करनी चाहिये तथा भारत सरकार से मण्डियों को आयकर से मुक्त रखने हेतु निवेदन करना चाहिये।

चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में भारत की कृषि विकास दर काफी कम रही है ऐसी स्थिति में मण्डी समितियों को आयकर के दायरे में लेने से मत दर और कम हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि मण्डी समितियां आयकर को लेकर न्यायालय की शरण में भी गई हैं लेकिन पृथक-पृथक रूप से न्यायिक प्रक्रिया में जाने से उन्हें विशेष मनोबल नहीं मिल सका है।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार व कृषि विपणन विभाग से आग्रह है कि राज्य की समस्त कृषि उपज मण्डियों की सामूहिक रूप से पैरवी कर उन्हें न्याय दिलाने में सहभागी बनें।

साथ ही आयकर विभाग द्वारा वसूली गई आयकर राशि भारत सरकार से प्राप्त कर मण्डियों को लौटावें, जिससे कि मण्डियों का आर्थिक संकट समाप्त हो सके।

आशा है सरकार मण्डी समितियों को आयकर के दायरे से मुक्त कराने हेतु प्रभावी पहल करेगी।

चुन्नीलाल धाकड़

(बेगूं)

कुचामन में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं की रोकथाम

महोदय,

इन दिनों कुचामन थाना क्षेत्र में चोरी, डकैती, मारपीट इत्यादि की बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से सभी लोग चिन्तित हैं जिसकी रोकथाम यथाशीघ्र होनी आवश्यक है। इसी माह में निम्न घटनाऐं घटित हो चुकी हैं।

1. श्री मातादीन सोनी बाजार में हलवाइयों की गली से मोटर साईकिल पर आये लुटेरों ने पिस्तौल दिखाकर बडी राशि व सोना की डकैती कर फरार हो चुके हैं। 2. चिन्ताहरण बालाजी सेवा समिति की गली से चांदी के छतर चोरी करके ले गये। 3. फूरसत का बालाजी राजीव प्रधान के मकान के पास मिश्रों की गली में 25000/- रुपये की कीमत का छतर दिन में 9-10 बजे के दौरान चोरी कर ले गये। 4. हुरकटजी के किराणें की दुकान से 4-5 हजार रुपये का सामान चुरा कर ले गये। 5. राजकीय अस्पताल से मोटर साईकिल चोरी कर ले गये। 6. मुन्नालाल डालूका की मोटरसाईकिल चोरी हो गई

जिसका थाने में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 7. गैस गोदाम के पास ट्रैक्टर ड्राईवर को बांधकर पटक गये एवं ट्रैक्टर चुरा कर ले गये। 8. सीकर रोड पर पीतल की टोंटियां जो घरों के बाहर लगी रहती हैं उनमें 8-10 घरों से चोरी कर ले गये। 9. ट्री गार्डस की जालियां चोरी कर ले गये। 10. कुचामन बस स्टैण्ड पर दिन में 10 बजे 28000/- रुपये की जेब काट ली गई। 11. गणेश डूंगरी रोड पर स्थित माताजी के मन्दिर से डंका झालर, आरती इत्यादि दिन में करीब 10-10.30 बजे चोरी कर ले गये। 12. ग्राम दीपपुरा में घर में घुस कर घर के बाड़े के झूंपे में आग लगा दी तथा वृद्ध माता के साथ मारपीट की। जिसका मुकदमा 34/08 पुलिस थाना कुचामन में दर्ज है। परन्तु इसमें मुल्जिमान घर में घुस कर इस तरह का जुर्म किया उसकी धारा नहीं जोड़ी गई। 13. दिनांक 16.2.2008 को रास्ता रोक कर मारपीट की जबरन गाड़ी में डालकर श्री दूलाराम को ले जाकर उसके साथ मारपीट की जिसका मुकदमा नं. 31/2008 पुलिस थाना कुचामन में दर्ज है। परन्तु गाड़ी में जबरन ले जाने की धारा नहीं जोड़ी। 14. मुकदमा नं. 20/05 में मुल्जिमानों के न्यायालय से आये वारन्ट जानबूझकर तामिल नहीं कराये जा रहे हैं।

इस प्रकार बढ़ी अपराधिक प्रवृत्तियों से जन साधारण में भय व्याप्त हैं। इन घटित घटनाओं पर प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही है। जिससे अपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। मैं इस विशेष उल्लेखित प्रस्ताव द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि पुलिस थाना कुचामन क्षेत्र में बढ़ रही अपराधिक प्रवृत्तियों को प्रभावी कार्यवाही कर रोका जावे। व सम्बन्धित मुल्जिमानों को पकड़ने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जावे।

हरीशचन्द्र कुमावत
(नावां)

बौंली में अकाल से नष्ट फसल का बीमा भुगतान

मान्यवर,

मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बौली क्षेत्र में 2063 में कुल रकबा 12710 हैक्टेयर भूमि में खरीफ की फसल की बुआई की गई जिसमें से 8232 हैक्टेयर भूमि की फसल नष्ट हुई जिसका प्रतिशत 64.76 है और उक्त क्षेत्र के 102 गांवों को राज्य सरकार ने अकालग्रस्त घोषित किया था जिसके अनुसार तहसील के सभी गांव सम्मिलित हैं। उक्त गांवों के किसानों को बीमा क्लेम की राशि के भुगतान बाबत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से

पत्राचार करने पर ज्ञात हुआ कि राज्य सरकार से प्राप्त उपज आंकड़े थ्रैशहोल्ड उपज से अधिक थे इसलिए इस क्षेत्र में कोई दावा देय नहीं है जब कि तहसीलदार बोली ने अपने पत्र क्रमांक 1452 दिनांक 1/12/2007 से उक्त तहसील क्षेत्र में 64.76 प्रतिशत खराबा बताया। राजस्व अधिकारी के खराबा बताने के पश्चात भी उक्त तहसील क्षेत्र के किसानों को अभी तक भी फसल बीमा क्लेम का भुगतान नहीं किया गया है इस कारण से उक्त गांवों के किसानों को फसल बीमा क्लेम की राशि यथाशीघ्र भुगतान किये जाने की कार्यवाही करें।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकरण की अविलम्ब जांच करवाकर पीड़ित किसानों को फसल बीमा क्लेम भी दिलाया जाये।

हीरालाल मीणा
(बामनवास)

रायपुर के पहाड़ी क्षेत्र की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

महोदय,

पाली जिले में और विशेषकर रायपुर तहसील के पहाड़ी क्षेत्र के गांव में चरागाह भूमियों पर हो रहे अतिक्रमण की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लम्बे अर्से से शिकायतों के बावजूद भी चरागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण नहीं हटाए जा रहे हैं, या तो राजस्व विभाग के अधिकारी उनसे मिले हुए हैं या असक्षम है, काश्तकरों के पास छोटे-छोटे खेत तथा पशुधन पर वे जीवन निर्वाह करते हैं, लेकिन प्रभावशाली लोग चरागाह भूमियों और गैरमुमकिन भूमियों पर कब्जे हो रहे हैं। बाबरा पंचायत, सैदडा पंचायत, बर पंचायत, विराटियाखुर्द पंचायत, बगडी पंचायत एवं अन्य गांवों में निरन्तर अतिक्रमण हो रहे हैं। धार्मिक स्थल नीलकण्ड के पास कोटडी गांव चरागाह भूमि पर अजमेर जिले के बाहर के लोगों ने कब्जा कर रखा है, और बाबरा पंचायत में झालामण्ड व रामगढ़ गांवों के बीच चरागाह भूमि पर अजमेर जिले के लोगों ने फार्म हाउस बना लिए हैं, किन्तु कई शिकायतों के बाद भी उनको बेदखल नहीं किया गया है।

राज्य सरकार ने 30/1/2006 को एवं 11/1/2008 के परिपात्रों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सिवाय चक एवं गैरमुमकिन राजस्व भूमियों पर मकाना बारा व अन्य अतिक्रमणों को नियमित करने का आदेश दिया था किन्तु रायपुर तहसील में सैकड़ों में अतिक्रमणों के बाद भी राजस्व विभाग के अधिकारियों ने इस परिपत्र के आधार पर दो अतिक्रमणों को नियमित किया है इसी प्रकार 4 वर्षों में 1 बाड़े का नियमन किया गया है जब कि आधे से ज्यादा आबादी पहाड़ी क्षेत्र में रहती है और गैरमुमकिन व सिवाय चक भूमि पर बाड़े बने हुए है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों की मंशा गरीब लोगों को राहत पहुंचाने की नहीं हैं कई बार राजस्व अभियान हुए हैं किन्तु इन गरीब लोगों को राहत नहीं मिली है इसके लिए आवश्यक है कि मगरा क्षेत्र में पूर्व की भांति सैंदडा में एक उप तहसील खोली जाये जहां सरकारी मकान उपलब्ध हैं और बाद में एक अभियान चला के पटवारियों के पास जो अतिक्रमणों की सूची (खसरा परिवर्तनशील) हैं उस गिरदावरी के आधार पर इन बाड़ों व मकानों का नियमन किया जाए व चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया जाये। राज्य सरकार के आदशों की अवेहलना करने वाले और अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने वाले अधिकारियों कि विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का सरकार विचार करे।

सी. डी. देवल

(रायपुर)

परिशिष्ट-3

मांग संख्या 27 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-27 मुख्य शीर्षक पेयजल योजना के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा) :

1. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में ग्राम-अणगोरा, बेलनगेडा, सुनारी, पापड़ा दौलतपुरा, कवटपुरा एवं देवपुरा हेतु पेयजल व्यवस्था कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वृहद जल प्रदाय योजना-आर.जी.एल.एल.आर.डी. 159.50 व 134 योजनाओं को शीघ्र शुरू करवाने एवं नये नलकूप व हैण्ड पम्प खुदवाने पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ़) :

3. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पेयजल के गम्भीर संकट बढ़ने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

4. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में स्वीकृत एच.पी. नहीं लगाये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

5. विधान सभा क्षेत्र दीगोद में पेयजल हेतु विचारणीय योजनाओं को प्राथमिकता से आरम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विभाग द्वारा हाड़ौती सम्भाग में गांवों व कस्बों को पेयजल की पूर्ति भू-जल के स्थान पर व्यर्थ बहते वर्षा जल का संरक्षण कर नदियों पर एनीकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. विभाग द्वारा हाड़ौती सम्भाग के समस्याग्रस्त गांवों में जहां भू-जल सूख जाने के कारण टैंकरों से पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है वहां पशु पेयजल हेतु अलग से व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये।
8. विभाग द्वारा प्रदेश की 94 प्रतिशत पेयजल व्यवस्था भू-जल का दोहन करने के स्थान पर व्यर्थ बहते वर्षा जल का संरक्षण करें व भू-जल रिचार्ज करने की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

9. स्वीकृत पेयजल योजना, निम्बाहेड़ा व कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा के अन्तर्गत राईजिंग लाइन के पाइप उपलब्ध कराने व स्वीकृत योजनाओं का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने पर चर्चा के लिये।

10. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा-छोटी सादड़ी की समस्त प्रस्तावित पेयजल योजनाओं की स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

11. विभाग द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कार्यालय निम्बाहेड़ा एवं छोटी-सादड़ी में सहायक अभियंता कार्यालय खोलने की स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

12. विभाग द्वारा छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ की स्वीकृत शहरी पुर्नगठित पेयजल योजना की निविदा आमंत्रित कर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विभाग द्वारा बाड़ी मानसरोवर बांध से बाड़ी से गोमाना गांव तक 14 गांवों की प्रस्तावित पेयजल स्कीम स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

14. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में फ्लोराइड पानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में पीने का पानी उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

16. विभाग द्वारा पेयजल योजना बाफेरी नाका नाथद्वारा से मावली के भानानोल, जावड़, पलाना कलां, थामला पंचायत के गांवों में पेयजल की योजना बनाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र मावली में पेयजल समस्या के निदान हेतु यथा-बोचणा योजना, सिन्धु योजना, कुचोली योजना, बड़गांव योजना का कार्य प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

18. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र पाली में स्वीकृत पेयजल योजना के अन्तर्गत तख्तसागर जोधपुर से रोहट (पाली) तक पाइप लाइन बिछाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

19. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के राजस्व ग्राम दुर्जनपुरा, मिठारवालों की ढाणी, तुर्काणी, घोडीवारा कलां, फतेहसरी, खरीटां की ढाणी तथा नगर पालिका नवलगढ़ में टीसावाली बगीची में नये ट्यूबवैल स्वीकृत करवाने पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) :

20. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में केलवा, एमडी, कुंआरिया, लावा, सरदारगढ़, भाणा भगवान्दा, लंबाणा की प्रस्तावित ग्रामीण पुर्नगठित पेयजल योजना की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

21. विभाग द्वारा रामगढ़ (अलवर) के 1500 की जनसंख्या वाले ग्रामों में पेयजल मुहैया करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

22. राज्य की पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत दूषित जल की आपूर्ति किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर) :

23. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम रायथल में पेयजल हेतु स्थित भीम तालाब को मिनी डेम बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

24. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में पेयजल हेतु प्रस्तावित हैण्ड पम्पों को स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

25. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के ग्राम आशाहोली, भोरून्दा, नथड़ी-भास में एस.आर. टंकिया बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा पंचायत के सहाड़ा खेड़ा में विभाग द्वारा पाइप लाइन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के सालेरा के ग्राम पंचायत के नये कुएं से विभाग की पेयजल योजना चलाकर गांव को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

28. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के ग्राम छागडास को रायलीमास पेयजल पाइप लाइन से उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

29. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सीकर में बारह गांवों में पानी की बड़ी योजना बनाकर टंकी निर्माण कर उससे पेयजल व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

30. विभाग द्वारा हिण्डौली एवं नैनवां तहसील में पेयजल की उचित व्यवस्था हेतु हैण्ड पम्प स्वीकृत करने एवं 1500 से अधिक की आबादी के गांवों में पेयजल योजनायें स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

31. तख्तगढ़ नगर की पेयजल व्यवस्था जलदाय विभाग द्वारा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) :

32. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की पेयजल योजना पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) :

33. विधान सभा क्षेत्र देसूरी के ग्राम ठालोप, उन्दरथल आना, प्रतापगढ़ पादरली सिंघसान व खुनीगुडा में जलदाय योजना बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र देसूरी में रानी नगर पालिका क्षेत्र की पाइप लाइन बदलने, नाडोल, नारलाई, घाणेराव में पेयजल स्कीम बनाने एवं जवाई बांध से देसूरी के गांवों को भी जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

35. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र परबतसर की लम्बित पेयजल योजनाओं की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में पेयजल समस्या के समाधान के लिये विभाग को भिजवाये गये हैण्ड पम्पों की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री राकेश मेघवाल)

37. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में नकारा हैण्ड पम्पों के स्थान पर नये हैण्ड पम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र परबतसर में पेयजल के लिये खोदे गये ट्यूबवैल से भू-तल जलाशयों को जोड़ने के लिये पाइप लाइनों की उपलब्धता के संबंध में चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में विभाग द्वारा खराब हैण्ड पम्पों को सुधारने व ट्यूबवैल के उपकरण व सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

40. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम गुडलिया, विजयसिंह पुरा व धोयगुठा में पेयजल की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

41. बीसलपुर बांध से आने वाले जल के भीलवाड़ा जिले की मिलों से निकलने वाले रसायनों एवं अपशिष्टों से जल दूषित होने के संबंध में चर्चा के लिये।

42. विभाग द्वारा बीसलपुर दूदू पेयजल योजना के कार्य को द्रुत गति से चलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) :

43. विभाग द्वारा मकराना क्षेत्र में नलकूप की स्वीकृति हेतु चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

44. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में बाइपास से तलाई का भीलवाड़ा व तेली बस्तियों में नल लाइन डालकर पेयजल की आपूर्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़) :

45. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के ग्राम पंचायत पतरोडा एवं 4 ए.पी.डी. कमरानियां में ओवर हैड टैंक निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर) :

46. विभाग द्वारा श्रीगंगानगर जिले के अन्तर्गत रायसिंहनगर उपखण्ड क्षेत्र

(श्री लालचन्द मेघवाल)

में खाजूवाला, 4 बी.एल.डी. (श्री विजय नगर) व अन्य बड़े-बड़े गांवों में उच्च जलाशय निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) :

47. राज्य में पेयजल योजनाओं पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

48. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र दूदू में पेयजल के लिये टैंकर चालू करने एवं सैक्टर रिफार्म व स्वजल धारा योजनाओं को समावेश कर जन उपयोगी बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

49. विभाग द्वारा बीसलपुर-दूदू पेयजल योजना के रीजनल स्कीम मालपुरा, नरेना, सांभर के कार्य आदेश जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

50. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र दूदू में पेयजल योजना सावरदा बोराज, नरेना दूदू मौजमाबाद में पेयजल से वंचित आबादी क्षेत्र को पेयजल से लाभान्वित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

51. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र दूदू में बीसलपुर बांध से टेल द्वारा पानी नरेना पहुंचाने के संबंध में चर्चा के लिये।

52. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र में अविलम्ब 100 नये हैण्ड पम्प स्वीकृत करने एवं खराब हैण्ड पम्पों को ठीक करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :

53. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में राणा प्रताप सागर-पचपहाड़ पेयजल योजना से गांव ब्रला का छापर और मोतीपुरा को सम्मिलित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में खोकी बांध से जावदा नीमड़ी क्षेत्र के लिये प्रस्तावित पेयजल योजना के स्वीकृत करने पर चर्चा के लिये।

55. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बेगूं में स्वीकृत पेयजल योजनाओं में आ रही पाइप की कमी को दूर करने पर चर्चा के लिये।

56. विभाग द्वारा हैण्ड पम्प मिस्त्रियों को पंचायती राज के अधीन न करके जलदाय विभाग के अधीन रखे जाने पर चर्चा के लिये।

57. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बेगूं में एक हजार की आबादी के गांवों में भी पेयजल योजना का संधारण करने पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) :

58. विभाग द्वारा जयसमंद से जावद तथा 13 गांवों को पेयजल से जोड़ने वाली स्कीम पूरी नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

59. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र चौरासी में अमरपुरा बांध से रास्ता, माण्डली, सरथूना, झरनी, सीथल, झलाप, सादड़िया, भवड़िया डुंका ग्राम पंचायतों में पेयजल सुविधा करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) :

60. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के ग्राम राणी डूगला व कसोटिया तहसील वल्लभनगर (उदयपुर) पेयजल योजनाओं की स्वीकृति हेतु चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

61. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खानपुर के सभी गांवों में हैण्ड पम्पों का पानी गहराई में जाने व हैण्ड पम्प बन्द हो जाने से सभी गांव में ट्यूबवैल लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

62. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खानपुर के साराला कलां, पनवाड़ कस्बे में पुनःगठित जल प्रदाय योजना को तुरन्त स्वीकृत कर चालू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) :

63. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र गंगरार में खराब हैण्ड पम्पों की दुरस्ती के लिये आवश्यक सामग्री समय पर उपलब्ध कराने, नये हैण्ड पम्प की तुरन्त स्थापना एवं जिन स्थानों पर 150 फुट से नीचे वाटर लेवल के गांवों में सिंगल फेस मोटर बोर लगाने पर चर्चा के लिये।

64. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र गंगरार के ग्राम-जवालिया, बूठ, इन्दौरा, गंगरार, पुठोली, बानीणा, भीमगढ़, बारू, ऊंचा, जालमपुरा, गोकलपुरा, हिण्डोली, नेवरिया, भालोटा की खेड़ा, मुरोली, मेडीखेड़ा- भवानीपुरा की प्रस्तावित पेयजल योजनाओं की स्वीकृति हेतु चर्चा के लिये।

65. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र गंगरार के ग्रामीण पेयजल योजना चटावरी के लिये ओपन बेल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र गंगरार में पेयजल योजना रूद में सी.डब्ल्यू.आर. बनाने व पेयजल योजना रेवाड़ा में पाइप लाइन बदलने पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

67. विभाग द्वारा पीलीबंगा तहसील में पुरानी पेयजल स्कीम को सही करने व नई रिवाईब स्कीम स्वीकृत करने पर चर्चा के लिये।

68. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के गांव सरदारगढ़ व अन्य गांवों में नई पेयजल स्कीम स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

69. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र निवाई में राहोली, गुन्सी, सोहला में टंकी निर्माण कर पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

70. विभाग द्वारा बीसलपुर का पानी निवाई शहर व आसपास के गांवों को सिंचाई व पेयजल हेतु उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह रावत (भीम) :

71. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र भीम के हर गांव ढाणी के पेयजल योजना से जोड़ने भौमादेह पेयजल योजना के अन्तर्गत जहां भी सीमेन्ट पाइप डाले जा रहे हैं वहां पर मेटेलीक पाइप डाले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

72. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में 1500 से ऊपर की आबादी वाले गांवों में पी. एण्ड टी. योजना लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. प्रदेश में लागू जनता जल योजना, स्वजल धारा योजना को बंद कर विभागीय स्तर पर ही पेयजल उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :

74. विभाग द्वारा जयपुर शहर में बीसलपुर का पानी शीघ्र उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

75. जयपुर शहर को पेयजल सप्लाई देने वाले स्रोतों पर बिजली की कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

76. विभाग द्वारा राजस्थान में सूखे हुये हैण्ड पम्प एवं ट्यूबवैलों के एवज में दूसरे नये हैण्ड पम्प व ट्यूबवैल लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

77. विभाग द्वारा जयपुर शहर में गर्मी के मौसम में पानी की सप्लाई

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

सुव्यवस्थित किये जाने हेतु कारगर उपाय करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा) :

78. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र पिडावा के सम्पूर्ण क्षेत्र में पेयजल की समस्या से निपटने के लिये समस्याग्रस्त गांवों में शीध्र ही टैंकर द्वारा जलपूर्ति कराने और नये 50 हैण्ड पम्प एवं 20 सिंगल फेस स्कीम की स्वीकृति हेतु चर्चा के लिये।

79. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के विशेष समस्याग्रस्त ग्रामों की लम्बित स्कीम यथा-सिरपोई, सामरिया, गर्दन खेड़ी, गुणदी, लालगांव, खामणी, परासली, आजमपुर, सेमलीखाम एवं गंरवाड़ा को शीघ्र स्वीकृत कर प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

80. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के 1500 की आबादी वाले सभी गांवों की स्वीकृत पेयजल योजनाओं की क्रियान्विति किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

81. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में हिम्मतगढ़ डेम से संचालित पेयजल योजना में निम्न गांवों यथा-आजमपुर, परासली, कुटकी, सेमलीखाम, गरवाड़ा, दोबड़ी, दोबड़ा, मूंडला एवं पालखंदा को जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :

82. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र कपासन में ग्राम लांगच, छापरी, निजोद, रेवलिया खुर्द व अन्य बड़े गांवों को नयी जनता जल योजना लागू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

83. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र कपासन में प्रशासनिक व वित्तीय रूप से स्वीकृत पेयजल कार्य एवं पेयजल विस्तार कार्यों को करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र कपासन में एम.पी./एल.ए.डी. विभाग द्वारा स्थापित पेयजल व टंकी योजना जो विद्युत कनेक्शन के अभाव में बन्द है, को पुनः विद्युत कनेक्शन द्वारा चालू कराने तथा संचालन व विद्युत बिल का भुगतान विभाग के माध्यम से ही कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

85. राज्य में जनता जल योजना में कार्यरत कर्मचारियों को 500 रुपये से बढ़ाकर डेली वेजेज देने के संबंध में चर्चा के लिये।

86. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में समरानियां पेयजल योजना से टीले मोहल्ले में लाइन डालकर सप्लाई करने के संबंध में चर्चा के लिये।

87. विभाग द्वारा किशनगंज, शाहबाद में मुख्य मंत्री पेयजल योजना में लगे हुए बोरिंगों में विद्युत कनेक्शन चालू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

88. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के प्रत्येक ग्राम में बोरिंग, सिंगल फेस की मोटर पीने के पानी की टंकी एवं पशुओं हेतु खेली की स्थापना एवं हैण्ड पम्प रिपेयर अभियान में तेजी लाने के संबंध में चर्चा के लिये।

89. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के रामगढ़, बजरंगगढ़ में पी.एन.टी. स्कीम बनाकर स्वीकृत करने एवं राजपुर रीजनल योजना को सुचारू चलाने के लिये एस.आर. का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम धोद (धोद) :

90. विभाग द्वारा राज्य में फ्लोराइड युक्त पानी वाले ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

91. विभाग द्वारा जयपुर में अशुद्ध पेयजल से हुई मौतों में मृतकों को मुआवजा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

92. विभाग द्वारा राज्य में जनता जल योजना में काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति देने के संबंध में चर्चा के लिये।

93. विभाग द्वारा ग्रामीण पेयजल योजनाओं को अपने अधीन नहीं लेने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

94. ग्रामीण क्षेत्र की सेक्टर रिफार्म जल योजनाओं का विभाग के अधीन लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

95. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की तख्तगढ़, भारून्दा, पोयला,

(श्री मदन राठौड़)

चाणोद, पेजावा, नया खेड़ा एवं वार्ड नं. 20 सुमेरपुर की पेयजल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. नगर पालिका तख्तगढ़ (पाली) को पेयजल व्यवस्था विभाग को सौंपने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के शेष रहे 30 गांवों को जवाई पाइप लाइन प्रोजेक्ट में सम्मिलित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

98. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर की पेयजल योजनाओं की लाइनों की मरम्मत करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

99. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में 5 नये ट्यूबवैल स्वीकृत करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

100. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में नये 100 हैण्ड पम्प स्वीकृत करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

101. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में रिक्त कनिष्ट अभियंताओं के पदों की पूर्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

102. विभाग द्वारा बाड़मेर नगर में गर्मी को देखते हुए पेयजल की सप्लाई प्रतिदिन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (बामनवास) :

103. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में पेयजल आपूर्ति में हो रही अनियमितताओं में सुधार पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

104. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खैरथल के ग्राम घासौली में तहसील किशनगढ़ बास में पेयजल की पुरानी स्कीम को बड़ी स्कीम में बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खैरथल के ग्राम जाजौर तहसील व जिला अलवर में जनता जल योजना अतिशीघ्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. ग्राम बहादरपुर तहसील व जिला अलवर में सेक्टर रिफार्म स्कीम को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में मर्ज करने पर चर्चा के लिये।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) :

107. विभाग द्वारा उम्मेद सागर-कल्याणपुर-समदड़ी-खण्डप पेयजल योजना को बाड़मेर जिले में प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये।

108. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिवाना में भाटा-सिणधरी-मलखारी जल प्रदाय योजना शीघ्र शुरू करने पर चर्चा के लिये।

109. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिवाना में मीठा-मूंका भगतसिंह-दाखां जल प्रदाय योजना को स्वीकृत करने पर चर्चा के लिये।

110. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिवाना में अर्थणडी, अजीत में उच्च जलाशय (ओवर हैड टैंक) निर्माण करने पर चर्चा के लिये।

111. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिवाना कस्बे में पादरूकावास एवं अरठ का जाव में ओवर हैड टैंक निर्माण कराये जाने पर चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) :

112. विभाग द्वारा अजमेर के पेयजल हेतु चम्बल का पानी लिफ्ट कर अजमेर पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. विभाग द्वारा अजमेर के पेराफेरी गांव पेयजल बीसलपुर से गेगल, ऊटडा, गंगवाना, रसूलपुरा, घूघटा, कायड, मदारपुरा रावत बस्ती, रामनेर ढाणी, जाटली, आखरी, रामनेट, दाचियावास, लोहागल, अरडका, नरवर, बबायची सहित सभी गांवों में पेयजल तत्काल पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

114. विभाग द्वारा बून्दी जिले के ग्राम बन का खेड़ा ख्यावदा, हनोला, छापरदा, लुहारपुरा में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु योजना बनाई जाकर क्रियान्विति की जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

115. पंचायत समिति नैनवां क्षेत्र स्थित खराब हैण्ड पम्पों की मरम्मत करने में तथा वांछित पाइप लाइनें डालने में बरती जा रही विभागीय लापरवाही पर चर्चा के लिये।

116. पाईबालापुरा बांध (बून्दी) के सभी प्रवृत्ति नैनवां तहसील के ग्रामों में पेयजल आपूर्ति हेतु योजना बनाई जाकर क्रियान्विति की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामनारायण मीणा)

117. विभाग द्वारा नैनवां तहसील के उनियारा क्षेत्र से लगते ग्रामों को बीसलपुर-उनियारा पेयजल परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना में सम्मिलित करने की कार्यवाही की जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

118. विभाग द्वारा सवाईमाधोपुर के नजदीक बह रही चम्बल नदी से जयपुर को पेयजल आपूर्ति की योजना बनाई जाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) :

119. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र ब्यावर की पेयजल समस्या के संबंध में चर्चा के लिये।

120. विभाग द्वारा ब्यावर के ग्रामीण क्षेत्र को बीसलपुर योजना से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रमोद जैन ''भाया'' (बारां) :

121. विभाग द्वारा बारां जिले में रायथल तथा बरखेडा-बमूलिया व बड़ला पेयजल योजना स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

122. विभाग द्वारा बारां जिले में मिर्जापुर, बडगांव, कोयला, कालाखेडा एवं फतेहपुर की पेयजल योजना स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

123. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बारां में हैण्ड पम्प, सिंगल फेज पम्प व जलदाय योजना विधायक की सहमति पर स्वीकृति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

124. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बारां में हैण्ड पम्पों के रख-रखाव का कार्य जलदाय विभाग द्वारा करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

125. विभाग द्वारा बारां जिले की नागदा, अंता एवं बलदेवपुरा जलदाय योजना स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश खींची (कठूमर) :

126. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र कठूमर में ग्राम गारू, मैंथना, सौंख, टोटपुरी, जाडला, रेटा, कालवाड़ी व भसारी, खोखर, सौंखर में बन्द पुरानी स्कीमों का शीघ्र विस्तार करने पर चर्चा के लिये।

127. विभाग द्वारा टोडा-रीक्षवांस स्कीम के पास के गांवों में पेयजल सुविधा

(श्री रमेश खींची)

सुचारु करने, कठूमर स्कीम को टंकी व समस्त वार्डों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र कठूमर में जनगणना के आधार पर 1500, 2000 की आबादी के गांवों में पेयजल स्कीम बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

129. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र कठूमर के ग्राम खेरली रेल स्कीम को शीघ्र चालू कर ग्राम वादत, डौरोली-ब्रहमपुर स्कीम चालू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

130. ग्राम चिकानी तहसील व जिला अलवर में सेक्टर रिफार्म स्कीम को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तान्तरण पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) :

131. विभाग द्वारा अजमेर शहर में 24 घंटे के अन्तराल में पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. विभाग द्वारा अजमेर में गणेशगढ व बिहारीगंज में उच्च जलाशय बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. विभाग द्वारा अजमेर में मदारशाह की दरगाह तक पीने का पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. विभाग द्वारा अजमेर शहर में निर्माणाधीन उच्च जलाशय का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कर संबंधित क्षेत्र की जनता को पेयजल उपलब्ध कराये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) :

135. विभाग द्वारा नदबई में हैण्ड पम्प के पाइप की कमी पूर्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

136. विभाग द्वारा नदबई में पेयजल हेतु नई योजना शीघ्र प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

137. नदबई में जल स्तर नीचे जाने के कारण पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

138. नदबई में ठेकेदारों द्वारा डीप बोर नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा) :

139. विभाग द्वारा राज्य में संचालित जनता जल योजना पर कार्यरत श्रमिक जो जी.एल.आर. को भरने का कार्य करता है उसे 500 रुपये प्रतिमाह से पारिश्रमिक बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) :

140. विभाग द्वारा गांवों में पेयजल योजनाओं के विस्तार व सुदृढ़ीकरण पर चर्चा के लिये।

141. विभाग द्वारा पेयजल योजनाओं पर वर्षों से कार्यरत (जनता-जल-योजना) कार्मिकों को स्थायी करने पर चर्चा के लिये।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) :

142. विभाग द्वारा जैसलमेर जिले के नहरी क्षेत्र में पेयजल हेतु नई स्कीम स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा) :

143. विभाग द्वारा उदयपुर सम्भाग में जनजाति क्षेत्र की बिखरी आबादी को पेयजल हेतु हैण्डपम्प या नलकूप या कुएं की योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र खेरवाडा में पेयजल हेतु नई योजना बनाकर ग्राम पंचायत-सुलई, कनबई, चिकला में पेयजल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

145. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र चौरासी में अमरपुरा बांध से धम्बोला तक पेयजल हेतु पाइप लाइन स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

146. विभाग द्वारा जे.डी.ए. द्वारा अनुमोदित बालाजी विहार-द्वितीय ग्राम-गोविन्दपुरा, कालवाड़ रोड झोटवाड़ा जयपुर को जल आपूर्ति नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) :

147. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र डेगाना की अधिकांश पेयजल योजनाओं

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

में कर्मचारियों के लम्बे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र डेगाना में नवनिर्मित ट्यूबवैलों को शीघ्र चालू करके पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम जाजू को मीठा पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

150. विभाग द्वारा जोधपुर शहर में परम्परागत जल स्त्रोतों-कुओं, बावड़ियों, तालाबों के सुदृढ़ीकरण हेतु पहल करने पर चर्चा के लिये।

151. विभाग द्वारा जोधपुर शहर में गिरते भू-जल से निजात हेतु विभिन्न स्थानों पर सबमर्सिबल पम्प, हैण्ड पम्पों के लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

152. विभाग द्वारा राजगढ़ (चूरू) के गांवों एवं शहरी क्षेत्र में हैण्ड पम्प ज्यादा तादाद में खुदवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

153. विभाग द्वारा राजगढ़ (चूरू) नगरपालिका की सीमा बढ़ने पर पानी से वंचित रही कालोनियों में पानी की सुविधा देने पर चर्चा के लिये।

154. विभाग द्वारा चूरू जिले में आपणी योजना के द्वितीय चरण को चालू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा) :

155. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) में कोठिया पेयजल योजना 108.48 लाख, कनेकला (बजरंगपुरा) 33.93 लाख, देवरी 7.38 लाख, गिरडीया 71.19 लाख, आमली कालू सिंह 56.84 लाख एवं अरनिया घोण 20.00 लाख की स्वीकृत पेयजल योजना को शीघ्र प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

156. विभाग द्वारा जहाजपुर-पण्डेर-शाहपुरा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. विभाग द्वारा जहाजपुर क्षेत्र की आमल्दा पाइप स्कीम को प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री शिवजीराम मीणा)

158. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में भगुनगर-मनोहरपुरा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की दांतड़ा बिशनियां पाइप स्कीम प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में देवखेड़ा, देवतलाई, मीणों का खेड़ा, आशावरी, बेड्न्दा, गोलबड़ी, सरां का खेड़ा के लिये क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) :

161. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र गुढा में दूषित पानी एवं पेयजल सप्लाई में हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक बैरवा ''खण्डार'' (खण्डार) :

162. विभाग द्वारा बाली घाट चम्बल सवाईमाधोपुर पेयजल योजना को पुनः स्वीकृत कराकर खण्डार क्षेत्र एवं सवाईमाधोपुर के ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. जिला सवाईमाधोपुर में पेयजल परिवहन एवं आपूर्ति के ठेकों में भारी भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से व्याप्त जन आक्रोष पर चर्चा के लिये।

164. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में पिछले वर्षों में विभिन्न योजना मद में स्वीकृत हैण्ड पम्पों को ठेकेदारों द्वारा खोदने एवं गारंटी अवधि में खराब हैण्ड पम्पों को ठीक नहीं करने एवं घटिया निर्माण सामग्री से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

165. विधान सभा क्षेत्र खण्डार के ग्राम रामपुरा, चितारा, खिजूरी, मुई बलरिया जौला, रोडोला, गम्भीरा, झोपड़ा एवं टापुर, रजवाना एवं धामूण खुर्द ग्रामों में पेयजल योजनायें स्वीकृत कराकर शीघ्र ही पेयजल का लाभ ग्रामीणों को दिलाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र खण्डार के ग्राम दौलतपुरा, मेई कलां, खण्डेवला, सिंगोर कलां, रोडावद, अनियाला, कोसरा में पेयजल योजनायें स्वीकृत कराकर कार्य शीघ्र कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

167. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के ग्राम सारोला कलां में जनता को पीने का पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री नरेन्द्र नाग)

168. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में पड़ने वाले सभी गांव में हैण्ड पम्पों की जगह ट्यूबवैल लगाकर पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के नवाड कस्बे में संचालित पेयजल योजना की जीर्ण-शीर्ण अवस्था को दुरूस्त कर जनता को मीठा पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) :

170. जनता जल योजना के तहत प्रति व्यक्ति स्वीकृत की जाने वाली राशि बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पेयजल योजनाओं को विभाग द्वारा यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

172. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में फ्लोराइड युक्त पेयजल से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

173. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के हीरावाला गांव में सेक्टर रिफार्म योजना होने से स्कीमें बंद होने पर चर्चा के लिये।

174. विधान सभा क्षेत्र बस्सी की तहसील चाकसू क्षेत्र की पेयजल स्कीमें बंद होने पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (चौहटन) :

175. बाड़मेर जिले में पेयजल योजनाओं का रख-रखाव करने वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

176. भरतपुर जिले में वर्तमान में जिन योजनाओं से पानी वितरण की व्यवस्था है उसे नगर-डीग तहसीलों के लिये भी योजनायें बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

177. विधान सभा क्षेत्र नगर के निम्नांकित ग्रामों यथा- बनेनी-नीमकी, गुलपाड़ा, टुदाबल, मूडिया, आलमशाह में खारे पानी के स्थान पर मीठा पानी सुलभ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

178. जयपुर शहर के वार्ड नं.-29, 30, 32 से 34, 44, 46 से 49 में

(मोहम्मद माहिर आजाद)

पुरानी जीर्ण-क्षीर्ण पानी की लाइनों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

179. प्रदेश में दूषित पानी से हुई मृत्यु/बीमारी से व्याप्त जन आक्रोष पर चर्चा के लिये।

180. विभाग द्वारा राज्य के सरफेस पानी को सुरक्षित नहीं रख पाने तथा समुचित उपयोग नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :

181. विधान सभा क्षेत्र खारची के उपखण्ड मुख्यालय देसूरी में लोगों को 48 घंटों के अन्तराल से पीने का पानी सप्लाई किये जाने के स्थान पर प्रतिदिन पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

182. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खारची के धामली/आऊवा/चेलावास/राणावास/जोजावर/खीवाडा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मोहल्लों में पेयजल पाइप लाइन बिछाने के संबंध में चर्चा के लिये।

183. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खारची के ग्राम जोजावर में ओगमनटेशन योजना के तहत पेयजल योजना स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

184. विधान सभा क्षेत्र खारची के ग्राम जाड़न में फ्लोराइड युक्त पानी के स्थान पर जवाई बांध-सोजत पाइप लाइन से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी) :

185. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पेयजल योजना स्वीकृत कर पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

186. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के इन्दिरा कालोनी में पेयजल व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) :

187. विधान सभा क्षेत्र दौसा में पेयजल योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) :

188. विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा के गांव पादेड़ी में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मास्टर प्लान स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

189. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा के दूरदराज के गांवों व ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये हैण्ड पम्प स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

190. ग्राम कानूजा जिला-पाली में राजकीय माध्यमिक विद्यालय के समीप स्थित हैण्ड पम्प में विद्युत मोटर नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) :

191. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में पेयजल समस्या का निदान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

192. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के गांव कोलुआ, नगलादानी, पुरा कोलुआ, चैनापुरा, शाहापुरा, मेहरा, चौराखेड़ा, पेंकरी, डूंगरवाड़ा, गोगली, कोडपुरा, बसई मुरली को चम्बल धौलपुर-भरतपुर पेयजल योजना से जोड़ने तथा ग्राम धर्मपुरा कलयाणपुर, रामनगर (कोटरा), बागं (सुन्दरपुर) को डांग क्षेत्र की प्रस्तावित पेयजल योजना में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

193. धौलपुर नगर पालिका क्षेत्र में नई विकसित कालोनी मांग विहार, गणेश विहार, प्रेमनगर, शांति नगर, अम्बेडकर नगर, गिरिश विहार, पूरन विहार, मानसरोवर, ज्ञानसरोवर, महात्मानंद कॉलोनी, शिवनगर, पोरवरा, महमदपुर, राठौर कालानी, गऊशाला, मोहन कॉलोनी, मोगीराम कॉलोनी, गूजर को राजघाट ग्राम सोलहखम्बा व अन्य कॉलोनी में पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

194. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में घटते जल स्तर के परिणामस्वरूप नकारा हैण्डपम्प के स्थान पर नये हैण्डपम्प लगाने, सार्वजनिक नलकूप निर्माण कराये जाने, प्रत्येक ग्राम के हरिजनों के लिये तथा शमशान

(श्री बनवारी लाल)

घाट पर हैण्डपम्प लगाने तथा ग्राम पंचायत मोरोली, करीमपुर, लुहारी, कासिमपुर व अन्य कई ग्रामों में 01 वर्ष पूर्व जलदाय विभाग से स्वीकृत हैण्डपम्प नहीं लगाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

195. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के फ्लोराइड ग्रस्त कुछ ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने, समस्या ग्रस्त ग्राम व ढाणियों में मूंजल नहीं होने से, अन्य जगह से पाइप लाइन डालकर पानी उपलब्ध कराने, जी.एल.आर. टंकी से पानी नहीं देने, 1500 की आबादी वाले ग्राम मैसेना, सइववारा, कासिमपुर, कोलुआ, कोलारी, मालोनी खुर्द, कुम्हेरी, करीमपुर, करेहमोरी, चितोरी टहरी, विशनोदा व अन्य गांवों में उच्च जलाशय निर्माण पम्प एवं टैंक पेयजल योजना से पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

196. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में स्वीकृत हैण्ड पम्पों को लगाने में देरी का कारण रिंग मशीन उपलब्ध नहीं कराना, खराब हैण्ड पम्प की मरम्मत कराने में देरी होना तथा मिस्त्रियों की कमी होना, स्वीकृत व खराब हैण्ड पम्प ठीक नहीं करने तक शीघ्र वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कराने से व्यापक असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) :

197. विधान सभा क्षेत्र जालौर के ग्राम आलासन (उपखण्ड सामला) की पेयजल योजना स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

198. जालौर शहर की समस्त पुरानी लाइनों को बदलकर पानी की मांग बढ़ने के अनुरूप बड़ी पाइप लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

199. विधान सभा क्षेत्र जालौर के ग्राम तेतरोल एवं रणोदर को नर्मदा पेयजल परियोजना के एफ.आर. परियोजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

200. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के ग्राम धुबाया, गोडाणा, बादला, कान्यकोलर गांवों की पेयजल योजना की स्वीकृति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

201. प्रदेश में हैण्ड पम्प मिस्त्रियों की सुविधायें बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री संयम लोढ़ा)

202. विभाग द्वारा प्रदेश में जनता जल योजना के अंशकालिक कार्मिकों को कर्मचारी का दर्जा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

203. विभाग द्वारा नर्मदा का पानी सिरोही जिले के नागरिकों को पीने हेतु उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

204. विभाग द्वारा जवाई बांध से सिरोही शहर व गांवों की पेयजल योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेडता, नागौर) :

205. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के रिया बडी क्षेत्र में हैण्ड पम्प, खुले कुऐं व जी.एल.आर. की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

206. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता की पेयजल समस्या के निदान के लिये लम्बित पड़ी योजना को स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

207. विभाग द्वारा नागौर जिले को इंदिरा गांधी नहर का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता की फ्लोराइड युक्त पेयजल समस्या को दूर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

209. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में तालाबों का पानी पीने के लिये सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द (नावां) :

210. विभाग द्वारा कुचामन शहर की पुनर्गठित पेयजल योजना स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

211. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र नावां उपखण्ड क्षेत्र में सम्मिलित 72 गांवों में बीसलपुर योजना का कार्य करवा कर पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

212. विधान सभा क्षेत्र नावां के ग्राम मारोठ की ओवर हैड टैंक की स्कीम की स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

213. विधान सभा क्षेत्र नावां की ग्राम पंचायत घाटवा के ग्राम रिक्षा में ट्यूबवैल बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

214. विधान सभा क्षेत्र नावां की ग्राम पंचायत श्यामगढ़ के ग्राम सावंतगढ़ में मीठे पानी की योजना के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) :

215. विधान सभा क्षेत्र रायपुर में समाविष्ट पेयजल की समस्या एवं टैंकरों से ढाणियों में पानी सप्लाई करने एवं ग्राम बगडी, काटलीया व कोट किराना की आबादी को भोमादा बांध से पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) :

216. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के लोगों को नर्मदा नहर से पीने के लिये पेयजल उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

217. विभाग द्वारा भीनमाल शहर में पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

218. विभाग द्वारा भीनमाल शहर को बाड़ी सेदड़ा बांध से पेयजल आपूर्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

219. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में हैण्ड पम्प नहीं खोदे जाने से उत्पन्न पेयजल समस्या के संबंध में चर्चा के लिये।

220. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में पेयजल के लिये बनास नदी पर पलासमा व रोयडा (करदा) में बांध बनाकर सैकड़ों गांवों को पानी पिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

221. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के विभिन्न गांवों में क्षतिग्रस्त जी.एल.आर. की रिपेयर करने, ओवर हैड टैंक की रिपेयर करने तथा नये ओवर हैड टैंक व जी.एल.आर. स्वीकृत करने पर चर्चा के लिये।

222. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की फ्लोराइडयुक्त पेयजल के दुष्प्रभाव से छुटकारा दिलाने हेतु फ्लोराइड प्रभावित गांवों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने हेतु नई पेयजल योजनायें बनाकर स्वीकृत करने एवं ग्राम उदासर, पेमासर, नापासर, रायसर, मनाफरसर, किशनासर, हिमतासर, अमरपुरा, शेखसर, सजासर उर्फ करणीसर तथा अन्य गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

223. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के ग्राम किशनासर, ढाणी छिल्ला, ढाणी पांडूसर, बखूसर, नाथूसर, उत्तमदेसर, छट्टासर, धीरदान, रावांसर, ढाणी खोड़ा में नये ट्यूबवैल स्वीकृत कर पेयजल समस्या का समाधान करवाने पर चर्चा के लिये।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

224. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के ग्राम छट्टासर, गारबर्दसर, कागासर, धीरदान, बखूसर, शुभलाई, अजीतमाना, लखावर, हापासर, बींझरवाली, लालेरा, खिलोरिया, खोखराना, वीरमाना, रोझां, नाथवाना, मनोहरिया, जसवन्तसर, असरासर, नाथूसर, सोठवाली आदि गांवों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था में सुधार लाने तथा निवासियों को पीने का पानी उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिये।

225. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की तहसील लूणकरणसर के ग्राम शेरपुरा, ढाणी पांडूसर, राजपुरा हुडान, नकोर्दसर, रावांसर, शेखसर, खोड़ासर, महाजन, कालू, कपूरीसर, बखूसर, सुई, गोपेरां फुलेजी, बड़रन, रोझा, शुभलाई, लखावर, अजीतमाना, बींझरवाली, मकड़ासर, खोखराना, लालेरां, धीरेरां, हजेरां, बालादेसर, काकड़वाला, मोखमपुरा, पीपेरां, रामबाग, साबनिया आदि गांवों की विभिन्न अनुसूचित जाति की बस्तियों/आबादियों में जल स्टेण्ड बनाकर पेयजल पहुंचाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

226. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) स्थित हमीर सागर तालाब एवं गुन्दोलाव तालाब में पानी की आवकों को पुनः सुचारू रूप से चालू कराकर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

227. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के शहरी क्षेत्र में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति हेतु इन्द्रा नगर, कृष्णापुरी एवं सांवतसर क्षेत्र में नवीन उच्च जलाशयों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

228. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के शहरी क्षेत्र में सुचारू पेयजल आपूर्ति हेतु यू.डी.आई.एस.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत राशि 39 करोड़ की स्वीकृति कर शीघ्र क्रियान्वयन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

229. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) शहर की मुख्य बीसलपुर पेयजल आपूर्ति पाइप लाइन से जुडे श्रीनगर कस्बे को अन्य पेयजल योजना से लाभान्वित कर किशनगढ़ शहर को निर्धारित पेयजल की मात्रा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

230. विभाग द्वारा बीसलपुर फ्लोराइट नियंत्रण परियोजना अराई-किशनगढ़ के अन्तर्गत रूपनगढ़ कलस्टर की निविदाएं अविलम्ब आमंत्रित कर शीघ्र कार्यादेश की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 46 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-46 मुख्य शीर्षक सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

1. सिंचाई विभाग द्वारा प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र का 65 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र किसानों द्वारा स्वयं के खर्च से विकसित होने व भू-जल पर आधारित होने के कारण भू-जल को रि-चार्ज करने पर ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. विभाग द्वारा हाड़ौती सम्भाग की सांगोद तहसील में सूखती नदियों को जीवित करने हेतु परवन, कालीसिंध व उजाड़ नदी पर एनीकट निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र दीगोद की सांगोद तहसील को सिंचित करने हेतु प्रस्तावित वृहद व लघु सिंचाई योजना पर कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विभाग द्वारा हाड़ौती सम्भाग में व्यर्थ बहते वर्षा जल का संरक्षण कर सतही जल का उपयोग करने तथा भू-जल को रि-चार्ज करने हेतु प्रमुख नदियों पर एनीकट का निर्माण करवाने हेतु चर्चा के लिये।
5. विभाग द्वारा प्रदेश की समस्त वृहद व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में बांध के नीचे बसे गांवों के उपयोग हेतु 30 प्रतिशत पानी एड्पेरियन अधिकार के तहत छोड़ने की व्यवस्था किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

6. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा की तहसील निम्बाहेड़ा व तहसील छोटी सादड़ी के पण्डेरिया एनीकट निर्माण की स्वीकृति पर चर्चा के लिये।
7. विभाग द्वारा लिफ्ट सिंचाई स्कीम, भावलिया बांध की स्वीकृति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विभाग द्वारा तहसील निम्बाहेड़ा की बडोली माधोसिंह एनीकट एवं काजवे की संशोधित स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

9. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में सुनारी घाट पर बांध न होने से उत्पन्न जल संकट के निदान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री दाताराम गुर्जर)

10. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में खरखड़ा नाले पर बांध न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

11. विधान सभा क्षेत्र मावली के तहसील रेलमगरा में धनेरियागढ़ फीडर गिलाड फीडर एवं गुलाब सागर तालाब निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र मावली के देवास तृतीय एवं चतुर्थ चरण का कार्य प्रारम्भ कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र मावली के बड़गांव बांध का नियंत्रण चित्तौड़गढ़ जिले के स्थान पर मावली में रखने एवं उक्त बांध से बड़गांव, उदाखेड़ा, मन्नाखेड़ा, इटाली ग्रामों में नहरें खोदकर उन्हें पक्की बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

14. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र पाली के हेमावास बांध की ऊंचाई डेढ़-फुट बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

15. प्रदेश में किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त जल एवं साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) :

16. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में राजसमन्द झील की दांयी और बांयी नहरों का दुरस्तीकरण करने एवं बनास नदी पर कुरज अमलोई सरफेस बेरियर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

17. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के ग्राम चौकी तहसील रामगढ़ के बारां में छोटा बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

18. प्रदेश के अन्तरराज्यीय जल विवादों को हल करने में राज्य सरकार की विफलता से किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

19. विभाग द्वारा कोलायत स्थित कपिल सरोवर को इंदिरा गांधी नहर

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

परियोजना के पानी से नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

20. विभाग द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की सभी जलोत्थान सिंचाई परियोजनाओं की मूलरूप से क्रियान्विति न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

21. विभाग द्वारा बीसलपुर परियोजना का पानी सिंचाई हेतु अजमेर व किशनगढ़ से परबतसर से सीमावर्ती गांवों में उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र परबतसर में सहायक अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग परबतसर में रेस्ट हाउस निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. विभाग द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी सिंचाई हेतु नागौर जिले को अतिशीध्र उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में नवीन एनीकट निर्माण की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) :

26. विधान सभा क्षेत्र आहोर के जवाई नहर कमाण्ड क्षेत्र में स्थित काश्तकारों की चाही किस्म में दर्ज भूमि को नहरी किस्म में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र आहोर के तखाड़ा बांध की ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

28. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के लड़की बांध की नहरों की मरम्मत कराने व कच्ची नहर को पक्का बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के अपूर्ण व मरम्मत योग्य एनीकट नाथडीस,

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

बूकाण, भटेवर, धसा, गोवलीया, नाहरी, बोरीयापुरा के कार्यों को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) :

30. राज्य में सिंचाई की नवीन योजनाओं पर कुठाराघात के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

31. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में तहसील हिण्डौली के ग्राम नयाग्राम सथूर एवं किशनपुरा में लघु सिंचाई परियोजना आरम्भ करने एवं ग्राम गोठड़ा के धानध बीसलपुर योजना का ओवर-फ्लो पानी डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

32. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के हेमावास बांध व बालाबांध की भराव क्षमता बढ़वाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) :

33. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के मोहनपुरा बांध की भराव क्षमता में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

34. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के हरिशचन्द्र सागर बांध का पुर्ननिर्माण कर नहरों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति को दुरूस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र खानुपर में खानपुर तहसील की उजाड़ नदी पर भगवानपुरा ग्राम पंचायत में तीन धार पर एनीकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खानपुर के भीमसागर बांध को काली सिंध नदी से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) :

37. विधान सभा क्षेत्र गंगरार के सोडास बांध को 2 फुट ऊंचा करने एवं गडूलिया तालाब व गोलटेकरी तालाब, चौगावड़ी तालाब का निर्माण व विभाग द्वारा प्रस्तावित एनीकट की स्वीकृति दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र के गंगरार के बड़े तालाब व भालोटा की खेड़ी के

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

निजी तालाब को सरकार द्वारा अधिग्रहण कर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र गंगरार के बस्सी बांध से नहर निकाल कर गंगरार तहसील के गांवों के किसानों के खेतों में पानी देने की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र गंगरार के मात्रीकूण्डिया बांध से दांयी नहर बनाकर राशमी व गंगरार क्षेत्र के तालाबों को भरने के लिये फीडर का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र गंगरार के उपखण्ड मुख्यालय स्थित सहायक अभियन्ता कार्यालय गंगरार के भवन निर्माण की राशि विभाग द्वारा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) :

42. विधान सभा क्षेत्र देसूरी के रणकपुर बांध व हरिओम सागर बांध की नहरे पक्की करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र देसूरी के ढारिया बांध का पुनर्निर्माण करवाने, सिपावा डाइवर्सन एवं माईनर नहर, सरीवाला, माताजी, गजावड़ा, सांवलता, डाओबा के बेरे के पास व गुड़ा पाटियान का एनीकट बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र देसूरी के घोड़ाधड़ा बांध से जुड़ी माइनर नहर नारलाई को पक्की बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर) :

45. विधान सभा क्ष्ोत्र दानपुर में बड़े एनीकट व तालाब निर्माण कर सिंचाई को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. विभाग द्वारा बीसलपुर बांध से ओवर-फ्लो होने वाले जल को टोरडी सागर बांध में डलवाकर स्थानीय कृषकों को राहत पहुंचाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

47. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की काली बोरडेम (बेकरिया) पंचायत समिति कोटड़ा (उदयपुर) से शिवडिया एवं पिपला को विभाग द्वारा सिंचाई के लिये नहर का कार्य नहीं करने से काश्तकारों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़) :

48. विभाग द्वारा इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में पूर्व में निर्मित खाले जो टूट चुके हैं उनका पुनः निर्माण करवाने एवं बचे हुए खालों (वाटर कोर्सेज) के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंह नगर) :

49. विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की सूरतगढ़ ब्रांच की आर.डी. 306 का हैड-रेगुलेटर ठीक (पुनः निर्माण) करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर में गंगनहर की आर.डी.-31 से आर.डी.-204 (मुख्य नहर) का पुनः निर्माण कार्य चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. विभाग द्वारा गंग कैनाल क्षेत्र में मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

52. विभाग द्वारा गंगनहर के सभी हैड रेगुलेटर व पुलों का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) :

53. प्रदेश की सिंचाई योजनाओं पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

54. विधान सभा क्षेत्र दूदू में नये एनीकट स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

55. विभाग द्वारा जयपुर जिले के कालख बांध को सिंचाई योग्य बनाने एवं कालख बांध का पुनरूद्धार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

56. विभाग द्वारा जयपुर-टोंक जिले के छापरवाड़ा बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिये मासी नदी पर ईटखोई फिडर पर चैक डैम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र दूदू के छापरवाड़ा बांध के फिडरों की मरम्मत व नहरों को पक्का करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :

58. विधान सभा क्षेत्र बेगूं के मेनाली बांध एवं छोटे-छोटे एनीकटों के निर्माण पर वन विभाग द्वारा लगाई गई रोक हटाने पर चर्चा के लिये।

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

59. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बेगूं के टुकड़ा एवं राणा प्रताप सागर बांध की नहरों की मरम्मत करने पर चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र बेगूं के ओराई बांध की पाल की मरम्मत करने पर चर्चा के लिये।

61. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बेगूं में एनीकट निर्माण कराये जाने पर चर्चा के लिये।

62. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बेगूं में धान्दड़ा एवं मालादेवी लघु सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

63. विभाग द्वारा पाली जिले के हेमावास व बाला बांध की ओवर-फ्लो दीवार के दो फीट ऊंचा उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. विभाग द्वारा पाली जिले के बाणियावास एवं बोमादड़ा बांध के रेस्टोरेशन एवं जीर्णोद्धार व ओवर-फ्लो विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह रावत (भीम) :

65. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र भीम में प्रस्तावित एनिकटों की स्वीकृति जारी करने एवं क्षतिग्रस्त की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

66. विभाग द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना की क्षतिग्रस्त पुरानी कालोनियों की मरम्मत कराने एवं उनमें हो रहे अवैध कब्जे हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. विभाग द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की तहसील पीलीबंगा व तहसील सूरतगढ़ के गांवों में सेम की समस्या को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

68. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र निवाई में नहरों की कमी के कारण नये एनीकट बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

69. विधान सभा क्षेत्र नैनवां के रियासतकालीन दुगारी बांध (बूंदी) में आंव का खेड़ा एनीकट के माध्यम से पानी पहुंचाने की योजना की स्वीकृति में विभागीय लापरवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र नैनवां में स्वीकृत एनीकटों के निर्माण में विभागीय अधिकारियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र नैनवां में चम्बल नहरी क्षेत्र की बूंदी ब्रांच केनाल की चैन संख्या 1423 स्थित माटून्दा एस्केप तथा चैन संख्या 1664 पर स्थित सायफन के पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र नैनवां में चम्बल सिंचाई परियोजना की बांयी मुख्य नहर की चैन संख्या 49 पर लगे गेट के पिल्लर हटाने एवं चैन संख्या 894 पर स्थित एक्यूडेक्ट की ऊंचाई बढ़ाने में अपनाई जा रही अनदेखी पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र नैनवां के चम्बल परियोजना क्षेत्र के कार्यालय वाहन तथा मशीनों के नकारा होने पर उन्हें बदलने में अपनाई जा रही विभागीय निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

74. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में बुचारा बांध एवं बनाड़ी बांध की नहरों को टेल एण्ड तक साफ करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी):

75. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में भाखरा नहर प्रणाली में पक्के खालों का निर्माण रावतसर खण्ड की नहरों में सिल्ट (मिट्टी) की सफाई करवाने आर.डब्लयू.डी. नहर की आर.डी. 108 से 111 तक टूटी लाइनिंग को पक्का करवाये जाने हेतु मोहरों का दुरुस्तीकरण करवाने एवं अनकमाण्ड से कमाण्ड भूमि घोषित की रोक को हटाने पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) :

76. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की पंचायत समिति सराड़ा में पाराई नदी पर सुरंग बनाकर चावण्ड के महाराणा प्रताप सागर बांध में पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गौतम लाल मीणा (लसाड़िया) :

77. विधान सभा क्षेत्र लसाडिया के पांचली नाका एवं गूंगाणा एनीकट की विभाग द्वारा स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :

78. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र कपासन में मेवदा, घासलों का खेड़ा जाण्डोली व अन्य जगहों पर लिफ्ट द्वारा सिंचाई व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र कपासन में क्षतिग्रस्त एनिकट एवं एनीकट कम काजवे के पुनरुद्धार के लिए कार्य स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र कपासन में नये एनीकट कम काजवे स्वीकृत कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

81. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में अहमदी लघु सिंचाई परियोजना, हथेपादह मध्यम सिंचाई परियोजना एवं नवेली लघु सिंचाई योजना को चालू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) (धोद) :

82. राज्य में 16 एम.ए.एफ. का पानी पंजाब से लेने में सरकार के विफल रहने से राज्य को हो रहे नुकसान के संबंध में चर्चा के लिये।

83. विभाग द्वारा सीकर जिले में नहरों की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. विभाग द्वारा सिद्धमुख एवं साहवा लिफ्ट के कार्यों को पूर्ण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

85. राज्य के हिस्से का पानी लेने में सरकार की उदासीनता एवं राज्य के सरफेस वाटर के उपयोग के लिए प्राथमिकता तय नहीं करने से राज्य के किसानों एवं आम जनता को हो रहे नुकसान के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री अमराराम (धोद)

86. विभाग द्वारा इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त पानी नहीं देने से किसानों की फसलों के हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (बामनवास) :

87. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बामनवास के मोरेल बांध एवं ढील बांध में निर्माणाधीन ईसरदा बांध से पानी दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) :

88. विधान सभा क्ष्ोत्र सिवानी के मेली बांध के निर्माण कार्य को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में लूणी नदी में पानी प्रवाहित करने के लिए पाली में बांधों की ऊंचाई कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिवाना के नहेड़ा बांध (पाली) की ऊंचाई को कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) :

91. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के सूरा घाटा व देवाता फीडर योजना को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रमोद जैन ''भाया'' (बारां) :

92. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बारां की परवन वृहत सिंचाई परियोजना की शीघ्र स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बारां की अंता तहसील में परवन नदी पर खरखड़ा लिफ्ट निर्माण की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. विभाग द्वारा चम्बल की दांई मुख्य नहर के जीर्णोद्धार हेतु राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. विभाग द्वारा चम्बल की दांई मुख्य नहर पर स्थित आठ लिफ्टों का जीर्णोद्धार करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बारां के डोल-मेला तालाब में पानी के बंद आवक स्रोतों को खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) :

97. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र फलासिया की निम्नांकित सिंचाई

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

परियोजनाओं यथा ग्राम पंचायत-मेड़ी, कोटड़ा की कोलदरा बांध सिंचाई परियोजना एवं ग्राम पंचायत लांबाहल्द कोटड़ा की उबापाण सिंचाई परियोजना की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

98. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र फलासिया की निम्न सिंचाई परियोजनाओं यथा-बांधपुरा-झाडोल सिंचाई योजना एवं खाटी-कमदी-झाडोल सिंचाई परियोजनाओं एवं झामन-मादला सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) :

99. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव रायसीस में कैनाल पर पुल निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. नदबई क्षेत्र के गांव नंगला गुर्जर में कैनाल पर पुल निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र नदबई में पथेना केनाल एवं माइनर कैनाल की सफाई एवं पटरी मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र नदबई में खुर्रम्मा पुर कैनाल एवं माइनर-कैनाल की सफाई एवं पटरी मरम्मत कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र नदबई में गुडगावां कैनाल का माईक्रो सर्वे रोनीजा रूद-मांझी होते हुए मटावली तक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा) :

104. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) में प्रस्तावित लघु सिंचाई योजना सेतखेड़ी व रोशन बाड़ी को स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) में निर्माणाधीन, गागरीन (मध्यम) पिपलाद (मध्यम) एवं रेवा (लघु) सिंचाई परियोजना से प्रभावित किसानों का पुनर्वास एवं जमीन, मकान का उचित मुआवजा दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) में निर्मित बांध हिम्मतगढ़ (मध्यम) के शेष रहे माईनरों के निर्माण पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) :

107. प्रदेश में सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजनाओं सहित विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में वर्क-चार्ज व अन्य कर्मचारियों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. प्रदेश में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के रखरखाव में बजट की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

109. सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कुल आबंटित जल 0.47 एमएएफ का पूरा उपयोग नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110. विभाग द्वारा भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की अमरसिंह ब्रांच के काश्तकारों पर 2003 से एक करोड़ रु. से अधिक की तमान लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

111. सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना क्षेत्र में बने पक्के खालों से पुराने चले आ रहे खेतों/गांवों के रास्ते बन्द होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) :

112. इंदिरा गांधी नहर के पास आबंटित नई आबादियों में बसे हुए नागरिकों को पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा) :

113. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में ग्राम पंचायत किकावट में कुडी खापड़ा एनीकट ठेलाणा में मोरीया भाटा एनीकट और गड़ावत में घाटकोल एनीकट स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा की निम्नांकित सिंचाई परियोजनाओं यथा सोमकामदर की नहरें, सागवाड़ा बांध की नहरों, बूझड़ा बांध की नहरों, दो नदी बांध की नहरों एवं लूणदा बांध की नहरों से सिंचाई एवं पेयजल हेतु जल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

115. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की नोहर-साहवा लिफ्ट नहर योजना का राजगढ़ (चूरू) के गांवों में निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री नन्दलाल पूनिया)

116. विभाग द्वारा सिद्धमुख नहर परियोजना में तहसील राजगढ़ (चूरू) की ढाणी बड़ी इडाखेड़ी, किशनपुरियां, ताम्बाखेड़ी रामसराताल, धानोटी छोटी एवं रेजड़ी के गांवों को सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. विभाग द्वारा सिद्धमुख नहर का पानी राजगढ़ (चूरू) के गांवों में सिंचाई हेतु नहर में छोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. विभाग द्वारा यमुना नदी के पानी से राजगढ़ (चूरू) के गांवों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा) :

119. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के अरवड़ बांध की नहरों को पक्का कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के एनीकटों के निर्माण एवं अधूरे एनीकटों को पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के उम्मेदसागर बांध/नोहर सागर बांध की भराव क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

122. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के बावडी-तस्वारिया-भीलड़ी-टीटोड़ी तालाबों की इन्टरलिंकिग की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के खेरूणा तालाब एवं टीटोडाजागीर तालाब की सिंचाई क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के टीटोड़ा माफी तालाब के सुदृढ़ीकरण एवं उन्यवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के बरदपुरा तालाब में पानी की आवक बढ़ाने हेतु गोरमगढ़ एनीकट व फीडर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के सरला सागर रासेड़ की ऊंचाई बढ़ाने, एवं सांखड़ा एनीकट की ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा (गुढ़ा) :

127. इंदिरा गांधी नहर के पानी को सिंचाई में प्रभावशाली लोगों द्वारा इस्तेमाल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) :

128. विधान सभा क्षेत्र खण्डार के मानसरोवर बांध के अपूर्ण कार्य कुशालीपुरा के नाले को डायवर्सन के कार्य को शीघ्र ही पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खण्डार की सिंचाई परियोजनाएं पिपलेट, पीपल्दा, लिफ्ट एवं इंदिरा लिफ्ट सिंचाई की लम्बित परियोजनाओं को शीघ्र ही केन्द्र सरकार के पर्यावरण विभाग को भिजवाकर शीघ्र ही कार्य कराये जाने हेतु पहल करने पर चर्चा के लिये।

130. विभाग द्वारा ईसरदा बांध के केचमेंट एरिया सिंचाई क्षेत्र में चौथ का बरवाड़ा तहसील एवं सवाईमाधोपुर के ग्रामों को शामिल कर बहुआयामी योजना में लाभ दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. विभाग द्वारा खण्डार क्षेत्र में ग्राम बिचपुरी लोहलाई, मेईकलां के ऊपरी नाले, ग्राम सवाई गंज लहसोडा एवं भैरूपुरा लहसोडा बगीना (झोपड़ा) एवं डिडापच में एवं भगवतगेह में आदलवाड़ा कलां में नवीन एनीकट बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

132. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खानपुर में हरिशचन्द्र सागर बांध के पड़ने वाले उपखण्ड सांगोद (कोटा) में स्थानान्तकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के भीमसागर बांध से निकलने वाली बांई व दांई मुख्य नहरों का समय पर काम पूरा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) :

134. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सिंचाई हेतु एनीकट, तालाब बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बस्सी में दोपुर व फालियावास तथा

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

श्यामपुरा वह खारली के एनीकट की मिट्टी निकालकर गहरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र के गांवों को सिंचाई हेतु बीसलपुर योजना से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

137. राज्य को अन्तरराज्य नदियों से राज्य का पूरा हिस्सा नहीं मिलने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

138. राज्य की नहरों, बांधों, मोरियों की खासकर भरतपुर की उचित रखरखाव नहीं होने से खस्ताहाल पर चर्चा के लिये।

139. भरतपुर जिले विशेषकर नगर पहाड़ी व डीग तहसील को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मुहैया नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

140. भरतपुर जिले को यमुना व गुड़गांव कैनाल का पानी निर्धारित मात्रा में नहीं मिलने तथा रूपारैल, गम्भीर व बाणगंगा का पानी नहीं मिलने से जिले के किसानों को होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

141. टोरडी सागर और लाम्बा हरिसिंह बांध के कैचमेंट एरिया में बने एनीकटों से पानी की आवक रुकने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) :

142. विभाग द्वारा माही बजाज सागर परियोजना से अतिरिक्त पानी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये एकीकृत माही परियोजना का प्लान नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

143. माही बजाज सागर परियोजना के वेस्ट पानी को रोकने के लिए पुख्ता उपाय करने एवं धोरों के निर्माण के लिए अलग से व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

144. माही बजाज सागर परियोजना के बांयी मुख्य नहर से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए धोरों के निर्माण नहीं होने से उत्पन्न होने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) :

145. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में पांचना बांध से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) :

146. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में पार्वती नदी पर ग्राम कुम्हेरी, मालोनी खुर्द सखवारा, मानपुर पर बड़े एनीकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. उर्मिला सागर का कैंचमेंट एरिया बढ़ाये जाने एवं नहर को पक्का कराए जाने, ककपुर बंधे पर मरम्मत कराए गए कार्य में अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया सामग्री, गुणवत्ता की कमी के कारण कार्य पूर्ण होने से पहले ही दीवाल के टूटने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

148. धौलपुर जिले के पार्वती बन्धे की नहरों तथा उर्मिला सागर की नहरों की सफाई व मरम्मत पानी छोड़ने से पूर्व नहीं कराने के कारणों से बार-बार नहर टूट जाने से किसानों की फसल नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

149. धौलपुर जिले के पार्वती बन्धे से निकली नहरों के कमाण्ड एरिया में आने वाले क्षेत्र में जहां आज तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं कराया गया ऐसे क्षेत्र का कमान्डर एरिया से निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के ग्राम यथा-ममरौली, रीछिया, खुर्दपर बिलाया कासिमपुर, कोटरा, गरवापुरा परेवरी, डावरी, बसईनीम, गुन्नेपुरा, भगपुरा, महादेवों का अड्डा, दीवानकापुरा नालों पर एनीकट निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) :

151. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र जालौर में हल्देश्वर बांध, ग्राम पीजोपुरा, पंचायत समिति सायला की स्वीकृति किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

152. ग्राम आकोली (पं.स. जालौर) में मोगल्डा बांध की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

153. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिरोही के बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना की स्वीकृति हेतु चर्चा के लिये।

(श्री संयम लोढ़ा)

154. नर्मदा का पानी सिरोही जिले के किसानों को उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

155. सिरोही शहर के अखेलाव बांध के नवनिर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

156. गोडाणा बांध (जिला सिरोही) की ऊंचाई बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

157. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के धांता एवं अणगौर बांध की क्षमता बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता, नागौर) :

158. नागौर जिले में इंदिरा गांधी नहर का पानी सिंचाई व पीने हेतु उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

159. मेड़ता में कुन्दला व मेड़ता शहर में ऐतिहासिक तालाबों के रखरखाव के संबंध में चर्चा के लिये।

160. मेड़ता में सिंचाई विभाग का भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

161. नागौर जिले में एनीकट बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में बाढ़ से क्षतिग्रस्त बांध गंगराना बांध पुन्दलू बांध बायड़ बांध धनाया बांध के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) :

163. विधान सभा क्षेत्र रायपुर में बांधों में जलग्रहण क्षेत्र में बने हुए एनीकटों को तोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) :

164. विभाग द्वारा नर्बदा नहर से जालौर जिले को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

165. विभाग द्वारा इन्दिरा गांधी मुख्य नहर, कंवरसेन लिफ्ट, अनूपगढ़ ब्रांच, सूखगढ़ ब्रांच, पूंगल ब्रांच, बंधा माईनर, के.के.जी. नहर, सी.एच.डी. नहर तथा विभिन्न डिस्ट्रीब्यूटरी माइनरों पर क्षतिग्रस्त पुलिया तथा रैम्पों की रिपेयर करने, कटान मार्गों पर पुलिया निर्माण करने पर चर्चा के लिये।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

166. विभाग द्वारा कानासर वितरिका से शोभासर जलाशय के बीच सैडल डेम का निर्माण नहीं किये जाने आडू से डिस्ट्रीब्यूटरी के चक 4एडी, 2एडी एवं अन्य चकों के पाइप्ड वाटर कोर्स को ओपन वाटर कोर्स में परिवर्तित करने, बंधा माइनर के चक 5 बीएम तथा 5 बीएम ''ए'' के कच्चे खाले को पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

167. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में नवीन एनीकटों एवं तालाब निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 में पर्याप्त बजट आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :

168. विधान सभा क्षेत्र खारची के सभी बांधों की नहरों को पक्का निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. विधान सभा क्षेत्र खारची में भू-जल स्तर में सुधार के लिये छोटे-छोटे 100 एनीकटों का निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों/पंचायत राज को हस्तान्तरित सिंचाई के बांधों के मरम्मत एवं रखरखाव हेतु अलग से बजट आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खारची में मानसून से पूर्व 40 टूटे हुये व क्षतिग्रस्त एनीकटों की मरम्मत एवं बाढ़ बचाव के कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

172. विधान सभा क्षेत्र खारची में चम्बल के बाढ़ का व्यर्थ पानी को लाने हेतु सर्वे करवाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।